राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-6] नवम् विधान सभा के षष्ठम सत्र का सैंतीसवां दिवस संख्या-24

मंगलवार,

31 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम परमार ।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास आयुक्त का कार्यभार

696. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति विकास आयुक्त ने वर्ष 1990-91 में किस-किस पंचायत समिति में दौरा किया ? कार्यक्रम की सूची मय दिनांक सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि एक ही व्यक्ति के पास संभागीय आयुक्त और जनजाति विकास आयुक्त का, दोनों पदों का भार होने से वह क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाते हैं और न ही जनजाति समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए ध्यान दे पाते हैं ?

(3) क्या सरकार दोनों आयुक्तों के पदों पर अलग-अलग व्यक्ति रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री जीवराम कटारा) (1) जनजाति विकास आयुक्त द्वारा वर्ष 1990-91 में दिनांक 1-4-90 से 31-3-91 तक किए गए दौरे की सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । समय-समय पर जनजाति विकास आयुक्त द्वारा जनजाति समस्याओं के लिए जनजाति क्षेत्रों का भ्रमण किया जाता है । भ्रमण के दौरान सम्बन्धित जिला कलक्टर्स, जन प्रतिनिधियों व जिला अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की जाती है और जनजाति समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें) .

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, जनजाति विकास आयुक्त ने जो दौरे किए हैं उनमें एक तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ घरियावाद में किया है । इसके अलावा जितने भी दौरे किये हैं, केवल अधिकारियों के बीच में वह गये हैं, माउन्ट आबू गये हैं

(श्री दयाराम परमार)

या और कहीं भी गये हैं अधिकारियों के साथ दौरे किये हैं। अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर के जो अधिकार और कर्तव्य दे रखे हैं उसके अनुसार कमिश्नर को ट्राइबल एरिया में जाना चाहिए, पंचायत समितियों की जनरल बैठक में जाना चाहिए, गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं की जानकारी लेनी चाहिए, उसके समाधान के लिए स्वयं को कुछ करना चाहिए और सरकार को भी सुझाव देने चाहिए। इस सूची के आधार पर वह कमिश्नर कहीं भी नहीं गये हैं इसलिए जो माननीय मंत्रीजी ने कमिश्नर महोदय के दौरे बताये हैं वह जनता के बीच में जाने का नहीं है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह हैं कि कमिश्नर के जो भ्रमण का कार्यक्रम इन्होंने बताया, प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि वह ट्राइबल एरिया में बराबर जाते हैं, जनता की समस्याओं की जानकारी करते हैं, वह कोई जानकारी नहीं करते हैं। इसलिए जनजाति विकास का जो भी पैसा है वह पूरा खर्च नहीं होता है। क्योंकि उनको कहां, क्या करना है उसका पता नहीं होता है। डिपार्टमेंट्स को वह लेटर भेजते हैं जिससे कोई भी अपनी योजना बना कर, या जो कार्य की स्वीकृति नहीं देते हैं जिससे कार्य नहीं होता है। आपने यह कहा कि संभागीय आयुक्त और जनजाति विकास आयुक्त, दोनों के पद अलग करने का कोई विचार नहीं है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, यह मेरे को समझना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जीवराम कटारा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में कहा है ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है इसलिए इस बारे में विचार नहीं किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की मूल भावना यह थी कि संभागीय आयुक्त और जनजाति विकास आयुक्त, दोनों का पद एक ही है। माननीय सदस्य यह पूछना चाहते थे कि जिस दायित्व का उनको निर्वहन करना चाहिए। वह इन समस्याओं के बारे में, टी. ए डी. का जो काम है उसको पूरा अन्जाम नहीं दे रहे हैं इसलिए इन्होंने दौरे की बात पूछी है। दौरे का जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय, अगर आप उस पर गौर करें तो पूरे साल के अन्दर इस कार्य के लिए मुश्किल से उन्होंने एक या दो दौरे किये हैं, न तो लोगों से मिलना, चुनाव के समय मुख्य मंत्रीजी के संग दौरा किया, अधिकारी रहते ही हैं, वह भी उन्होंने इसमें लगा दिया। अब मुख्य मंत्रीजी की हाजिरी में खड़े रहें, चुनाव के भाषण मुख्य मंत्री जी देते रहें, अब वह भी सम्पर्क हो गया उनका....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : वह भी सुनते रहे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, यह सुनते रहे और आपके वोट पकाते रहे। उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिली।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : दूसरे क्वेश्चन्स भी हैं, यह क्वेश्चन आवर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके राज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की तरह से यदि अधिकारी वोट पकाते तो हम जीत भी जाते ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये आपने कहा कि सुनते रहे, उसका उत्तर मैंने दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि दोहरा दायित्व होने के कारण टी. ए. डी. कमिश्नर की जो ड्यूटीज हैं वह उनका निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से जो फण्ड आदि का अलोकेशन होता है उनका भी खर्चा ठीक प्रकार से नहीं होता और जो विकास गति आनी चाहिए इस क्षेत्र के अन्दर, वह विकास की गति नहीं आ रही है तो क्या सरकार का इरादा है । इन दोनों पदों को अलग-अलग करने का, इस पूरी स्थिति को देखते हुए या सरकार कोई निर्देश जारी करने जा रही है, इसके बारे में सरकार बताने की कृपा करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य से, भूतपूर्व मंत्री हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने यह पद खत्म क्यों किया था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारे वक्त के अन्दर कमिश्नर काफी दौरे किया करते थे माननीय अध्यक्ष महोदय । लेकिन अब स्थिति जो बनी है....

श्री नत्थीसिंह : स्थिति बदल गई है । मुख्य मंत्री जी प्रश्न पूछें और जबाव दें सचेतक महोदय, स्थिति बदल गई ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन रूल्स के अन्दर मुख्य मंत्री को भी राइट....

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने तो पाबंद कर रखा था अध्यक्ष महोदय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इन रूल्स को देखें तो मुख्य मंत्री को भी प्रश्न पूछने का अधिकार है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तो पाबंद कर रखा था । लोगों से जाकर मिलते-जुलते थे, उस क्षेत्र की जनता से मिलते थे, जन-प्रतिनिधियों से मिलते थे और फिर यह अधिकारी-अधिकारी के ऊपर भी मुनस्सर करता है श्रीमन् । If differs from person to person.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाय ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो सरकार में सात वर्ष से हूं नहीं श्रीमन् । मैं दौरे के विरोध में हूं, पांच वर्ष घर बैठा रहा....

श्री अध्यक्ष : तो आज आप घोषणा कर दो कि दोनों पद अलग-अलग किये जाते हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मैं तो घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूं । अध्यक्ष महोदय, सीरियस मैटर है ।

श्री अध्यक्ष : समझ गया मैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात को समझ रहा हूं । मैं स्वयं भी मानता हूं कि जब तक दो पद अलग नहीं होंगे, तब तक एक आदमी का कन्सन्ट्रेशन ट्राइबल वेलफेयर की एक्टीविटीज पर नहीं होगा । इस पर सरकार ने विचार किया था । प्रश्न यह आया कि

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

सम्भागीय आयुक्त हमने बना तो दिये, इनके पास उतना काम नहीं है, उस काम की दृष्टि से कहीं सी. ए. डी. का काम दिया, कहीं और काम दिया, कहीं डेजर्ट डवलपमेंट का काम दिया, कमिश्नर को अलग-अलग काम इस तरह से दिये हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि ट्राइबल वेलफेयर की एक्टीविटीज के लिए जब तक कन्सन्ट्रेशन नहीं होगा तब तक उसका जितना लाभ उठाना चाहिए, नहीं उठा सकते। सदन में जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसके आधार पर विचार करके कोई न कोई इसका रास्ता निकालूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री महीपाल यादव।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने चुनाव के पहले अपने भाषणों में यह कहा था कि जनजाति क्षेत्रीय परिषद के गठन से ही आदिवासियों का कल्याण सम्भव हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने चुनाव के पहले जो कुछ कहा, आप उससे अभी क्यों मुकर रहे हैं? यह मेरे समझ में नहीं आ रहा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : काहे के लिए।

श्री दयाराम परमार : जनजाति विकास परिषद के गठन के लिए उस समय आपने....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने कह दिया न अभी।

श्री अध्यक्ष : श्री महीपाल यादव।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, थोरिया के विरुद्ध शिकायतें

697 श्री महीपाल यादव (बहरोड़) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1991 में अजमेर जिले की थोरिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की सहकारिता अधिनियम की धारा 74 के तहत जांच की गई थी? यदि हां, तो रिपोर्ट कब क्या प्राप्त हुई? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व कब? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या कार्यवाही में देरी करने अथवा कार्यवाही नहीं करने के लिए कोई अधिकारी दोषी है? यदि हां, तो सरकार उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

डेयरी विकास राज्य मंत्री (श्री उम्मेद सिंह) : (1) जी हां। जांच रिपोर्ट दिनांक 8-8-91 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस रिपोर्ट के आधार पर श्री रामचन्द्र गुर्जर के विरुद्ध बने आरोपों पर मामले में धारा 74 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही सहायक रजिस्ट्रार, डेयरी के न्यायालय में आरम्भ हुई तथा पांच माह की अवधि में फैसला दिया गया जिसमें श्री रामचन्द्र गुर्जर को दिनांक 18-2-92 को दोषी करार दिया गया।

(3) कार्यवाही में कोई देरी नहीं हुई।

(डेयरी विकास राज्य मंत्री)

यद्यपि प्रथम अपील के लिए 60 दिवस का समय है लेकिन फिर भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए वसूली कार्यवाही करने को डिग्री प्राप्त करने की कार्यवाही कर दी गई।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री महीपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा सवाल यह है कि डेयरी उपनियमों में पदाधिकारी के लिए एक साल के अन्दर 180 दिन या कम से कम 300 लीटर दूध देना आवश्यक है लेकिन इसमें इस पदाधिकारी ने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पदाधिकारी ने कितना दूध दिया ?

श्री महीपाल यादव : इसमें मात्र 12 दिन दूध दिया है और माननीय मुख्य मंत्री जी, सिर्फ 103 लीटर, जबकि नियम के मुताबिक....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इसको खुराक अच्छी नहीं दी होगी।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : यह तो निकालने वाले की गलती है कि उसने दूध नहीं निकाला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निकालने के लिए, जवान हैं पूरी भैंस का दूध निकाल लें।

श्री महीपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि धोरिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गुंजन हैं उन्होंने 1½ साल में कुल 12 दिन और 103 लीटर दूध दिया है और अगस्त में जब उनकी शिकायत हुई। अगस्त, 1991 में जो रिपोर्ट आई है उस आधार पर उनको अयोग्य घोषित करना चाहिए था लेकिन 7 महीने बीतने के बाद भी उनको अध्यक्ष पद से आज तक नहीं हटाया गया तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनको कब तक हटा दिया जायेगा ?

दूसरा सवाल यह है कि आडिट रिपोर्ट की धारा 74 में जांच रिपोर्ट में जब 20,757 रुपये बिना बाउचरों के निकालने पर और दूध के भुगतान में कुल 10164 रुपये का भुगतान किये जाने का हिसाब न मिलने पर 13,742 रुपये की राशि व्यवस्थापक द्वारा हानि पहुंचाने आदि के मामले में पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने और रकम वसूल करने की कार्यवाही 7 महीने तक क्यों नहीं की गयी ?

अगला सवाल मेरा यह है कि क्या गबन के मामले में कोई एफ. आई. आर. दर्ज हुई या कोई कार्यवाही की गयी आज तक ?

श्री उम्मेद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धोरिया जो समिति है उसके राजेन्द्र गुंजन अध्यक्ष हैं जो मुताबिक रिकार्ड के वहां के रहने वाले नहीं हैं। इसकी जांच करवाई गई और जांच से पता चला है कि राजेन्द्र गुंजन जो कि अजमेर के रहने वाले हैं और नगर परिषद अजमेर में ही मतदाता सूची में उनका नाम है और वहां उनका राशनकार्ड भी नगरपालिका से बना हुआ है।

श्री यदुनाथ सिंह : बर्खाश्त करो फिर ।

श्री उम्मेद सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी भी समिति के प्रबन्धकारिणी के सदस्य बनने हेतु शर्ते यह हैं—एक तो दूध 180 दिन तक देने का आपने कहा है यह बात सही है कि 180 दिन वह दूध दे और 300 लीटर दूध दे। तो जो आपने 12 दिन की बात कही है यह भी सही है कि 12 दिन 103,900 लीटर उन्होंने दूध दिया है तो उनको जांच के बाद अवैध करार दे दिया गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : जब क्वालिफिकेशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है....

श्री अध्यक्ष : श्री जगमालसिंह यादव ।

श्री महीपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं आया। जो व्यक्ति शहर में रहता है जिसके पास में न मवेशी हैं न गांव में कभी वह गया है ऐसे व्यक्ति को आपने कैसे अध्यक्ष बना दिया ? आपने गबन के मामले में भी कोई बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष : दोषी करार दे दिया है।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गबन की बात अभी जैसे आपने कही कि यह अयोग्य हैं तो यह शब्द सुनने के लिए नहीं बल्कि अध्यक्ष पद या किसी ग्राफिसबियरर के बने रहने की शर्त है। लेकिन यह सब शर्ते पूरी अगर नहीं करते हैं तो क्या आपका विभाग या आप उन अध्यक्ष को हटाने की शक्ति रखते हैं ? आप स्वयं उसका फैसला कर लेंगे कि वह अध्यक्ष नहीं है उसको हटा दिया जाये ?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि सेक्रेटरी के खिलाफ जब आपने को-ग्रापरेटिव एक्ट की धारा 74 के तहत कार्यवाही कर दी तो गबन की कार्यवाही भी करने का आप विचार रखते हैं क्या या कानूनी कोई ऐसी बाधा है कि 74 की कार्यवाही होने के बाद गबन में भी खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता ?

श्री रामसिंह बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि एक किसान जो कार्यकारिणी का सदस्य या अध्यक्ष है और उसके गाय और भैंस है और जब अध्यक्ष बना उस समय भैंस एक महीने तक दूध दी और बाद में भैंस ने दूध देना बन्द कर दिया। गाय-भैंस है उसकी और आपको मालूम है 10 महीने के बाद भैंस ब्याती है तो उस 12 महीने में 180 दिन कैसे हो गए ? अगर नहीं देती है तो वह कैसे देगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी भैंसें 30 वर्ष तक भी नहीं ब्याती हैं।

श्री उम्मेदसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें यह है कि इनको अध्यक्ष पद से हटाने की कार्यवाही डिप्टी रजिस्ट्रार यूनिट द्वारा धारा 30 को-आपरेटिव एक्ट के तहत की जा रही है। यह शीघ्र निपटाने की कार्यवाही की जायेगी और 7-12-91 से कार्यवाही चालू है। दूसरे जो गबन की बात इन्होंने कही है कि मुकदमा दर्ज करवाया या नहीं तो गबन का मुकदमा अभी

(श्री उम्मेदसिंह)

दर्ज नहीं कराया है लेकिन गबन का मुकदमा दर्ज करने के फाइल पर आदेश, मैं आज ही कहता हूं कि कर दूंगा कि मुकदमा दर्ज हो ।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि डेयरी फैडरेशन की धारा 74 की रिपोर्ट की धारा 36 के तहत कार्यवाही आई. डी. ओ. करता है या सहकारी समिति का ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार करता है. कौन करता है और इस केस में कौन जांच कर रहा है—आप इसका जवाब दे दें ।

श्री उम्मेद सिंह : आई. डी. ओ. करता है ।

श्री जुबेर खां : आई. डी. ओ. करता है तो फिर ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार क्या करता है ।

श्री उम्मेद सिंह : डिप्टी रजिस्ट्रार यूनिट ।

श्री अध्यक्ष : आपकी दोनों बातें हो गई कि उनके खिलाफ एफ. आई. आर. भी दर्ज करा रहे हैं और उनको हटा भी रहे हैं । यह तो कोई बात नहीं । नेक्स्ट, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

राजस्थान स्टेट लाटरीज की बकाया

698. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या अल्प बचत एवं स्टेट लाटरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्टेट लाटरीज के टिकटों का विक्रय किस प्रक्रिया से किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार की राशि कई एजेन्सीज के नाम बकाया है ? यदि हां, तो वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

अल्प बचत एवं स्टेट लाटरी राज्य मंत्री (श्री जगतसिंह दायमा) : (1) राजस्थान सरकार द्वारा संचालित साप्ताहिक लाटरी योजनाओं के टिकटों का विक्रय निम्नानुसार किया जाता है :—

(क) विभागीय विक्रय केन्द्रों से : विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर एक साप्ताहिक लाटरी योजना "सुन्दरम्" संचालित की जा रही है जिनके टिकटों की बिक्री विभाग द्वारा संचालित कैम्प कार्यालयों के माध्यम से की जाती है ।

(ख) विभाग द्वारा ठेके पर दी गई लाटरी योजनाओं के टिकटों का विक्रय विभाग द्वारा 6 साप्ताहिक लाटरी योजनाओं के समस्त टिकटों की बिक्री के आधार पर ठेके पर दी हुई है जिनके अन्तर्गत प्रत्येक लाटरी योजना के लिए निर्धारित मेन स्टाकिस्ट विभाग में निर्धारित रायल्टी राशि एवं अन्य खर्च जमा करा कर सम्पूर्ण टिकटें लेकर अपने स्तर पर विक्रय करता है ।

(2) जी हां, सिर्फ मैसर्स अखिल सर्विसेस 4, कम्युनिटी सेन्टर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली की और वर्तमान में 6,27,811 रुपये बकाया है जिनकी वसूली के लिए प्रयास जारी हैं ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने दो बातें बताई हैं। क्या राजस्थान स्टेट लाटरी की टिकटों की बिक्री, क्या ठेके पर दी जा रही लाटरियों की किसी ठेकेदार की राशि बाकी है तो मंत्री महोदय बतायें वह कितनी है ?

दूसरा मेरा सवाल है कि 6,27, 811 रुपये की राशि बाकी है यह राशि कब से बकाया है ? क्या यह सरकार ब्याज सहित वसूल करने का विचार रखती है ? यह राशि कब तक वसूल की जायेगी ?

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय क्वेश्चन के पार्ट 2 में माननीय सदस्या ने जो क्वेश्चन किया है वह यह है कि सरकार की राशि कई एजेन्सीज, यानी एजेन्सी की बात कही है तो वह तो बता दी और अभी जो अलग से सवाल किया है स्टाकिस्ट या ठेके पर, तो उनका विवरण भी मैं माननीय सदस्या यदि चाहें तो दे सकता हूं परन्तु उनकी जो रिकवरी के लिए है उसके लिए विभाग प्रयासरत है नोटिस भी दे रखे हैं और पत्र भी दे रखा है। आपस में हमारे डाइरेक्टर महोदय और वहां के जो केम्प प्रभारी हैं वह भी उनसे मिलकर राशि वसूल करने के प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : किसी ठेकेदार में बाकी है क्या राशि, ये यह पूछ रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : जी हां, है। वह मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष ठेकेदार में भी बाकी है। वही तो मैंने पूछा था। आप दूसरा सवाल पूछिए। दोनों का साथ जवाब दे देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो बातें बताई हैं दोनों के अन्दर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक में तो इन्होंने कहा है कि सरकार खुद ही कर रही है और दूसरे में दिया है विभाग द्वारा ठेके पर—तो यह बात समझ में नहीं आई।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, टिकटों का संचालन का जो हमारा प्रोग्राम है वह दो तरीके से होता है। एक तो विभाग चलाता है अपनी लाटरी और दूसरे ठेके पर लाटरी देते हैं तो विभाग के द्वारा तो एक लाटरी चलाई जा रही है "साप्ताहिक सुन्दरम" और विभाग जो ठेका देता है उसके द्वारा 6 लाटरी चलाई जाती हैं और यह साप्ताहिक लाटरियां हैं सारी की सारी। जिनको ठेके पर देते हैं उनको मेन स्टाकिस्ट कहते हैं और उनके जरिये और वह अपने ठेके से टिकटों का वितरण 4-5 केन्द्र हैं हमारे भारत में वह मेन स्टाकिस्ट्स अपने एजेन्टस के द्वारा टिकटों का वितरण करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं''''(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनकी आपको कौन-सी जानकारी नहीं है जो पूछना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब से इस सदन के नेता के प्रभाव में मेरे मित्र आये हैं तब से मुझे तो जानकारी देते ही नहीं हैं .. (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : आप तो पूरी तरह प्रभाव मुक्त हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप से भी साथ था मेरा तो आप ही छोड़ गये।

श्री नत्थीसिंह : मै तो छोड़ के गया, आपसे छुड़ा लिया गया।

श्री जगमाल सिंह यादव : चलो यह तो मानते हो मेरी बुद्धि आपसे ज्यादा है।

श्री नत्थीसिंह : बुद्धि नहीं कमजोरी है।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय, से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि राजस्थान में राजस्थान लाटरी के टिकटों की 365 करोड़ रुपए सालाना की बिक्री है और राजस्थान सरकार 365 करोड़ रुपया, एक करोड़ रुपये पर डे राजस्थान की जनता से लाटरी के नाम पर लिया जा रहा है, क्या यह सही है ? और 35 करोड़ रुपये केवल सरकारी खजाने में जमा हो रहा है, क्या यह भी सही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हू कि क्या राज्य सरकार इतने बड़े शोषण को, कि 330 करोड़ रुपये राजस्थान की जनता का शोषण कर ठेकेदारों की जेब में चला जाता है और गवर्नमेण्ट को केवल 35 करोड़ रुपये मिलता है। क्या सरकार इसको बद करनेका विचार रखती है ? दूसरा मेरा एक निवेदन यह है कि राज्य सरकार अगर लाटरी को चलाने का काम नहीं करे तो आई. पी. सी. में, भारतीय दण्ड संहिता में क्या यह अपराध है ? दो सवाल मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंहजी। एक मिनट, सम्पतसिंहजी और पूछ रहे हैं। (व्यवधान)....

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी इस लाटरी सिस्टम को गेम ऑफ चांस मानते हैं या गेम ऑफ स्किल मानते हैं ? अगर गेम ऑफ स्किल मानते हैं तो क्या कारण है उसके और क्यों मानते हैं ? अगर गेम ऑफ चांस मानते हैं तो इसको बंद क्यों नहीं करते ? यह एक अपराध है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो टिकट लाटरी खुलने से पहले नहीं बिकते, उनका एक नियम है कि उनको वापस विभाग में भेज देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो, अगर वापस नहीं जाय टिकट कभी कभी वापस नहीं गयी, उसका क्या विवरण है ? अगर उनमें कोई इनाम खुल गया हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : नाम ले रहे हैं यह तो (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : उन्होंने, वैसे इस प्रश्न से अलग हटकर बात कही है

(श्री जगतसिंह दायमा)

परन्तु मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करता हूं....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : होंगे नहीं।

श्री सम्पत सिंह : हम तो सिर्फ इस्तीफे से संतुष्ट होंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जब तक यहां बैठेंगे आप संतुष्ट नहीं होंगे.... (व्यवधान) ...

श्री जगतसिंह दायमा : माननीय इसे अलग से कहूं, अगर आप साथ ले जाते दोस्त होते तो, मुझे+++क्यों किया आपने ?........(व्यवधान)....+++नहीं, दोस्त रखते तो कोई बात भी समझ में आती।

अध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हमारा बहुत-बड़ा धन, इन्होंने बताया कि 365 करोड़ रुपये के लगभग आदान-प्रदान होता है...

श्री जगमालसिंह यादव : आदान-प्रदान नहीं लाटरी की टिकटें बिकती हैं राजस्थान में।

श्री जगत सिंह दायमा : बिकती हैं। मेरा इसमें निवेदन यह है कि सारा पैसा राजस्थान की जनता से ही लिया जाय, ऐसा नहीं है। यह तो टिकटों के मैन स्टाकिस्ट को हम दे देते हैं वह सारे भारत में दे देते हैं....(व्यवधान)....मैं बताऊं आप मेरी बात तो सुनो....(व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : फिर तो बात यह है कि अगर आपकी बाहर बिकती है है तो उनकी आपके राजस्थान में बिकती है। इससे क्या है... (व्यवधान)....

श्री जगतसिंह दायमा : मेरी बात तो सुन लीजिए। एक ड्रॉ के ऊपर लगभग 20 लाख टिकटें हमारे राजस्थान में बिकती हैं राजस्थान की और जो शेष जो करीबन 60 लाख के करीब है, 60 लाख के करीब पैसा यह दूसरे प्रान्तों से हमारे राजस्थान में आता है इसलिए राजस्थान की जनता पर इतना भार नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ 20 लाख टिकटें ही यहां पर बिक पाती हैं और जो बाकी टिकटें 50 लाख या 40 लाख जो है वह सारे प्रदेशों में जाकर बिकती है। जो इन्होंने कहा कि सारे प्रदेशों के यहां बिकती है, हमारी लाटरी की साख इतनी बढ़िया है कि उनकी 2 लाख टिकट के करीब दूसरे प्रदेशों की यहां बिक सकती है, ज्यादा नहीं बिक सकती। हमारी लाटरी की साख इण्डिया में है और वह बिक रही है। दूसरों की साख इण्डिया में नहीं है इसलिए वे कम बिक रही हैं।

श्री जगमालसिंह यादव : राजस्थान गवर्नमेण्ट जुआ अच्छा खेलती है।

श्री जगतसिंह दायमा : दूसरा, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल किया कि गेम ऑफ पार्ट्स है, गेम ऑफ चांस है, तो मैं तो इसको गेम ऑफ चांस मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, हो

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया । इनका इतना ही मतलब था.... (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री अरूण सिंह ।.... (व्यवधान)....

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी सवाल था मेरा ।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : अध्यक्ष महोदय बहुत इंपोर्टेण्ट सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : इसके नियम बने हुए हैं सारे ।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : नियम बतायें तो सही .... (व्यवधान)....

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि क्या यह सही है कि राजस्थान लाटरी की बिक्री से 365 करोड़ रुपये सालाना राजस्थान की जनता से प्राप्त होता है ? अगर राजस्थान की लाटरी बाहर बिकती है तो दूसरे स्टेट की लाटरी हमारे स्टेट में भी बिकती है । क्या यह सही है कि राजकोष में केवल 35 करोड़ रुपये ही जमा होते हैं ? केवल 35 करोड़ के नाम पर हम अच्छे जुआरी सिद्ध हो जाते हैं ? मेरी मान्यता तो यह है कि बंद कर देनी चाहिए । मैं मंत्रीजी से पूछता हूं कि बंद करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : या तो इसको बंद करेंगे या अच्छा जुआरी ढूंढ लेंगे ।

श्री सम्पत सिंह : वह अब राजस्थान में मिलने वाला नहीं है । सब पलायन कर गये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत मौजूद हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछ रहे हैं ? पूछिये आप क्या पूछ रहे हैं ? हां पूछिये आप ।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान स्टेट लाटरी की जितनी बिक्री होती है उसमें से कितना प्रतिशत तो ठेकेदारों को चला जाता है और कितना जो लाटरी में विजेता होते हैं, उनको चला जाता है और कितनी राशि शेष बचती है ? दूसरा सवाल माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय ने स्वयं ने कभी लाटरी की टिकट खरीदी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप खरीद कर निहाल हो गये हो तो उन्होंने भी खरीदी हो ।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मैंने आज तक एक भी टिकट नहीं खरीदी है.... (व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : आपका विश्वास नहीं है । आपके पास विभाग ही नहीं होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : फिर दूसरों को क्यों बरबाद कर रहे हो भाई ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह खरीदें और कल इनका नाम निकल जाय तो आप चार्ज लगाओगे.... (व्यवधान)....

श्री जगत सिंह दायमा : खर्चे की बात माननीय सदस्य ने कही है, जो हम ठेके पर देते हैं वह रायल्टी पर देते हैं और उनसे...

श्री राजेन्द्र पारीक : कितना प्रतिशत ठेकेदार का कमीशन होगा ?

श्री जगत सिंह दायमा : आपको बता रहा हूं। वैसे अलग से क्वेश्चन है। अलग-अलग रायल्टी पर हमने ठेकेदारों को दे रखी है....

श्री अध्यक्ष : अलग-अलग क्या है ?

श्री जगत सिंह दायमा : और जो हम खुद चलाते हैं उसमें हमारा जो बचता है जो बचता है बाकी....

श्री अध्यक्ष : ठीक है। बैठिये। श्री अरूण सिंह। नेक्स्ट।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि कितना प्रतिशत ठेकेदार को दिया जाता है ?

श्री जगत सिंह दायमा : आपको सिस्टम का पता ही नहीं है.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री अरूण सिंह।

डीग के महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्यक संकाय की स्थापना

699. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऐसे कितने कालेज हैं जिनका स्थाई ऐफीलियेशन अभी तक विश्वविद्यालय से नहीं हुआ है ?

(2) क्या डीग जिला भरतपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय का ऐफीलियेशन अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अब कब तक होगा ?

(3) क्या उक्त डीग महाविद्यालय को विज्ञान, कामर्स की संकाय देने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (डा. रतनलाल जाट) : अध्यक्ष महोदय, (1) राज्य में वर्तमान में 85 सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से स्थाई सम्बद्धता (परमानेण्ट एफीलियेशन) प्राप्त नहीं है।

(2) राजकीय महाविद्यालय डीग को कला संकाय में स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है, तथा वाणिज्य संकाय की स्थाई सम्बद्धता हेतु प्रकरण राजस्थान विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। विश्वविद्यालय से शीघ्र ही निर्णय प्राप्त होने की आशा है।

(3) राजकीय महाविद्यालय डीग में स्नातक स्तरीय विज्ञान संकाय आरम्भ करने की मांग मार्च, 1992 में प्राप्त हुई है। जिस पर निर्धारित मानदण्डों, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा। वाणिज्यक संकाय पूर्व में ही इस महाविद्यालय में कार्यरत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से बहुत स्पष्ट जवाब चाहता हूं। यह 1977 में पिछली भैरोंसिह शेखावत की सरकार ने....

श्री रामकिशन : जनता सरकार ने।

श्री अरूण सिंह : जनता सरकार ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको क्या दर्द हो रहा है?

श्री अरूण सिंह : सरकार ने 1977 में डीग में यह महाविद्यालय स्थापित किया। 14 साल हो गये। मेरी यह मांग है कि क्यों नहीं साइंस और कॉमर्स की क्लासेस शुरू हो। डीग सब-डिवीजन, कामां, नगर, सीकरी से हमारे जो माननीय सदस्य हैं वह भी इस मांग को समर्थन देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंहजी भी पूछ रहे हैं अभी।

श्री सम्पत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सम्पत सिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो खिलाफ हैं डीग के।

श्री सम्पत सिंह : आप खिलाफ हैं डीग के जब से जमानत जब्त हुई है तब से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी आपके कारण से ही हुई है।

श्री नत्थी सिंह : इसीलिये बदला लिया है इनसे।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी नियुक्त की गई थी डीग महाविद्यालय की तमाम स्टडीज के लिये और आज तक वहां न प्ले ग्राउंड है, न होस्टल है, न वहां लाइब्रेरी है और मुख्य द्वार पर एनक्रोचमेंट हो चुके हैं? विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? पी. डब्ल्यू. डी. के लिये अब तक यह इमारत हस्तान्तरित क्यों नहीं की गयी?

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्षजी, डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने डीग में कामर्स क्लासेज और साइन्स फैकल्टी खोलने के बारे में कहा है। डीग में कामर्स संकाय पहले से ही चल रहा है, केवल उसके एफिलियेशन का सवाल विचाराधीन है यूनिवर्सिटी के सामने। जहां तक साइन्स फैकल्टी शुरू करने का सवाल है, मैंने अभी निवेदन किया था कि वित्तीय संसाधन और गुणावगुण के आधार पर इसका इंस्पेक्शन करवा कर इस पर भी विचार किया जायगा।

श्री अरूण सिंह : 14 साल हो गये साहब, घोषणा तो करो।

श्री अध्यक्ष : जुबेर खां आप भी पूछ रहे हैं? जुबेर खां, पूछ लीजिये।

श्री सम्पत सिंह : माननीय मंत्रीजी नहीं समझ पाये कि डीग के बारे में ही पूछा था क्या आपने।

श्री अध्यक्ष : आपने जो सवाल पूछे हैं वह इससे सम्बन्धित नहीं हैं इसलिये।

श्री सम्पत सिंह : सम्बन्धित यों हैं, साहब, कि अभी तक वह भवन....

श्री अध्यक्ष : हां, वह ठीक है। आपका कहना ठीक है।

श्री सम्पत सिंह : सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित क्यों नहीं किया

(श्री सम्पत सिंह)

गया है जिसकी वजह से न वहां लाइब्रेरी है, न वहां प्ले ग्राउंड है, न वहां होस्टल है ?

श्री अध्यक्ष : शायद इसीलिये हस्तान्तरित नहीं किया गया वह ।

श्री सम्पत सिंह : नहीं ।

श्री अध्यक्ष : तो ?

श्री सम्पत सिंह : वह हस्तान्तरित हो जाने के बाद ही यह सुविधाएं सम्भव हो पाती हैं । क्योंकि यू. जी. सी. का पैसा तभी मिलना शुरू होगा । इसमें इतनी देर क्यों की गई ? पहले एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त हुई थी उसकी रिपोर्ट मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष : किसने बनाया है यह ? यह किसने बनाया है ?

श्री सम्पत सिंह : क्या ?

श्री अध्यक्ष : भवन किसने बनाया है ?

श्री सम्पत सिंह : यह तो जनता ने अपने सहयोग से बनाया है ।

श्री अध्यक्ष : हां तो फिर इस सवाल का जवाब यह नहीं दे सकते । या तो जिन्होंने बनाया वह या पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर ।

श्री सम्पत सिंह : नहीं, यही देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नहीं इन्होंने तो ले लिया, कालेज चला रहे हैं । एजूकेशन डिपार्टमेंट ने ले लिया, कालेज चला रहे हैं । अब उस भवन को पी डब्ल्यू डी. को संभालने का सवाल है तो या तो जो बनाने वाले हैं डोनेटर, वह बता सकते हैं या पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर बता सकते हैं कि क्यों नहीं अभी तक ऐड्स दिलायीं ।

श्री नत्थीसिंह : डोनेटर ने इनके जरिये बनवाया है और हस्तान्तरित यही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट ने बनवाया है ?

श्री नत्थीसिंह : बनाया नहीं इनको पैसे दिये थे और यही हस्तान्तरित करेंगे और अभी तक हस्तान्तरित नहीं किया है, स्थिति यह है ।

श्री सम्पत सिंह : शिक्षा विभाग ही इसको पी. डब्ल्यू. डी. के लिये हस्तान्तरित करेगा और वह अब तक इसलिये नहीं किया है कि यह पड़ा रहे इसी खुर्द बुर्द अवस्था में ।

श्री अध्यक्ष : माननीन मंत्रीजी, क्या शिक्षा विभाग ने बनवाया है वह ?

डा. रतनलाल जाट : इस बारे में जानकारी करके उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : पता नही है इनको । माननीय पंडितजी, पूछें ।

श्री केदारनाथ शर्मा : परमानेंट एफिलियेशन करने के लिये प्री कंडीशंस क्या हैं ? परमानेंट एफिलियेशन यूनिवर्सिटी से करने के लिये कौनसी प्री कंडीशंस हैं और कौनसी पूरी नहीं कर पाये यह ?

श्री अध्यक्ष : परमानेंट के लिये पूछ रहे हैं ।

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी से एफिलियेशन के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एफिलियेशन

(डा. रतनलाल जाट)

की इसमें एक बाडी यूनिवर्सिटी की बनी हुई है। सिंडीकेट के द्वारा कॉलेजेज को परमानेंट और टेम्प्रेरी एफिलियेशन दिया जाता है। जो नियम बने हुए हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। एफिलियेशन का पहला आधार यह है, जो आवश्यक है. कि यू. जी. सी. के नार्म्स के अनुसार वहां लेक्चरर्स का अपाइन्टमेंट हो. प्रिंसिपल की वहां नियुक्ति की जाय यू. जी. सी. के उनको पे स्केल दिये जायं। हैड आफ दी डिपार्टमेंट उस कालेज में नियुक्त किया जाय। रिटायरिंग ऐज वहां 60 वर्ष रखी जाय। बी. एड. के लिये भी वहां पैसा जमा होना आवश्यक है। इनके साथ जो निजी कालेज हैं उनके लिये अलग-अलग फैकल्टीवाइज उनको पैसा जमा कराना आवश्यक है। जैसे आर्टर के लिये ढाई लाख रुपया, निजी संस्थाओं की बात कर रहा हूं, विज्ञान संकाय के लिये 3.75 लाख रुपया, विधि संकाय के लिये 1.25 लाख रुपया जमा कराना आवश्यक है। इसके साथ ही वहां होस्टल फेसिलिटी और दूसरी चीजों का भी होना आवश्वक है।

श्री अध्यक्ष : पंडितजी, पूछिये।

श्री रामकिशन : आपने अभी उत्तर दिया है, यह तो गवर्नमेंट कालेज है और जिन कंडीशंस का आपने जिक्र किया है वह कंडीशंस पूरी अपने आप हैं। इसलिये आपको इस एफिलियेशन के सम्बन्ध में इस मामले को दुबारा देखना चाहिये। लेकिन मुख्य सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आपका विज्ञान फैकल्टी के बारे में यह कहना कि जब फण्डस होंगे और गुणावगुण के आधार पर इसका फैसला किया जायगा, तो क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट है? इसका कोई अन्त है? गुणावगुण का फैसला कौन करेगा? मैं यह कह सकता हूं कि भरतपुर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, भरतपुर की आबादी और उस इलाके को ध्यान में रखते वहां साइन्स फैकल्टी खुलना बहुत आवश्यक है। कामर्स वाली तो है। धन का जहां तक सवाल है. जब तक राज्य सरकार की इच्छा नहीं होगी तब तक धन का कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता है। इसलिये आप स्पष्ट कहें कि कब तक, किस हालत में साइन्स फैकल्टी स्टार्ट कर दी जायगी?

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक भी महाविद्यालय नहीं खोला गया था। इस सरकार के आने के बाद में गत वर्ष दो महाविद्यालय खोले गये हैं रतनगढ़ और कुशलगढ़ में, जो आदिवासी और पिछड़े इलाका है। राज्य सरकार ने इस बार बजट भाषण की घोषणा के अनुसार चार कालेज खोल दिये हैं और पांचवां अभी विचाराधीन है। जहां तक नये सब्जेक्ट्स के खोलने का सवाल है, इस साल में दस नये सब्जेक्ट डिग्री कालेजेज में खोले गये हैं और बाकी जहां साइन्स फैकल्टी शुरू करने का सवाल है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार के पास वित्तीय संसाधन और जैसा मैंने निवेदन किया उसके गुणावगुण के आधार पर ऐसे फैसले किये जा सकते हैं।

श्री रामकिशन : गुणावगुण क्या, इसका जरा मतलब तो समझाओ, क्या मतलब है?

डा. रतनलाल जाट : मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्षजी, जहां तक

(डा. रतनलाल जाट)

गुणावगुण की बात की जा रही है, कालेज और सब्जेक्ट खोलने के बारे में सरकार ने कुछ नार्म्स तय कर रखे हैं। जैसे कही महाविद्यालय खोलने के बारे में पहली आवश्यकता यह है कि 30 किलोमीटर से दूर दूसरा कोई महाविद्यालय नहीं होना चाहिये, 20 किलोमीटर के प्रिमीसेज में चार सीनियर सैकण्डरी स्कूल फीड बैक के लिये होने चाहिये और वहां पर उपयुक्त स्थान पर भवन बना हुआ होना चाहिये। ये प्राथमिक आवश्यकता हैं उन्हीं के आधार पर खोला जाता है।

श्री रामकिशन : यानि कालेज भरतपुर के अलावा कहीं है ही नहीं और चारों वहां हायर सैकण्डरी स्कूल हैं। यह तो सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। इसलिये आप तो स्पष्ट कहें कि इस पर सरकार कब तक विचार करने की स्थिति में है ?

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ा पिछड़ा एरिया है, मेवात एरिया है, 14 साल तो हो गये, कितने साल और इन्तजार करें, साहब, यह स्पष्ट जवाब दे दो आप ?

श्री नत्थी सिंह : इसका जवाब तो वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री दे सकते हैं, यह तो + + + कैसे दे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जवाब दे दिया। पडितजी ने साधन उपलब्ध कराने की बात कही है, आप साधन उपलब्ध करायेंगे ही।

श्री रामकिशन : कब कही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कही हैं ना अभी।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंडितजी और इनका तो बहुत झगड़ा है, इसमें डीग को कहां फसा रहे हैं यह आपस में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : झगड़ा मेरा और पडितजी का नहीं है, झगड़ा तो आपका और पंडिजजी का है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि साधनों की दृष्टि से माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि साधनों का अभाव है और साधनों का अभाव भी पूरा करें तो बाकी जो पैरामीटर्स उसके तय होने चाहिये उन पैरामीटर्स में आता है तो यूनिवर्सिटी से बात करके इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि माननीय सदस्य की इच्छा पूरी हो जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अचला राम।

ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायत का कार्य क्षेत्र

700 **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्य क्षेत्र एक ही हो ? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था ? अब तक इस निर्णय पर अमल नहीं होने के क्या कारण

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अचलाराम)

हैं ? अब कब तक निर्णय की पालना की जायगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : यह सही है कि तत्कालीन सरकार ने 16 जून, 89 को वित्तीय भार आंके बिना अनौपचारिक रूप से प्रत्येक पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित करने का निर्णय लिया था। इस समय कुल 7,353 पंचायतें हैं। इनमें 5,265 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। इन समितियों में 1,405 समितियों का वार्षिक कारोबार एक लाख रुपये से भी कम है। यह समितियां अपना खर्चा नहीं चला सकतीं। यदि इन्हें और छोटा किया जाता है तो इन समितियों की आर्थिक सक्षमता और घट जाती है। वेतन, शेयरपूंजी आदि का अतिरिक्त भार भी लगभग 15 करोड़ रुपये का पड़ता है। अतः इस बात को देखकर राज्य सरकार ने इस निर्णय को पुनर्विचार कर निरस्त कर दिया।

श्री अचलाराम : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन का कोई मापदंड है क्या ? क्या उसका मापदंड कोई आबादी है या क्षेत्रफल है या किसी राजनैतिक दबाव के आधार पर खोली जाती हैं ? अध्यक्ष महोदय, आठ-आठ, दस-दस दूर-दूर के गांवों को मिला करके ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया गया है और किसानों को खाद, बीज आदि लाने लेजाने में जहां पर सड़कें नहीं हैं, बैलगाड़ी भी ठीक तरह से आ नहीं सकती है ऐसे स्थानों पर कोई और ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन करने का सरकार विचार रखती है ? अध्यक्ष महोदय, 1405 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का एक लाख से भी कम का कारोबार है, क्या उसको भी वित्तीय संकट से उबारने का सरकार विचार रखती है ? अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति देसूरी व रानी में 52 ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर सिर्फ 14 सहकारी समितियां हैं। वहां दूर-दूर गांवों को मिलाकर किया गया है। क्या उन के पुनर्गठन पर सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, यह आबादी के ऊपर निर्भर नहीं करता, यह वित्तीय व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। सहकारी समितियों का कारोबार जिस प्रकार से करना है, वहां व्यवस्थापकों का, परियोजनाओं का, भत्ते का, अध्यक्ष महोदय, इनका खर्चा नहीं निकल सकता है, तो वहां पर यह कारगर सिद्ध नहीं होती लेकिन फिर भी हमने एक योजना बनाई है कि जो समितियां 8 या 10 लाख का कारोबार करती हैं, दो समितियां हैं, यदि 8 लाख का कारोबार है तो वहां पर हम केन्द्र चला सकते हैं और उनके अन्दर हमने 188 केन्द्र कायम कर दिये और इस साल भी हम 40 नये केन्द्र कायम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। जिससे परियोजना के भार का वहन हम लोग उनसे करेंगे और उनको एक साल का अनुदान दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अचलाराम : अनुदान का क्या मापदड होगा।

श्री अध्यक्ष : अनुदान का मापदंड पूछ रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : वह जरूरत के अनुसार दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 7500 पंचायतें हैं और करीब 5.600 ऐसी सहकारी समितियां हैं। आपको मालूम है जब आप गांव की सोसायटी के अन्दर सस्ता अनाज, सस्ता तेल, एवं जरूरी चीजें, बच्चों की पुस्तकें हैं, बच्चों की ड्रेस हैं, अगर समस्त प्रकार की गांव की आवश्यकता की पूर्ति, अगर ग्राम सेवा सहकारी समिति करती है तो जो मैनेजर है, उसका खर्चा उसके ऊपर नहीं पड़ सकता। अब जब वह करती ही नहीं है। आप उसका कण्ट्रोल, उसको सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं इसलिए वह सोसायटी घाटे में चलती है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि गांव में एक पंचायत और एक सहकारी समिति हो। गांव के अन्दर सुचारू रूप से व्यवस्था चले, इसके लिए यह जरूरी है. तो क्या आप जनहित में एक पंचायत, एक सहकारी समिति, करने का आपका विचार है और जो सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं, घाटे के जो क़ारण हैं, उसके ऊपर जायेंगे तो आपको यकीन हो जायेगा कि वाकई में ही यह सोसायटीज घाटे में नहीं चल सकती। आज बिलाडा का उदाहरण देता हूं, वहां पर एक सोसायटी एक करोड़ रुपये के मुनाफे में चल रही है। व्यापारी के यहां से जो चीजें नहीं मिलती, वह समस्त चीजें जैसे खाद, बीज, अनाज, तेल, सारी चीजें वहां मुहैय्या होती हैं। तो क्या समस्त गांवों के अन्दर जहां 500-1000, 2000-3000 की आबादी है, मुख्य मंत्रीजी आप पंचायतों का पुनर्गठन करने जा रहे हैं, जब पुनर्गठन करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा राजस्थान सरकार के ऊपर, लेकिन जनहित में ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं तो क्या आप जनहित के अन्दर एक पंचायत, एक सहकारी समिति का गठन करने का आपका विचार है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक पंचायत और एक ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, इसका लक्ष्य है। पहली वाली सरकार ने 10-10-82 को एक निर्णय लिया था इस बारे में, लेकिन हमने इन सारी बातों पर विचार करके वित्तीय भार तो हमारे ऊपर पड़ता है, सहकारी समिति पर पड़ता है हमें कुछ देना नहीं पड़े, लेकिन सहकारी समितियां आज की तारीख में सक्षम नहीं हैं। सारे को-आपरेटिव बैंक घाटे में चल रहे हैं। फिर भी हमने एक परियोजना बनायी कि नये केन्द्र, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, वहां पर 50,000 हैक्टेयर में सिंचाई होती है तो ग्रामीण आवश्यकताओं, किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद, बीज की व्यवस्था करने हेतु नये केन्द्र चालू करेंगे। उसमें 188 हमने पिछले साल चालू कर दिये और 40 नये केन्द्र इस साल बनायेंगे। लेकिन जैसी आपने आशाएं की कि आने वाले समय के अन्दर जब हम बहुत सी ग्रामीण सहकारी समितियां बना देंगे और जो कुछ लाभांश की ओर दौड़ने लगेंगी तो हम इस बात की व्यवस्था भी कर देंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, बिना इसके सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री नत्थीसिंह ।

बारानी भूमि पर लगान माफी

701. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के पिछले बजट सत्र में राज्य सरकार द्वारा बारानी भूमि पर से लगान माफ करने की घोषणा की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त घोषणा के बावजूद अनेक जिलों में बारानी भूमि का लगान वसूल किया गया ? यदि हां, तो जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकारी घोषणा के बावजूद उक्त कार्यवाही करने के क्या आधार हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) जी, हां ।

(2) जी, नहीं । खरीफ सम्वत् 2048 से बारानी भूमि पर से भू-राजस्व वसूल नहीं किया गया ।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि विधान सभा में बारानी भूमि पर लगान माफ करने की घोषणा हुई और उसके बाद जो अप्रेल के बाद लगान वसूली हुई, उसमें बारानी भूमि का लगान वसूल नहीं किया गया और उसके बाद राज्य सरकार के आदेश पहुचे और कहा गया बारानी भूमि का लगान वसूल करो और उसके बाद बारानी भूमि, उसका जिसका लगान नहीं लिया गया था, लगान वसूल किया गया, यह मेरा पहला प्रश्न है । दूसरा प्रश्न मैं बाद में पूछना चाहूंगा ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 30 मार्च, 1991 को राज्य सरकार ने सक्युलर जारी किया था उसमें शर्त यह थी कि सम्वत् 2048 से खरीफ की फसल जो शुरू होती है, हमारा कृषि वर्ष शुरू होता है सम्वत् 2048 से बारानी भूमि पर लगान नहीं लगेगा । 30 जून, 1991 को हमारा पिछला कृषि वर्ष समाप्त होता है, सम्वत् 2047 और 2048 शुरू होता है एक जुलाई 1991 को, जो 30 जून को खत्म होगा, इस वर्ष यानि 2048 का कोई लगान वसूल नहीं किया गया, माननीय सदस्य गलतफहमी में हैं । उससे पहले सम्वत् 2047 का ही खरीफ का बारानी भूमि का लगान वसूल किया गया ।

श्री नत्थीसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया । मैं आपसे यह पूछ रहा हूं क्या यह सही है कि आपके अधिकारियों ने, आपके कलक्टरों ने, एस. डी. ओज. ने, तहसीलदार ने, पटवारियों को सबको निर्देश दिये कि अब घोषणा के बाद कोई भी लगान वसूल नहीं किया जाये और वह लगान वसूल नहीं किया गया । उसके बाद दुबारा आपने आदेश दिये हैं लगान वसूल करने के, तो मैं यह पूछ रहा हूं दुबारा आदेश आपने कब दिये और क्या यह सही बात है कि इस बारे में शिकायतें की गई कि यहां लगान दुबारा कैसे वसूल किया जा रहा है । लोगों में असन्तोष हुआ

(श्री नत्थीसिंह)

और फिर भी आप कह रहे हैं, नहीं किया। यह आपकी घोषणा के बाद बारानी का लगान वसूल नहीं किया गया और दुबारा आदेश आने के बाद वसूल किया गया, यह बात सही है कि नहीं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सम्वत् 2047 का ही वसूल किया गया है सम्वत् 2048 का नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मुझे लगता है ऐसा हुआ है कि शुरू में जब लगान माफ करने की घोषणा हुई तो कलक्टर्स ने अपने लेवल पर जनरली यह कह दिया कि अब लगान वसूल नहीं किया जाये तब यहां से स्पष्टीकरण हुआ है कि पिछला वसूल किया जाये, जुलाई से आगे नहीं किया जाये। मैं समझता हूं ..

श्री नत्थीसिंह : एक ही सवाल है।

श्री अध्यक्ष : बहुत पूछ रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं। यह बताइये यह जो आपकी घोषणा के बाद और एक जुलाई से आपका दूसरा सम्वत् शुरू होता है 2048 का, तो यह कितनी अमाउण्ट थी जो आपने दुबारा वसूल करवायी है। अनुमानित कितनी है पूरे राजस्थान में।

श्री गंगाराम चौधरी : अमाउण्ट सम्वत् 2048 का या 2047 का पूछ रहे हैं ?

श्री नत्थीसिंह : यही जो आपने दुबारा वसूल करवायी।

श्री गंगाराम चौधरी : दुबारा कोई वसूल नहीं करवायी हमने, 2047 का कोई बकाया था तो वसूल हुआ होगा।

श्री अध्यक्ष : यह 2047 का पिछला है। श्री सम्पतराम जी।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ कनफ्यूजन है। अभी पिछले दिनों में अलवर में था, पटवारी महोदय मेरे पास आये थे और उन्होंने कहा साहब आप अपनी बारानी जमीन का लगान दीजिए और कुछ किसान भी मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह घोषणा कर दी, उसके बावजूद यह लगान कैसे लिया जाता है। मैंने पटवारी जी को कहा आप तो पधारो मैं असेम्बली जा रहा हूं, अभी मैं इस बात की जानकारी करूंगा कि यह मामला है क्या ? लगान बिल्कुल नहीं दिया और लगान जब लेते हैं तो देते हैं और मैं तो यह मानकर चलता हूं बारानी का लगान आपने माफ कर दिया, नहीं करना चाहिए था। किसान नहीं चाहते कि उनका लगान माफ किया जाये। यह छोटी चीजें हैं। ऐसे भी मामले हैं कि उसका कुछ कानूनी हक भी उठता है। आज उस पर लगान वसूल नहीं होता है तो आम किसान यह महसूस करता है कि मेरी जमीन का सम्बन्ध मेरे से क्या रहा, खैर यह तो मुद्दा अलग है। अब सवाल यह है कि निश्चित तौर से माननीय राजस्व मंत्रीजी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, हम भी जिले से आते हैं, गांवों से आते हैं। पटवारी से बात हुई, गांवों में बात हुई है, आपका राजस्व विभाग यह निर्देश देता है कि लगान वसूल करो। जैसे आपने कुछ चीजें अब बतायी हैं तो मेहर-

(श्री सम्पतराम)

बारानी करके इसका स्पष्टीकरण कर दो कि कब से कब का लगान लेना है और यह लगान माफ है। आज भ्रम यह है कि राज्य सरकार ने दुबारा बारानी भूमि का लगान वसूल करना शुरू कर दिया है। यह समस्या है, इसको आप दूर करिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री से जानना चाहूंगा क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार की घोषणा के बाद राजस्व मण्डल अजमेर के चेयरमैन ने बारानी भूमि के लगान माफ करने बाबत कोई क्लेरीफिकेशन आदेश जारी किया था ? यदि हां तो उस पत्र को आप सदन की टेबल पर रखिये और इसको पढ़कर सदन में सुनाइये, नम्बर वन। क्या यह सच है मैं राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, माननीय राजस्व मंत्रीजी ध्यान रखें आपके पड़ौस में जो इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी बिराजे हुए हैं यह मेरे चौमूं क्षेत्र के दौरे पर गये थे, हरलाल सिंह जी खर्रा साहब भी गये, वहां पब्लिक मीटिंग में जैसे ही हमने बारानी भूमि का लगान माफ करने की घोषणा या किसानों को राहत देने की बात जब कहो, वहां कम से कम 50 किसानों ने उस लगान की रसीदें इंदिरा गांधी नहर मंत्री के सामने लाकर प्रस्तुत की, इसलिए मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान के किसी तहसील के किसी राजस्व अधिकारी ने अगर लगान वसूल किया है तो क्या राज्य सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती हैं ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश चन्द बैरवा।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : अध्यक्ष जी मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या जयपुर जिले में 28 मार्च तक माननीय जिलाधीश महोदय के आदेश से सम्वत् 2048 की बारानी भूमि का लगान वसूल किया गया और अगर किया गया तो उसमें आप क्या कार्यवाही करेंगे ? दूसरा, मेरा निवेदन है कि आज भी आपके तहसीलदार, एस. डी. ओ., कुर्की वारंट जारी करके गिरदावर और पटवारी को सर्कल में भेज-भेज करके जबर्दस्ती वसूलियां कर रहे हैं जिसकी एस डी ओ. को मैंने परसों के दिन, एस. डी ओ. सांभर भी मौजूद थे, सारे काश्तकारों ने बारानी जमीन के लगान की रसीदें दी हैं एस डी. ओ. को मेरे सामने पेश की है कि साहब जब माफ कर दिया तो किस बात का लगान। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बारानी जमीन की जो आज भी वसूल हो रही है इसको रुकवायेंगे और जो अधिकारी वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न मैंने स्पेसिफिक पूछे थे अगर वह क्लियर हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि सारी बात क्लियर हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : मगर यह सब पूछना चाहते हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : तब तो मिक्सअप करने वाली बात है।

श्री मोहनलाल चित्तोड़िया (कपासन) : अध्यक्ष महोदय, बारानी भूमि की सरकार ने जो घोषणा की वह आज भी हमारे यहां वसूलियां हो रही है। उसकी रसीदें मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, जबर्दस्ती से वसूलियां की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

डॉ. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने सम्वत् की चर्चा की। आपने जब बारानी भूमि के लगान माफ करने की घोषणा की थी तो सम्वत् और सन की कोई चर्चा नहीं की थी ? नम्बर-2, लोगों ने यह मान लिया कि जब बजट सैशन पिछली बार चला और आपने घोषणा कर दी कि आज के बाद में बारानी जमीन का कोई लगान माफ नहीं होगा, लगान माफ होगा। लेकिन माननीय मंत्रजी यह सम्वत् जो है वह मार्च में खत्म हो जाता है 2047 का और सन् भी मार्च में ही, पिछली बार आपकी जो घोषणा हुयी थी वह भी मार्च का महीना था और सम्वत भी आपका 2047 मार्च में खत्म हो जाता है, जुलाई का इसमें कहां चक्कर आता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। वह तो फसल का सम्वत् है, रोज-रोज फसल थोड़े होती है।

डॉ चन्द्रभान : अध्यक्षजी, जिस दिन घोषणा हो गयी सरकार की घोषणा ही मानी जायेगी। अब उसमें 2047 है आप 2046 कर दीजिये....

श्री अध्यक्ष : उत्तर सुनिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष, एक क्वेश्चन और पूछ लूं, माननीय मंत्री महोदय से।....

श्री अध्यक्ष : आप आज 10 क्वेश्चन लेना नहीं चाहते हैं।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि लगान माफी के योग्य किस बारानी भूमि को माना गया है ?

श्री अध्यक्ष : अब सवाल किसानों से सम्बन्धित रह गया। अब मैं नहीं कहूं तो आप कहेंगे, किसान विरोधी काम हो रहा है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, बारानी जमीन तीन प्रकार की है।

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण मत दीजिये बारानी भूमि का सबको पता हैं। आप बैठिये। आपका सवाल हो गया है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : कौन सी बारानी जमीन का लगान माफ किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कृषि वर्ष के सम्बन्ध में लैण्ड रेवेन्यू कानून में ही प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : रामेश्वर यादव ने जो दो सवाल पूछे हैं, चेयरमैन के लेटर के बारे में है।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन के लेटर की इस वक्त मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन आपसे मांगी है।

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार से कोई क्लेरिफिकेशन इन्होंने नहीं मांगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न यह था और मैंने जो प्रश्न किया कि राजस्व मण्डल के चेयरमैन के क्लेरिफिकेशन आदेश जो सब कलेक्टर्स को भेजे उस पर आधारित है। वह क्लेरिफिकेशन के आदेश इन्दिरा गांधी नहर मंत्री जी को हमने चोमूं में बताये थे, हमने वह रसीदें बतायी है।

श्री अध्यक्ष : कलक्टर्स को भेजे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो रसीदें माननीय मंत्रीजी को दिखवाई थी वह सम्वत् 2047 की थी, जो वसूलियां हो रही है वह वह 2047 की हो रही है। यह रसीदें भी मुझे जो बतायी है उसमें सम्वत् 2047 लिखा हुआ है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक रसीद नहीं, मैं 50 रसीदें पेश कर सकता हूं। आप मुझे बता दें....

श्री अध्यक्ष : ऐसी 50 रसीदें ना।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राजस्व मंत्रीजी स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं तथ्यों से परे हैं।

श्री कन्हैयालाल मीणा : लगान माफ करने की घोषणा के बाद आज भी वसूलियां हो रही है।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : वसूलियां सम्वत् 2048 की हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं नैक्स्ट ले लेता हूं।

श्री कन्हैया लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक नहीं 50 रसीदें मैं और पेश कर सकता हूं। आज भी वसूलियां हो रही है आपकी घोषणा के बाद।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। ....(व्यवधान) श्रीमती मदन कौर। स्थगित किया है। आपने गलत मंत्रालय को इंगित किया है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार आज....

श्री अध्यक्ष : अब मैं समझता हूं इस प्रकार स्थिति सरकार बिल्कुल साफ कर देगी....

श्री नत्थीसिंह : स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। मैं समझता हूं कि जो बातें गलत....(व्यवधान).... देखिये, इस सम्बन्ध में जो गलतफहमियां हो रही है वह सारी साफ आ गयी है।.... (व्यवधान)....आप बैठिये। इस सम्बन्ध में जो भ्रम दोनों तरफ का मान लीजिये, सरकार को भी पता नहीं है और सामान्य काश्तकारों में कोई भ्रम हो रहा है' तो इसका क्लेरिफिकेशन सरकार पूरा कर देगी। आप सब लोगों ने सब बातें रख दी और सरकार के ध्यान में आ गयी, उनको ध्यान में रखते हुये स्पष्ट रूप से आदेश सरकार

(श्री अध्यक्ष)

जारी कर देगी, इसमें स्थिति क्लियर कर देगी।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार कब कर देगी ? यह सरकार की तरफ से घोषणा कब हो जायेगी ? यह बड़ा कन्फ्यूजन है, यह बड़ा भ्रम है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के यह हित में है, कल ही इस मुद्दे पर राजस्व मंत्रीजी अपना बयान दें।

श्री अध्यक्ष : एक घोषणा तो हो गयी कि सम्वत 2048 का बारानी का लगान वसूल नहीं किया जाय।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, यह लगान वसूल करें या नहीं करें और हो रहा है कि नहीं हो रहा लेकिन बुनियादी सवाल है कल ही इसके ऊपर राजस्व मंत्रीजी का बयान होना चाहिये। सारे किसानों में, सारे सूबे में यह बहुत बड़ा भ्रम है, यह सरकार के भी हित में है। सारी पोजीशन क्या है इसको साफ करके बयान दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई बयान देने की जरूरत नहीं है।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्षजी, यही मैं अर्ज कर रहा था कि अभी नेता बैठे हैं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई बयान देने की जरूरत नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं उसमें यदि विपक्ष समर्थन करता हो तो मैं विचार करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : सवाल यह नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कह रहे हैं कि बारानी जमीन का लगान माफ नहीं होना चाहिये... (व्यवधान)....

श्री सम्पतराम : वैसे ही मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हमारी तो पार्टी का यह फैसला था, यह मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है लेकिन मैंने वस्तु स्थिति माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने बातें रखी हैं इसको गम्भीरता से लीजिये। आज किसान परेशान है हमसे लोग पूछते हैं, हम भी चुने हुये नुमायदें हैं और विधान सभा के मेम्बर हैं। कल भी मेरे से पूछा मैं जवाब नहीं दे सका। हमको इस हैसियत से जवाब दीजिये कि हम आपकी सरकार की नीति का साफ तौर पर जनता में स्पष्टीकरण कर सकें।

श्री अध्यक्ष : इसका स्पष्टीकरण सरकारी कागजों में है माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 2048 का लगान माफ है। अगर किसी ने वसूल भी किया है तो हम वापस दिलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

श्री नत्थीसिंह : स्पेस्फिक सवाल है....

श्री अध्यक्ष : आप अपना सर्कुलर भेज कर सारी वस्तु स्थिति बतायें।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मंत्रीजी आपसे....

श्री अध्यक्ष : अब आप पूछते रहिये और एक सवाल रह जायेगा। मदन कौर जी का एक सवाल रह जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : देखिये साहब, महत्वपूर्ण संवाल है सारी जनता में....

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण है इसमें कोई दोराय नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : इन्होंने घोषणा कर दी, वाहवाही भी लूट ली और उसके बाद लगान वसूल हो रहा है। कितना-सा लगान है। जिस दिन घोषणा हुयी और एक-दो जिले आते हैं उसमें कितना सा लगान है जिसके उपर आप झगड़ा कर रहे हैं। इसको भी माफ करिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

जिला पाली में पूर्व सरपंचों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें

702. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : क्या विशिष्ठ योजना सगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में किन-किन निवर्तमान सरपंचों के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित व अन्य प्रकार की जांच विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अब कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित किया गया है।

श्री गुलाब सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आ गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया है। आपने कोई गलत मंत्रालय से.....(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या 702
(स्थगित)

नेक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना

703. श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्र सरकार नदियों को प्रदूषण रहित रखने की दृष्टि से "राष्ट्रीय नदी कार्य योजना" शुरू कर रही है ? यदि हां, तो प्रदेश की किस-किस नदी को इसके अन्तर्गत रखा गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पहल करके किसी नदी को इस योजना के तहत प्रदूषण रहित करने का प्रस्ताव भेजा है ?

(3) क्या प्रदेश में जल के कम एवं दुलर्भ स्रोतों औद्योगिक गतिविधियों से दूषित हो रहे हैं, इनके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से सहायता मांगी गयी है ? यदि हां, तो कहां के लिये और कब ?

पर्यावरण मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) :

(1) यह प्रश्न केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित "विशिष्ट कार्य योजना" के

(श्री लालचन्द डूडी)

अन्तर्गत लूणी तथा बांडी नदियों के आसपास के जल स्रोतों के प्रदूषण की रोकथाम हेतु पाली में संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयन्त्र की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिये सहायता मांगी गयी थी जिसके अन्तर्गत रुपये 7.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19-12-1991 को प्राप्त हो गयी है।

श्रीमती मदन कौर : माननीय अध्यक्षजी, यह तो मैं भी जानती हूं कि यह सवाल केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है लेकिन कोई भी योजना भारत सरकार चलाती है तो उसका इम्प्लीमेन्टेशन सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारों के सहयोग से ही किया जाता है। मेरा यह सवाल पूछने का मकसद यही था कि भारत सरकार किस प्रकार की वित्तीय सहायता तकनीकी सहायता हमें इस सम्बन्ध में दे सकती है। वह विस्तृत जानकारी राज्य सरकार प्राप्त करें और हमारा भी मार्गदर्शन करें। लेकिन मुझे इस जवाब को देख कर आश्चर्य ही नहीं अफसोस भी हुआ कि न तो इस सवाल के पूछने के बाद न ही उसके पहले जब जनवरी माह के पहले सप्ताह में केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रीजी का यह बयान आया कि भारत सरकार राष्ट्रीय नदी कार्य योजना शुरू कर रही है। इन दोनों ही सूचनाओं के बाद भी हमारी राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कतई सचेष्ट और सजग नहीं रही कि कोई जानकारी प्राप्त करके हम इसका लाभ उठायें। इससे मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार प्रदूषण के सम्बन्ध में बिल्कुल भी सचेष्ट नहीं है और हमारा भू-तल का पानी खराब होता जा रहा है और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अब भी कुछ भी करना नहीं चाहती। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह राज्य सरकार का दायित्व नहीं था कि केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रीजी के यह बयान आने के बाद में कि हम एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल पूछने के बाद भी भारत सरकार से इस तरह की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते थे, क्या आपने जानकारी करने का प्रयास किया है?

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे मे जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि लूणी और बांडी नदी के बारे में प्रस्ताव भेजा था, उसके बारे में जांच करने के लिए पैसा भेज दिया है और इसी तरह से दूसरी चम्बल के बारे में भी हम ने कार्यवाही की है। 10 लाख रुपया दिया है हालांकि उनकी डिमाण्ड 17 लाख की थी और अभी 7 लाख रुपया और भेजना है। इसके लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं बाकी और जरूरत होगी तो भेज देंगे।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी नहीं चाहती। मैं तो यह जानकारी चाहती थी कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण मंत्री का यह बयान था कि राष्ट्रीय नदी कार्य योजना हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी भारत सरकार से प्राप्त करने का प्रयत्न किया है?

श्री लालचन्द डूडी : उसके बाद ही चम्बल के लिए हमने यह किया है और 10 लाख रुपये दिये हैं।

श्रीमती मदन कौर : उसमें तो बहुत पहले पैसा मिल गया है।

श्री अध्यक्ष : पर्यावरण मंत्री के बयान के बाद उसका क्या लाभ राजस्थान के हित में उठा सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। इसलिए जानकारी से क्या लेना-देना। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय व्यय में मितव्ययतता

1114. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य कोष पर अधिभार नहीं पड़े इस दृष्टि से सरकार ने टेलीफोन, पैट्रोल, मनोरंजन व्यय पर कटौती शुरू कर दी है ? यदि हां, तो अब तक किस-किस विभाग में कितनी-कितनी राशि का राज्य कोष को फायदा हुआ ?

उत्तर

बजट में मनोरंजन व्यय के नाम से कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। राज्य सरकार गत दो वर्षों से अनुत्पादक व्यय को कम करने का प्रयास निरन्तर कर रही है व इस दृष्टि से दो समितियों का गठन भी किया गया था। एक समिति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी व दूसरी समिति श्री राजेन्द्र जैन, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई थी।

कोटा खुला विश्वविद्यालय में होटल मैनेजमेन्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम

1115. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा खुला विश्वविद्यालय ने होटल मैनेजमेन्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है ? यदि हां, तो किस वर्ष से एवं कितने छात्रों को प्रवेश दिया ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रवेशार्थियों को पाठ्य सामग्री भेजी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इसकी परीक्षा आयोजित की गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक आयोजित की जायेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि एक वर्ष के पाठ्यक्रम के तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी परीक्षा नहीं ली गई ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है एवं दोषी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा होटल मैनेजमेन्ट व टूरिज्म का डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1990 से आरम्भ किया है तथा इसमें कुल 254 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

(2) जी हां। छात्रों को कुल 18 पुस्तकों की पाठ्यक्रम सामग्री में से 16 पुस्तकों की पाठ्य सामग्री भेज दी गई है।

(3) इस पाठ्यक्रम की परीक्षा का आयोजन अभी तक नहीं किया गया है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

खुली शिक्षा प्रणाली में परीक्षा तभी ली जा सकती है जबकि अभ्यार्थियों को पूरी पाठ्य सामग्री एवं आन्तरिक मूल्यांकन भेज दिया जा चुका हो तथा उनकी ट्यूटरिंग व काउंसलिंग हो चुकी हो। अब परीक्षाएं दिसम्बर, 1992 में लिये जाने की सम्भावना है।

(4) नया विश्वविद्यालय होने व दुरस्थ शिक्षा प्रणाली को लोकप्रिय व आकर्षित बनाने के उद्देश्य से अन्य पाठ्यक्रमों के साथ इस पाठ्यक्रम को भी घोषित कर दिया गया था। यह पाठ्यक्रम बिल्कुल नये प्रकार का व्यवसायोन्मुख होने के कारण व विषय विशेषज्ञों की दुर्लभता के कारण पाठ्यक्रम तैयार करने में विलम्ब हुआ। विषय विशेषज्ञों से पाठ लिखवाने, सम्पादन करवाने, उन्हें मुद्रित करवाने के कारण पाठ्य सामग्री भेजने में देरी हुई। अब अधिकांश पाठ्य-सामग्री भेजी जा चुकी है एवं माह दिसम्बर, 1992 तक परीक्षा लिया जाना संभव हो सकेगा। उक्त परिस्थितियों में इस मामले में किसी के दोषी न होने से दोषी ठहराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की योग्यताएं

1336. **श्री दिलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नई न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की है? यदि हां, तो कब और उनका भारत के गजट में कब प्रकाशन हुआ?

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय ने पुरानी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर ही शिक्षकों का चयन अक्टूबर, 1991 के बाद किया?

(3) क्या जोधपुर विश्वविद्यालय में माह अक्टूबर, 1991 में कोई अस्थाई व्याख्याता काम कर रहे थे? यदि नहीं, तो अस्थाई व्याख्याताओं को कब हटाया गया?

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय एवं कालेज शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नई न्यूनतम योग्यताएं दिनांक 19-9-91 को जारी कर भारत सरकार के गजट में दिनांक 5-10-91 को प्रकाशित की गई है।

(2) जी हां।

(3) दिनांक 30-4-91 को समस्त तदर्थ अस्थाई व्याख्याताओं की सेवायें समाप्त कर दी गई थी। लेकिन 4 व्याख्याता अभियांत्रिकी संकाय में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के तहत कार्य कर रहे थे।

लापता राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को पेन्शन

1117. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य कर्मचारी के राज्य सेवा में रहते हुए लापता हो जाने पर

(श्री दयाराम परमार)

सरकार द्वारा उनके आश्रितों को पेन्शन एवं अन्य परिलाभ देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या किसी कार्यरत राज्य कर्मचारी के सेवा काल में रहते हुए लापता होने पर मृत घोषित करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितने वर्ष तक लापता होने पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या लापता कर्मचारियों के आश्रितों को केन्द्रीय सरकार के परिपत्र क्रमांक 873 एस-द्वितीय/123-86 दिनांक 28-6-1989 के अन्तर्गत पारिवारिक पेन्शन एवं राज्य सेवा में प्राप्त लाभ प्रदान करने के प्रावधान को अनुपालना में राज्य सरकार ने भी कोई नियम/आदेश/परिपत्र आदि जारी किये हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार लापता कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में मृत कर्मचारी के आश्रितों को मिलने वाली पेन्शन एवं राज्य सेवा के अन्य लाभ प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन एवं अन्य परिलाभ देने का प्रावधान है। लापता कर्मचारी को कब और कैसे मृत माना जावे के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में इस संबंध में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष की अवधि के लिये लापता रहता है और उन व्यक्तियों के द्वारा उसे नहीं देखा जाता है, जिनसे कि सामान्यतया उसे देखे जाने की अपेक्षा की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति मृत मान लिया जाता है।

(3) केन्द्रीय सरकार का कथित परिपत्र क्रमांक 873 एस-द्वितीय/123-86 दिनांक 28-6-1989 वित्त विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृत माने जाने पर उस व्यक्ति के आश्रितों को पेंशन एवं अन्य परिलाभ वर्तमान में भी देय हैं।

भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध

1118. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) :—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध का भराव क्षेत्र कितना है और इससे कृषकों की कितनी बीघा खेतिहर भूमि को कितना पानी दिया जा सकता है ?

(2) मेजा बांध की राइट व लेफ्ट केनाल पर आरम्भ में कितना कमाण्ड एरिया था और कब-कब किस-किस तिथि को कमाण्ड एरिया में कमी एवं वृद्धि की गयी ?

(30)

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध का भराव क्षेत्र 23.93 मिलियन वर्गमीटर है जिससे 33600 बीघा क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी दिया जा सकता है ?

(2) मेजा बांध की राइट व लैफ्ट कैनाल पर आरम्भ पर क्रमश: 33676 एवं 5062 एकड़ (कुल 38738 एकड़) कमाण्ड एरिया घोषित था। मेजा बांध के कमाण्ड क्षेत्र को एक बार दिनांक 28-1-85 को राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा बढ़ाया गया जिसके अनुसार पूर्व घोषित कमाण्ड में राइट कैनाल पर 2114 एकड़ लेफ्ट कैनाल पर 9123 एकड़ कुल 11237 एकड़ की वृद्धि की गई है।

चिकलवास बांध योजना
(राजसमन्द)

1119. श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले में निर्माणाधीन चिकलवास बांध योजना मूलतः कुल कितनी राशि की स्वीकृत की गई थी ?

(2) उक्त निर्माणाधीन बांध पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है तथा कुल कितना कार्य हो चुका है एवं अब शेष बचे कार्य पर कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

(3) बांध का निर्माण कार्य पूरा होने पर कौन-कौन से क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि पर सिंचाई होना सम्भव होगा ?

(4) क्या उक्त बांध से जे. के इन्डस्ट्रीज, कांकरोली को भी जल उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है ?

(5) यदि हां, तो क्या कोई लिखित टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकलवास सिंचाई परियोजना की मूल स्वीकृति 618.14 लाख रुपये की है।

(2) उक्त बांध पर मार्च, 92 तक लगभग 437.00 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है। लगभग 40 प्रतिशत कार्य सम्पादित किया जा चुका है। शेष कार्य पूर्ण करने के लिए लगभग 613.00 लाख रुपये की और आवश्यकता पड़ेगी।

(3) इस परियोजना के अन्तर्गत नाथद्वारा तहसील के गांव चिकलवास, सिसोदा खुर्द, सिलोदा कला, सिहोदा, ढाडवाल अटारिया, कुन्थवा, धायला एवं राव की गुडली में क्रमश: 148, 98, 195, 570, 81, 170, 670, 42, 21 एकड़ कुल 1995 एकड़ (अर्थात् 810 हैक्टेयर) क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

गंगानगर में गन्ने व चुकन्दर की फसलों के लिए सिंचाई व्यवस्था

1120. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हेतराम बेनीवाल)

(1) गंगानगर जिले में इस वर्ष गंग नहर क्षेत्र में गन्ने व चुकन्दर की फसलों के लिए कितना अतिरिक्त पानी दिया गया ?

(2) चुकन्दर के लिए अधिक पानी की आवश्यकता न होने पर भी इसी फसल को अतिरिक्त पानी देना क्या राजस्थान सिंचाई एवं ड्रेनेज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष गंगनहर क्षेत्र के अन्तर्गत गंगानगर जिले में गन्ने व चुकन्दर की फसलों के लिए कुल अतिरिक्त पानी 45 66 क्यूसैक दिया गया।

(2) चुकन्दर के लिए अतिरिक्त पानी का प्रावधान फसल की आवश्यकता के अनुरूप एवं शुगर मिल अधिकारियों की मांग पर एवं राज्य सरकार की स्वीकृति की अनुपालना में दिया जा रहा है। राजस्थान सिंचाई एवं ड्रेनेज एक्ट में किसी विशेष फसल को पानी देने की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं है।

विश्व बैंक की सहायता से पुराने बांधों की सुरक्षा व्यवस्था

1121. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने पुराने बांधों में आवश्यक सुरक्षा का कार्य विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो राजस्थान में वर्ष 1991-92 में इस योजना के अन्तर्गत कौन से काम कितनी-कितनी राशि के, कब-कब प्रारम्भ किये गये एवं अब तक उनकी क्या प्रगति है ?

(2) क्या यह सही है कि आवंटित राशि का समय-समय पर और समुचित उपयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना के अंतर्गत चार कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। अभी कार्य प्रारम्भिक स्थिति में ही है।

क्र. सं.	नाम बांध	अनुमानित लागत (लाखों में)	वर्ष 1991-92 की आवंटित राशि (लाखों में)	माह 2/92 तक व्यय (लाखों में)
1.	राणा प्रतापसागर	500	30.00	14.10
2.	जवाहर सागर	500	38.00	30.17
3.	कोटा बैराज	1000	40 00	29.30
4,	पार्वती (धौलपुर)	1000	60.00	54.78

(सिंचाई मंत्री)

इसके अतिरिक्त इसी योजना के अन्तर्गत पांच बांधों पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रारम्भिक कार्यों के लिए भी इस बजट वर्ष में धनराशि आवंटित की गयी है।

क्र. सं.	नाम कार्य	आवंटित राशि 1991-92 (लाखों में)	माह 2/92 व्यय (लाखों में)
1.	गुढा	6.00	0.10
2.	सावनभादो	0.75	—
3.	गम्भीरी	7.00	3.28
4.	जाखम	1.62	—
5	मात्रि कुंडिया	2.00	—

(2) जी नहीं। यह योजना इसी वर्ष शुरू की गई है। अतः प्रारम्भिक चरण में व्यय कम होना स्वाभाविक है। इसके लिए किसी पर भी जिम्मेदारी नियत करना उचित नहीं है।

हमारी प्रक्रियाओं में तथा विश्व बैंक की कार्य प्रणाली में अन्तर है। अतः प्रारम्भ में कुछ समय लगना स्वभाविक है।

झालावाड़ का लिफ्ट इरिगेशन डिविजन

1122. **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) एवं **श्री जगन्नाथ** (मनोहर थाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ में लिफ्ट इरिगेशन डिवीजन नया स्थापित किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) इसमें किन-किन कर्मचारियों की नियुक्ति की हुई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डिवीजन में जो नियुक्तियां की गई हैं, वे व्यक्ति वर्ष 1991–92 में कितने दिन झालावाड़ में रहे?

(4) क्या उक्त डिवीजन में कार्यरत कर्मी कार्यालय समय में उपस्थित नहीं रहते हैं? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, आदेश दिनांक 28-12-91 द्वारा लिफ्ट इरिगेशन डिवीजन झालावाड़ के रूप में स्थापित किया है।

(2) कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) उक्त डिवीजन द्वारा दिनांक 5-2-92 को झालावाड़ में कार्य आरम्भ करने के पश्चात् सभी कर्मचारी झालावाड़ में या योजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्य राजकीय कीय कार्य हेतु कार्य स्थल पर सभी कार्य दिवसों में उपस्थित रहे हैं।

(4) जी नहीं, कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति जांचने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश प्रसारित किये हुये है जिनकी पालना हेतु अधिशाषी अभियन्ता का ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अजमेर में राजकार्य हेतु स्टेशनरी का क्रय

1123 श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी कार्य हेतु आवश्यक स्टेशनरी सामग्री गवर्नमेंट प्रेस से प्राप्त की जाती है तथा गवर्नमेंट प्रेस में उपलब्ध नहीं होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर बाजार से उक्त सामग्री विभागीय नियमों के तहत क्रय की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई खण्ड प्रथम व द्वितीय, अजमेर में बिना "अनापत्ति" प्रमाण-पत्र तथा बिना निविदायें आदि आमंत्रित किये वर्ष 1990-91, 1991-92 में सामग्री खरीदी गई है जिसमें परम आवश्यक दस्तावेज (नाप पुस्तिका आदि) भी शामिल हैं ? यदि हां, तो गवर्नमेंट प्रेस की दरें व बाजार से खरीदी गई सामग्री की दरों का अन्तर कितना प्रतिशत है ?

(3) इस प्रकार की अनियमित सामग्री कितनी खरीद की गई ? नाम, संख्या, राशि सहित विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि यह खरीद विभागीय नियमों के विपरीत है, तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार की क्या मंशा है ?

उत्तर

(1) जी, हां । स्टेशनरी सामग्री उपलब्धता के अनुसार गवर्नमेंट प्रेस से ही प्राप्त की जाती है तथा गवर्नमेंट प्रेस में उपलब्ध नहीं होने पर "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त किए बिना निर्धारित सीमा के अनुरूप नियमानुसार बाजार से क्रय की जा सकती है । गर्वमेंट प्रेस का स्टेशनरी सामग्री प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार इन्डेन्ड भेजे जाते हैं । इन्डेन्ट में उल्लेखित सामग्री उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, गर्वमेंट प्रेस द्वारा प्रायः अनापति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं । इसलिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 38 व 242 (1) के परिशिष्ठ 8 में यह प्रावधान है कि 21 दिन के अन्दर-अन्दर यदि गर्वमेंट प्रेस द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र जारी नहीं होता है तो स्वतः ही अनापति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ मान लिया जाये । उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष (अधिशाषी अभियन्ता) को गवर्नमेंट प्रेस से बिना अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए 500/– तक प्रत्येक मामले में खरीददारी करने का अधिकार है ।

(2) जी हां । यह सही है किन्तु वर्ष 90-91 व 91-92 में राजकीय मुद्राणालय जयपुर/जोधपुर/अलवर को आवश्यकतानुसार लगभग 24 इन्डेन्ट भेजे गये थे, तथा प्रत्येक इन्डेन्ट में राजकीय मुद्रणालय को यह साफ लिखा गया था कि यदि स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध नहीं हो तो अनापति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाये लेकिन राजकीय मुद्रणालय द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये । अतः प्रश्न 1 के उत्तर में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप परमावश्यक दस्तावेज नाप पुस्तिकाएं आदि की खरीददारी बाजार से नियमानुसार की गई है । क्योंकि यह सामग्री उस समय

(सिचाई मंत्री)

राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए प्रेस की दरें व बाजार की दरों का अन्तर का आंकलन करना सम्भव नहीं है।

(3) किसी प्रकार की अवैधानिक अथवा विभागीय नियमों के विपरीत खरीददारी नहीं की गई है अतः नियमों में किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 91-92 की कुल खरीद 2486.70 रुपये थी तथा 90-91 में खरीद 503.95 रुपये की थी।

प्रतापगढ़ को पेयजल आपूर्ति

1124. श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भंवर सेमलिया योजना के लिये इस वर्ष के बजट में राशि का प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार उक्त योजना को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

(3) क्या प्रतापगढ़ नगर की पेयजल समस्या का जाखम बांध से हल किये जाने हेतु सरकार द्वारा सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 1984-85 में स्वीकृत की गई थी। इस पर अब तक 19.95 लाख रुपया व्यय किया गया है। परियोजना की प्रस्तावित कुल लागत 522.00 लाख रुपये है।

(2) सरकार की नई नीति के अनुसार उन योजनाओं का कार्य कराये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी जिनका 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है।

(3) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

पाली जिले में एनीकट निर्माण

1125. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में पिछले दो वर्षों में 1990-91 एवं 1991-92 में विभाग द्वारा कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या कार्य, किस स्थान पर स्वीकृत किये गये ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(3) जिला पाली में पिछले दो वर्षों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये कितने एनीकट स्वीकृत किये गये ? सूची मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिचाई खण्ड, पाली (जिला पाली)

(सिचाई मंत्री)

गत दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं डी.डी.पी., जवाहर रोजगार, लघु सिचाई, जवाहर रोजगार (बाढ़ ग्रस्त) एवं वर्ष 1990 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त जिन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है उनका विवरण मय लागत, विधान सभा क्षेत्र सहित परिशिष्ठ अ, ब, स, द, ई में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। कुल स्वीकृत 148 कार्यों में अभी तक 96 कार्य पूर्ण हुए हैं, शेष 52 कार्य अपूर्ण हैं जिनको वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण करवाया जाना सम्भावित हैं।

(3) जिला पाली में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये अलग से किसी एनीकट की स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है। एनीकट का निर्माण मुख्य रूप में भौगोलिक दृष्टि से किया जाता है—लाभान्वित लोगों को देखकर एनीकट के स्थल का चयन नहीं किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के क्षतिग्रस्त तालाब, एनीकट एवं बांध

1126. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के विभिन्न जिलों में इस वर्ष कौन-कौन से तालाब, एनीकट तथा बांध वर्षा ऋतु में टूटे तथा इनकी मरम्मत पर, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1991 की बारिश में विभिन्न जिलों में टूटे तालाब व उनकी मरम्मत पर खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

बस्सी में खरीफ की फसल को क्षति

1127. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र में फसल खरीफ संवत् 2048 में विभाग द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक खराब मानी है?

(2) क्या यह भी सही है कि फसल के 50 प्रतिशत से अधिक खराब होने की स्थिति में से उस क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने का मानदण्ड है?

(3) क्या यह भी सही है कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र संवत् 2048 के लिए अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी अकालग्रस्त घोषित किये जाने के बावजूद भी वहां कोई अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अब आगे कोई अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर की इस बारे में रिपोर्ट आई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

(2) जी हां। जो क्षेत्र मुख्यतया एक फसली है, उनमें अभाव की स्थिति की घोषणा प्राथमिकता से की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) अभी अभाव स्थिति की घोषणा नहीं की गई है तथा राहत कार्य आरम्भ नहीं किये गये हैं।

(5) अभाव स्थिति की समीक्षा की जा रही है तथा राज्य के विभिन्न जिलों में वरीयता के आधार पर पहले मरुस्थलीय, जनजाति क्षेत्रों, व बारानी क्षेत्रों के अधिक खराबी वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता से अभाव स्थिति की घोषणा की गई है एवं राहत कार्य खोले गये हैं।

ग्राम धानसिया (नोहर) में पाठशाला की चार दीवारी का निर्माण

1128. श्री रामस्वरूप (रायसिंहनगर) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सन् 1987 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत ग्राम धानसिया तहसील नोहर जिला श्री गंगानगर में पाठशाला की चार दीवारी का निर्माण 87000 रुपये की राशि के मस्टरोल पर किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस कार्य का पूरा भुगतान कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन सरपंच श्री चवरीलाल द्वारा पाठशाला की चार दीवारी का कार्य मजदूरों से न करवा के ठेके से करवाया गया था तथा इसकी शिकायत ग्रामवासियों ने तत्कालीन जिला कलेक्टर व संभागीय आयुक्त को की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा मस्टरोल पर मजदूरों के झूठे अंगूठे व हस्ताक्षर लिये गये थे जिसके विरोध में मजदूरों ने शपथ-पत्र भी उपखण्ड अधिकारी, नोहर को दिये थे ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) क्या यह भी सही है कि झूठे मस्टरोल पर हस्ताक्षर करने के कारण पुलिस थाना पल्लू में एफ. आई. आर. नं. 92 श्री चवरीलाल के विरुद्ध दर्ज की गयी हैं ? यदि हां, तो इस प्रकरण में किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां। मस्टररोलों के आधार पर राशि रुपये 95,866 रुपये का भुगतान तत्कालीन सरपंच श्री चवरीलाल ग्राम पंचायत धानसिया को किया गया था।

(2) तत्कालीन सरपंच श्री चवरीलाल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई, जांच में यह कार्य ठेके से करवाया जाना पाया गया है। सरपंच के विरुद्ध पुलिस थाना पल्लू में एफ. आई आर. दर्ज कराने के आदेश जिला कलक्टर द्वारा दिये गये है।

(बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री)

(3) इस मामले की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर के पास विचाराधीन थी।

(4) सरपंच द्वारा सरकार से धोखा-धड़ी करने एवं ठेकेदार को कम भुगतान सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार विकास अधिकारी द्वारा भूतपूर्व सरपंच ग्राम पचायत चानसिया के विरुद्ध धारा 466, 471, 420 एवं 419 आई. पी. सी. के अन्तर्गत एफ. आई. आर. संख्या 3 दि. 26-1-92 को मामला दर्ज कराया गया तथा वर्तमान में यह मामला पुलिस जांच में है।

राष्ट्रीय लोक कला विद्यालय, बाड़मेर का भवन निर्माण कार्य

1129. श्री अमीन खां (शिव) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सन् 1987-88 में जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा राष्ट्रीय लोक कला विद्यालय, बाड़मेर का भवन निर्माण करने हेतु अकाल राहत के अन्तर्गत संवत् 2043 में अभाव की स्थिति में 4 लाख रुपये, (दो लाख श्रम की सामग्री) की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत कितनी राशि का उपयोग हुआ और किस एजेन्सी के मार्फत हुआ ?

(2) क्या उक्त काम का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृति के अन्तर्गत रुपये 65,784/- का कार्य मरुधर लोक कला केन्द्र, बाड़मेर के द्वारा कराया गया था। सामग्री का व्यय संस्था को वहन करना था मजदूरी राहत मद से दी जानी थी।

(2) राष्ट्रीय लोक संगीत विद्यालय बाड़मेर हेतु मरुधर लोक कला केन्द्र को भूमि आवंटन में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने व इस प्रकरण में जांच विचाराधीन होने के कारण उक्त निर्माण कार्य पर किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1130
(स्थगित)

ग्राम बहराई (बारां) की इन्दिरा आवास योजना

1131. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बारां तहसील शाहबाद के बहराई ग्राम में इन्दिरा आवास कालोनी बनाई गई है ? यदि हां, तो कब एवं कितने मकान बनाये गये ?

(2) उक्त कालोनी हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी व्यय की गई ? क्या व्यय की गई राशि का भौतिक सत्यापन किया गया है ? यदि हां, तो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमराज मीणा)

(3) क्या अतिरिक्त कलेक्टर विकास, कोटा द्वारा इसकी जांच कराई गई है? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1987-88 में 20 मकान स्वीकृत किये गये थे। इसके विरुद्ध वर्ष 88-89 तक 20 मकान, ग्रामदानी समिति बहराई द्वारा निर्माण कार्य कराये गये।

(2) 20 मकानों की इस कालोनी हेतु 12000/– प्रति आवास की दर से (जिसमें 9000/– आवास हेतु एवं 3,000/– प्रति आवास आधारभूत सुविधाओं हेतु) कुल 2,40 000/– स्वीकृत किये गये थे। जिसके विरुद्ध ग्रामदानी समिति द्वारा राशि 1,75,835/– व्यय की गयी। हिसाब, व्यय की सूचना की प्रति संलग्न है।

राशि का सत्यापन विकास अधिकारी शाहबाद द्वारा किया गया है। सत्यापन की रिपोर्ट परिशिष्ट–अ पर संलग्न हैं।

(3) हां। इसकी जांच श्री जी. आर. पाराशर, जिला आयोजना अधिकारी द्वारा कराई गई। जांच में निम्न व्यक्ति दोषी पाए गये हैं :—

1. अध्यक्ष, ग्रामदानी समिति बहराई
2. तत्कालीन विकास अधिकारी, शाहबाद
3. तत्कालीन, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति, शाहबाद
4. तत्कालीन, कनिष्ठ लेखाकार, पंचायत समिति शाहबाद
5. तत्कालीन खजांची, पंचायत समिति शाहबाद

क्योंकि पंचायत समिति एवं ग्रामदानी समिति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के नियंत्रण में नहीं है। अतः जिला परिषद् कोटा को जिला कलेक्टर, कोटा के माध्यम से पत्रांक 374 दिनांक 25 अप्रेल, 1990 द्वारा मूल पत्रावत्री व जांच रिपोर्ट के साथ प्रकरण निम्न कार्यवाही हेतु भिजवाया गया :—

1. **अध्यक्ष ग्रामदानी**
   40000/– पी. डी. आर. के तहत वसूली की कार्यवाही एवं थाने में एफ. आई. आर. दर्ज।
2. **कनिष्ठ अभियन्ता**
   थाने में एफ. आई. आर. दर्ज।
3. **तत्कालीन विकास अधिकारी**
   सी. सी. ए.–16 के तहत कार्यवाही।
4. **तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार**
   सी. सी. ए.–16 के तहत कार्यवाही।
5. **तत्कालीन खजांची**
   सी. सी. ए.–17 के तहत कार्यवाही।

इस सम्बन्ध में जिला अन्वेषण ब्यूरो कोटा द्वारा अपराध संख्या 59/91 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है जिन्हें इस कार्यालय में मूल पत्र हस्तान्तरित कर दिये गये हैं एवं जिला परिषद् कोटा ने इस प्रकरण को उनके पत्र संख्या 107 दिनांक 10-7-91 द्वारा जिला परिषद् बारां को हस्तान्तरित कर दिया है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

सपोटरा में एनीकट निर्माण कार्य

1132. श्री प्रभूलाल (सपोटरा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने एनीकट बनाये गये हैं ? उन पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र में पूर्व में दिये गये प्रस्तावों के अनुसार एनीकट बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में अब तक 8 एनीकट प्रारम्भ कराये गये । जिनमें से 3 को पूर्ण किया जा चुका है शेष 5 अपूर्ण है उन पर रु. 8,53,727/–की राशि व्यय की गई हैं ।

(2) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में बीहड़ सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत तीन एनीकटों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । जिनका निर्माण 1995 तक उक्त योजना में राशि उपलब्ध होने पर कराया जाना था परन्तु भारत सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम अब समाप्त कर दिया गया हैं ।

सोजत तथा खारची के अधूरे निर्माण कार्य

1133. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की सोजत एवं खारची विधान सभा क्षेत्र में कितने निर्माण कार्य विभिन्न योजनाओं के तहत अधूरे पड़े हुए हैं ? ग्राम व कार्य के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या ग्राम पंचायत सवराड़ पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अधूरे विद्यालय भवन के निर्माण कार्य को किसी अन्य योजना के तहत पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस प्रकार के काफी लम्बे समय से पड़े अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा नहीं करवाने से निर्माण लागत बढ़ती है जिससे सरकार को काफी हानि होती है ? ऐसे कार्यों के प्रति सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में सोजत एवं खारची विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत पड़े अधूरे निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है । ग्राम व कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । ग्राम पंचायत सवराड़, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1988 से अधूरा पड़ा हुआ है ।

(3) जी हां । ग्राम पंचायत सवराड़, अधूरे विद्यालय भवन निर्माण कार्य 31 मार्च, 1992 तक पूर्ण करवा देगी ।

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(4) अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने के प्रयास जारी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डूंगरपुर जिले में जवाहर रोजगार योजना के तहत स्वीकृत कार्य

1134. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1991-92 में डूंगरपुर जिले में जवाहर रोजगार योजना के तहत कितने कार्य स्वीकृति किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि कई पंचायत समितियों में यह कार्य अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में स्वीकृत कार्य करने वाले श्रमिकों को भुगतान किया जाना बाकी है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1991-92 में डूंगरपुर जिले में जवाहर रोजगार योजना के तहत कुल 334 कार्य स्वीकृत किये गये।

(2) जी हां। अधूरे कार्यों को आगामी वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों की सीमा तक पूर्ण करा दिया जावेगा।

(3) श्रमिकों को भुगतान कार्य के अनुसार किया जा रहा है। ज्यों-ज्यों कार्य पूर्ण हो रहे हैं भुगतान किया जा रहा है।

इन्दिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लक्ष्य

1135. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991-92 में राज्य में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कितने मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था ? अब तक कितने मकान बना लिये गये हैं ?

(2) डूंगरपुर जिले में कितने का लक्ष्य था तथा उपलब्धि कितनी हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में राज्य में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत 6663 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 1991-92 में अब तक 11368 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

(2) डूंगरपुर जिले में वर्ष 1991-92 में 348 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। वर्ष 91-92 में अब तक 760 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

जालौर में विकास कार्यों पर व्यय

1136. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में करवाए गए विकास कार्यों एवं उन पर व्यय की गई राशि का गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं तथा वे कब तक पूर्ण करवा दिए जायेंगे ?

(3) विधान सभा क्षेत्र जालौर के विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार क्या-क्या कार्य करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में करवाये गये विकास कार्यों एवं उन पर व्यय की गई राशि का गांववार विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कार्यों में से अपूर्ण कार्यों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" के कॉलम 6 में एवं कब तक पूर्ण करवा दिये जावेंगे, का उल्लेख कॉलम 7 में उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जालौर में आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ग्रामीण विकास के कार्य करवाये जायेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या 1137
(स्थगित)

राजगढ़ में कुओं का गिरता जल स्तर

1138 श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुओं का जल स्तर 150-200 फीट गहरा चला गया है ? यदि हां, तो सरकार माण्डा योजना में कहां-कहां एनीकट बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं, राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1991 का अधिकतम गहरा मापा गया भू-जल स्तर रेतीले क्षेत्र में लगभग 100 फीट (ग्राम ढिगावड़ा) एवं पथरीले क्षेत्र में लगभग 120 फीट (ग्राम धोला) में है ?

वर्ष 1991-92 के दौरान इस क्षेत्र पंचायत समिति राजगढ़ के माडा क्षेत्र में कोई एनीकट बनाने का प्रस्ताव नहीं है, जबकि पंचायत समिति रेणी के माडा क्षेत्र में ग्राम ईसवाना में एक एनीकट बनाने हेतु जिला भू-संरक्षण विभाग, अलवर द्वारा सर्वे किया जा रहा है।

जीवन धारा तथा मैसिव योजनाओं की इकाई लागतों में संशोधन

1139. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बीकानेर क्षेत्र में कुओं की गई गहराई को देखते हुए कृषि कूप निर्माण हेतु मैसिव योजना की जीवनधारा योजना की इकाई लागतों को संशोधित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, व कितनी सीमा तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

मैसिव योजना :

बीकानेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में भू-जल स्तर लगभग 90-100 मीटर की औसत गहराई पर है। कुछ सीमित क्षेत्र विशेष में ही भू-जल स्तर औसतन 50-60 मीटर की गहराई पर है। मैसिव योजनान्तर्गत ऐसे क्षेत्रों के लिये 2 मीटर व्यास के 43 मीटर गहरे कूप तैयार कर 200 मि. मी. व्यास के 30 मीटर गहराई तक बोरिंग किये जाने की इकाई लागत नाबार्ड द्वारा रुपये 63,700/– नियत की गई है। इस इकाई लागत को दिनांक 23-12-91 द्वारा ही अधिसूचित किया गया है।

जीवनधारा योजना

जीवनधारा योजनान्तर्गत बीकानेर जिले में 2.27 मीटर व्यास के 45 मीटर गहरे कूप निर्माण की इकाई लागत रु. 63,700/– का संशोधित निर्धारण राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-1-91 को ही किया गया है। इससे पूर्व यह इकाई लागत रुपये 53,100/– थी। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जीवनधारा योजना एवं मैसिव योजना के अन्तर्गत कूप निर्माण की इकाई लागत संशोधित करने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि संशोधन किये अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है।

कैटल गार्ड के पद पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

1140. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रेन्ज कुरावड़ के वन नाका भीण्डर (मीणों का दरवाजा) वृत उदयपुर (उत्तर) में दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1991 तक कैटल गार्ड के पद पर कौन-कौन व्यक्ति कब से कब तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहा ? सूची नाम, पिता का नाम, स्थान सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारियों का भुगतान कब-कब कितनी-कितनी राशि का किस-किस मस्टरोल नम्बर से किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कर्मचारियों में से वर्तमान में कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं तथा किस-किस कर्मचारी को कब-कब हटाया गया ? हटाये जाने के कारण, नाम, पिता का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रेन्ज कुरावड़ के वन नाका भीण्डर पर 1-1-86 से 31-12-91 तक केटल गार्ड के पद पर कार्यरत रहे दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है।

(2) उक्त कर्मचारियों को किये गये भुगतान का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट-ख के अनुसार रख दिया गयाहै।

(3) उक्त कर्मचारियों में से 7 कर्मचारी परिशिष्ट–ग के अनुसार कार्यरत हैं। शेष अपनी स्वयं की इच्छा से बगैर किसी सूचना के कार्य छोडकर चले गये, इन्हें विभाग द्वारा नहीं हटाया गया।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।

आर. डी. एफ. जयसनी प्लान्टेशन, सवाई माधोपुर

1141. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर वन विभाग में प्लान्टेशन आर. डी. एफ. जयसनी 50 हैक्ट. वर्ष 1991 की खोयी हुई मस्टरोल किस कर्मचारी/अधिकारी से प्राप्त हुई और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) प्लान्टेशन आर. डी. एफ. जयसनी 50 हैक्ट. वर्ष 1991 में कार्य करने वाले मजदूरों का भुगतान माह फरवरी से अब तक क्यों नहीं हुआ ?

(3) प्लान्टेशन आर. डी. एफ. जयसनी 50 हैक्ट. वर्ष 1991, प्लान्टेशन बी. एफ. डब्लू. सैखपुरा 15 हैक्ट. एवं प्लान्टेशन सीवली पैस्टरोल सैखपुरा बी. 30 हैक्ट. की गणना रिपोर्ट्स में क्या अन्तर है ? प्लान्टेशन आर. डी. एफ. जयसनी 50 हैक्ट. की गणना रिपोर्ट पर गणना कर्मचारी एवं गणना लेबर के हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं ? क्या रिपोर्ट फर्जी बनाई गई है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर में प्लांटेशन आर. डी. एफ. जयसनी 50 हैक्टर की कोई मस्टर रोल नहीं खोई है ।

(2) प्लांटेशन आर. डी. एफ. जयसनी 50 हैक्टर वर्ष 1991 का कार्य अप्रेल, 91 से आरम्भ हुआ है । 15 जून से 15 अगस्त तक के मस्टर रोलों के सम्बन्ध में जांच जारी होने के कारण इस अवधि में कार्य करने वाले श्रमिकों का भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि उक्त मस्टर रोल तथा तत्सम्बन्धी दूसरा रिकार्ड जांच अधिकारी के पास जेरे-कार है ।

(3) प्लान्टेशन आर. डी. एफ. जयसनी 50 हैक्टर वर्ष 1991, प्लान्टेशन बी. एफ. डब्लू. सैखपुरा 15 हैक्टर एवं प्लान्टेशन सिल्वी पैस्टरोल से सैखपुरा के 30 हैक्टर में रिकार्ड के अनुसार लगाये गये पौधों एवं गणना के दौरान पाये गये पौधों की पौधों की संख्या में क्रमशः 21185 की कमी, 1245 की वेशी एवं 2503 में कमी पायी गई । प्लान्टेशन आर. डी. एफ. जयसनी 50 हैक्टर की गणना रिपोर्ट पर सम्बन्धित वनपाल के अतिरिक्त सभी सम्बन्धित कर्मचारियों एवं गणना करने वाले श्रमिकों के हस्ताक्षर हैं । रिपोर्ट फर्जी नहीं बनाई गई है ।

वन विभाग, सवाई माधोपुर के द्वारा की गई कार्यवाही

1142. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 20-2-1992 को सवाई माधोपुर वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने किन्हीं लोगों को पकड़ा था ? यदि हां, तो कहां से ? क्या उनसे कोई शिकार या खाल आदि भी बरामद हुई थी ? यदि नहीं, तो पकड़ने के क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सही है कि उन्हें मान-सरोवर की पाल से (जो आरक्षित वन क्षेत्र में नहीं है) से पकड़ा गया था और गिरफ्तारी रिजर्व क्षेत्र से बताई गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया तथा कौन इसके लिए दोषी है ।

उत्तर

(1) जी नहीं । 20-2-1992 को नहीं, 21-2-1992 को वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने किन्हीं शिकारियों को पकड़ा था तथा उनसे बन्दूकें, कारतूस तथा शिकार के उपयोग की अन्य सामग्री बरामद हुई थी । इनके विरुद्ध विभाग ने केस रजिस्टर कर अदालत मजाज में चालान प्रस्तुत कर दिया है ।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में आरा मशीनों का रजिस्ट्रेशन

1143. श्री भैरूलाल बैरवा (शाहपुरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्री गंगानगर जिले के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ उप-वन संरक्षकों के कार्यालय में कितनी आरा मशीनों का रजिस्ट्रेशन है ? सन् 1989 से 1991 तक कितनी-कितनी आरा मशीनों का रजिस्ट्रेशन हुआ ? कितनी आरा मशीनें बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही हैं ? बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही आरा मशीनों की नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) आरा मशीनों के मालिकों द्वारा विभाग के नियमों के तहत निर्धारित समय में पेड़ों की चिराई, कटाई आदि की व स्टॉक की सूची समय-समय पर दी जाती रही है ? यदि हां, तो सन् 1989 से 1991 में श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में इस अवधि में कितने पेड़ों की चिराई, कटाई हुई ? सूची सदन के मेज पर रखें । यदि नहीं, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि नियमों की अवहेलना करने पर आरा मशीनों पर शास्तियां (जुर्माना) कायम किया गया था ? यदि हां, तो कितना-कितना तथा कब-कब ?

(4) क्या सरकार अवैध रूप से चलाई जा रही आरा मशीनों को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ उप वन संरक्षक के कार्यालय में क्रमशः 11 व 7 आरा मशीनों का रजिस्ट्रेशन सन् 89 से 91 तक क्रमशः 11 व 2 आरा मशीनों का रजिस्ट्रेशन हुआ एवं क्रमशः 96 व 75 आरा मशीनें बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही आरा मशीनों की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई ।

(2) जी नहीं, पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरा मशीन मालिकों की यूनियन की ओर से दायर याचिका में पैनल एक्शन पर स्थगन आदेश दिये जाने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाली एवं चिराई कटाई का स्टोक विवरण प्रस्तुत नहीं करने वाली आरा मशीनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी हैं स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है अतः नियमों का उल्लंघन करने वाली आरा मशीनों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी ।

(3) जी हां, मई जून, 88 में दो आरा

(वन मंत्री)

मशीनों को सीजकर रुपये 3802/- जुर्माना वसूल किया गया एवं 1990 में एक आरा मशीन का न्यायालय में चालान पेश किया गया।

(4) अपंजीकृत आरा मशीनों को पंजीकरण करा कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु बाध्य किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वन विभाग ब्यावर के रेंजर का पेंशन प्रकरण

1144. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वन विभाग ब्यावर के रेंजर श्री भंवर सिंह को दिनांक 30 सितम्बर, 1989 में सेवानिवृत्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उनकी ग्रेच्युटी व पेंशन के प्रकरण को निबटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक उक्त प्रकरण का निबटारा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां। श्री भंवरसिंह के विरुद्ध दो जांच लम्बित होने के कारण ग्रेच्युटी व व पेंशन प्रकरण निर्णित नहीं हुए हैं तथा इन्हें प्रोवीजनल पेंशन मिल रही है। विभागीय जांच पूर्ण होने पर ही पेंशन व ग्रेच्युटी का अन्तिम निर्णय यथा सम्भव तत्परता से करवाया जावेगा।

राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम

1145. श्री सांवरलाल (भिनाय): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विगत पांच वर्षों में वृक्षारोपण के तहत कितने पौधे लगाए गए उन पर कितना खर्च हुआ ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लगाये गये पौधों का भौतिक सत्यापन किया जाता है ? यदि हां, तो किस अधिकार के द्वारा ? यदि नहीं, तो इसके अभाव में इस कार्यक्रम की क्या सार्थकता है ? विगत पांच वर्षों में लगाए गए पौधों में से किस-किस प्रकार के कितने पौधे जीवित हैं ?

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में राज्य में लगाये गये पौधों की संख्या एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) जी हां। वन संरक्षक मूल्यांकन एवम् परियोजना सूत्रीकरण द्वारा उनके अधीन कार्यरत 5 उप वन संरक्षकों के माध्यम से वृक्षारोपणों का मूल्यांकन कराया जाता है। गत पांच वर्षों में लगाये गये पौधों में से कांटेदार छायादार, फलदार, फूलदार, ईंधन, चारा एवं छोटी इमारती लकड़ी देने वाली प्रजातियों के पौधे परिशिष्ट "ख" के अनुसार जीवित हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के राजस्व ग्रामों के नक्शे

1146. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र के किन-किन राजस्व गांवों के राजस्व नक्शे गायब हैं या फट गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन राजस्व गांवों के नक्शे कब से नहीं हैं तथा सरकार इन राजस्व नक्शों को बनवाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में तहसील बस्सी के कुल 215 राजस्व गांव है जिनमें से 63 गांवों के नक्शे फटे हुए हैं। (सूची संलग्न है।) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में तहसील चाकसू के किसी भी गांव का नक्शा गायब नहीं है केवल 8 गांवों के नक्शे फटे हुए हैं (सूची संलग्न है)

(2) तहसील बस्सी के फटे हुए 63 गांवों के नक्शों में से 7 गांवों के नक्शे तैयार करवाने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तहसील चाकसू के गांवों में भू-प्रबन्ध की कार्यवाही चल रही है। अतः भू-प्रबन्ध के दौरान नवीन नक्शे तैयार करा दिये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

ग्राम भांवती (दौसा) की चरागाह भूमि

1147 श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम भांवती तहसील बसवा जिला दौसा में कुल चरागाह रकबा कितना है ? उस पर किन-किन व्यक्तियों ने कितना-कितना अतिक्रमण कर रखा है ? क्या सरकार अतिक्रमण हटवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष चरागाह भूमि पर अतिक्रमियो ने मवेशियों को नहीं चरने दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार चरागाह भूमि की सीमा बना कर पत्थरगढ़ी करके गांव वालों को चरागाह एरिया बताने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या उक्त चरागाह में लाखों रुपये के हरे वृक्ष हैं जिनको अतिक्रमी काट-काट कर बेच रहे है ? यदि हां तो क्या सरकार पेड़ों की कटाई बंद करवाने व पेड़ों पर नम्बर डालकर उनकी रक्षा करने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम भांवती तहसील बसवा जिला दौसा में कुल चरागाह रकबा 296 बीघा 9 बिस्वा भूमि है। उक्त रकबे में 2 व्यक्तियों ने 8 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिनके खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर

(राजस्व मंत्री)

बेदखली के आदेश दिये जा चुके हैं तथा अतिक्रमियों को एक-एक माह की साधारण कारावास की सजा भी दी जा चुकी है। सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जी हां। गत वर्ष संवत् 2047 में चरागार भूमि के अतिक्रमण किये गये रकबे पर अतिक्रमियों ने मवेशियान को नहीं चरने दिया। शेष रकबे पर मवेशियान चरते रहे। ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे सीमा ज्ञान व पत्थर-गढी कराने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(3) जी नहीं। अतिक्रमियों द्वारा कोई हरे वृक्ष नहीं काटे गये हैं। उक्त चरागाह में से हरे वृक्ष काटने सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जा रहा है कि वे उक्त वृक्षों में नम्बर अंकित करावे और कोई भी वृक्ष काटने की कार्यवाही करें तो तत्काल तहसीलदार, बसवा को रिपोर्ट करें ताकि सम्बन्धित के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

ग्राम रोनीजाथान (अलवर) में अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को भू-आवंटन

1148. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोनी-जाथान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ने बैरवा जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि भूमि दिनांक 5-1-1973 को अलॉटमेंट कमेटी द्वारा अलाट की थी ? यदि हां, तो काश्तकारों के नाम, खसरा नम्बर, रकबा की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 5-1-1973 को भूमि की किस्म क्या थी तथा अब क्या है ?

(3) तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ने प्रथम नोटिस इन काश्तकारों को उक्त भूमि चरागाह भूमि होने का कब दिया ?

(4) इस भूमि के बारे में उपखण्ड अधि-कारी, राजगढ़ व जिलाधीश, अलवर ने कब क्या रिपोर्ट सरकार को भेजी ? संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त भूमि की किस्म दिनांक 5-1-1973 को बदलकर इन काश्त-कारों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या राज्य सरकार इन काश्तकारों को फिलहाल खेती करने की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है अथवा नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। आवंटियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रश्नगत् भूमि रिकार्ड के अनुसार पुराने ख. नं. 1140 मिन 1135, 1136 की किस्म बंजड़ कदीम दर्ज थी, जो 5-1-73 के बाद ख. नं. 1660, 1642 व 1657 नये नम्बर की किस्म चारागार है।

(राजस्व मंत्री)

(3) तहसील लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का भू-प्रबन्ध सं. 2026 में हुआ था। ख. नं. 1660, 1642 व 1657 जिनके पूर्व नं. 1140 मिन, 1135 व 1136 के थे की सेटलमेंट से पूर्व किस्म बंजड़ कदीम थी जिसे भू-प्रबन्ध के दौरान चारागाह अंकित कर दिया गया शेष नम्बरान की भूमि को अभिलेख में अमल दरामद न होने से अनावंटित मानकर वर्ष 1981 में चार गाह अंकित कर दिया गया।

उक्त भूमि आवंटित हो चुकी थी व अलोटीज भूमि पर काबिज हो गये थे, इसलिए तहसीलदार द्वारा चारागाह भूमि होने का नोटिस नहीं दिया गया।

(4) प्रश्नगत् भूमि के बारे में जिला कलक्टर, अलवर ने अपने पत्र क्रमांक 431 दिनांक 18-1-91 के द्वारा किस्म परिवर्तन के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गये।

(5) जिला कलक्टर, अलवर के द्वारा प्रस्ताव दिनांक 18-1-91 के साथ आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, जो अब राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। राजस्व रिकार्ड भूमि वर्गीकरण के सम्बन्ध में संशोधन कर आवंटियों को खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(6) आवंटित भूमि पर आवंटियों द्वारा काश्त की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ग्राम पंचायत दारोदा (अलवर) का भूमि आवण्टन का प्रकरण

1149. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दारोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर को ग्राम नंगला माधोपुर में वर्ष 1969 में तहसीलदार द्वारा खसरा नं. 213 में से 8 बीघा जमीन आवंटित की गई थी? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवटन के आदेश के विरोध में श्री बनेसिंह निवासी खेडलीगंज ने अतिरिक्त जिलाधीश राजस्व अपील अधिकारी एवं राजस्व बोर्ड में अपील की?

(3) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त तीनों ही न्यायालयों द्वारा आवण्टन को उचित माना गया है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जमीन को श्री बनेसिंह द्वारा कुछ व्यक्तियों को बिक्री कर दिनांक 12-12-1991 को रजिस्ट्री करा दी गई? यदि हां, तो रजिस्ट्री की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उक्त बिक्री के विरूद्ध ए. सी. एम. कठुमर (अलवर) के यहां दावा दायर किया गया? यदि हां, तो दावे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक ने कुछ दिन बाद ही दावा वापस ले लिया?

(श्री इन्द्र सिंह पूनिया)

यदि हां, तो वापस लेने के पीछे क्या कारण था ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या सरकार उक्त अनियमित बिक्री को निरस्त करेगी एवं दोषी ग्राम सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम पंचायत दारोदा की ग्राम नंगला माधोपुर में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा वर्ष 1969 में आराजी खसरा नम्बर 213 में से 8 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, आवटन आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) एवं (4) जी हां, बनेसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील/निगरानी न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दी गई है और आवंटन को उचित माना है । जी हां । लेकिन यह बयनामा दि. 12-12-91 को न होकर दिनांक 4-9-91 को पंजीकृत हुआ है । बयनामा की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(5) जी हां । सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उक्त बेचान के विरूद्ध सहायक कलक्टर, कठूमर (अलवर) के न्यायालय में दावा दायर किया गया । दावा की नकल की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(6) जी हां । सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कुछ दिन बाद ही यह दावा वापिस ले लिया गया था क्योंकि पंचायत प्रकरण में प्रशासनिक कार्यवाही करना चाहती है । यह दावा फरवरी, 1991 में खारिज हो चुका है ।

(7) जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । ग्राम सेवक से विकास अधिकारी द्वारा जवाब मांगा जा रहा है ।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति

1150. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर के नाम से कोई समिति का गठन किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति के गलत कारनामों के बारे में लोक आयुक्त; राजस्थान ने एक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें । राज्य सरकार ने प्राप्त रिपोर्ट के संदर्भ में क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) लोकायुक्त राजस्थान ने जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर के गलत कारनामों की ना तो कोई जांच की है और न ही जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है ।

राजफैड द्वारा कृषि जिन्सों की खरीद-बिक्री प्रकरण

1151. श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवजीराम)

क्या राजस्थान सहकारी क्रय-विक्रय संघ (राजफैड) द्वारा नेफैड के साथ मिलकर वर्ष 1981–82 में कृषि जिन्सों की खरीद व बिक्री की गई थी ? यदि हां, तो इस व्यापार में संघ को कितनी हानि हुई तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? वर्ष 1981-82 की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्ष 81-82 में राजफैड द्वारा कृषि जिन्सों की केवल बिक्री ही नेफैड के साथ मिलकर की गयी थी। इस व्यापार में राजफैड को 54, 35, 879.00 रु. की हानि हुई। वर्ष 81-82 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार निम्न अधिकारियों को हानि के लिए दोषी पाया गया। एव उनके विरुद्ध मुख्य अंकेक्षक, सहकारी विभाग द्वारा सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत केस दर्ज किये गये।

क्र. सं	केस नं.	दिनांक	अधिकारी का नाम	राशि
1.	50	7-9-87	श्री डी. कुमार श्री के. पी. शर्मा श्री हरिशंकर गुप्ता	2,15,709.02 रु.
2.	51	7-9-87	श्री डी. कुमार श्री के. पी. शर्मा श्री हरिशंकर गुप्ता	3,57,474.59 रु.
3.	42	2-3-87	श्री हरिशंकर गुप्ता श्री अवधेश सिंह	41,000 00 रु.
4.	43	2-3-87	1. व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्य 2. राजफैड एवं नेफैड	123,544,11 रु.

इसमें से केस 50 एवं 51 का निर्णय हो चुका है तथा आरोपित अधिकारियों को दोष मुक्त किया गया है। शेष दो मामले विचाराधीन हैं। वर्ष 81-82 की ऑडिट रिपोर्ट की अंश की प्रति परिशिष्ट (अ) पर संलग्न हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील पाली के ग्रामों को खाद्य सामग्री का आवंटन

1152. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर), **श्री अचलाराम** (देसूरी) एवं **श्री खंगारसिंह** (खारची) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की सोजत, रायपुर, खारची, देसूरी, बाली, सुमेरपुर व पाली

(श्री गुलाब सिंह)

तहसीलों में माह सितम्बर, 1990 से फरवरी, 1991 तक कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं, शक्कर व केरोसीन वितरित किया गया? माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महीनों में राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में शक्कर, गेहूं तथा केरोसिन आवण्टित किया गया ? आवण्टित राशन की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की सोजत, रायपुर, खारची, देसूरी, बाली, सुमेरपुर व पाली तहसीलों में माह सितम्बर, 1990 से फरवरी, 1991 तक जितनी-जितनी मात्रा में गेहूं, शक्कर व केरोसीन वितरित किया गया, उसकी माहवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त महीनों में राज्य सरकार द्वारा जितनी-जितनी मात्रा में शक्कर, गेहूं तथा केरोसीन आवंटित किया गया है, का विवरण प्रश्न के भाग 1 की सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

बीकानेर जिले की निगरानी समितियां

1153. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बीकानेर जिले में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी कमेटियां गठित की गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सदस्य हैं एवं उनका अधिकार क्षेत्र क्या है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीकानेर जिले में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी कमेटियां जिला स्तर पर एवं नोखा, कोलायत तथा लूणकरनसर तहसीलों में तहसील स्तर पर गठित की हुई हैं। जिला स्तर पर गठित निगरानी कमेटी का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण जिला एवं तहसील क्षेत्र बीकानेर है एवं अन्य तीन तहसीलों में गठित निगरानी कमेटियों का क्षेत्राधिकार तहसील क्षेत्र है। निगरानी कमेटियों में जो-जो सदस्य हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

अलवर, सवाई माधोपुर एवं दौसा जिलों के छात्रावास

1154. श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर, सवाई माधोपुर एवं दौसा में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं ?

(2) इन छात्रावासों में छात्र व छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है ?

(3) क्या सरकार ने छात्रावास खोलने हेतु कोई नार्म्स निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो नार्म्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(52)

(श्री श्रीराम मीणा)

(4) इन छात्रावासों में किस श्रेणी के छात्र व छात्राएं प्रवेश ले सकते हैं ?

(5) क्या सरकार, राजगढ़ अलवर के रैणी एवं टहला कस्बों में छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला अलवर, सवाईमाधोपुर एवं दौसा में संचालित छात्रावासों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) छात्र/छात्राओं की संख्या परिशिष्ट "अ" पर अंकित है ।

(3) जी हां । नवीन छात्रावास खोलने से पूर्व सामान्यतः निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :—

1. जिस जाति का छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित हो उस जाति का उस स्थान पर बाहुल्य हो ।

2. वहां पर सैकेण्डरी/हायर सैकण्डरी स्कूल हो ।

3. वहां पर भवन की उपलब्धता हो ।

4. उस स्थान पर आने-जाने के साधन उपलब्ध हों ।

5. वहां बिजली, पानी की व्यवस्था हो ।

(4) "राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 1982 के संशोधित नियम, नियम 1983" के अनुसार कक्षा 6 से पूर्व के अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के बालकों को प्रवेश नहीं दिया जाता है । परन्तु विमुक्त जाति, घुमन्त जाति तथा सहरीया जाति के कक्षा 6 से पूर्व के छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता है ।

कक्षा 6 से पूर्व की अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति, विमुक्त जाति, घुमन्त जाति एवं सहरीया जाति की छात्राओं को कन्या छात्रावासों में प्रवेश दिया जायेगा । परन्तु प्रवेश देते समय रिक्त स्थानों पर कक्षा 6 से नीचे की छात्राओं को वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

(4) अलवर, राजगढ़ व रैणी में पूर्व से ही छात्रावास संचालित है । टहला में छात्रावास खोलने का विचार क्षेत्रीय आवश्यकता एवं राज्य के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

छबड़ा व पाली के छात्रावास भवन

1155. नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि छबड़ा व पाली में छात्रावास भवन किराये के हैं ? क्या उक्त भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नये भवन बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां । छबड़ा के छात्रावास भवन की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है तथा पाली छात्रावास भवन की छत कच्ची है । अतः दोनों भवनों

(समाज-कल्याण राज्य मंत्री)

को उपयुक्त किराये के भवन तलाश कर उनमें स्थानान्तरित करने के आदेश दे दिये गये हैं। इन छात्रावासों हेतु नये भवन बनाने का विचार राज्य के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

पंचायत समिति जहाजपुर के पेन्शन प्रकरण

1156. श्री शिवजीराम (जहाजपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 1-4-1990 से 31-12-1991 तक पंचायत समिति, जहाजपुर में वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेन्शन एवं विकलांग पेन्शन के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत की गई एवं कितने निरस्त किये गये? निरस्त करने के क्या कारण रहे हैं।

(3) क्या प्राप्त आवेदन-पत्रों का आवक पंजिका में इन्द्राज कर वरीयता का ध्यान रखा जाता है? यदि हां, तो प्राप्त आवेदन पत्रों की वरीयता सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि पात्रता के लिए निर्धारित सीमा तक के भूमि धारकों के आवेदकों के आवेदन-पत्र निरस्त किए गए हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? इस आधार पर निरस्त किए गए आवेदन पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) कितने बीघा तक के भूमि धारक को पेन्शन के लिए पात्र माना गया है? क्या इस आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों के प्रार्थना पत्र भी निरस्त किए गए हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-90 से 31-12-91 तक पंचायत समिति जहाजपुर में पेंशन हेतु कुल 344 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका वर्गवार विवरण निम्न प्रकार है:—

वृद्धावस्था	विधवा	विकलांग
134	187	23

सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्राप्त 344 आवेदन पत्रों में से 338 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत करदी गई है एवं 5 आवेदन पत्र नियमों की परिधि में नहीं होने के कारण निरस्त किये गये हैं। एक आवेदन पत्र विचाराधीन है जिसका शीघ्र ही निपटारा कर दिया जावेगा।

(3) पृथक से पंजिका का संधारण नहीं किया जाकर आवक पंजिका के माध्यम से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं। कतिपय मामलों में सरपंच, ग्राम सेवक एवं आवेदक सीधे ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं जो पंजीबद्ध नहीं हुए हैं। प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है। विचाराधीन एक प्रार्थना पत्र का निपटारा शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

(4) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(5) भीलवाड़ा जिले में सिंचित भूमि 1.25 एकड़ एवं असिंचित भूमि 2.50 एकड़ की आधी (12) भूमि के धारक को पेंशन योग्य माना गया है।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

आबू रोड व पिण्डवाड़ा क्षेत्रों में आदिवासियों की आबादी

1157. **श्री प्रभुराम ग्रांसिया** (पिण्डवाड़ा) एवं **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में सिरोही जिले की आबूरोड एवं पिण्डवाड़ा तहसीलों में आदिवासियों की कितनी आबादी है ?

(2) किसी तहसील का जन जाति क्षेत्रीय विकास (टी. ए. डी) योजना में सम्मिलित करने के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) आबूरोड तहसील को इस योजना में कब सम्मिलित किया गया और तत्समय पिण्डवाड़ा तहसील को सम्मिलित नहीं किये जाने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या राज्य सरकार पिण्डवाड़ा तहसील को उक्त योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 की जनगणना अनुसार आबूरोड़ तहसील में आदिवासियों की जनसंख्या 49,104 एवं पिण्डवाड़ा तहसील में आदिवासियों की जनसंख्या 43,844 थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) किसी तहसील/पंचायत समिति क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उसको जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने का मानदण्ड है।

(3) जनजाति उपयोजना क्षेत्र आबूरोड़ तहसील का आबूरोड़ ब्लाक (पंचायत समिति) क्षेत्र ही उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित है। आबूरोड़ ब्लाक को वर्ष 1978-79 में उपयोजना क्षेत्र में शामिल किया गया है। पिण्डवाड़ा तहसील जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्योंकि वर्ष 1981 की जनगणनानुसार पिण्डवाड़ा तहसील में जनजाति जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से कम है जो निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं है।

(4) वर्ष 1991 की जनगणना के जनसंख्या समंक तहसीलवार उपलब्ध होने पर इसका पुन: परीक्षण किया जावेगा एवं मानदण्ड के अनुरूप होने पर पिण्डवाड़ा तहसील को उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

जमुवारामगढ़ व विराटनगर तहसीलों के पशु चिकित्सालय

1158. **श्री रामेश्वर** (जमुवारामगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामेश्वर)

(1) जयपुर जिले की जमवारामगढ़ व विराटनगर तहसील में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर हैं व कहां-कहां पर पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधिकांश पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों पर स्टाफ कार्यरत नहीं है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पशु चिकित्सा उप-केन्द्र, थौलाई में गत दो वर्ष से स्टॉफ पदस्थापित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) थौलाई पशु चिकित्सा उप-केन्द्र में स्टॉफ कब तक पदस्थापित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की जमवारामगढ़ तहसील मे 4 पशु चिकित्सालय, 3 पशु औषधालय एवं 9 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र तथा तहसील विराटनगर में 10 पशु चिकित्सालय, 2 पशु औषधालय एवं 5 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है। कुल 14 उपकेन्द्रों में से 6 उपकेन्द्रों क्रमशः सायपुरा, बासना, घटवाड़ी, थली, ताला, नौरंगपुर पर स्टाफ कार्यरत नहीं है।

(3) पशु चिकित्सा उपकेन्द्र थौलाई पर स्टाफ के प्रतिनियुक्ति आदेश लगभग एक वर्ष पूर्व ही जारी कर दिये थे। किन्तु बीमारी एवं अन्य कारणों से उन्होंने उपकेन्द्र पर कार्य नहीं किया।

(4) पशु चिकित्सा उपकेन्द्र थौलाई पर स्टाफ की प्रतिनियुक्ति के संशोधित आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा इस उपकेन्द्र का कार्य दिनांक 25-3-92 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

मोटर गैराज विभाग द्वारा टायरों की खरीद व नीलामी प्रकरण

1159. **श्री हेमराज** (किशनगंज) एवं **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) : क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मोटर गैराज विभाग ने सेन्ट्रल स्टोर पर्चेज आर्गेनाईजेशन (वित्त विभाग से सम्बन्धित) से सभी प्रकार के टायरों की रिट्रेडिंग के लिए रेट कान्ट्रेक्ट कर रखा है ?

(2) क्या वर्ष 1990-91 व 1991-92 में मोटर गैराज विभाग ने टायरों की नीलामी की है ? यदि हां, तो कितने व किस साइज के तथा उक्त नीलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई।

(3) क्या मोटर विभाग द्वारा वर्ष 1990-91 व 1991-92 में विभिन्न प्रकार के टायर खरीदे गये हैं ? यदि हां, तो कितने (साइज व संख्या) तथा उक्त खरीद पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(4) क्या टायर रिट्रेड कराकर भी 35000 किलोमीटर की गारन्टी संविदा

(श्री हेमराज)

की शर्तों के अनुसार है और नये टायरों की क्षमता (गारंटी) भी 32 हजार या 35000 किलोमीटर ही है फिर खरीद में इतनी बड़ी धन राशि व्यय क्यों की जाती है ?

उत्तर

(1) जी. नहीं। मोटर विभाग सेन्ट्रल पर्चेज ऑर्गेनाइजेशन से कोई दर अनुबन्ध नहीं करता है। सी. एस. पी. ओ. स्वयं अपने स्तर पर सम्पूर्ण राज्य के लिए दर अनुबन्ध करता है।

(2) जी, हां। टायरों की नीलामी से राशि निम्न प्रकार प्राप्त हुई है :—

वर्ष	ट्यूब व टायरों की संख्या विभिन्न साईज	नीलामी से आय
1990-91	टायर्स 8410 संलग्न लिस्ट "अ" के अनुसार ट्यूब्स 7587	16,73,230/-
1991-92	टायर्स 5308 संलग्न लिस्ट "अ" के अनुसार	9,23,720/-

(3) जी, हां। टायरों की वर्षवार क्रय राशि व संख्या की विगत संलग्न है (सूची "ब")

	गैराज के लिए		कुल क्रय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
90-91	206	2·36 लाख रु.	1664	22·17 लाख रु.
91-92	261	3·53 ,,	1200	18·30 ,,

(4) जी हां। सी. एस. पी. ओ. रेट कान्ट्रेक्ट दि. 23-1-92 के अनुसार टायर रिट्रेडिंग 20,000 से 35,000 कि. मी. की गारन्टी संविदा शर्तों के अनुसार है।

नये टायरों की चलने की क्षमता औसतन 35,000 से 80,000 कि. मी. तक की है।

नई टायरों की खरीद इसलिए की जाती रही है क्योंकि :

1. रिट्रेडिंग के पूर्व में परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। रिट्रेडिंग कई मामलों में तो 5 से 7 हजार कि. मी के बाद ही उतर जाती है।

2. मोटर गैराज की गाड़ियां अतिविशिष्ठ व्यक्तियों के उपयोग में आती हैं व काफी स्पीड से चलती हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से रिट्रेडिंग उपयुक्त नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(स्थगित प्रश्न, दिनांक 17 मार्च, 1992)

अतारांकित प्रश्न संख्या 634
(पुनः स्थगित)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद् सवाईमाधोपुर द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए तीन बार विज्ञापन जारी कर आवेदन-पत्र मांगने के उपरान्त भी रिक्त पदों को न भरने से बेरोजगार शिक्षकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादीलाल मीणा सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम दौलतपुरा को तीन वर्ष पूर्व बस सेवा से जोड़े जाने के बाद एक वर्ष पूर्व बस सेवा अचानक बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जनार्दनसिंह गहलोत, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्रीमती सुमित्रासिंह, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्रीमती मदन कौर, श्री रामनारायण वर्मा, श्री नत्थीसिंह, श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को दो वर्ष की सेवा पर अर्द्ध-स्थायी एवं 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थायी घोषित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के डूंगर कालेज के छात्रों द्वारा 16 मार्च, 1992 से हड़ताल किये जाने तथा 27 मार्च, को बीकानेर जिले की समस्त शिक्षण संस्थाओं के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से पी. एम. बी. अस्पताल, बीकानेर में मरीज के साथ कथित बलात्कार करने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमीन खां और श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर पुलिस द्वारा कथित रूप से बाड़मेर जिले के अकाल पीड़ित हरिजन मजदूरों को बेगुनाह मारपीट कर तबाह करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री प्रकाशचन्द बैरवा और श्री हरिसिंह (महुआ) सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, फागी में पीपला लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत बांध की स्वीकृति होने के उपरान्त भी उसका कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन-प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला ग्रामीण

(श्री अध्यक्ष)

विकास अभिकरण, चूरू द्वारा बनवायी गयी शिल्पीशालाओं का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 में 64 शिल्पी शालाएं स्वीकृत की गयी थी, 56 का निर्माण पूर्ण हुआ एवं 2 80 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार वर्ष 1991-92 में 56 स्वीकृत शिल्पी शालाओं में से 16 का निर्माण कार्य पूर्ण कराया एवं 80 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अभिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार पंचायत समिति, सुजानगढ़ में वर्ष 1990-91 में 22 स्वीकृत शिल्पी शालाओं में से 18 का निर्माण पूर्ण हुआ जिनके पेटे 90 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 1991-92 में स्वीकृत 24 शिल्पी शालाओं में से 9 का निर्माण पूर्ण हुआ जिनके पेटे 45 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(2) श्री लक्ष्मीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले के शिमला ग्राम में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि हरियाणा सीमा के निकट खेतड़ी तहसील में स्थित ग्राम शिमला की वर्तमान जनसंख्या लगभग 5700 है। इस ग्राम को वर्ष 1971 में पम्प व टैंक योजना से लाभान्वित किया गया था। क्षेत्रीय योजना ठाठवाड़ी-मुकन्दपुरा के अन्तर्गत ग्राम मुकन्दपुरा व शिमला के मध्य गत वर्ष दो नलकूप बनाये गये हैं जो दोनों सफल हैं। तीन किलोमीटर दूर स्थित शिमला ग्राम हेतु भी इन नलकूपों के पास स्थान का चयन कर पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु आपातकालीन प्रस्ताव बनाये गये हैं जिनकी तकनीकी जांच की जा रही है। तत्पश्चात् योजना को स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो गर्मियों में टैंकर से भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) श्री रामप्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की वैर तथा भुसावर में नगरपालिकाओं द्वारा सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने तथा वहां नालियों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि भरतपुर जिले की नगरपालिका वैर तथा भुसावर को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत नाली व सड़क मरम्मत व निर्माण हेतु क्रमशः 1,68,920/- रुपये व 1,51,520/- रुपये स्वीकृत किये गये थे, जिसके विरुद्ध वैर तथा भुसावर ने क्रमशः 1,31,570/- रुपये एवं 1,36,175/- रुपये व्यय किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण हेतु दोनों नगरपालिकाओं के लिए 75,000/- रुपये की राशि आवंटित की गयी थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अब तक 13-13 हजार रुपये व्यय किये गये हैं। नगर पालिकाओं में पैटर्न के अनुसार सफाई कर्मचारी कम हैं इसलिये सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नगरपालिकाओं की विषम आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें भंग कर ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा शहर के दादाबाड़ी इलाके में स्थित डाक तार विभाग की कालोनी में रविवार, दिनांक 22 मार्च, 1992 को 8 सदस्यों के पूरे परिवार के जल कर मर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नसीराबाद के नागरिक क्षेत्र को पेयजल की सप्लाई दिनांक 1-3-92 से बन्द करने के आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से रतनगढ़ क्षेत्र की सड़कों की खराब एवं दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अत: इन पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को अपने प्रस्ताव पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, ान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का समुचित विकास ने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान ओर से संस्कृत निदेशालय के अधीन कृत कालेज, जयपुर के प्राचार्य, ी की डिग्रियों की सी. आई. डी. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाली से दातीवाड़ा ग्राम के बीच नव-निर्मित डामर की सड़क पर, नालों पर रपट न होने से यात्रियों को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।

(4) श्री रखबचन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गोतमेश्वर से सालमगढ़ के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से उपनिवेशन तहसील कोलायत तहसील नम्बर-1 के चक एक बी. डी. व चक दो बी. डी. के मास्टर ब्लाक पत्थर नम्बर 198/1 से पैमाइश करवाकर ब्लाक पत्थर 190/1 को सही स्थान पर लगवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गुलाबसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुमेरपुर नगर में बस स्टैण्ड का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से वर्तमान शिक्षा नीति में परिवर्तन कर उसे रोजगारोन्मुख बनाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(9) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले में तारबंदी के लिए अवाप्त की गयी भूमि

(श्री अध्यक्ष)

का मुआवजा किसानों को दिये जाने और बदले में राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमि का आवंटन करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले की तहसील डूंगरगढ़ में उप कोष कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अरूण सिह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की गुड़गांव कैनाल परियोजना के कार्य को बद करने के कथित षड़यंत्र के सम्बन्ध में।

(12) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की पीपल्दा के कतिपय गांवों में अनुसूचित जाति जन जाति के गरीब भूमिहीन किसानों की फसल को कथित रूप से श्री प्रहलाद पटेल व उनके पुत्रों द्वारा काटकर ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में सिणधरी और गुड़ामालानी के पास नदी के बैंड में रपट बनाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु पुस्तकें तथा फर्नीचर खरीद में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(15) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में प्राइवेट बसों के मार्ग स्वीकृत रूट में होने के पश्चात् भी उन रूट्स पर बसें संचालित नहीं किये जाने से वहां की जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(16) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना हमीरवास, जिला चूरू के एक भूतपूर्व सैनिक की अनुपस्थिति में स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी तथा कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी पत्नी के साथ कथित रूप से बलात्कार का प्रयास करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री चम्पालाल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम राजयिवास के मध्य से गुजरने वाली सड़क के सकड़ा होने के कारण, सुविधा के लिए बाईपास सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य विधान सभा की ओर से राजकीय मुद्राणालय में राज्य के बाहर के व्यक्तियों की अप्रेन्टिसशिप योजना में गैर-कानूनी तरीके से चयन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर में कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग के वर्तमान कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक स्तर को उप मुख्य निरीक्षक में क्रमोन्नत करने सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों [illegible]

गये प्रस्तावों को प[illegible]

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था

नियम 127 के अन्तर्गत प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था

इस विधान सभा के माननीय श्री राम नारायण वर्मा व 2 अन्य सदस्यों ने दिनांक 10 फरवरी, 1992 को एक प्रस्ताव विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 127 के अधीन इस आशय को प्रस्तुत किया है कि राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु सीमान्त कृषकों की बहुलता है और इस श्रेणी के कृषकों को भारत सरकार की नीति के अनुसार अनुदान का फायदा व कम कीमत पर खाद नहीं मिल पा रही है अतः पड़ोसी राज्य हरियाणा की भांति राजस्थान में भी खाद पर राज्य सरकार को अनुदान नीति बनाने तथा वितरण व्यवस्था के सुधार होने पर ही स्थिति सुधर सकती है।

माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया है कि यह मामला एक ही विभाग से सम्बन्धित नहीं होकर रसायन, कृषि, स्वायत्त शासन, पंचायत, वित्त, प्रशासनिक सुधार आदि विभिन्न विभागों से जुड़ा हुआ है। अतः रासायनिक खाद पर चुंगी तथा बिक्री कर समाप्त करने, राज्य स्तर पर अनुदान देने तथा लघु सीमान्त कृषकों के हितों की सुरक्षा किये जाने सहित इस सम्बन्ध में जुड़े समस्त मामलों पर चर्चा उठाने की अनुमति प्रदान की जावे।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 127 में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिए चर्चा शीर्षक से कहा गया है कि— अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा।

नियम 128 में अध्यक्ष ग्राह्यता और समय का नियतन विनिश्चित करेगा शीर्षक से प्रावधान है कि— यदि अध्यक्ष का सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि विषय अविलम्बनीय है और सदन में जल्दी ही उठाए जाने के लिए पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्रहण कर सकेगा :—

परन्तु यदि विषय पर चर्चा के लिए अन्यथा रूप से शीघ्र ही अवसर उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा।

सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा विचरित संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार नामक पुस्तक में ऐसे प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होंगे जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए मांग की जावेगी, जो मुख्यतया राज्य सरकार (विधान सभा के संदर्भ में) का विषय नहीं हो।

प्रस्तावकर्त्ता माननीय सदस्य ने स्वयं उल्लेख किया है कि भारत सरकार की नीति के अनुसार अनुदान का फायदा व कम कीमत पर खाद नहीं मिल पा रहा है, अतः प्रस्ताव का यह अंश केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

ज्ञातव्य है इस संदर्भ में विधान सभा के गत सत्र में गैर सरकारी कार्य दिवस को

(श्री अध्यक्ष)

सदन द्वारा निम्नांकित संकल्प पारित किया गया था :—

"भारत सरकार ने जो खाद के मूल्यों में गत बजट द्वारा वृद्धि की है उससे यह सदन असहमति प्रकट करता है तथा केन्द्रीय सरकार से मांग करता है कि इसको तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जावे।"

इस सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा के समय तथा आय-व्ययक वर्ष 1992-93 पर सामान्य चर्चा तथा कृषि विभाग की मांग पर चर्चा के समय कई माननीय सदस्य इस विषय पर बोल चुके हैं।

माननीय सदस्य ने स्वयं अपने प्रस्ताव में इस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकार के कई विभागों से जुड़ा हुआ बताया है। प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले सभी प्रस्तावों आदि के लिए यही आम नियम है कि विषय एक हो तथा एक से अधिक विभाग अथवा मंत्री से सम्बन्धित विषयवस्तु नहीं होनी चाहिये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर माननीय सदस्य श्री रामनारायण वर्मा व दो अन्य सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को मैं अस्वीकार करता हूं।

इस विधान सभा के माननीय सदस्यगण श्री महिपाल यादव व तीन अन्य ने दिनांक 10 मार्च, 1992 को एक प्रस्ताव प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के अधीन, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर में शिक्षकों के चयन में कथित धांधली एवं अनियमितताएं होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों के चयन में कुलपति ने पक्षपात किया तथा कम योग्यता वाले लोगों का चयन कर लिया और उच्च योग्यता रखने वालों को साक्षात्कार तक के लिए नहीं बुलाया। जोधपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी, छात्रों एवं शिक्षकों में भारी रोष है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुत्थयतया उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा।

नियम 128 में अध्यक्ष ग्राह्यता और समय का नियतन विनिश्चित करेगा शीर्षक से प्रावधान है कि— यदि अध्यक्ष का सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि विषय अविलम्बनीय है और सदन में जल्दी ही उठाये जाने के लिए पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्रहण कर सकेगा।

परन्तु यदि विषय पर चर्चा के लिए अन्यथा रूप से शीघ्र ही अवसर उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा।

सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा विरचित "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" नामक पुस्तक में ऐसे प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध

(62)

(श्री अध्यक्ष)

में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होंगे, जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए मांग की जावेगी, जिसमें प्रत्यक्षतः राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं हो और जिसका विषय अविलम्बनीय प्रकृति का नहीं होगा।

इसी प्रकार प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में प्रतर्क, अनुमान और काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए पूछे जाने वाले मुद्दे भी अग्राह्य माने जाएगें।

उक्त पुस्तक में स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालय आदि के बारे में यह निर्दिष्ट किया गया है कि दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामले, आन्तरिक प्रशासन की विगत आदि के सम्बन्ध में मुद्दे उठाये जाना अनुज्ञेय नहीं है।

उक्त पुस्तक में प्रक्रिया के सामान्य नियमों में इस बात का भी उल्लेख है कि किसी बाहरी व्यक्ति के सम्बन्ध मे लगाये जाने वाले अभ्यारोप के सम्बन्ध में जब तक प्रथम दृष्ट्या कोई साक्ष्य या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाएं, ऐसा प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होगा।

माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव के साथ कुलपति पर लगाये गये कथित अभ्यारोप की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये हैं और मात्र इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिससे उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों की पुष्टि नहीं होती। यही नहीं कथित कार्यवाही के समय का उल्लेख भी नहीं किया है।

संसदीय प्रक्रिया तथा व्यवहार सम्बन्धी पुस्तिका में इस प्रकारण से सुसंगत निम्न आशय का उल्लेख दृष्टव्य है :—

"18 जुलाई, 1956 को एक सदस्य ने एक विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्य-कुशलता के कथित अभाव, वित्तीय गड़बड़ी तथा छात्रों की भर्ती में अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा उठाने की सूचना दी, क्योंकि सदस्य ने ऐसे विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी, जिनका उसे स्वयं पता था और न कोई ऐसे प्रमाण दिये, जिनसे इन आरोपों की पुष्टि होती थी। इसलिए उस सूचना को अस्वीकार कर दिया गया।"

इस प्रस्ताव में माननीय सदस्य का केवल यह उल्लेख है कि थर्ड डिविजनर्स और सप्लीमैंट्री वालों को चयनित किया गया और फर्स्ट डिविजनर्स को इन्टरव्यू के लिए नहीं बुलाया, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई नाम का भी उल्लेख नहीं किया है। यदि माननीय सदस्य नाम का उल्लेख करते तो इसकी समुचित जांच करके प्रथम दृष्ट्या केस बन सकता है या नहीं इसकी जांच हो जाती।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर माननीय श्री महिपाल यादव व तीन अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को मैं अस्वीकार करता हूं।

माननीय श्री रामनारायण वर्मा

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक मेरा ख्याल है

(श्री रामनारायण वर्मा)

इतनी लम्बी अवधि के डेढ़ साल के धरने किसी दूसरी सरकार के टेन्योर में नहीं लगे। वहां पर लिपिक पास किये हुए बैठे हैं और 243 दिन से आपके स्वास्थ निरीक्षक बैठे हुए हैं। मैं यह बात इसलिए यहां निवेदन कर रहा हूं कि माननीय स्वास्थ मंत्रीजी इस बात को कहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कहेंगे, मैं फाईनेंस डिपार्टमैण्ट फाइल भेज देता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी में कोई सामंजस्य नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहकर फाइनेंस डिपार्टमैण्ट से क्लीयर करवा सकते हैं। कृपया आप दोनों मिलकरके कम से कम सामजस्य तो बैठाइये। स्वास्थ्य निरीक्षकों को आप शिक्षा विभाग में देना चाहते हैं, दीजिये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम आप स्पष्ट बात कह दीजिये। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, बिराजिये। मैंने यह अनुमति इसलिए दी है कि आप तथ्यपूर्ण बात करें। आप ऐसी जनरल बात कर रहे हैं कि जैसे कोई सरकार आपके सामने खड़ी होकर सारी बात आज ही उगल देगी। एक आध कोई ऐसी घटना हो, कोई बात हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिये। आपतो भाषण देकर यह सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार सारी परिस्थिति आपके सामने अभी रख दे, ऐसा होना नहीं चाहिये। आप क्या पूछ रहे हैं?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मैं बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण मामल के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात तो पूछो, गम्भीर और महत्वपूर्ण बात है तो।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने पूर्व में भी इसका स्थगन प्रस्ताव लगा रखा है कि यह जो स्वास्थ्य निरीक्षकों वाला मामला है इसमें 249 दिन हो गये उनकी हड़ताल को। आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सरकार कब तक इन लोगों को रोजगार देने जा रही है? पूर्व में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रस पिलाकर उनका धरना तुड़वाया था। अब दुबारा फिर 249 दिन हो गये। वे ओवर एज होने जा रहे हैं। सरकार इस मामले को गम्भीरता से ले रही है या नहीं ले रही है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : कब तक इनको रोजगार दे रही है? इतना गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

श्री रामस्वरूप मीणा : 249 दिन जिसमें हो जायं और सरकार उस बारे में मौन बैठी रहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस बारे में स्पष्ट घोषणा करे कि कब तक उनको रोजगार उपलब्ध करा रही है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको मौका दिया इसका मतलब यह नहीं कि आप बोलते ही जाओ। बैठ जाइये, जब मैंने आपको निवेदन कर दिया, जब मैं बार-बार कह रहा हूं। आपको मौका दे दिया, आप बैठ जाइये। मैंने नाम पुकार लिया डा. चन्द्रभान का। कुछ तो ध्यान रखिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक, श्री अनिल खन्ना के आचरण के सम्बन्ध मैंने एक स्थगन प्रस्ताव 15 दिन पहले दिया था। जिस दिन पुलिस के ऊपर चर्चा की अनुमति दी, उस दिन भी मैंने निवेदन किया था कि मेरे स्थगन प्रस्ताव का जवाब नहीं आया है। आपने कहा कि सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं आज देख लेता हूं उसको। श्री हेतराम बेनीवाल। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर श्री भंवरलाल।

श्री हेतराम बेनीवाल, आप बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये 23 तारीख को एक नोटिस दिया था। आपने उस प्रस्ताव को अविलम्बनीय लोक महत्व का न मानकर, यह हमारी विधान सभा की परम्परा है जिसके तहत आपने उसको इस रूप में मानकर मुझे मौका दिया है। पर जिस मसले को मैंने उठाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख की रात, एक मोहन लाल नाम का कर्मचारी था। पी. एण्ड टी. विभाग का वह कर्मचारी था। कालोनी में रहता था, कोटा में दादा बाड़ी एरिया में। उस कालोनी में वह कर्मचारी और उसके परिवार के सात सदस्य रात को सोये हुए थे। रात के समय में उस पूरे क्वार्टर में जिसमें वह जलकर मर जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आठ व्यक्ति एक साथ जिन्दा जल गये। मुझे खुद को समझ में नहीं आता। बड़ी एक परेशानी की बात है।

श्री अध्यक्ष : उसकी जिम्मेदारी सरकार पर ?

श्री हेतराम बेनीवाल : किस तरह उन्होंने आग लगायी ? आत्म हत्या हुई या किसी ने आग लगायी ? या आग किसी दुर्घटनावश लग गयी ? यह कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। उसकी पुलिस ने कोई जांच की, उन आठों की लाश परिवारों को दी, कालोनी में आस-पास के किसी के बयान लिये। सिर्फ एक कुछ क्षणों के लिए जीवित रहा पप्पू नाम का बच्चा। 32 साल की उम्र मोहन लाल की थी। सरकारी नौकरी में लगा हुआ था, एम्प्लायड था। उसकी वाइफ 30 साल की थी। उसके छः बच्चे थे। एक बच्चा जो बड़ा है वह अस्पताल में ले जाने तक जीवित रहा है। उस बच्चे ने जो बयान दिये वह सिर्फ यह दिये कि उसके जो पापा थे उसने कोई दियासलाई जलाकर आग लगायी, यह उसने देखा। उसके बाद दम तोड़ गया। मार्च का महीना है, 22 मार्च। लोग घरों में सोते हैं इस तरह बन्द करके नहीं सोते कि आवाज भी बाहर न जाय। जब उसने आग लगायी तो उसके बच्चे, उसकी पत्नी की आवाज, चीख-पुकार सुनायी दी ? कोई मोहल्ले में आवाज नहीं हुई। कोई उन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं, उन्होंने खोला नहीं। यह समझ में आने वाली बात नहीं है। इस तरह की घटना हुई है। अगर जीवन से तंग आकर इस तरह से पूरा का पूरा का पूरा परिवार खत्म हुआ है तो भी हमारी जो कल्याणकारी सरकार है, हम जिस तरह संवेदनशीलता की दुहाई देते हैं, हमको इस बात की जांच करनी चाहिए कि वह परिवार किस रूप में किस दुःख के कारण जला।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

अगर असावधानी से जला तो भी निश्चित बड़ी गम्भीर बात है कि पूरा परिवार किस तरह भस्म हो गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में राज्य सरकार ने मौन साध लिया है, बहुत ही चिन्ता की बात है कि आठ लोग जलने के बाद, पूरा परिवार जलने के बाद भी राज्य सरकार ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा । यह घटना क्यों हुई ? किस तरह से हुई ? मैं हाउस में इस चीज को रखना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं का कारण क्या है, रखा जाना चाहिए । यह घटना राजस्थान में कोई रोज होने वाली नहीं है । मैंने तो आज तक अखबारों में इस तरह नहीं सुना कि पूरा परिवार ही जल जाय । पति-पत्नी लड़ सकते हैं, परिवार भी मर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप गये नहीं कोटा ? कोटा पधारे थे क्या आप ?

श्री हेतराम बेनीवाल : कोटा से जो हमारे साथी आये ।

श्री अध्यक्ष : आप तो नहीं गये ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं तो नहीं गया । मैंने जब अखबारों में पढ़ा और कोटा से जो हमारे साथी आये उन्होंने यह सूचना दी है, कि इस घटना की इस मोहल्ले के लोग चर्चा करते हैं, इसके कारण का पता लगा सके, चुपचाप इसको दफना दिया । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी जरूर इस मामले में कुछ कहेंगे ।

गृह मंत्री जी, कुछ तो बताओ । गृह मंत्रीजी कहना चाहते हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह जो घटना हुई वह दुखद घटना थी । प्रश्न दो हैं जो आपने उठाये । आया उन्होंने आत्महत्या की, परिवार को स्वयं समाप्त करने की कोशिश की या किसी ने उस परिवार को जलाया ।

श्री हेतराम बेनीवाल : या एक्सीडैण्ट हो गया ।

श्री दिग्विजयसिंह : पुलिस ने तुरन्त इसके ऊपर केस रजिस्टर कर लिया । आस-पास के बयान भी लिये हैं । इसका सारा इन्वैस्टीगेशन जारी है । पर प्रथम दृष्ट्या जो बात सामने आयी वह यही आयी थी उन्होंने आत्म हत्या करने का प्रयास किया था, उस कारण से यह मृत्यु हुई है । निश्चित रूप से सारा का सारा परिवार इस काण्ड के अन्दर समाप्त हो गया, यह दुखद बात हुई है । पर यह मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि पुलिस ने तत्परता से केस रजिस्टर किया है और अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं, इन्वैस्टीगेशन चल रहा है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह समझ में नहीं आया । आत्म हत्या एक आदमी कर सकता है ....

श्री अध्यक्ष : अब, हेतराम जी, आप समझते हैं कि यह डिबेट का विषय तो नहीं है । आपने उल्लेख किया मैंने आपको बोलने का मौका दिया । उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी । यह डिबेट का मौका नहीं है । पहले जांच पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जब कभी सवाल उठेगा ...

श्री हेतराम बेनीवाल : उन्होंने कमैण्ट जो किया ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट बता दी कि कहां तक पहुंचे हैं ।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया है । उपाध्यक्ष जी को दिया था । आप पधारे नहीं थे ।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं ? बोलिये ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर शिक्षा नीति लागू है, जिसमें तृतीय भाषा के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं । संस्कृत, उर्दू और सिन्धी वगैरह विषयों के लिए विशेष व्यवस्था है कि किसी भी एक कक्षा के अन्दर 10 छात्र हों और शाला में 40 छात्र हों तो उस विषय को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाएगी । यह राजस्थान सरकार की नीति है ।

श्री अध्यक्ष : एक बात ध्यान में रखिये कि आइंदा इस तरह के छपे हुए पैड पर लिखकर नहीं भेजें ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : सॉरी । ध्यान नहीं दिया ।

मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 30 साल से यह नीति बनी हुई है लेकिन उस पर अमल इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने 1988 में एक सर्कुलर निकाल दिया कि जिला शिक्षा अधिकारी इस पर अमल करेगा, उचित कार्यवाही करेगा । जब जिला शिक्षा अधिकारी को हम मिलते हैं तो वे यह कहते हैं कि पद सृजित करने की कार्यवाही निदेशालय करेगा । जब उस शाला में पद सृजित नहीं होगा तो वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी ? यह जो नीति है इसको लागू नहीं किया जाता, इसका कारण बताया जाय ।

दूसरा यह कि पूरे 12 महीने तक प्रक्रिया चलती है । बच्चा एप्लीकेशन भेजता रहता है कि मैं फलां विषय पढ़ना चाहता हूं । लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होती । छिमाही परीक्षा तक हो जाती है और उस विषय को मजबूरन बच्चे को पढ़ना पड़ता है । जब सरकार की नीति है कि दूसरी सभी भाषाओं का विकास किया जाय तो उस पर अमल करने के लिए कोई पालिसी बनायी जाय, जिला शिक्षाधिकारी या तो स्वयं पद सृजित कर दें या जुलाई-अगस्त तक सारी सूचनाएं लेकर पूरी प्रक्रिया लागू करके पद सृजित कर दिए जायं ताकि सभी भाषाओं का विकास हो । यही बात मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल धाकड़ ।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन स्थलों का विकास

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पर्यटन विकास मंत्रीजी का बेगूं विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के विकास की ओर प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बेगूं विधान सभा क्षेत्र में बाड़ोलिया

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

मैनाल पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्व-पूर्ण स्थल है। शिल्प कला की दृष्टि से दोनों स्थलों पर प्राचीन काल की शिल्प कला बड़ी अद्वितीय है।

बाड़ोलिया—रावतभाटा के नजदीक है जहां प्राचीन शिव मन्दिर, पानी के कुंड, वट वृक्षों की छाया आदि पर्यटक के मन को बरबस ही आकर्षित करते हैं।

मैनाल—बेगूं के समीप है जो चित्तौड़-गढ़ और भीलवाड़ा जिलों की सीमा पर। यहां की शिवजी के प्राचीन मन्दिर परकोटे प्राचीन नगर, अन्य देवी-देवताओं के मन्दिर जो शिल्प कला से परिपूर्ण है, शिल्प कला देखते ही बनती है। किसी जमाने में यहां हाड़ा राणाओं की राजधानी रही है।

इन कलाओं के प्राचीन मन्दिरों के अलावा यहां प्राकृतिक छटा भी अतिरमणीय है। प्राकृतिक झरना यहां का मुख्य आक-र्षण केन्द्र है। यहां पर्यटक मन्दिर से उत्तर कर नीचे झरना गिरने के स्थल तक जाने में बड़े ही आनन्द का अनुभव करते हैं। पुराने जमाने की सीढ़िया बनी हुई हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। थोड़ा नीचे उतरने-पर एक बहुत लम्बी नाल दिखाई देती है। कहते हैं कि जमीन के अन्दर-अन्दर कई मीलों तक यह जाती है। इसी बड़ी लम्बी नाल की वजह से इस स्थान का नाम महानाल (बड़ी नाल) पड़ा जो आगे चलकर मैनाल में अपभ्रंश हो गया।

मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि इन स्थानों का विकास होना चाहिए। मैनाल नदी पद बन्धा बनाकर, पानी को रोक कर झरना बारह महीनों बई जैसा रमणीय स्थल बनाया जा सकता है और भी कई योजनाएं बनाकर इस रमणीय स्थलों का विकास किया जावे जिससे पर्यटक अधिक से अधिक आकर्षित हो सकें। धन्य-वाद।

श्री अध्यक्ष : मदनलाल सैनी।

महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर के पद पर नियुक्ति

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान संस्कृत शिक्षण विभाग, जयपुर के अन्तर्गत महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर के प्राचार्य पद को अमान्य एवं फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर पद को प्राप्त करने वाले श्री राधाकृष्ण शास्त्री की डिग्रियों की सी. आई. डी. से जांच करवा कर दडित करने के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री (संस्कृत विभाग) का ध्यान राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर श्री राधाकृष्ण शास्त्री सन् 1964 में द्वितीय श्रेणी के अध्यापक थे, सन् 1972 में इन्होंने 24 व्यक्तियों से कनिष्ठ होते हुए भी व्याख्याता साहित्य का पद महाराजा संस्कृत कालेज में प्राप्त कर लिया. किन्तु जिस व्यक्ति का अधिकार मारा गया था उसने तत्कालीन शिक्षा सचिव को प्रति-वेदन देकर इन्हें पदावनत करा दिया। सन् 1974 में इन्होंने धर्मशास्त्र विषय में कामेश्वर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अनु-त्तीर्ण होते हुए भी जाली अंक तालिका के

(श्री मदनलाल सैनी)

द्वारा अपने आपको उत्तीर्ण बताकर सन् 1974 में व्याख्यता धर्मशास्त्र का पद महाराजा

(12.35 म. प)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

संस्कृत कालेज में प्राप्त कर लिया। इस पद पर इनकी नियुक्ति 15-7-1974 में हुई, जबकि इन्होंने इस विषय की न तो उपाधि ही प्रस्तुत की थी और न ही अंक तालिका ही। श्री शास्त्री ने 29-10-1974 को प्रथम अंक तालिका प्रस्तुत की जिसका योग 228 था और इसमें द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण दर्शाए गए थे। इस अंक तालिका में इनका रोल नम्बर 472 था और यह अंक तालिका 24-8-1975 को जारी की गई थी। तदनन्तर श्री शास्त्री ने 27-12-1975 को दूसरी अंक तालिका प्रस्तुत की जिसमें कुल योग 203 था और इसमें भी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण दर्शाए गए थे।

मान्यवर, शिकायतकर्ताओं ने जब दरभंगा से असली डुप्लीकेट अंक तालिका प्राप्त की जिसका रोल नम्बर 472 है और कुल योग 112 है जिसमें अनुत्तीर्ण दर्शाए गए हैं। इन अंक तालिकाओं में मुख्य बात यह है कि तृतीय अंकतालिका जो असली है उनका प्रतिबिम्ब उनके द्वारा प्रस्तुत नकली द्वितीय तालिका में स्पष्ट परिलक्षित होता है जिसमें कि ये उत्तीर्ण दिखाए गए हैं। श्री शास्त्री ने अंक तालिका में हेरा-फेरी की। द्वितीय अंक तालिका में प्रथम-पत्र में जो 53 अंक दिखाए गये हैं वे तृतीय असली अंक तालिका के प्राचीनाचार्य परीक्षा के के प्रथम खण्ड का योग है। द्वितीय अंक तालिका के द्वितीय पत्र में 40+19=59 योग दिखाया गया है जो असली तृतीय अंक तालिका के द्वितीय खण्ड प्राचीनाचार्य परीक्षा के प्रथम-पत्र जिसमें 40 अंक हैं और द्वितीय पत्र जिसमें 19 अंक हैं, दोनों का योग करके नकली द्वितीय अंक तालिका के द्वितीय पत्र में 59 योग करके रख दिया गया है। इस प्रकार द्वितीय खण्ड का नकली अंक तालिका का योग 112 है, जो कि तृतीय अंक तालिका के दोनों खण्डों का योग है। इस प्रकार द्वितीय अंक तालिका में 112 द्वितीय खण्ड का योग है और प्रथम खण्ड का योग 91 है तथा दोनों खण्डों का योग 203 अंक दिखाकर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण दर्शाया गया है जो वास्तविक तथ्यों से परे हैं। जबकि तृतीय अंक तालिका में असली तथ्य यह है कि दोनों खण्डों का योग 112 है और इसमें ये अनुत्तीर्ण हैं।

मान्यवर, इस बात की पुष्टि शिक्षा सचिव, राजस्थान द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2021 दिनांक 25-2-1992 को कुलसचिव, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को लिखे गए पत्र का उत्तर पत्र क्रमांक 1219/92 दिनांक 29-2-1992 को शिक्षा सचिव, राजस्थान के नाम प्राप्त हो गया है और उसमें कुल सचिव ने लिखा है कि श्री राधाकृष्ण शर्मा हमारे यहां प्राचीनाचार्य परीक्षा में 1971 में सम्मिलित हुए हैं जिनका रोल नम्बर 472 है। इनके द्वारा प्राप्त कुल अकों का योग 112 है और ये अनुत्तीर्ण हैं। यदि इन्होंने इसके अतिरिक्त अन्य अंक तालिकाए प्रस्तुत की हैं तो वे अमान्य हैं।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त श्री राधाकृष्ण शर्मा ने प्राचीनाचार्य की उपाधि प्रस्तुत की उसमें कुलपति के हस्ताक्षर न होकर कुल

(श्री मदनलाल सैनी)

सचिव के हस्ताक्षर हैं, जो अमान्य हैं । इसकी पुष्टि में 1968 में अन्य व्यक्ति द्वारा उपाधि संलग्न है जिस पर उक्त कुलपति के हस्ताक्षर हैं ।

आश्चर्य इस बात का है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने आज दिन तक कामेश्वर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बिहार की प्राचीनाचार्य उपाधि को मान्यता नहीं दी है जिसकी पुष्टि में राजस्थान विश्वविद्यालय का पत्र दिनांक 16-11-1991 को जारी किया गया । जिसका क्रमश: एफ. 4/91 एकेडेमिक द्वितीय/22691 है । तद्नन्तर कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय ने निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक एफ 1-72/77-78 शैक्ष. 02/25472 दिनांक 16-1-1992 द्वारा यथाशीघ्र कार्य कर सूचित करने के लिए लिखा है ।

मान्यवर, मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि फर्जी डिग्री एवं मार्कशीट के आधार पर तीन-तीन पदोन्नतियां प्राप्त करने वाले प्रोफेसर धर्मशास्त्र एवं वर्तमान में अस्थायी प्राचार्य, राजकीय महाराजा आचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर के फर्जी प्रकरण को सम्बन्धित उच्चाधिकारी निरन्तर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर बचाने में लगे हैं । यदि इस पर कार्यवाही न हुई तो ऐसा फर्जी धन्धा करने वाले तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे होनहार प्रतिभावान छात्रों को न केवल भयंकर निराशा होगी, अपितु उनके साथ घोर अन्याय भी होगा ।

अत: माननीय मंत्री महोदय श्री राधा कृष्ण शास्त्री को तुरन्त निलम्बित कर सी. बी. आई. से तथ्यों की सही जांच करवा कर दंडित कराने का श्रम करें । धन्यवाद । शायद माननीय शिक्षामंत्री जी कुछ कहना चाहें ?

श्री उपाध्यक्ष : कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी । आप बिराजिए ।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : मैं इस सारे प्रकरण को दिखाऊंगा और 7 दिन में निदेशक, संस्कृत विभाग से जांच करवा कर मंगवा लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमृतलाल परमार ।.. (व्यवधान) बाली से दांतीवाड़ा ग्राम के बीच नव-निर्मित डामर की सड़क पर नालों पर रपट न होने से यात्रियों को हो रही परेशानी । श्री अमृतलाल परमार ।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : बाली में दांतीवाड़ा रमणीय स्थान के बीच के अन्तर्गत जो नाले आ रहे हैं, नदियां आ रही हैं और उसके कारण हर साल एक न एक मौत होती है । इसके बारे में नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाली से दांतीवाड़ा ग्राम के बीच वर्तमान सरकार ने डामर की सड़क का निर्माण कर इस क्षेत्र की जनता की चालीस वर्षों से की जा रही मांग की पूर्ति की है ।

इस सड़क के माध्यम से गांव केरापुरा, चामुडेरी, कागडी, दांतीवाड़ा तीर्थ स्थान

(श्री अमृतलाल परमार)

तथा अन्य आसपास के गांवों के लिए आवागमन होता है। इस सड़क को बनाकर वर्तमान सरकार ने अच्छी सुविधा जनता को उपलब्ध कराई है किन्तु इस सड़क पर तीन चार जगह पर नालों के कारण तथा उन नालों पर रपट न बनाने से वर्षा के दिनों में यह रास्ता बन्द हो जाता है। हर साल इस रास्ते पर एक दो आदमी डूबकर मर जाते हैं। पानी रुकने के कारण खड्डे पड़ जाते हैं और उसके बावजूद भी ऐसे छकड़े हैं बीमार आदमी की वहां पर इनके कारण मौत हो जाती है। इन हादसों को रोकने एवं राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण में व्यय की राशि का सदुपयोग तभी हो सकता है जब इस रास्ते के नालों पर रपट का निर्माण कराया जाकर सुविधा प्रदान की जाए।

इस रास्ते में प्रथम कोट बांध का नाला आता है जिस पर 50 से 70 फीट की रपट का निर्माण आवश्यक है। द्वितीय एक नाला जिसको ऊंचा लेना है जो करीब 200 फीट का रास्ता ऊपर लेना होगा पूर्व विधायक द्वारा अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण यह कार्य रुकवा दिया था।

इसके अलावा 25-25 फीट के दो छोटे-छोटे नाले हैं जिन पर रपट कार्य अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त नालों का निर्माण कार्य तुरन्त कराने हेतु मैं माननीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, आशा है राज्य सरकार क्षेत्रीय जनता की मांग को देखते हुए उसकी स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराए जायेंगे।

मैं पुरजोर मांग करता हूं। मंत्रीजी चाहे तो वहां आकर मौका और उस स्थान को देख सकते हैं। बड़ा रमणीय स्थान है और उक्त नालों पर यह रास्ता निकलता है। वहां पर नाले बनाए जायें, रपटें बनाई जाएं। यही मेरी आपसे मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रखब चन्द मीणा।

गोमतेश्वर से सालमगढ़ रोड को पूर्ण करने बाबत

श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़) : नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान उपरोक्त गोमतेश्वर से सालमगढ़ रोड को पूर्ण कराने बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस रोड की कुल लम्बाई 28 किलोमीटर है जिसमें से 5 किलोमीटर पक्की डामर बनी हुई है शेष 23 किलोमीटर कच्ची है। इस रोड से ग्राम पचायतें अरनोद, अचलावदा, लालगढ़, नौगांवा, सागथली खुर्द, फतेहगढ़, अचनेरा, सेवना, सालमगढ़, रायपुर गांव जुड़ते हैं। क्षेत्र आदिवासी है इस रोड पर सालों से प्राइवेट बसें चलती हैं, किन्तु सड़क के अभाव में बरसात में रुक जाती हैं जिससे ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानी होती है तथा उक्त पंचायतें अलग थलग पड़ जाती हैं।

इस क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान गोतमेश्वर भी इसी सड़क मार्ग से जुड़ता है जहां अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी को श्रद्धालुजन हजारों की तादाद में दर्शनार्थ आते हैं।

अतः मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस अधूरे रोड को शीघ्र

(श्री रखब चन्द मीणा)

पूर्ण करया जावे जिससे इस क्षेत्र की आदिवासी जनता को आने जाने में सुविधा उपलब्ध हो सके । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनीराम सियाग ।

उपनिवेशन तहसील कोलयत की पैमाइश

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत उपनिवेशन तहसील कोलायत न. 1 के चक एक बी. डी. व चक दो बी. डी के मास्टर ब्लाक पत्थर नम्बर 189/1 से पैमाइश करवाकर ब्लाक पत्थर 190/1 का सही स्थान पर लगवाने बाबत निवेदन करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले की उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर एक के चक एक बी. डी. व चक-2 बी.डी. के ब्लाक पत्थर नम्बर 190/1 मौके पर न होने की वजह से काश्तकारों में विवाद उत्पन्न हो गया है जिसके कारण कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है ।

राजस्थान सरकार ने दि. 23-2-1991 को क्रमांक एफ./3/73/राज/उप/90 द्वारा उपनिवेशन आयुक्त, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर को आदेश दिया था कि पैमाइश करके समस्या का समाधान करवाए और ब्लाक पत्थर 190/1 को सही स्थान पर लगाया जावे मगर आज तक उस आदेश की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है और उल्टा उपनिवेशन विभाग पूंजीपति व असरदार व्यक्तियों के इशारों से 64 मुरब्बों के चक की 56 मुरब्बे ही चक में बतलाकर काश्तकारों को परेशान कर रहा है ।

इसलिए सिंचित क्षेत्र विकास विभाग ने पक्के खालों का निर्माण किया वह उपनिवेशन विभाग की जी टी. सीट के आधार पर ही किया गया है उस वक्त प्रत्येक ब्लाक में 64 मुरब्बे स्वीकार किए हैं इसलिए समस्या का सही निदान हेतु सिंचित क्षेत्र विकास के चक प्लान को ही आधार माना जाना उचित है ।

हल्का पटवारी ने सन् 1981 में पाक विस्थापितों, सन् 1983-84 में स्थानीय लोगों को तथा 1984-85 में लूणकरणसर तहसील के चयनित अलाटी काश्तकारों का जहां कब्जा दिया था आज तक उक्त अलाटीज बदस्तूर काबिज हैं ।

अतः तत्कालीन ए. सी. सी. और उपनिवेशन विभाग कोलायत ने प्रभावशाली लोगों के प्रभाव से जानबूझकर पत्थरों को इधर-उधर हिलाकर विवाद पैदा किया है जिससे काश्तकारों की परेशानी बढ़ गई है, पुराने कब्जेधारियों को भी उनकी जमीन न होना बतलाकर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, रिसीवर नियुक्त किए जा रहे हैं तथा कच्ची फसलों व लेबल की हुई भूमि की बरबादी की जा रही है । अतः उपनिवेशन मंत्री महोदय, तुरन्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए काश्तकारों के दर्द को समझकर उत्पन्न हुए विवाद के निपटारे तक आवंटन से आज तक काबिज काश्तकारों को बेदखली से रोके, जल्द से जल्द पैमाइश कराकर इलाके के गौतविरानों को साथ लेकर कार्यवाही की जाए ताकि भोले भाले किसान ब्यूरोक्रेसी की मार से बच सके । आशा है

(श्री मनीराम सियाग)

सरकार समय रहते किसान हित को ध्यान में रखकर अपने द्वारा किए गए वायदों पर गौर फरमावेगी । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह ।

सुमेरपुर में बस स्टैण्ड निर्माण बाबत

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत यातायात मंत्री का ध्यान सुमेरपुर नगर में बस स्टैण्ड निर्माण किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

सुमेरपुर सामरिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है । पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जल स्त्रोत जवाई बांध इसके पड़ौस में स्थित है । नगर की कृषि उपज मण्डी समिति राजस्थान की अग्रणीय मण्डियों में अपना स्थान रखती है । सिरोही, पाली और जालौर तीन जिलों का केन्द्रीय बिन्दु होने से दैनिक आवागमन बहुतायत में होता है ।

किन्तु यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आजादी के चालीस वर्षों के बाद भी बस स्टैण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है । दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मार्ग पर चलने वाली बसें तथा बाड़मेर, नाकोड़ा, जालौर, जवाई बांध, उदयपुर जाने वाली बसें चाहे साधारण हो या द्रुतगामी प्रत्येक बसें यहां रुकती हैं । अहमदाबाद, दिल्ली जयपुर वाली बसें तथा बालोतरा, जालौर मार्ग वाली बसें तथा सिरोही पाली, फालना, रानी, जालौर के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली निजी बसों का इन तीनों के बस स्टैण्ड नगर में अलग-अलग तीन स्थानों पर है । बसें अलग-अलग स्थानों पर रुकने व एक ही स्थान पर बस स्टैण्ड नहीं होने से यात्रियों को अपने गन्तव्यों के लिए इधर से उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है ।

इस दृष्टि से नगर में स्थित खसरा नं. 176 तथा 177 की जमीन में से बस स्टैण्ड निर्माण करने के लिए 8 बीघा जमीन निःशुल्क नगरपालिका को दी गई थी । नगरपालिका की 25-4 87 की बैठक में 8 बीघा जमीन के बदले जमीन को अवाप्ति कार्यवाही से मुक्त किए जाने का प्रस्ताव लिया गया ।

जिस पर कलेक्टर ने पत्र 1508 दिनांक 28-7-1988 को निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को उक्त भूमि को अवाप्ति कार्यवाही से मुक्त करने तथा नगरपालिका को 8 बीघा जमीन पर बस स्टैण्ड निर्माण की प्रोविजनल स्वीकृति जारी की जा चुकी थी ।

किन्तु सिटी मोनेटरिंग कमेटी में बस स्टैण्ड की स्वीकृति इस स्थान पर नहीं दी जाकर नगर में स्थिति पहाड़ी के पीछे बाइपास रोड पर बनाये जाने का प्रस्ताव लिया गया है । जो कि जनता की सुविधा और सामरिक दृष्टि से उचित नहीं है जनता की मांग है कि बस स्टैण्ड का निर्माण उक्त आठ बीघा जमीन पर ही किया जावे जो कि नगर पालिका को निःशुल्क प्राप्त हुई है । सी. एम. सी. कमेटी के चेयरमेन जो जिला कलेक्टर पाली हैं ने दोनों स्थानों का अवलोकन करने के बाद आज तक बस स्टैण्ड बनाने के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया है ।

जिला कलेक्टर से इस सम्बन्ध में वार्ता भी की गई है, किन्तु ऐसा लगता है कि

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

उनकी अपनी मंशा इस स्थान पर बस स्टैण्ड नहीं बनाये जाकर अन्यत्र बनाये जाने की है जबकि पूर्व में जिला कलेक्टर द्वारा उस ही स्थान पर बस स्टैण्ड बनाये जाने की प्रोविजनल स्वीकृति दी जा चुकी है।

चूंकि जनता की मांग है कि बस स्टैण्ड उसी स्थान पर निर्मित है। जहां कि भूमि-धारी ने निःशुल्क भूमि नगर पालिका को दी है और सुविधा, सुरक्षा एवं आवागमन की दृष्टि से यही उचित है कि बस स्टैण्ड इसी भूमि पर बनाया जावे। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा इस सन्दर्भ में डिप्टी टाउन प्लानर, जोधपुर से फोन पर स्पष्ट निर्देश दिया जहां जनता की मांग और जन-प्रतिनिधि की राय हो, उसी स्थान पर बस स्टैण्ड निर्माण किया जाए। अतः मैं निवेदन और मांग करता हूं कि उपरोक्त उचित जगह पर बस स्टैण्ड का निर्माण किये जानेकी अविलम्ब स्वीकृति जारी करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

वर्तमान शिक्षा और बेरोजगारी

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 295 के तहत वर्तमान शिक्षा व बेरोजगारी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से देश आजाद हुआ है, तब से केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से शिक्षा के सुधार के बारे में अनेक वक्तव्य दिये गये लेकिन 44 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी वर्तमान पीढ़ी के युवा अंधेरे में भटक रहे हैं तथा राज्य में लाखों बेरोजगार रोजगार की तलाश में अपने परिवार और राज्य पर बोझ बने हुये हैं। यह बात सर्वविदित है लेकिन यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई तथा उसका क्या निदान हो सकता है गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया है?

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान पीढ़ी के बेरोजगार घूमने के लिये दोषी हमारी शिक्षा नीति है, मेकाले की शिक्षा नीति ही आज भी परोक्ष रूप से विद्यमान है। जो सरकार के लिये नौकर उत्पन्न करती है, वह स्वरोजगारोन्मुखी नहीं है। क्योंकि देश की आजादी के बाद आज तक जो भी शिक्षा नीति तय की गई है, वह एयर कण्डीशन कार्यालय में बैठकर विदेशी नकल मात्र है। इस कारण हमारे जितने भी मेधावी छात्र शिक्षा के बाद या तो बिदेश चले जाते हैं या पंगू बन कर सरकारी नौकरियों के लिये भटकते रहते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश की मिट्टी में बैठकर दूर दराज के ग्रामों से लेकर शहरी वातावरण का अध्ययन शिक्षा शास्त्रियों से कराया जाए और शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन किया जावे।

जिससे भविष्य में भारी बेरोजगारों की सख्या बढ़ी हुई है। वह और खड़ी नहीं हो साथ ही ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन भी न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा निवेदन है कि शिक्षा मंत्रीजी बिराज रहे हैं। जब तक हम शिक्षा को रोजगार के माध्यम से नहीं जोड़ेंगे तब तक राजस्थान का भला नहीं हो सकता है। इसको आप बहुत गम्भीरता से लें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका सवाल ही बड़ा गम्भीर है। शिक्षा मंत्रीजी कौन से एक दम से बेरोजगारी और शिक्षा नीति का समाधान कर देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह बहुत गम्भीर मामला है। राजस्थान की ही नहीं पूरे देश की हालत खराब हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह गहन विषय है। बिराजिए। श्री शिव किशोर सनाढ्य।

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया तथा नियम संख्या 295 के अन्तर्गत उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दुग्ध विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबन्ध संचालक, श्री डी. एम. बहल जब से इस संस्था में आये हैं तब से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। श्री बहल पर पूर्व में भी भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लग चुके हैं तथा वे इस हेतु निलम्बित भी हो चुके हैं। अब भी श्री बहल के ऊपर धारा 74 के कई मुकदमें चल रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व राजस्थान पत्रिका में धारा 74 की पेशी में इनके न पहुंचने की जो सूचना छपी है वह इनकी कुटिल कारगुजारियों को उजागर करती है।

(1) उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मण्डल की 23-10-91 की बैठक में श्री बहल ने अवशीतन संयंत्र की विस्तृत मरम्मत कर सम्भावित व्यय 2,97,500 रुपये बताया था। संचालक मण्डल ने अवशीतन संयंत्र को नियम के अनुसार मरम्मत करा लेने की अनुमति दी थी, किन्तु नियमों की स्पष्ट अवहेलना करते हुये श्री बहल ने बिना कोई टेण्डर निकाले अपनी चहेती फर्म से इस कार्य को पूरा करा लिया और इस प्रकार दुग्ध संघ को आर्थिक हानि पहुंचायी। संचालक मण्डल की अगली बैठक में मण्डल को गुमराह कर पिछली बैठक में चाही गई सारी प्रक्रियाओं का, जिनका वास्तव में उन्होंने पालन किया ही नहीं था, बिना दिखाये और इस प्रकार अनियमित ढंग से किये गये व्यय को भी पास करा लिया।

(2) नगर की दुग्ध पूर्ति के परिवहन के लिये प्रस्तुत टेण्डरों में सबसे नीचे श्री पाण्ड्या का टेण्डर था, किन्तु श्री बहल ने नियमों की अवहेलना करते हुए परिवहन का ठेका अपने चहेते लेकसिटी ट्रांसपोर्ट वालों को दिया जिससे संघ को निरन्तर लगभग तीन लाख रुपये वार्षिक की हानि हो रही है और श्री बहल का निहित स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। यहीं तक नहीं श्री बहल के द्वारा नियम विरूद्ध ढंग से ठेका प्राप्तकर्ता सरदार भूपेन्द्रसिंह (लेकसिटी ट्रांसपोर्ट के मालिक) द्वारा जो वाहन परिवहन के लिये काम में लाये जा रहे हैं वे भी संघ के परिवहन शर्तों के अनुरूप नहीं है। यह बात सरदार भूपेन्द्र सिंह के सबसे पहले बिल के पीछे सहायक प्रबन्धक (मार्केटिंग) द्वारा लिख दी गई थी, परन्तु श्री बहल ने उक्त टिप्पणियों की नजर अन्दाज कर नगर दुग्ध आपूर्ति परिवहन के ठेकेदार को अपने निहित स्वार्थों के खातिर पेनेल्टी नहीं लगा कर संघ को हानि पहुंचायी जा रही है।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(3) श्री बहल को उदयपुर आये अभी दो वर्ष से थोड़ा अधिक समय हुआ है। जब यह अधिकारी यहां पर आये थे तब इनके पास स्कूटर भी नहीं था, यहां इस थोड़े से समय में ही इन्होंने एक फियेट कार, 6-12-91 को तथा नया वी. सी. आर. खरीदा है क्या साधारण वेतन से यह सब खरीदा जा सकता है ? शंका यह है कि कहीं भ्रष्ट तरीकों से अर्जित धन से तो यह सब कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए इसकी अविलम्ब जांच करवायी जानी चाहिए।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रबन्ध संचालक होने के कारण अगस्त, 1990 राजस्थान कापरेटिव डेयरी फैडरेशन से श्री बहल को यह भी सूचना मिल गई थी कि घी के मूल्य में 4.00 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो रही है फिर भी इस अधिकारी ने 30 अगस्त, 1990 को खुशीराम एण्ड सन्स उदयपुर को 6000 किलो घी पुरानी रेट पर दे दिया। नगर के दो होल सेल एजेन्ट हैं, उन्हें घी न देकर खुशीराम एण्ड सन्स को जो एजेन्ट नहीं थे, घी देकर दुग्ध संघ को 24 000 रुपये का स्पष्ट नुकसान इस अधिकारी द्वारा पहुंचाया गया है।

प्रबन्ध संचालक (राजस्थान को-आप रेटिव डेयरी फैडरेशन) ने 17-5-90 को लिखित निर्देश दिया था कि दुग्ध संघ के पदाधिकारियों को कोई उपहार नहीं दिये जायं उसके पश्चात् भी श्री डी एम. बहल द्वारा 13 अटेचियां खरीद कर उपहार रूप में बांटी गई और इस प्रकार दुग्ध संघ को 7,300.00 रुपये की स्पष्ट हानि उन द्वारा पहुंचायी गई।

उदयपुर डेयरी में सन् 1980 से प्रबन्ध संचालक का पद है पर उस रहे किसी अधिकारी को नियमों के अतिरिक्त मकान का किराया नहीं मिला है, किन्तु राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन के तमाम नियमों की अवहेलना कर श्री बहल ने अपने मकान के लिये 1400/-रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त किराये के रूप में संचालक मण्डल को गुमराह कर स्वीकृत करा लिये। उक्त अधिकारी द्वारा 1400/-रुपये प्रति माह की दुग्ध संघ को निरन्तर हो रही हानि को अविलम्ब रोका जाना चाहिए।

मैसर्स पृथ्वीराज पौली एण्ड सन्स से प्लास्टिक दुग्ध पैकिंग करने के जो रोल मगवाये जा रहे हैं उनकी क्वालिटी, क्वालिटी कन्ट्रोल अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं करवायी जा रही है और फिल्म की क्वालिटी के बारे में दूध का पैकिंग करने वालों से बिना पूछे ही श्री बहल निरन्तर उसका भुगतान करवाते जा रहे हैं फिल्म रोल घटिया स्तर का होने के कारण दूध की पैकिंग में परेशानी होती है, थैलियां लीक होती हैं जिससे बूथ एजेन्टों और उपभोक्ताओं को परेशानी होती है।

आशा है कि उक्त भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ अविलम्ब जांच करवाने के आदेश प्रदान करने के साथ-साथ इनका उदयपुर से तुरन्त स्थानान्तरण कर जनता को राहत दिलवायेंगे।

(1 00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय हेतराम जी बेनीवाल।

भारत-पाक सीमा पर तारबन्दी

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के नियम 295 के तहत एक प्रस्ताव आपके समक्ष रखना चाहता हूं। श्रीगंगानगर जिले में भारत पाक सीमा पर तारबन्दी हो रही है। यह तारबन्दी बिल्कुल पाकिस्तान के बोर्डर की जीरो लाइन तक नहीं हो रही है। काफी ज्यादा भू-भाग इस तारबन्दी के बाद भी, भारत-पाक सीमा और हमारे क्षेत्र की सीमा के बीच के क्षेत्र में बच जाता है। यह तारबन्दी करते समय किसी को नोटिस नहीं दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों सरकारों का मसला है और मुख्यतः केन्द्रीय सरकार का है। निश्चित ही उसकी वजह से जो असर पड़ रहा है वह हमारे क्षेत्र की जनता पर पड़ रहा है। केन्द्रीय सरकार ने किसी प्रकार की भूमि अवाप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की। वास्तव में सरकार ने अपनी ओर से, केवल तार लगाने की योजना बनाई है और किसी प्रकार का भूमि पर ढांचा खड़ा नहीं किया। इस तारबन्दी करने पर जो भूमि पाकिस्तान की ओर रह जायेगी, उसके कारण काश्त करने के लिए उन्होंने एक-एक किलोमीटर दूर गलियारे छोड़ दिये और उन गलियारों में आने-जाने का जो रास्ता है, उसके बाद तारबन्दी बन्द कर दी। पाकिस्तान बोर्डर से अगर कुछ असामाजिक तत्व उन लोगों पर हमला कर दें या कोई शरारत भी कर दें तो ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बच जायं। यह भूमि कई स्थानों पर तो 500 फीट से भी ज्यादा है। इतनी कीमती भूमि है कि प्रत्येक बीघा की कीमत एक लाख रुपये से ऊपर है। एक मुरब्बे में, एक स्क्वायर में, कई जगहों पर तो 15 बीघा तक भूमि ऐसी तारबंदी में आ गई है। इस प्रकार तारबंदी के भीतर, इस क्षेत्र में रात में जाना मना है। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्षेत्र में अगर किसी की पानी की बारी या पानी लगने का टर्म रात में है तो वह अपनी फसल को पानी नहीं दे सकेगा और अगर बारी नहीं बदली तो उसकी फसल बरबाद हो जायेगी। काश्त वहां हो नहीं सकेगी। छोटा किसान जिसकी जमीन 10–15 बीघा है, वह बिल्कुल बरबाद ही हो जायेगा।

तारबंदी के पीछे पूरी भूमि को जब सरकार ने ऐसी हालत में ला दिया तो उसे फौरन ही अवाप्त कर मुआवजा देना चाहिये। उसमें रात को न तो जा सकते हैं, न उस भूमि में कोई फसल सुरक्षित है, और न ही उस क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में वहां फसल पैदा ही नहीं होगी। केन्द्र सरकार ने बिना मुआवजे दिये यह व्यवस्था कर दी। उसने एक-एक किलोमीटर पर गलियारे छोड़ कर अपने काम की इतिश्री समझ ली। राज्य सरकार को इस मामले में अपनी ओर से कदम उठाने चाहिये। इन सीमांत क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए या तो विशेष बारी दिलाने का प्रबन्ध सिंचाई विभाग को निर्देश देकर करवायें या आने जाने की सुविधा के साथ-साथ इन फसलों का आवश्यक तौर से बीमा करवाये जाने की सुविधा करवाई जाय। विशेष तौर पर से इन्हें परमिट दिया जाय और ऐसे सभी लोगों की, जिनकी भूमि प्रभावित हुई है, उनको हथियार इत्यादि दिलवा कर सरकार संरक्षण दें। इस भूमि का सरकार इसी रूप में, सीमान्त क्षेत्र को

(श्री हेतराम बेनीवाल)

नो मैन्स लैण्ड की तरह इस्तेमाल न करे और पूरी तरह भूमि का मुआवजा किसानों को दिया जाय और बदले में राजस्थान कैनाल या अन्य किसी क्षेत्र में उस भूमि के बदले में किसानों को भूमि अलाट दी जावे। राज्य सरकार सीमा के, इस संवेदनशील क्षेत्र के, किसानों की दशा पर फौरन ध्यान देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थान सिर्फ पाकिस्तान की सीमा से लगता ही नहीं है, यही नहीं जो आतंकवादियों की गतिविधियों का क्षेत्र है गंगानगर जिले में, वह भी इसी स्थान के आस-पास पड़ता है और यह पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के बीच की जगह रह जाती है उसमें जो बोर्डर के किसान है, उनकी यह गम्भीर समस्या है। राज्य सरकार उस पर यथोचित ध्यान देकर लोगों में जो असन्तोष है, उसका निवारण करेगी, इसकी पूरी उम्मीद है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किशनाराम नाई।

श्री डूंगरगढ़ तहसील में उपकोष कार्यालय खोलना

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

चूरू जिले की कुल 7 तहसीलों में से पांच तहसील (चूरू, राजगढ़, तारानगर, रतनगढ़ तथा सरदारशहर) में उप-कोष कार्यालय खुले हुए हैं परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील मुख्यालय श्री डूंगरगढ़ में उप-कोष कार्यालय नहीं है। समस्त कर्मचारियों के तथा अन्य सभी प्रकार के बिल चूरू कोष कार्यालय से पास कराने पड़ते हैं तहसील मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर पड़ता है। तहसील मुख्यालय डूंगरगढ़से चूरू आने जाने का कोई सुगम साधन भी नहीं है। क्षेत्र के सभी कर्मचारियों व जनता की बड़ी मांग को देखते हुए श्रीडूंगरगढ़ में उपकोष कार्यालय होना चाहिये।

अतः इस प्रस्ताव के तहत जनता की इस मांग को ध्यान में रखते हुए श्रीडूंगरगढ़ तहसील मुख्यालय में उप-कोष कार्यालय स्वीकृत करने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों ने कितना भेद-भाव मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के साथ किया हैं कि 50 किमी. दूर सरदारशहर, 50 किमी. दूर तारानगर और 50 किमी. दूर रतनगढ़, जहां उपकोष कार्यालय खोल दिये गये हैं और मेरे क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ को वंचित रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय अरूण सिंह।

गुडगांव कैनाल को बंद करने का षड्यन्त्र

श्री अरूण सिंह (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत गुड़गांव कैनाल के कार्य को बंद करने के षड्यंत्र के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख की सूचना देना चाहता हूं।

(श्री अरूण सिंह)

यमुना पानी के उपभोग के लिए भरतपुर जिले में गुड़गांव कैनाल का कार्य वर्ष 1966 में शुरू हुआ और दुर्भाग्य से आज भी यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इस वर्ष तो इस परियोजना से सम्बन्धित दो सब-डिवीजनों को वहां से उठा लिया गया है तथा मात्र एक सब-डिवीजन ही कार्यरत है, जबकि अभी इस परियोजना पर 14 करोड़ रुपये के कार्य होना शेष है और सरकार ने घोषणा की है कि इसे वर्ष 1993–94 में पूर्ण कर दिया जायेगा। यह बात मेरी समझ से परे है कि 14 करोड़ रुपये के कार्य को एक सब-डिवीजन से किस प्रकार से पूर्ण कराया जा सकता है। पिछले दिनों एक आदेश के द्वारा मुख्य नहर के कार्य को बन्द कर दिया गया है। इससे यहां के क्षेत्र में भारी आक्रोश एवं रोष है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस नहर के कार्य को पूर्ण कराने के साथ-साथ पूर्व की तरह तीन सब-डिवीजनों, कामां और डीग को भी यथावत रखा जाये।

अभी-अभी दिनांक 28 को दिल्ली में केन्द्रीय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर की अध्यक्षता में यमुना नदी के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में, मीटिंग में, यह निर्णय भी करीब-करीब से लिया गया है कि 74 करोड़ घनमीटर पानी राजस्थान के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। इसलिए भी यह आवश्यक है कि गुड़गांव कैनाल का कार्य न सिर्फ शुरू किया जाय बल्कि इसको दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाय, ताकि हम इस पानी का शीघ्र उपयोग कर सकें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल आर्य।

अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों की बेदखली

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब व्यक्तियों को जमींदार द्वारा जमीन से बेदखल करने, उसकी फसल को लूट लिये जाने, पुलिस को सूचना करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उनको राहत दिये जाने की मांग करता हूं।

कोटा जिले की पीपल्दा के दौलतपुरा, ठीपरी, कालीसिद्धि तथा खेड़ली महाराजा आदि गांवों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब भूमिहीन, बेरोजगार व्यक्तियों श्री सीताराम पुत्र श्री अमरलाल बैरवा सीताराम पुत्र श्री आनन्दी लाल मीणा, बजरंग लाल पुत्र श्री नारायण लाल मीणा, लक्ष्मी चन्द्र पुत्र श्री रोडू मीणा, छोटूलाल पुत्र श्री रतनलाल मीणा, मथुरालाल पुत्र श्री गोपीलाल कीर, श्रवण लाल पुत्र श्री मोडू लाल कीर, बनवारी पुत्र श्री प्रभुलाल राव, कैलाश पुत्र श्री लखा मीणा, प्रभुलाल पुत्र श्री पन्नालाल मीणा आदि को सीलिंग से अवाप्त भूमि करीब 10–15 बीघा प्रति व्यक्ति वर्ष 1976 में अलाट हुई थी। जिस पर नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर तभी से खेती कर फसल पैदा करते आ रहे हैं। इन किसानों ने नियमानुसार किश्तें जमा कर उक्त भूमि की पूरी रकम भी अदा कर दी है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। इस वर्ष भी उक्त भूमि पर इन किसानों ने सरसों, धनियां तथा गेहूं की फसल की है। वर्तमान

(श्री हीरालाल आर्य)

में उक्त किसानों ने अपनी सरसों की फसल काटकर अपने-अपने खेतों में ढेर किए हुए थे तथा प्रेशर लगाकर फसल तैयार करते थे।

अचानक दिनांक 26-3-92 को श्री प्रहलाद पटेल तथा इनके पुत्र श्री जुगल किशोर व कौशल किशोर जिनके साथ 50-60 लोग थे बन्दूके, लाठियां, धरिया एवं गंडासों से लेस थे दो ट्रेक्टर ट्रोली एक मैसी तथा एक फोर्डर तथा तीन डम्पर ट्रकों में भरकर आये। उन्होंने बन्दूकों से हवा में फायर किये तथा गाली-गलौच करते हुए किसानों को ललकारा कि यह जमीन हमारे बाप-दादाओं की है। इनकी फसल को हम बांटेंगे। तुम लोग भाग जाओ अन्यथा तुम्हें जान से मार डालेंगे। उन्होंने यह भी कहा हमने कई मर्डर कर रखे हैं, हमारे साथ बिजोलिया हत्याकाण्ड के व्यक्ति भी हैं। पुलिस हमारे साथ है वह हमें पकड़ नहीं सकती तथा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बन्दूकों की आवाज तथा इतनी बड़ी संख्या में हथियारों से लैस लोगों को देखकर वे गरीब किसान अपनी फसल खेतों में छोड़कर भाग गये। बाद में हमलावर दो प्रेशर लगाकर सरसों की फसल को तैयार करके डम्पर ट्रकों में भरकर ले गये तथा गेहूं की खड़ी फसल को काटकर ले गये गेहूं की फसल को तहस-नहस कर दिया तथा जानवरों को खिला दी। तथा सरसों की फसल को तैयार करके लूट ले गये।

उक्त जमीन जो करीब 150-200 बीघा है श्री प्रहलाद पटेल पुत्र श्री रामनाथ मीणा निवासी कोलाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा की थी। सीलिंग के तहत अवाप्त कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब व्यक्तियों को एलॉट की। तभी से ये लोग उन गरीब व्यक्तियों को समय-समय पर डराते, धमकाते रहते थे कि यह जमीन हमारी है, तुम इसे छोड़ दो नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दगे। श्री प्रहलाद पटेल एक असरदार तथा प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका पुलिस तथा प्रशासन पर भारी असर है तथा उनका इन्हें पूरा संरक्षण प्राप्त है। उनके दोनों पुत्र कई अपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं फिर भी पुलिस इनको पकड़ती नहीं है। इनका क्षेत्र में भारी भय एवं आतंक व्याप्त है तथा इनके डर के मारे कोई बोलता नहीं है।

इन गरीब व्यक्तियों का गांव का रास्ता इन अपराधियों ने रोक रखा है जिससे डर के मारे पुलिस थाना नहीं जा सके लेकिन चुपचाप इकट्ठे होकर इन्होंने सारी घटना की जानकारी लिखित में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कोटा को तुरन्त ही दिनांक 27-3-92 को दी है लेकिन आश्चर्य है कि अपराधियों को न तो अभी तक पकड़ा, न ही अभी तक ट्रेक्टर ट्रोली और डम्परों को ही हिरासत में लिया है। न ही फसल को हिरासत में लिया है तथा न ही गरीबों को सुरक्षा प्रदान की है जिससे स्पष्ट है कि अपराधियों को पुलिस तथा प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है।

गरीब किसान अपराधियों के डर के मारे गांव छोड़कर इधर-उधर न्याय तथा सुरक्षा के लिए भटक रहे हैं। इस घटना से क्षेत्र में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय

(श्री हीरालाल आर्य)

गृह मंत्री एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब व्यक्तियों को उनकी फसल वापस दिलाई जावे तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जावे तथा अपराधियों को अविलम्ब गिरफ्तार कर कठोर से कठोर दंड दिलाया जावे ताकि भविष्य में ऐसा कोई अपराध नहीं कर सके तथा दोषी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही करें कि अभी तक गरीब व्यक्तियों की फसल को क्यों नहीं कब्जे में किया तथा गरीबों को क्यों नहीं लौटाई तथा अभी तक अपराधियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया तथा ट्रेक्टर ट्रोली, प्रेशर, डम्पर आदि क्यों नहीं पकड़े ? अभी तक सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की है ? आशा है कि इस मामले में अविलम्ब कार्यवाही कर गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करेंगे। गृह मंत्रीजी इसमें कोई आश्वासन दें....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। गृह मंत्रीजी के पास जायेगा, पूरा आश्वासन है। वह कार्यवाही भी करेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : कुछ तो फरमाएं।

श्री उपाध्यक्ष : वे कह रहे हैं निश्चित तौर से करेंगे।

माननीया श्रीमती मदन कौर।

लूनी नदी पर रपट निर्माण

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में दो स्थानों पर लूनी नदी के बेड़ के कारण आवागमन बड़ा दुःखदायी बना हुआ है।

सिणधरी के पास लूनी का पाट हर बार बाढ़ में चौड़ा होता जा रहा है। इस बार बाढ़ आने पर लगभग 6 महीने तक सिणधरी के पास बाड़मेर के लिये आवागमन अवरुद्ध रहा था। सिणधरी एक पंचायत समिति का मुख्यालय है और समिति की लगभग आधी ग्राम पंचायतें नदी में पानी आने पर लम्बे समय तक आवागमन से वंचित रहती है। इस स्थान पर नदी के पाट में मजबूत रपट यानि काज-वे बनाया जाना आवश्यक है।

इसी तरह गुढ़ामालानी एक तहसील मुख्यालय है। यहां से रतनपुरा माखरपुरा सहित आधा दर्जन गांव नदी के पाट के कारण तहसील मुख्यालय से कटे हुए हैं। नदी के दक्षिण किनारे की तरफ के सारे गांव दो फसली हैं जहां जीरा, ईसबगोल जैसी वाणिज्यिक फसलें बहुतायत से होती हैं। इनकी विक्रय की मण्डी गुजरात के ऊंझा कस्बे में है। किसानों को अपनी फसल का परिवहन इस संकटप्रद रास्ते से करने के कारण बड़ा महंगा पड़ता है जिसके फलस्वरूप जो आमदनी कृषि से किसानों को होनी चाहिये वह नहीं होती।

साथ ही सभी गांव घनी आबादी के हैं जिन लोगों का सामान खरीदने, तहसील के काम से, मशीनरी के मरम्मत और चिकित्सा हेतु गुढ़ामालानी आना पड़ता है और इससे बसों, ट्रेक्टरों, निशान ट्रकों और बैलगाड़ियों का रेत में फंसना साधारण बात हो गयी है। इसके फलस्वरूप घण्टों ही लोगों के लिए और खासतौर से बीमारों के लिये यह

(82)

(श्रीमती मदन कौर)

बड़ी कष्टप्रद स्थिति होती जा रही है। अतः मेरा निवेदन है कि यहां पर करीब डेढ़ किलोमीटर की लम्बाई तक मजबूत रपट बनाई जाय। जब तक मजबूत सीमेंट कंकरीट की रपट नहीं बने तब तक कम से कम इन दोनों स्थानों पर ग्रेवल की, पर्याप्त चौड़ी सड़क तत्काल बनवाने की व्यवस्था करें ताकि आने वाली गर्मियों में आंधियों से यह रास्ता अवरुद्ध नहीं हो। इसके अभाव में आज भी अकाल के कारण दोनों स्थानों पर आवागमन पानी, टेंकर और खाद्यान्नों का परिवहन बड़ा कठिन है।

अतः इस संबंध में मैं नियम 295 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को सजग करना चाहती हूं साथ ही निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी स्वीकृति शीघ्रता से जारी करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीकिशन सोनगरा।

फर्नीचर की खरीद में अनियमितता

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकालयों में फर्नीचर हेतु बजट अलॉट किया गया है, उसकी खरीददारी में भारी अनियमितताएं कर, धन का दुरुपयोग हुआ है। अतः विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

राजस्थान सरकार द्वारा गत अगस्त माह में प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों में पुस्तकें खरीदने के लिए पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये व पुस्तकालय फर्नीचर के लिये पांच-पांच हजार रुपये उपलब्ध कराये। उसी के तहत विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा पुस्तकालयों के लिये खरीदी गई पुस्तकें छात्रों के लिये अनुपयोगी, घटिया व महंगी हैं जिसमें 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कमीशन लेने की चर्चा आम है। यही नहीं पुस्तकालयों के लिये लिया गया फर्नीचर भी घटिया व बेकार बिना टेण्डर किये हुये ही, कई प्रधानाध्यापकों द्वारा जेल व वन विभाग से लेने के बजाय निजी निर्माताओं से ऊंचे दामों पर खरीद कर सरकार के रुपयों का दुरुपयोग किया है। यह तो पुस्तकालयों संबंधी बात हुई।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को बीस-बीस हजार रुपये विद्यार्थियों के बैठने के लिये फर्नीचर हेतु आवंटित किये थे उसमें भी कई प्रधानाध्यापकों द्वारा बिना टेण्डर किये हुए ही निजी निर्माताओं से घटिया व बेकार फर्नीचर इसी तरह से नियमों को ताक में रख कर ऊंचे दामों पर खरीदा गया जिसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं। विशेषकर अजमेर सम्भाग के अन्तर्गत उपनिदेशक कार्यालय के लेखा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए कमीशन की चर्चा आम है। उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी शाला के प्रधानाध्यापक को वह बजट उप जिला शिक्षाधिकारी के यहां से तब मिले, उपनिदेशक के यहां से तब मिले जबकि वह वहां के लेखाधिकारियों को कमीशन दे प्रारम्भ में ही, तो फिर वह बजट ले जाकर खरीददारी करेगा तो स्वाभाविक रूप से यह सारी गड़बड़ियां पैदा होंगी।

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

इसी कारण उक्त खरीद में गम्भीर अनियमिताएं हुई हैं। क्या शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के पुस्तकालयों में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकें खरीदने हेतु कोई जिला स्तरीय अथवा शाला स्तरीय कमेटी बना रखी है ? इसी तरह क्या फर्नीचर खरीदने के लिए कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त फर्नीचर खरीद में नियमों की पालना की गई है ? यदि नहीं, तो उक्त अनियमितताओं में विभाग क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ? कृपया जांच कराकर अनियमितताओं पर अंकुश लगा छात्रों के हितों की रक्षा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे (अनुपस्थित)

माननीया श्रीमती सुमित्रा सिंह (अनुपस्थित)

माननीय श्री चम्पालाल जैन।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खड़ी हूं ना।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं था। सुमित्रासिंह जी का था।

ग्राम राजियावास में बाईपास सड़क का निर्माण

श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : प्रक्रिया के नियम 295 के अधीन निवेदन है कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के इस नगर से लगभग दस किलोमीटर दूर स्थित ग्राम राजियावास का सड़क मार्ग गांव के मध्य से होकर गुजरता है तथा वह मार्ग सकड़ा होने से वहां से चारे के ट्रक एवं ट्रोला आदि नहीं निकल सकते हैं तथा यह सड़क इस गांव के मध्य में भी घुमावदार स्थिति में बनी हुई है जिससे दुर्घटनाएं आदि भी होती रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने से यहां चारे व खाखले आदि की पशुओं के लिए आवश्यकता बनी हुई रहती है।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह गांव मुख्य राजमार्ग पर ही है। यह मुख्य राजमार्ग बड़े नगरों जैसे जोधपुर, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश को जोड़ता है। अतः इस महत्वपूर्ण मार्ग हेतु बाईपास सड़क निकालने से अनेक सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी। इस हेतु बाईपास पर कच्चे मार्ग का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है जो कि लगभग दो किलोमीटर है। जिस पर पक्की सड़क बनाई जानी है। इस मार्ग में एक पुलिया भी निर्माणाधीन है जो अधूरी पड़ी है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस बाईपास सड़क को पूरा बना देने से जहां एक ओर दुर्घटनाएं समाप्त होंगी, वहीं दूसरी ओर माल आदि से भरे हुए ट्रक आसानी से निकल जायेंगे। इसकी तत्काल आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र कार्यवाही करने व पक्की सड़क बनाने के आदेश प्रदान कर अनुग्रहीत करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकी दास कल्ला।

गैर कानूनी तरीके से राजकीय मुद्रणालय में चयन

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

नियम 295 के अन्तर्गत राजकीय मुद्रणालय में बीकानेर जिले से बाहर व राज्य से बाहर के व्यक्तियों की अप्रेन्टिसशिप योजना में गैर कानूनी तरीके से चयन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष चर्चा हेतु निवेदन है कि प्रदेश के राजकीय मुद्रणालयों में हाल ही में अप्रेन्टिस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु जिन लोगों का चयन किया गया है, वे उस जिले के रहने वाले नहीं हैं। यहां तक कि राज्य के बाहर के व्यक्तियों को चयनित कर ट्रेनिंग हेतु बीकानेर भेज दिया गया है । राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ की मुद्रणालय शाखा द्वारा अप्रेन्टिस की नियुक्ति में बरती गई धांधलेबाजी एवं खुले भ्रष्टाचार की जानकारी जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रेषित की गई है । निदेशालय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर के क्रमांक 4791 दिनांक 16-8-91 द्वारा अप्रेन्टिस की भर्ती हेतु एक विज्ञापन डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन 6028/91 के माध्यम से समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है । अप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 व अप्रेन्टिस एक्ट 1962 के अन्तर्गत 5-9 91 तक 34 पदों हेतु प्रार्थना-पत्र लिये गये । पदों का विवरण इस प्रकार है :—

क्र. सं.	ट्रेड का नाम	शैक्षणिक योग्यता	पदों की संख्या
1.	मुद्रण (लैटर प्रेस मशीनमैन)	दसवीं कक्षा	12
2.	अक्षरयोजक	दसवीं कक्षा	9
3.	बन्धक (बाइण्डर)	आठवीं	8
4.	मानोकास्टर	दसवीं कक्षा	2
5.	लाइनोकास्टर	दसवीं कक्षा	3

पूर्व में अप्रेंटिसों को साक्षात्कार हेतु जिला मुख्यालय पर बुलाया जाता था और उनसे मूल निवासी का प्रमाण-पत्र लिया जाता था, लेकिन वर्तमान कार्यवाहक निदेशक श्री एन. एल. जैन (निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री जयपुर) ने सभी जिलों के प्राथियों को जयपुर में साक्षात्कार हेतु बुलाया और 21-10-91 को अलग-अलग आदेश जारी कर राज्य मुद्रणालय, बीकानेर में 8 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जिनमें दो लोगों को छोड़कर शेष छह व्यक्तियों का चयन अलवर तथा राज्य के अन्य जिलों एवं राज्यों के बाहर से किया गया क्योंकि स्वयं श्री एन. एल. जैन अलवर के निवासी हैं ।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

क.स	नाम अभ्यर्थी एवं स्थाई पता	स्थानीय पता
1.	बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र, धर्मकांटा, गजनेर रोड, बीकानेर ।	धर्मकांटा, गजनेर रोड, बीकानेर ।
2.	वेदप्रकाश पुत्र अम्बालाल (भरतपुर)	पवनपुरी, बीकानेर ।
3.	सत्यनारायण भार्गव पुत्र रामप्रसाद, छबड़ा (कोटा)	पंचायत समिति, बीकानेर ।
4.	बाबूलाल पुत्र केलीराम, भरतपुर	हाउसिंग बोर्ड, बीकानेर ।
5.	महेशचन्द्र पुत्र रघुवीरसिंह, भरतपुर	बस स्टैण्ड, बीकानेर ।
6.	महेशचन्द्र पुत्र बाबूलाल	अनिता ज्वैलर्स, जैन मार्केट, बीकानेर ।
7.	अजीत सिंह, अलवर	डूंगरगढ़ (चूरू)
8.	उत्तमचन्द भाटी	इसके पते का कोई पता नहीं है ।

इसके बाद निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा पुनः अलग-अलग नामों से आदेश जारी कर दिनांक 6-2-92 को दस अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया जिनमें से 9 बीकानेर के बाहर के हैं । उपरोक्त सभी प्रशिक्षु बीकानेर में किराये के मकानों में रहते हैं और इनके गुजर-बसर के लिए हर महीने गांव से मनीआर्डर आते हैं । पता जो दिया गया है वह गलत है, स्थानीय पतों पर वह रहते नहीं हैं । इस प्रकार बीकानेर में एवं अन्य जिलों में उपरोक्त नियुक्तियों में बीकानेर जिले के लोगों को न रख कर अन्य जिलों के, जो स्थानीय निवासी नहीं हैं एवं राज्य के बाहर के लोगों को रखा गया है । वहीं पर राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों के आवेदन-पत्रों पर भी कोई विचार नहीं किया गया । विश्वस्त सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि दिनांक 5-9-91 तक इन व्यक्तियों ने आवेदन भी नहीं किया था । जिन व्यक्तियों का आवेदन-पत्र नहीं था उनको गलत तरीके से नियुक्त किया गया है । इस प्रकार उपरोक्त नियुक्तियों में खुले भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखा गया ।

निदेशालय द्वारा अब फिर सीधी भर्ती हेतु विभिन्न पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है । उक्त सम्बन्ध में मूल निवासी का प्रमाण-पत्र लेकर ही अभ्यर्थियों की नियुक्तियां दी जावें अन्यथा स्थानीय पते गलत रूप से लिख कर बाहर के लोग नियुक्ति हासिल कर लेंगे और उन जिलों के मूल निवासी तथा कर्मचारियों के आश्रित लोग नियुक्तियों से वंचित रह जायेंगे ।

उपरोक्त नियुक्तियों में हरियाणा के श्री रोहिताश्वसिंह, जो भिवानी के रहने वाले हैं तथा ऐसे अनेक लोग जो राजस्थान के रहने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वाले नहीं है उनकी नियुक्तियां होने से स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

क्या राज्य सरकार स्थानीय लोगों के स्थान पर गलत स्थानीय पते लिख कर प्रशिक्षण की नियुक्ति लेने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रही है तथा जिस अधिकारी ने उक्त गैर कानूनी आदेश जारी किये सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है।

आशा है उक्त प्रकरण पर जांच कर सरकार दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी तथा भविष्य में मूल निवास का प्रमाण-पत्र लेकर ही इस प्रकार की नियुक्तियां करेगी ताकि स्थानीय लोगों के साथ न्याय हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी विराजमान हैं। जिले से बाहर के लोगों की नियुक्तियां दी गयी हैं क्या आप उनको निरस्त करेंगे और हमेशा राज्य सरकार जब नियुक्तियां देती है तो मूल निवासी का प्रमाण-पत्र लिया जाता है। मूल निवासी का प्रमाण-पत्र लिये बिना राजस्थान के बाहर के लोगों को स्थानीय लोगों की जगह जो नियुक्तियां दी गयी थीं क्या आप उनको निरस्त करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर में बायलर्स विभाग में वरिष्ठ निरीक्षक को उपनिरीक्षक पर पदोन्नति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 295 के जोधपुर में वर्ष 1972 में वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स का पद सृजित किया गया था। इसके बाद पिछले 20 वर्षों में जोधपुर क्षेत्र में काफी औद्योगीकरण हुआ है। कई नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित एवं विकसित किये जा चुके हैं इस दौरान उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारियों के पद क्रमोन्नत किये जा चुके हैं। श्रम विभाग के उपायुक्त कार्यालय को भी संयुक्त श्रम आयुक्त मे 5-6 वर्षों पूर्व ही क्रमोन्नत कर दिया गया था लेकिन कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग का कार्यालय अभी तक भी वरिष्ठ निरीक्षक स्तर का ही है। इस विभाग के कार्यालय को उप मुख्य निरीक्षक स्तर तक क्रमोन्नत करने के लिए उद्योगों के विभिन्न प्रतिनिधि संगठनों जैसे जोधपुर जिला उद्योग संघ, मारवाड़ चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज आदि ने भी कई बार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो अत्यन्त खेद का विषय है।

राज्य के कई अन्य औद्योगिक केन्द्रों जैसे उदयपुर एवं अलवर में इस दौरान इस विभाग के कार्यालय उप मुख्य निरीक्षक के कर दिये गये हैं जब कि वहां वरिष्ठ निरीक्षक कार्यालय जोधपुर से काफी वर्षों बाद खोले गये थे। इस प्रकार राज्य के जयपुर के बाद दूसरे सबसे बड़े केन्द्र एवं पश्चिमी राजस्थान के इस डिवीजन मुख्यालय के उद्यमियों तथा श्रमिकों को उनके द्वारा बार-बार प्रयास करने के उपरान्त भी कोई राहत इस बारे में अभी तक नहीं मिल पाई है। राज्य सरकार द्वारा उनकी इस

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जायज मांग को नहीं मानकर इस क्षेत्र से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

क्या श्रम मंत्री अब इस बारे में शीघ्र निर्णय लेंगे जिससे इस क्षेत्र के उद्यमियों को राहत मिलने के साथ-साथ औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा व अन्य कल्याणकारी प्रावधानों की अधिक प्रभावी तरीके से पालना सम्भव हो सकेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

स्वीकृत रूट पर बसों का संचालन न होना

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत प्राइवेट संचालित बसों के मार्ग स्वीकृत रूट में होने के पश्चात् भी बसें संचालित नहीं किये जाने के विशेष उल्लेख के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

राज्य सरकार ने निजी वाहन संचालित हेतु मार्ग स्वीकृत कर रखे हैं मगर वाहन चालकों द्वारा स्वीकृत मार्ग में बसें संचालित नहीं कर कई मार्गों को जानबूझ कर छोड़कर बसें संचालित किये जाने के कारण स्वीकृत मार्ग में आने वाले ग्रामों की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यात्रियों को गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाकर 2–3 कि. मी. पूर्व ही उतार दिया जाता है जिसके कारण यात्रियों, महिलाओं, बच्चों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के निम्न प्राइवेट मार्ग जो स्वीकृत हैं उनमें कई मार्ग को छोड़कर मनमाने तरीके से बस मालिकों द्वारा बसें संचालित करते हैं :—

(1) सोजत, फुलाद, देसूरी, बिलाड़ा, रानी, पीपाड़, जैतारण, खारची, सोजत रोड, पाली, सोजत रोड बिजागुडा, हरिपुर, फुलाद, जैतारण बिलजिया वाए 'ए' मार्ग उक्त मार्ग में मुसालिया एवं सारंगवास ग्राम पड़ते हैं मगर उक्त ग्रामों में बसें संचालित नहीं होती जबकि उक्त मार्ग स्वीकृत है।

(2) पाली-सोजतसिटी : पाली भलिलात, मांगेतर, बीजापुर, स्वरूपपुरा, गोडावास सुरायता धाकड़ी, धिनावास, बिलावास, सोजतसिटी है मगर उक्त मार्ग की संचालित बसें बिलावास होकर नहीं चलती हैं।

(3) सोजत सिटी–समदड़िया : सोजतसिटी, रेंदड़ी, मैसाणा, सीसरवादा, सोजत रोड, सारंगवास, बडागुडा, गुडारामसिंह मगर उक्त मार्ग को संचालित बसें रेंदड़ी मैसाणा, सीसरवादा, होकर नहीं चलती हैं।

(4) सोजतसिटी-सरदार समन्द मार्ग : स्वीकृत है मगर अन्य मार्ग पर बसें संचालित होती ही नहीं जब कि सोजत सिटी से शिवपुरा तक सड़क डामरीकृत है तथा शिवपुरा से सरदार समन्द ग्रेवल सड़क है आवागमन हेतु मार्ग अच्छा व चालू है।

उक्त स्वीकृत मार्गों से बसें संचालित करने हेतु बस मालिकों को एवं यातायात विभाग के अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

एवं ग्रामीण जनता द्वारा कई बार शिकायतें की मगर यातायात विभाग एवं बस मालिकों की मिलीभगत के कारण आज तक कोई कार्यवाही नहीं गयी।

उक्त मार्गों से जो प्राइवेट बसें संचालित होती हैं इन बसों से यात्री आराम के साथ सफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन यात्रियों को अन्दर से ऊपर तक भेड़-बकरियों की तरह ठूंस-ठूंस कर भरा जाता है। इस तरह से ये प्राइवेट बसों वाले यात्रियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। कई बार दुर्घटनाएं होने से यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसके अलावा इन बसों की हालत भी दयनीय होती है। कई बार बीच रास्ते में ही खराब हो जाती हैं जिससे यात्रियों को घन्टों तक लटके रहना पड़ता है।

अतः यातायात मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त स्वीकृत मार्गों के ग्रामों में बसें काफी अर्से से संचालित नहीं की जा रही है। संचालित करने के आदेश प्रदान करावें एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों एवं बस मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही कर दण्डित करावें ताकि जनता को हो रही असुविधाओं से निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सोजत सिटी में महाविद्यालय न खोला जाना

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीनारायण दवे, श्री किशन गोपाल कोगटा एवं श्री जीतमल जैन, सदस्य विधान सभा सोजत सिटी जिला पाली में महाविद्यालय नहीं खोले जाने से विद्यार्थियों को हो रही असुविधा की ओर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी का सोजत में महाविद्यालय खोले जाने के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

डा. रतनलाल जाट (राज्य मंत्री, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोजत से आने वाले माननीय सदस्य और दो अन्य माननीय सदस्यों द्वारा नियम 131 के अन्तर्गत प्रस्तुत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

राज्य में राजकीय महाविद्यालय आरम्भ करने के निम्नलिखित मानदण्ड विनीत किये हुए हैं। प्रस्तावित स्थान पर महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त भवन हो, प्रस्तावित स्थान में 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय कार्यरत न हों, उपरोक्त स्थान क्षेत्रीय दृष्टि से उपयुक्त हो। वर्ष 1991-92 में एक महाविद्यालय को अधिग्रहण करने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं और 3 नये महाविद्यालय आरम्भ किये जा चुके हैं। नये महाविद्यालय खोलने के लिये उपरोक्त मानदण्डों, संसाधनों की उपलब्धता और स्थान के गुणवत्ता के आधार पर निर्णय किया जाता है। सोजत में नये महाविद्यालय की मांग पर विचार किया गया है। सोजत की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार

(डा. रतनलाल जाट)

24291 है। सोजत रोड एवं सोजत में सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल में एक महाविद्यालय आरम्भ कराने पर आवश्यक भवन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सोजत के निकट पाली में 40 किलोमीटर दूर स्नातकोत्तर स्तर का महाविद्यालय कार्यरत है। सोजत में छात्रावास खेलकूद के मैदान आदि का भी अभाव है। यह सही है कि सोजत में नगरपरिषद 4 हैक्टेयर भूमि एवं उस पर सोजत शिक्षा प्रसार समिति भवन बनाने को तैयार है। भविष्य में महाविद्यालय खोलते समय संसाधनों की उपलब्धता, उपरोक्त मानदण्ड एवं गुणावगुण के आधार पर सोजत में नये महाविद्यालय राजकीय स्तर पर खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत अपना एक विशिष्ट और ऐतिहासिक गौरवपूर्ण स्थान रखता है। यह स्थान शिक्षा और संस्कृति में हमेशा अग्रणी रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत को स्वतंत्र कराने में सोजत सिटी में स्वतंत्र सेनानी जैसे काका मीठालाल, हरिभाई चिकर, आलीशानजी आदि हुए हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका अदा की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आजादी के 4 दशक के पश्चात् सोजत सिटी और सोजत विधान सभा क्षेत्र की जनता निरन्तर रूप से सोजत में महाविद्यालय खोलने की मांग करती रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत क्षेत्र में सोजत सिटी में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। सोजत रोड में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। सोजत विधान सभा क्षेत्र में कंटालिया में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। बगड़ी में उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो राज्य सरकार ने मापदण्ड बनाये हैं उसके हिसाब से सोजत विधान सभा क्षेत्र सब से उपयुक्त स्थान रखता है। पाली के पश्चात् आबादी की दृष्टि से सोजत सब से बड़ा कस्बा है जिसकी आबादी करीबन 30 हजार के करीब है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थी प्रति वर्ष एक हजार की तादाद में हमेशा पाली अध्ययन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पाली जिला हैडक्वार्टर होने के कारण और औद्योगिक नगरी होने के कारण और अधिकारियों के वहां पर ज्यादा आफिस होने के कारण, वहां पर आवासीय सुविधा पर्याप्त नहीं है। इसके कारण प्रति वर्ष सोजत सिटी से जो विद्यार्थी पाली में विद्या अध्ययन करने के लिए कालेज में जाते हैं उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित.... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : सारे सवाल ही हैं। जितनी भी बातें कही जा रही हैं, सारे क्वेश्चन ही हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं आर्थिक तंगी के कारण, पाली शहर बम्बई के बाद औद्योगिक नगरी के रूप में दूसरा स्थान रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इसको मिनी बोम्बे के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है इसलिए आवासीय सुविधा वहां पर पर्याप्त नहीं है....

९०

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल कीजिए दवे साहब।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आवासीय सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से जो गरीब व्यक्ति, जो गरीब छात्र और अनुसूचित जाति के बंधु पाली में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं परन्तु सुविधा नहीं होने के कारण उनको इससे वंचित रहना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन पाली, ब्यावर से हमेशा 500 विद्यार्थियों को सोजत से अप-डाउन करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्रों के जो अभिभावक और गार्जियन हैं, उनको पाली में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होने और गरीब होने के कारण वहां रख नहीं रहे। आवागमन प्रति दिन करने के कारण समय और धन का अपव्यय होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां हमारी सरकार का लक्ष्य महिला शिक्षा के विकास का और प्रसार का है वहां पर सोजत क्षेत्र की करीबन 200 छात्राएं सोजत विधान सभा क्षेत्र की छात्रायें हैं वह प्रति वर्ष सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण होने के बाद, सोजत में महाविद्यालय नहीं होने के कारण, उन्हें सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण के बाद, अपना मन मसोस कर के, उनके गार्जियन भी पाली अप-डाउन के लिए छात्राओं को विद्या अध्ययन के लिए नहीं भेज सकते हैं। इसलिए सोजत में महाविद्यालय होना नितान्त आवश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत सिटी में 2 समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हैं। वहां पर एक्स. ईएन. इर्रीगेशन का आफिस है, पी. डब्ल्यू. डी. एक्स. ईएन. का है, वहां पर ए. डी. जे. का कोर्ट है, ए. सी. जे. एम. का कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट है, वहां स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पर एल. आई. सी. का आफिस है और इस प्रकार अनेक प्रकार के अनेकों विभाग के वहां पर कार्यालय हैं। इन कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को भी वहां पर सोजत में महाविद्यालय नहीं होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपने बच्चों को, परिवार के बालकों को विद्या अध्ययन के लिए ब्यावर, अजमेर, जोधपुर और अन्य स्थानों पर भेजना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीबन 50 विद्यार्थी सोजत से विधि, लॉ क्लासेज ज्वाइन करने के लिए प्रति दिन पाली से अप डाउन करते हैं इसलिए सोजत में महाविद्यालय होना आवश्यक है।

सोजत क्षेत्र के अभिभावकों और सोजत क्षेत्र की नगर की जनता की काफी समय से मांग रही है कि सोजत में महाविद्यालय खोला जाय। माननीय मंत्री महोदय ने जो मापदण्ड तय किये हैं उनके आधार पर सोजत सिटी में और महाविद्यालय में 20 बीघा जमीन आरक्षित की गयी है....

श्री टीकम चन्द कान्त : रायपुर में नहीं खुलवा सकते क्या ? रायपुर में।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : सोजत के दानदाता भवन बनाने के लिए तैयार हैं। अगर इस वर्ष वहां महाविद्यालय खोल दिया जाय तो अभी भी वहां पर अस्थाई रूप से भवन उपलब्ध है और उसके बाद में सोजत नगर के दान दाता वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए दान देने के लिए तैयार हैं।

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत का यह इतिहास रहा है कि सोजत के छात्र प्रति वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, लगातार 10 वर्षों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट आता है उसमें सोजत के छात्र प्रथम से मैरिट में 10 में एक स्थान हमेशा प्राप्त करते हैं । मैरिट में विद्यार्थी आते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने जो मापदण्ड तय किये हैं कि वहां पर महाविद्यालय खोला जायेगा जिनकी दूरी 30 किलोमीटर होगी । जैसा कि इसमें बताया गया है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत से पाली की दूरी 40 किलोमीटर है । वहां पर भवन उपलब्ध है । वहां पर आरक्षित जमीन है । वहां पर दानदाता भवन बनाने के लिए तैयार हैं । वहां पर 5 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 5 महाविद्यालय खोलने का निर्णय किया है जिसमें 4 महाविद्यालय खोलने का निर्णय ले चुके हैं और 5वां जो महाविद्यालय है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान सरकार और मुख्य मंत्री, भैरोंसिंहजी शेखावत और उच्च शिक्षा मंत्री डा. रतनलाल जाट हैं जो 5वां महाविद्यालय सोजत में खोलने की घोषणा करेंगे । सोजत की जनता लाभान्वित होगी, इस क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी और सोजत की जनता आपका हार्दिक आभार मानेगी । यह आपसे उम्मीद है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । हां उत्तर दीजिए श्रीमान् । आप क्या पूछ रहे हैं ? हां पूछिये ।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा राज्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : हां पूछिये ।

श्री रामनारायण वर्मा : आपने एक की तो घोषणा कर दी, तीन के लिए आप और कह रहे हैं । वह 3 आप कहां-कहां खोलेंगे ? क्या नैनवां स्थान है, 3 खोले हैं क्या इसको अमेण्ड करेंगे ?....(व्यवधान)....

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : सोजत से नैनवां कहां आ गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । लक्ष्मीनारायणजी । नैनवां तो नैनवां की जगह रहेगा, सोजत, सोजत की जगह ही रहेगा । दोनों एक-दूसरे की जगह नहीं बदलेंगे ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : इसका आधार क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, पोस्ट ग्रेज्युएट खोलने का या ग्रेज्युएट कालेज खोलने का राज्य सरकार का क्या आधार है ? वह बता दें कम से कम ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए है कि जो कालेजेज खोले जा रहे हैं और जो यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया है यह केवल नेता का गुणगान करने के लिए

(श्री रामनारायण वर्मा)

पालिटिकली किया गया है। मेरा निवेदन है कि इसके आपने जो स्पेसिफिक आंकड़े दिये हैं उसमें नैनवां फिट होता है उसके साथ अन-जस्टिस किया गया है। क्या इस अन-जस्टिस को माननीय शिक्षा राज्य मंत्रीजी ठीक कर पायेंगे। मेरा तो इतना-सा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी।

श्री रामनारायण वर्मा : स्टेट टाइप जहां स्कूल है वहां नहीं खोला जाय और पालिटिकल गुणगान किया जाय इसीलिए....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप अब। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी।

डा. रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने सोजत में कालेज खोलने के बाद में जो ध्यान आकर्षण किया है, मैंने अभी निवेदन किया है कि नया महाविद्यालय खोलने के बारे में 4 मुख्य आधार हैं. प्रस्तावित स्थान पर उपयुक्त भवन हो, प्रस्तावित स्थान पर 30 किलोमीटर की अवधि में कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं हो, 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हों और उपरोक्त स्थान क्षेत्रीय दृष्टि से उपयुक्त हो। जहां तक सोजत में महाविद्यालय खोलने का सवाल है इस वर्ष लगभग 67 जगह कालेज खोलने की डिमांड्स प्राप्त हुई थी। उनमें से राज्य सरकार ने 15 जगह पर महाविद्यालय खोला जा सकता है, नहीं खोला जा सकता है, इसके बारे में इंस्पेक्शन करवाये हैं और खास तौर से जहां सोजत की बात आयी है मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : 15 जगह के नाम बताओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

डा. रतनलाल जाट : मैं बताऊंगा। अभी मैंने अपना स्टेटमेण्ट पूरा नहीं किया। मैंने शुरू किया है, आपको नाम बता दिया जायेगा। मैं खास तौर से जो माननीय सदस्य ने सोजत के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, मैं पहले उनके सवाल का जवाब दे दूं। जहां तक सोजत का सवाल है जिन 15 स्थानों पर हमने इंस्पेक्शन करवाये हैं, सोजत में भी दिनांक 11-7-91 को माननीय श्री शिवकुमार शर्मा, व्याख्याता, हिन्दी, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को इस कार्य के लिए इंस्पेक्शन के लिए अधिकृत किया गया था और उन्होंने जाकर के वहां जो इंस्पेक्शन किया था उसके आधार पर सोजत से 20 किलोमीटर में 3 हायर सैकण्डरी स्कूल का होना बताया है स्टूडेन्ट्स, कक्षा 12वीं के केवल 275 छात्र बतायें हैं। 148 आर्टस में और 127 कामर्स में। सोजत रोड स्कूल के पास केवल 5 कमरे उपलब्ध हैं जो अपर्याप्त हैं। खेल सुविधा व होस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सोजत के पास पाली 40 किलोमीटर दूरी पर पोस्ट ग्रेज्यूएट कालेज कार्यरत है। सोजत में कोई ऐसी संस्था नहीं बताई गयी है जो कालेज को खोलने के लिए सक्रिय हो, और इसमें किसी प्रकार की कोई रुचि दिखाये। स्कूल जो वहां के चल रहे हैं, वहां पर दो पारियों में चल रहे हैं, भवन, जैसा मैंने

(डा. रतनलाल जाट)

आपको कहा, पहले से ही वह अपर्याप्त है। इस बारे में वहां के स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारे यहां जो वर्तमान में सीनियर सैकण्डरी स्कूल चल रहा है उसमें छात्र संख्या की दृष्टि से भवन अपर्याप्त है। इस प्रकार की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवायी है। साथ ही यह जरूर अभी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था वहां की नगरपालिका ने चार हैक्टेयर भूमि में कालेज खोलने की पेशकश की है सोजत शिक्षा समिति व कुछ गण-मान्य नागरिकों की और माननीय विधायक महोदय की डिमांड कालेज खोलने के बारे में प्राप्त हुई है। यहां खास तौर से एस. सी. के स्टुडेन्ट्स के बारे में कहा है कि वहां एस. सी. के स्टूडेन्ट्स ज्यादा हैं इसलिये वहां इस प्रकार का महाविद्यालय खोलने का जस्टिफिकेशन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा, जो हमें रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर एस. सी. के केवल मात्र 44 छात्र वहां अध्ययनरत हैं। मैं साथ ही निवेदन करना चाहूंगा....

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : यह सोजत सिटी का बता रहे हैं या पूरे का कह रहे है।

डा. रतनलाल जाट : सोजत की इंन्फार्मेशन है। जहां तक सोजत, पाली जिले का सवाल है वहां की जनसंख्या और वहां जो कार्यरत कालेज हैं उनकी पोपूलेशन और स्टूडेन्ट्स की सख्या को देखे उस हिसाब से पाली जिले की जनसंख्या 14·85 लाख है, पाली में 999 लड़के और 123 लड़कियां अध्ययनरत हैं, फालना में 269 लड़के और 13 लड़कियां हैं, रानावास में 202 लड़के हैं। टोटल सब मिला कर पूरे पाली जिले में जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल में लड़के पास हैं उनके फिगर बताने के पीछे मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उद्देश्य है कि मात्र 1963 लड़के लड़कियों के समेत पास हुए हैं, जो इन सभी कालेजेज का फीड बैक है। तो, मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जहां तक कालेज़ खोलने का सवाल है, इन मानदंडों के आधार पर और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राज्य सरकार इन पर विचार करती है। जो आज लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल किया था, इस साल कालेज खोलने के बारे में 67 लोगों की डिमांड प्राप्त हुई है, माननीय सदस्यों की या अन्य संस्थाओं की। उसके बारे में जो राज्य सरकार ने इंस्पेक्शन करवाया है 15 जगहों का, मैं उनके नाम आपको बताना चाहूंगा। सलूम्बर, बिलाड़ा, सोजत, गंगापुर, लालसोट, बालोतरा, बयाना, गोविन्दगढ़, बिसाऊ, नवाला, शिवगंज, अनूपगढ़ और मकराना।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : यह गोविन्दगढ़ कौनसा है ? दो हैं गोविन्दगढ़।

डा. रतनलाल जाट : गोविन्दगढ़, अलवर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने बाड़ी का इंस्पेक्शन नहीं कराया। बाड़ी की मांग शायद सबसे पुरानी है, जिला धौलपुर में बाड़ी की।

डा. रतनलाल जाट : मैंने निवेदन किया कि जो 67 डिमांड हमारे यहां प्राप्त हुई

(डा. रतनलाल जाट)

हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनमें से हमने 15 का करवाया है। बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप चार महाविद्यालय पहले से खोल दिये गये हैं, अब आज की तारीख में एक विचाराधीन है। तो राज्य सरकार ने जिनका इस्पेक्शन करवा दिया है, चूंकि इस्पेक्शन ज्यादातर उन्हीं स्थानों के कराये गये हैं जिस पर किसी प्रकार से विचार करके खोला जा सकता है। खास तौर से सोजत से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, वहां की इस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर....

श्री बुलाकी दास कल्ला : लूणकरणसर का आश्वासन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष । यह उत्तर दे रहे हैं। यह क्या कर रहे हैं आप? विराजिये। पहले उत्तर तो सुनिये। हां, आप क्या पूछ रहे हैं, लक्ष्मीनारायणजी।

श्री रामनारायण वर्मा : आप जो फरमा रहे हैं, यह जो इस्पेक्शन है उसमें उन स्थानों को आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं जहां से मांग नहीं है। गवर्नमेंट सबके लिये बराबर ध्यान रखती है। उसमें नैनवां, बाड़ी, एक कालेज आज ईमानदारी से सरकार खोल दे, उसको पालिटिकलाइज नहीं करे, हम मान लेंगे, आपने सब सही खोले हैं। आप नैनवां और बाडी को भी उसमें जोड़िये। आपके लिये मैं स्कूल बता दूं। आप जहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल चार है, बिल्डिंग ज्यादा है, आपके सारे के सारे खेल के मैदान वगैरह, कितने हैक्टेयर जमीन जहां है, आप देख लीजिये वहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नैनवां, गर्ल्स की नैनवां में दो, तीसरी देही, चौथी वासी. पांचवीं दुगारी जो विदिन दस किलोमीटर रेडियस में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं आपके बामनगांव सैकण्डरी स्कूल है कमेडी है....

श्री उपाध्यक्ष : तो विराजो ना आप।

श्री रामनारायण वर्मा : आप ऐसे प्लेसेज का करवाइये कृपया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा साहब, मैं अलाऊ नहीं करूंगा आपको। आपने अपनी बात कह दी फिर भी। न आपको विषय है यहां पर।

श्री रामनारायण वर्मा : हमें उम्मीद है कि आप इस बारे में ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीनारायणजी, आप सवाल कीजिये सिर्फ।

श्री डूंगरराम पवार : एक कालेज विचाराधीन है वह गंगानगर में खोल दिया जाय।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : आपके विभाग के प्रोफेसर के बी. अग्रवाल, जोइंट डायरेक्टर कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर का दिनांक 6-1-91 का लिखा पत्र मेरे को प्राप्त हुआ है। उसमें उन्होंने, विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र बाबत सोजत में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में विचार करने के लिये अपनी रिपोर्ट दिनांक 30-4-91 तक निम्न बिन्दुओं पर देने का कष्ट करें। क्या प्रस्तावित कालेज के लिये जन सहयोग से निर्मित भवन उपलब्ध है?

श्री उपाध्यक्ष : यह एक अलग बात कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित स्थान पर क्या चार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं? प्रस्तावित स्थान से 30 किलोमीटर की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो उत्तर दे दिया, लक्ष्मीनारायणजी, सारा।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : क्या क्षेत्रीय दृष्टि से प्रस्तावित कालेज उपयुक्त है?

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल कीजिये। आप भी एक ही ढर्रे में चल रहे हैं। जब आपको इतना प्रिविलेज दिया जाय, आप मिसयूज कर रहे हैं उसका। आप सवाल क्यों नहीं पूछते हो?

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पत्र के अन्दर उन्होंने जानकारी चाही थी कि तीस किलोमीटर डिस्टेंस, भवन वगैरह इन चार हीम मलों में खोजत उपयुक्त था और इसकी जानकारी मैंने शिक्षा मंत्रीजी को पत्र लिखकर दे दी थी और अण्डरटेकिंग भी दे दी थी कि हमारे वहां के समाजसेवी हैं, अपना भवन देने के लिये तैयार हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब जांच रिपोर्ट में भवन नहीं मिला है।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : और बिल्डिंग बनाने के लिये दानदाता तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दानदाता से थोड़े ही होता है। There must be a building for college. दानदाता से क्या होता है। कालेज की बिल्डिंग है क्या वहां? कालेज की बिल्डिंग तो है ही नहीं।

डा. रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब रहने दो। इसमें सिर्फ एक टाइप का है। आप एक की जगह दस कर लोगे। हां, परसादीलाल जी, केवल एक सवाल करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में बताया है, हमने 15 स्थानों का सर्वे करवाया है। वहां कालेज खोलने की बात इन्होंने मानी है। मैं एक ही बात जानना चाहूंगा, क्या लालसोट का, आपने सर्वे करवाया? वहां पर आपने वायदा कर लिया, लोगों से चार लाख रुपये की आपने मांग की। आपने भवन की वहां बात की, लोगों ने तत्काल वहां पर भवन बनाया। जब कालेज खोलने की बात आई तो आपने वायदा खिलाफी करके कालेज दूसरे स्थानों पर खोल दिये। चार कालेज का प्रावधान होते हुए पाचवां कालेज जो खोलने जा रहे हैं. उपाध्यक्ष महोदय, यह सब राजनैतिक बेईमानी के आधार पर हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है इन कालेजों का।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : राजनैतिक आधार पर कालेज खोले जा रहे हैं। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, सारा राजनीतिकरण कर रहे हैं। कालेज खोलना हो चाहे स्कूल खोलना हो, चाहे सैकण्डरी हो। तो सरकार को मेरा एक निवेदन है कि आप लोगों से

(श्री परसादी लाल मीणा)

वायदा कर लेते हैं कि आप भवन बनवाइये, आप इतना पैसा दीजिये, आप यह फेसिलिटीज यहां कीजिये उसके बाद आप कालेज नहीं खोलते हैं । तो, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लालसोट के लोगों से जो आपने वायदा किया था कालेज खोलने का, भवन बना कर वहां पर आज दस हाल बड़े-बड़े खाली पड़े हैं, आपने कालेज नहीं खोला । हमको यह पूरी आशा थी, भैरोंसिंह जी से भी हम मिले थे, लालसोट के लोग भी मिले थे, आपने कालेज क्यों नहीं खोला ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको एक सवाल पूछने को कहा और आप तो भाषण देने खड़े हो गये । माननीय परसादीलाल जी । एक सवाल का कहा था, एक सवाल पूछेंगे ली ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल । क्योंकि मेरे गोविन्दगढ़ अलवर का नाम माननीय मंत्रीजी ने लिया था....

श्री जुबेर खां : माननीय मंत्री महोदय जी, आप यह बता दीजिये कि जितने भी महाविद्यालय के लिये आपने सर्वेक्षण कराये, कौन-कौनसी तारीख को किस-किस जगह का सर्वेक्षण हुआ है और किस-किस स्थान के लिये क्या-क्या रिकमण्डेशन आई है ? यह आप सदन के सामने बता दीजिये ताकि कल को पता चल जाय कि आप मापदण्डों के आधार पर कालेज खोलोगे या राजनीति के आधार पर खोलोगे । आप यहीं बता दीजिये सबको ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि स्नातकोत्तर और स्नातक जो महाविद्यालय खोले जाते हैं उसके लिये राज्य सरकार ने क्या मापदण्ड निर्धारित किये हैं और उस मापदंड के आधार पर जैसे सोजत का मामला आया, गोविन्दगढ़ का मामला आया है और अलग-अलग जगहों के लिये बाड़ी, नोखा और आपके लालसोट, इन सब जगहों के लिये आपकी क्या नीति है ? आप जिस आधार पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने जा रहे हैं । क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है कि भविष्य में अभी फिलहाल कोई पोस्ट ग्रेजुएट कालेज नहीं खोला जायगा ? इस सम्बन्ध में आप राज्य सरकार की नीति स्पष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमाकांतजी शर्मा ।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी को जो मापदण्ड हैं राजस्थान के अन्दर, उनके अनुरूप सारी की सारी स्टेटिस्टिक्स देते हुए बताया था कि राजस्थान के अन्दर यदि इस समय इन मापदंडों के मुताबिक सबसे पहले आता है तो खेड़ली का स्थान आता है । उन मापदंडों के आधार पर वहां के कलक्टर ने जमीन बीस बीघा अलाट कर दी और वहां के लोगों ने मकान बनाना प्रारम्भ कर दिया । वहां म्यूनिसिपैलिटी ने भी कह दिया कि हम 25 लाख रुपया इस काम के लिए दे देगें और फिर

(श्री रमाकान्त शर्मा)

मुख्य मंत्रीजी का जवाब आया कि विचार जब किया जायेगा, इस बारे में पूर्ण विचार किया जायेगा, क्योंकि मापदंडों के मुताबिक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस पर विचार किया?

(2.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामेश्वर जी यादव। केवल एक सवाल पूछेंगे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पी. जी कालेजेज के लिए भी राज्य सरकार के कोई नार्म्स हैं क्या क्या सरकार तय करने से पहले यह विचार करती है कि जिस स्थान पर भवन उपलब्ध हों, जहां छात्रावास उपलब्ध हो, जहां लाइब्रेरी हो, जहां लेक्चरर्स के क्वाटर्स हों, जहां खेलकूद के अच्छे मकानात हों? ऐसी सुविधाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र के सहरिया कालेज कालाडेरा में उपलब्ध हैं और अगर वहां राज्य सरकार पी. जी. कालेज खोलती है तो एक साल तक राज्य सरकार को कोई खर्चा वहन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ट्रेण्ड के आधार पर क्या आप कालाडेरा को शामिल करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी ने अभी बताया कि यह-यह नार्म्स हैं। उस नार्म्स में मेरा जैतारण भी आता है। 50 किलोमीटर की परिधि में कोई महाविद्यालय नहीं है और पास में भंवर, नीमाच, कालू, जैतारण, चंडावल, बिलाड़ा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं, क्षेत्रीय दृष्टि से भी अनुकूल है इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने और मुख्य मंत्री जी ने अभी आश्वासन भी दिया था कि इस साल जैतारण में महाविद्यालय खोलेंगे और श्री मुरुधर केसरी जयन्त पैसा भी देने के लिए तैयार हैं, एक करोड़ रुपया भी उनके पास पड़ा है, मैं उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय श्री मांगीलाल जी मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, जो मापदंड हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र लाखेरी, जहां 32 हालनुमा कमरे आज की तारीख में हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछिये खाली आप।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मंत्री महोदय ध्यान देंगे हम 32 कमरे हालनुमा मय फर्नीचर के देने को तैयार हैं। वहां 5 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं। दो तो प्रोपर लाखेरी में है, यहां 4 सैकण्डरी स्कूल हैं और 70 किलोमीटर कोटा, बूंदी, टोंक और....

श्री उपाध्यक्ष : अब अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री मांगीलाल मेघवाल : बीच में कहीं कालेज नहीं है। क्या इन मापदंडों के अनुसार लाखेरी को लिया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री खंगार

(श्री उपाध्यक्ष)

सिंह जी ।....(व्यवधान) अब मैं पिकअप कर दूंगा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा मामला तो विचाराधीन है सरकार में । आप चर्चा समाप्त कर रहे हैं ।

श्री खंगारसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मारवाड़ जंक्शन एरिये में जो आपके नार्म्स बने हुए हैं उनके आधार पर हमारे यहां भदरा गांव के अन्दर एक ही आदमी बिल्डिंग बना रहा है । दो महीने में वह बनकर तैयार हो जाएगी । उस पर करीब 70 लाख रुपये लग चुके हैं । हमारे उस एरिये के अन्दर 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कालेज नहीं है और हमारा एरिया स्कूलों के हिसाब से भी आपके नार्म्स में आता है, इसलिए मैं यह चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी । अब बिराजिये आप । मैं अलाऊ नहीं करूंगा... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय कालेज खोलने लिए भवन भी बना हुआ है और खेल का मैदान भी है, छात्र संख्या भी है, 50 किलोमीटर तक दूसरा कोई महाविद्यालय नहीं है ·· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये अब । (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : और आपने आश्वासन दिया था । जब सारी की सारी शर्तें पूरी कर रहे होंगे तो आपके यहां निश्चित रूप से कालेज खोला जाएगा । जब मेरे क्षेत्र में टोडाभीम में सारी शर्तें पूरी हो रही हैं....(व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, मीणा साहब बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसके बाद मंत्री महोदय, आप घोषणा करें कि कालेज खोला जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, रामस्वरूपजी बैठिये ।.. (व्यवधान) इसको जनरल नहीं बनाया जा सकता ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में एक भी गर्ल्स कालेज नहीं है, मंत्री महोदय से मैं मांग करूंगा कि गर्ल्स कालेज खोला जाय ।....(व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । कृपया बैठिये आप । आप क्या कर रहे हैं ।.... (व्यवधान) कृपया सहयोग कीजिए । यह तो चल नहीं सकता, यह उत्तर दे रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं ।

श्री अनंग कुमार (झालरापाटन) : झालावाड़ जिले में····(व्यवधान)....कोई गर्ल्स कालेज नहीं है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ जिले में भी गर्ल्स कालेज खोला जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, झालावाड़ ले जायेंगे । बिराजिये ।

श्री अनंगकुमार जैन : और वह नार्म्स में भी आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो । अब क्या कर रहे हो आप ।

श्री निर्भय लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सब की बात सुनी। मेरे को आप बार-बार दबा देते हैं। मेरे भी क्षेत्र की समस्या सुन लीजिए आप।...

श्री मोतीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बुलवाने की कृपा करें। यह बोलेंगे, एक एस. सी. का एम. एल. ए. बोले....

श्री उपाध्यक्ष : मोतीलाल जी बैठे।

श्री निर्भयलाल : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहा था कि 30 किलोमीटर की परिधि में 4 हायर सैकण्डरी स्कूल होने चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र रूपवास में सबसे पुराना सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है और 4 सैकण्डरी स्कूल हैं इधर-उधर, 50 किलोमीटर की परिधि में कहीं कालेज नहीं है। बयाना से पुराना स्कूल है, फिर भी आप कहते हैं कि नार्म्स में नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। अमृतलाल जी, बैठो। आपके यहां कालेज चल रहा है। इतने सवाल पूछे हैं तो उत्तर भी सुनिये आप।

डा. रतनलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में कालेज खोलने की मांग की है और यहां पर यह भी बात कही गई है कि राजनैतिक आधार पर कालेज खोले गये हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बात तो सही है।

डा. रतनलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के विस्तार के दृष्टिकोण से राजस्थान में, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था, सन् 85 के बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक भी महाविद्यालय नहीं खोला गया था। इस सरकार के आने के बाद पिछड़े हुए इलाके कुशलगढ़ में गत वर्ष एक कालेज खोला गया था। रतनगढ़ में एक कालेज खोला गया था और इस साल जो कालेज खोले गये उनमें राजनैतिक आधार की बात की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सलूम्बर की जनसंख्या 11627 है और यह ट्राइबल बैल्ट है। पिछड़े इलाके में, जब बांसवाड़ा के आस-पास में कोई कालेज नहीं है वहां अगर कालेज खोल दिया जाता है तो उसमें राजनैतिक आधार की बात कही जाती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे जो कालेजेज खोले गये थे उसमें भवानीमंडी कालेज के...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आदिवासियों की सेवा करनी है तो जनसंख्या का आधार छोड़कर और भी कई बातें हैं जिन पर मुख्य रूप से विचार किया जाना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आदिवासी क्षेत्र में आपने खोला, वह तो आपका स्वागत योग्य कदम है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें राजनीति कहां से आ गई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : भविष्य के लिए जिस प्रकार से बाड़ी, नैनवा की मांग को ओमिट किया, आपकी इंसपैक्शन टीम गई है, उसमें

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

राजनैतिक भेदभाव की बू आती है मुख्य मंत्री जी । उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह कहना है मुख्य मंत्री जी बाड़ी गये । नैनवा की, हर जगह की, बीसों जगह की मांग आ गई, यहां इस वक्त तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में खोलने जा रहे हैं, आदिवासी इलाका है वहां तो किसी को कुछ कहना है नहीं । वहां की बहुत आवश्यकता है, खोला, आपको बधाई, आपकी तारीफ लेकिन....

श्री भैरोंसिह शेखावत : बाड़ी के लिए जो आप कह रहे हैं, अगर राजनैतिक आधार पर खोलना है तो मैं बाड़ी का विचार करूंगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपका जिला है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : राजनैतिक आधार पर विचार करना है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन वहां की मांग भी वाजिब है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मुझे बताइये कि राजनैतिक आधार पर विचार करना है तो मैं बाड़ी का विचार करूं और आप यह कहें राजनैतिक आधार पर विचार मत करो, तो मेरे हाथ मजबूत हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, बाड़ी का केस बड़ा वाजिब है । आपकी मैं तकलीफ समझ रहा हूं कि बाड़ी में खोलने पर आप पर राजनैतिक पक्षपात का आरोप लग सकता है लेकिन वह आरोप उचित नहीं होगा । वहां की मांग वाजिब है, इसलिए मेरा कहना है कि बाड़ी के अलावा और जगह की भी मांग आयी हैं, आप इसका कोई मापदंड तय कर दें । आप सदन में अभी पधारे हैं । बहुत जोरों से मांग उठ रही हैं चारों तरफ से, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो भी सरकार....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मांग तो इसलिए उठ रही है, 15 वर्ष में आपने खोले नहीं हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन ने बेन किया हुआ था । अब रिलेक्सेशन मिला है. ,.

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप चाहते तो बेन उठ जाता, कोई मुश्किल नहीं थी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह आपका भाग्य था । आपके भाग्य से खुल गया बेन, तो आपने खोल दिया नहीं तो आप भी नहीं खोल पाते । खैर, खुशी की बात है कि खुलने शुरू हुए तो आप इसमें भविश्य में राजनैतिक भेदभाव को न रखते हुए कालेज खोलें, यही मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है । मैं एक बात की ओर सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि कालेजेज की डिमाण्ड बहुत ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है । कालेज खुलने चाहिए, इसमें भी मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । सरकार के साधनों के आधार पर ही नये कालेज खुलेंगे । यह मैं भी समझता हूं, सदन इसको स्वीकार करेगा । एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि कालेज खोलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तीन वर्ष तक का कोई खर्चा दे दें और कालेज बाकी के पेरामीटर्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में आते हों, बिल्डिंग बनी हुई हो, स्टूडेंट्स की संख्या अच्छी हो, फीडिंग सेन्टर खूब हों तो राज्य सरकार उस पर विचार कर सकती है।

श्री परसादीलाल मीणा : ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बिल्डिंग की व्यवस्था करने को तैयार हों तो मैं खोलने के लिए तैयार हूं।

श्री खंगारसिंह चौधरी : मुख्य मंत्री जी, हमने गत वर्ष ही इनको कहा था, हम 4 लाख रुपया एक साथ दे देंगे, आप कालेज खोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितने लोग बिल्डिंग की व्यवस्था करेंगे, तीन वर्ष के खर्च की व्यवस्था करेंगे वहां राज्य सरकार कालेज खोलेगी।

श्री खंगारसिंह चौधरी : पहला प्रस्ताव मेरा है।

एक माननीय सदस्य : मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी हो जायेगा, मन्जूर है।...(व्यवधान)....विराजिये आप अब इसमें वर्मा साहब, डिस्कशन समाप्त हो गया। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : मेरे यहां भी गोविन्दगढ़....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई विधान सभा में ही सारा तय होगा क्या ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी है। अब आप विराजें।..(व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस घोषणा में मुख्य मंत्री जी का क्या लगा। इनका क्या लगा। इनका कार्यकाल तीन साल का ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बेफिक्र रहे। आपके पहले मेरा कार्य काल समाप्त नहीं होगा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : जहां पर हालत खराब है, जहां पर गरीब लोग हैं वहां के लोग दे ही नहीं सकते, उनका क्या होगा ?आप उनके लिये कोई स्पेसिफिक प्रोविजन करें... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, रामनारायणजी, आप बैठिये। आप इस बात की चिन्ता ना करें। मेरा कार्य काल खत्म होगा कि नहीं होगा मण्डावा में सदस्य दूसरा आयेगा, यह ध्यान रखना।

डा. चन्द्रभान : मण्डावा में सदस्य कौन आयेगा, नहीं आयेगा यह आपके ऊपर निर्भर नहीं करता....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर मेरे कार्य काल के बारे में क्या जानते हो।

डा. चन्द्रभान : यह तो जनता तय करेगी लेकिन इनका कार्य काल तो वैसे ही तीन साल का है।....

श्री उपाध्यक्ष : यह कौनसा सवाल हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं जाने वाला हूं, चिन्ता ही मत करो।

डा. चन्द्रभान : तीन साल तक यह खोलें और मण्डावा में तो आप कालेज खोलेंगे भी नहीं। मण्डावा तो वह क्षेत्र है जहां एक भी कॉलेज नहीं है। और न आप खोलेंगे इसलिये तीन साल खर्चा क्यों दें। शहरों में यूनिवर्सिटी और मेडिकल कालेज खोले जब तो सरकार खर्चा दें और गांवों में खोले तो जनता पैसा दें। यह दोहरी नीति नहीं होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह दोहरी नीति नहीं है। हम लोग खोलने को तैयार है, वह कह रहे हैं कि खोले....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय सदस्य बैठें।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अब वह वापस शब्द लेओ अपने आपने कहा कि वह वापस नहीं आयेंगे। अब डाक्टर साहब को हाउस में नहीं आने देंगे यह ठीक बात नहीं है।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह : आप कह रहे हैं कि वह आयेंगे नहीं अगली बार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मेरा कार्य काल समाप्त कर रहे हैं इसलिये मैं तो यह....

श्री नत्थीसिंह : यह तीन साल का कह रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : दो साल तो पूरे हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डाक्टर साहब, इतनी रेखा मत खींचो, कभी हो सकता है आप मेरे साथ फिर आ जाओ। यह राजनीति है। इस राजनीति में इतनी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप हमारे साथ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुमित्रा जी, आप और मैं तो एक जगह होने वाले हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप हमारे साथ आयेंगे तो स्वागत करूंगी मैं तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप और मैं तो एक जगह होने वाले हैं। वह समय और तारीख देखिये, कौन-सी तारीख को होंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप और डाक्टर साहब एक जगह हो जायं, ठीक है।

डा. चन्द्रभान : आप यह बताइये। आपको जनता ने 5 साल के लिये चुना है। दो साल पूरे हो गये, तीन ही साल बचे हैं। या आप 5 साल से ज्यादा सदन का समय बढ़ा चाहते हैं ? 6 साल या सात साल रहना चाहते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। यह क्या मुद्दा है। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री मनीरामजी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बीकानेर के ग्राम शेरपुरा की उच्च प्राथमिक पाठशाला को माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित

(103)

(श्री मनीराम सियाग)

(2) अर्जुनसर स्टेशन जिला बीकानेर स्थित उच्च प्राथमिक पाठशाला को क्रमोन्नत करने विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

(3) ग्राम शेरपुरा जिला बीकानेर की पेयजल समस्या निवारण विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं ।

विधायी कार्य

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992–पुरःस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य । पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक । माननीय श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी । प्रभारी मंत्री जी विधेयक को पुरः स्थापित भी करेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक ।

माननीय श्री परसराम मदेरणा, माननीय श्री रामनारायण वर्मा ।

विधेयक पर विचार

परिनियत संकल्प

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को मैं अस्वीकार करने के लिये आपके माध्यम से निवेदन करता हूं । माननीय उपाध्यक्षजी, इन्होंने यह जो अध्यादेश जारी किया है विद रिटोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला इसमें एक क्लोज जोड़ करके किया गया है । यह सरकार जिस तारीख के बाद, 10 अप्रेल, 1991 के बाद और उसके बाद में 10 दिसम्बर, 1991 को यह जारी किया जाय यह विद रिटोस्पेक्टिव किया गया उसके बीच में विधान सभा का सत्र आहूत किया गया । इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा कि सरकार और इस सरकार के अफसर लोगों को यह पता नहीं है कि इस कानून में खामियां आने वाली हैं या कमी आने वाली है । माननीय उपाध्यक्ष जी इनको सजेस्ट नहीं करें मंत्रीगण को पता नहीं रहे इससे ज्यादा हमारा और क्या दुर्भाग्य होगा ।

(श्री रामनारायण वर्मा)

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इसमें संशोधन ही करना था इनको, अध्यादेश जारी करना था तो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिये थी । इसमें केवल जिलों के आधार पर ही जोन कर लिया । उपजाऊ जोन, अनउपजाऊ जोन और अर्द्ध उपजाऊ जोन । सिंचित क्षेत्र जिसको उपजाऊ जोन में माना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि आज कृषि मंत्रीजी किसान के बेटे हैं लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य भी है कि किसान के हित में कितना कुछ कर रहे हैं । कथनी और करनी में काफी अन्तर है । सीलिंग के मामले में, गरीबों के मामले में जो सीलिंग में जमीन जाती है, आज गरीबों से वापस छीनी जा रही है । माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस मामले को पोलीटिकलाइज नहीं करना चाहता हूं लेकिन गांवों में आज एक बात की चर्चा चल गयी है कि जो पार्टी राजस्थान में शासन में बैठी हुई है वह सेठों की पार्टी है, वह गरीबों के पक्ष में सोचने वाली नहीं है, गरीबों के भले की बात नहीं करती है । जिस गरीब को चार बीघा जमीन आवंटित की गयी, सीलिंग की जमीन जो अधिग्रहण की गयी है वह जमीन वापस उन बड़े लोगों के पास है इस बारे में इस कानून में कोई प्रोविजन नहीं किया गया । माननीय उपाध्यक्षजी. यह देखा जा रहा है कि तीन साल तक की सजा को, जमीनें गांवों में नहीं है, लोगों को अलाट आप नहीं कर रहे हैं यदि किसी ने ट्रेस पास की थोड़ी-सी पट्टी फाड़ ली, उसमें काश्त कर ली, तो आप तीन साल की सजा बढ़ाने जा रहे हैं । एक-तरफ गरीबों को जमीन नहीं दे रहे हैं । सिंचित क्षेत्र एरियाज में, माननीय उपाध्यक्षजी, ऐसे टेल एरियाज बहुत से हैं जिन टेल एरियाज में आज की तारीख तक पानी नहीं जाता है । वहां पर कोई फसल पैदा नहीं होती, बोया हुआ बीज ही नहीं होता । माननीय उपाध्यक्षजी उसमें खाद भी पैदा नहीं होता । जो उसकी कीमत लगी है फसल पैदा नहीं होती, फसल सूख रही है, काश्तकार बरबाद हो रहे हैं । उसको क्या आप उपजाऊ जोन में डाल रहे हैं ? कहने को कोटा सम्भाग की बात है । कोटा सम्भाग से आने वाले सारे माननीय सदस्य जानते हैं, को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब इस बात को जानते हैं कि टेल एरियाज में आज की तारीख में बहुत बुरी हालत है । बीज पैदा नहीं होता आप उसको उपजाऊ जोन से निकाल कर अर्द्ध उपजाऊ या अन उपजाऊ जोन में डालिये । यह हालत है, माननीय उपाध्यक्षजी, इस हालात को इनको देखना चाहिये ।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य से कि यह परिनियत संकल्प जिस आर्डिनेंस पर हम ला रहे हैं यह जो आप बोल रहे हैं इससे क्या मतलब है ? यह जो जोन बदलने वाला है.... अभी आपने जो सारी बात कही वह इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं रखती ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बातें तो कर सकते हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : बात तो कर सकते हैं पर बात तो वह करें ना जो करेंगे उसके अन्दर परिनियत संकल्प में और जो बिल आपके सामने आया है उस पर । आप स्कोप

(श्री दिग्विजय सिंह)

के बाहर बात कर रहे हो। जिनका वह जवाब नहीं दे सकते। क्या मतलब इसका ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो केवल डिस्ट्रिक्ट का चेंज किया है नये जिले बनने के कारण से।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा जहां तक ख्याल है आप इसको पूरा नहीं पढ़ पाये हैं क्योंकि मंत्रिमण्डल में डिस्कस नहीं हुआ होगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, इसके रीजन्स क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है ? उसमें सारी की सारी बातें दी गयी है। उपजाऊ जोन, अर्द्ध उपजाऊ जोन यह सारा का सारा आप पढ़िये, माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सिर्फ तीन जिले जो नये बने हैं, बारां, दौसा और राजसमंद जैसे राजसमंद उदयपुर में था, दौसा जयपुर में था, बारां पहले कोटा में था उसको उन्होंने जिले अलग करने की वजह से उस एरिया के जोन को डिस्ट्रिक्ट में दे दिये, सिर्फ इतना सा बिल है।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्षजी जो भी स्थिति है....

श्री दिग्विजय सिंह : बाकी तो और ज्यादा कुछ नहीं है। उदयपुर की जगह राजसमंद कर दिया, जयपुर की जगह दौसा कर दिया और फटाईल जोन और सेमी फटाईल जोन.... यह वैसा का वैसा है।

श्री उपाध्यक्ष : As it is.

श्री रामनारायण वर्मा : यह राजस्व मंत्रीजी हो गये क्या आज कल ? मुझे पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह संसदीय कार्य....

श्री रामनारायण वर्मा : संसदीय कार्य मंत्री हैं, ठीक है, मैं मानता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसी का सरकार में बहुत बड़ा पद है, मेरे पड़ौसी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। काश्तकार के बेटे हैं, ठीक है जागीरदार हैं, राज किया है लेकिन किसान के हित में सोचना चाहिये उनको अच्छे आदमी हैं लेकिन दिल में भावना किसानों के खिलाफ है और किसान की बात आप करो यह हमारा दुर्भाग्य है, पड़ौस के हैं इसलिए कह रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कुछ बातें और निवेदन करूंगा, लम्बी बात नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा साहब। प्रोफेसर सहाब बोल रहे हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : एक आर्डिनेंस निकाला गया उसको आज रिप्लेस कर रहे हैं। आर्डिनेस का जस्टिफिकेशन है या नहीं, आप इस पर बोलें। बाकी जो बोल रहे हैं उस पर एतराज नहीं है लेकिन थर्ड रिडिंग पर आपको छूट है उसमें आप सारे सिलिंग एक्ट का इम्पेक्ट, कमियां, कमजोरी, क्या असर पड़ा, कितनी दी, कितनी ली, वह सारा बोल सकते हैं लेकिन इसके तहत आर्डिनेस को अस्वीकार किया जाय। क्या

(श्री केदारनाथ शर्मा)

जरूरत पड़ी, उसके कारणों पर बोलें बाकी आप थर्ड रिडिंग पर बोल सकते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सिलिंग के मामले हैं वह इसमें आते हैं। मैं इस अध्यादेश को जिस जल्दबाजी में जारी किया है, बीच में सत्र आने के बाद जारी किया है, जिस भावना से जारी किया है वह भावना राज्य सरकार की सही नहीं है। किसानों के लिए हितकारी नहीं है और सरकार की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है मैं इस अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा गृह मंत्रीजी ने कहा, यह बहुत ही फार्मल आर्डिनेन्स है। राजस्थान सरकार ने अप्रेल में तीन नये जिले गठित किये थे और धौलपुर जिला 1982 से पहले की सरकार ने गठित किया था। यह जो सिलिंग एक्ट के अन्तर्गत जो शिड्यूल दिया हुआ है उसके अन्दर नये जिले गठित होने के बाद कुछ संशोधन जारी करना जरुरी हो गया था। जैसे फार्टाइज जोन है, सेमी फर्टाइल जोन है, उसमें पहले धोलपुर जिला है उसको भरतपुर जिले में रखा था उस समय भरतपुर जिले की तहसील के साथ जोड़ा था सेमी फर्टाइल जोन में। धौलपुर जिला बनने से केवल संशोधन करके तहसील की जगह जिला रखा। इसी तरह बारां जिला है तथा इसी तरह दौसा, राजसमंद को जोड़ा है। धौलपुर जिला बनने के बाद पहले की सरकार को जरूरी था, उनको चाहिए था कि धौलपुर के लिए पहले संशोधन ले आते। लेकिन उनकी जो उस वक्त की कमियां रह गयी, उसको पूरा किया है। तीन जिले अप्रेल में बने हैं और यह जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात कही है कि 1-4-91 से लागू इसलिए किया कि अप्रैल में इन जिलों का गठन हो गया था। यह बहुत औपचारिक था आर्डिनेन्स इसलिए जल्दी जारी करना पड़ा कि उस वक्त असेम्बली का सेशन नहीं था। यह संशोधन नये जिले बनने के कारण आवश्यकता है आर्डिनेन्स इसलिए जारी किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को निरस्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या-11) को अस्वीकार करता है। विषयक प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1992। यह अधिनियम मूल रूप में 1973 में बना और उसके सेक्शन 4 के अन्तर्गत सीलिंग एरिया निर्धारित किया गया था उसमें सिंचित क्षेत्र जो दो फसल देता है उसमें अधिकतम जोतों की सीमा 18 एकड़ रखी गयी और जहां एक फसल ली जाती है, इरिगेटेड एरिया हैं वहां पर जोत की अधिकतम सीमा 27 एकड़ रखी गयी थी तथा ओर्चार्ड्स की जमीन है वहां 54 एकड़ अधिकतम सीमा रखी गयी थी। फर्टाइल जमीन पर 48 एकड़ और सेमी फर्टाइल भूमि पर 54 एकड़ थी और जो उपरोक्त सभी में नहीं आती है और सेमी डेजर्ट एरिया है वहां 125 एकड़ और जो बिल्कुल डेजर्ट है वहां पर 175 एकड़ अधिकतम सीमा रखी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कुछ नये जिले बनने के कारण निश्चित रूप से धौलपुर को, बांरा को, राजसमंद को और दौसा को इस अधिनियम संख्या 11 1973 की अनुसूचि में कुछ परिवर्तन करने के लिए उपजाऊ और अर्ध उपजाऊ जोन में इन जिलों को जोड़ा जाना आवश्यक था। लेकिन मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो इस एक्ट में उपजाऊ, अन उपजाऊ, अर्ध उपजाऊ अथवा सिंचित और असिंचित क्षेत्र निर्धारित किया गया था आज लगभग 19 वर्ष में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और यदि परिवर्तन आया है तो उसके आधार पर जोत की सीमा में अधिकतम सीमा में परिवर्तन के लिए आपने क्या कोई कोशिश की और इस एक्ट की जो मूल भावना है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में भी इस प्रकार की भावना प्रकट की गयी है कि जिन लोगों के पास अधिक जमीन है उनसे जमीन लेवें और लेण्ड लेस लेबर्स हैं, कृषि मजदूर और हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के भाई जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं उनको जमीन वितरित करना। इसके सम्बन्ध में आपने दो साल में क्या कार्य किया ? कितने लोगों को इस एक्ट के अन्तर्गत जमीन आने दी ? कितनी जमीन आपने इस एक्ट के अन्दर एक्वायर की और एक्वायर करने के बाद कितनी भूमिहीन लोगों में यह जमीन बांटी ? मैं समझता हूं कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पिछले दो वर्ष में कोई काम नहीं किया गया। पहले कांग्रेस के समय में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम चला था और गांव-गांव में राजस्व अभियान में जो भूमि अधिकतम जोत के अन्दर थी और सीलिंग से ज्यादा जमीन थी वह राज्य सरकार ने टेक ओवर की और भूमिहीन मजदूरों में, कृषिगत मजदूरों में, एस. सी., एस. टी. अनुसूचित जाति, जनजाति के भाइयों में उसका वितरण किया गया लेकिन पिछले दो वर्षों से यह राज्य सरकार इस कार्य को करने में असफल रही है। ऐसा कोई काम राज्य सरकार ने नहीं किया जिससे समाजवादी समाज की संरचना हो। बल्कि उस समाज की संरचना की कल्पना की है कि पूंजीवादी वर्ग बढ़ता जाय और किसान, मजदूर और गरीब का इसमें कोई भी ध्यान आपने नहीं रखा।

श्री टीकमचन्द कान्त : पूंजीवाद और समाजवाद का मत उठाओ। केन्द्र का बजट आने के बाद भी आपका यही मत है। समाजवाद की बात आप केन्द्र का बजट आने के बाद भी करते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिराजिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उधार ली हुई बुद्धि से काम कर रहे हैं।

(2.23 म. प.)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इस एक्ट धारा 19 में अलग-अलग भूमि का मुआवजा देने के बारे में भी कुछ बातें कही गयी हैं जैसे किसी व्यक्ति की सरप्लस भूमि को लेते हैं तो प्रथम साढ़े सात एकड़ भूमि की दर है वह 1600 रुपये प्रति एकड़ है। चाही भूमि की एक हजार रुपये प्रति एकड़, फर्टाइल भूमि की 500 रुपया, सेमी फर्टाइल भूमि की 300 रुपया प्रति एकड़ और हिल्ली जोन की भूमि 300 रुपया प्रति एकड़ तथा डेजर्ट जोन की भूमि की 75 रुपया प्रति एकड़ की दर रखी गयी है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि क्या 75 रुपये प्रति एकड़ में डेजर्ट एरिया में जमीन की कीमत निर्धारित की गयी है क्या उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं ? आप स्वयं एरिड जोन से आते हैं, बाड़मेर से। मैं जानना चाहता हूं कि 75 रुपये प्रति एकड़ में कोई जमीन है क्या ? सरकार ने सबसे कम जमीन की दर की डेजर्ट एरिया में रखी हुई है 75 रुपये। एक तरफ तो समाजवादी समाज की स्थापना के लिए वेलफेयर स्टेट का यह दायित्व बनता है कि हम गरीब की मदद करें। डेजर्ट के लोगों के पास आर्थिक उपदेयता के साधन नहीं हैं अधिकांश लोग केवल बेस्ड इकॉनोमी पर निर्भर करते हैं। पहले तो वहां लोगों के पास सरप्लस जमीन नहीं है और है तो बिल्कुल अनुपयोगी है, बिल्कुल उजाड़ भूमि है और उसका 75 रुपया प्रति एकड़ देते हैं, इन दरों में भी आपको परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि आपने जैसे जिले राजनैतिक आधार पर बनाये उसी आधार पर केवल आपने....

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट आप बिराजे। यह जो सीलिंग का एक्ट आया और इसके अन्दर मुआवजा देने की बात रखी, यह 1973 में हुई, 1973 में कौन थे ? फिर आप सोचते अगर मुआवजा ज्यादा रखना था तो....

श्रीमती उजड़ा अरोड़ा : मंत्री महोदय, ऐसा शाश्वत नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : अवाप्त किये जाने के बाद में जो मुआवजे की बात रखी है.... (व्यवधान) आज ज्यादा दे देते। अगर आज चेन्ज करेंगे तो आप यह तो मान कर चलो कि डिस्क्रीमिनेटिव हो जायेगा जिनको पहले 75 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल चुका आज अगर दूसरे को पांच सौ रुपये के हिसाब से देंगे तो कैसे पार पड़ेगी....

श्री हरिसिंह (महुवा) : जमीन की कीमत तो बढ़ी है न ?

श्री दिग्विजय सिंह : लैण्ड आपकी पहले एक्वायर हो गयी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं कहा है....

(109)

श्री दिग्विजय सिंह :....मुआवजा देने में देर हो सकती है 73 में एक्ट आने के बाद जिसके पास भी सरप्लस लैण्ड थी वह एक्वायर हो गई। उसके बाद में मुआवजा देने में देर हो सकती है। मुआवजा देते समय अगर डिस्पैरिटी हो जायेगी तो क्या यह क्वेसचनेबल नहीं है ?....

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या 73 के बाद मुआवजा नहीं दिया गया, आपका यह कहना है ? अगर देरी हो गई तो उनका क़सूर क्या है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य इसको विवाद का विषय नहीं बनाएं आप जब बोलें तो आप बोल लेना....

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां तो ठीक है. उनका कसूर क्या है फिर ? इतने साल तक तो चप्पल रगड़ी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, जब कोई एक्ट में संशोधन आता है, परिवर्तन आता है तभी उससे सम्बन्धित बातों में संशोधन होता है। इस बीच में कोई संशोधन नहीं हुए और मैंने कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दर में परिवर्तन की बात नहीं की है....

श्री सभापति : पीछे से ज्ञान उपलब्ध हो ही जाता है। काम के बाद ज्ञान उपलब्ध हो जाता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम को तो ज्ञान उपलब्ध था। उस समय तो यही दर थी। 1973 के बाद, अब यह 19 वर्ष बाद परिवर्तन हो रहा है तो 19 वर्षों में तो दरों में परिवर्तन आया है, चूंकि अब आप एक्ट में एमेन्डमेंट करने जा रहे हैं न तो केवल इसमें बल्कि और भी जो अलग-अलग प्रकार की भूमियां बताई गई हैं उनकी कीमतों में आज की कीमतों के आधार पर परिवर्तन करना लाजमी था। कांग्रेस की सरकार ने तो 1973 में जो दरें थीं उसके आधार पर किया था। उसके बाद अगर इस एक्ट में परिवर्तन आता और हम नहीं करते जो हम दोषी होते। लेकिन आप एक्ट में परिवर्तन ला रहे हैं और इन सब बातों को जानते हुए भी अनदेखापन कर रहे हैं इसलिए आपका इस बात के लिए विरोध हो रहा है। आपने सिर्फ जो अधिकारियों ने संशोधन सुझाए और जो नये जिले बने उसके कारण से अनुसूची में परिवर्तन करना था, उस आधार पर परिवर्तन कर दिया। किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसान वहां किन समस्याओं को फेस कर रहे हैं, इस बारे में आपने कतई ध्यान नहीं दिया। इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को फिर से राजस्व अभियान चलाना चाहिये और किसानों की समस्याओं में भूमि की प्रकारों में जहां अन्तर आया है, कोई इर्रीगेटेड भूमि थी वह अनइर्रीगेटेड हो गई है अथवा जहां कुएं थे वह सूख गये हैं, जहां रेगिस्तान था वहां नहर आ गई है। इन सब चीजों में परिवर्तन करके जोत की सीमा का, सीलिंग का जो आकार है उस पर पुनर्विचार करने के लिए आपको कैम्प चलाने चाहिये। मैं समझता हूं जब तक आप यह काम करें इसको तब तक एक माह के लिए जनमत जानने के लिए प्रचालित कीजिये.. (व्यवधान) लैट भी कम्पलीट फर्स्ट।....

श्री गंगाराम चौधरी : कम किया जाय या ज्यादा किया जाय ? पुनर्विचार का आपका क्या मतलब है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : कुछ न किया जाय, ऐसे ही रखा जाय ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : पुनर्विचार में यह देखना चाहिये जो जमीनें इर्रीगेटेड हो गई है उनको इर्रीगेटेड के अन्दर देना चाहिये और जो अनइर्रीगेटेड रह गई हैं उनको अन-इर्रीगेटेड के अन्दर लेना चाहिये । यानि जो उपजाऊ जमीनें थीं और अनउपजाऊ हो गई है । उनको तो अनउपजाऊ डिक्लेयर कीजिये और जो सीलिंग रेट निर्धारित की है उसी को सीलिंग का आधार मानिये । जैसा अभी नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां पहले इर्रीगेशन होता था अब नहीं होता है । उपजाऊ जोन में से अर्धउपजाऊ जोन में परिवर्तन करने की बात है और उसमें अधिकतम जोत सीमा का आधार एक्ट अन्तर्गत रखा होगा वह रखिये ।

श्री सभापति : अब स्पष्ट हो गया ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, एक राज्य सरकार को यह भी करना चाहिये कि सीलिंग में जो जमीन उनके पास आ गई है, अभी भी बहुत से मामले कोर्ट में चल रहे हैं, 20, 20 वर्षों से कोर्ट में मामले चल रहे हैं । ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकार को पुख्ता पैरवी करके सीलिंग की जमीनों को अपने अधिकार में लेकर गरीब भूमिहीन काश्तकारों में इन जमीनों का बंटवारा करना चाहिये । अन्त में मैं फिर अपने प्रस्ताव को रखता हूं कि जब तक यह बातें हों तब तक एक माह के लिए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचालित किया जाये ।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, यह बात सत्य है कि जो नये जिले बने उनमें अधिकतम सीमा को शामिल करने के लिए, जो जयपुर में आती थी, कोटा में आती थी, भरतपुर में आती थी और उदयपुर में आती थी उसके सम्बन्ध में आप यहां संशोधन लाये हैं । यह तो बात यहां तक है लेकिन जब हम इस परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, देखते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान जाता है कि भू-प्रबन्ध के सम्बन्ध में हमारी सरकार या पिछली सरकार ने क्या किया, इसको देखना पड़ेगा । सीलिंग में जो जमीन आई काश्तकार जो जमीन बेच चुका और जहां पर लोग बस गये उन जमीनों को, विभाग के लोगों से मिलकर इस प्रकार का प्रबन्ध कर रहे हैं कि मुआवजा उनको मिल जाय और नई तरह के केसेस खड़े हो रहे हैं जबकि हमको चाहिये था कि सीलिंग की जमीन जितनी आई थी उतनी जमीन लेकर के हम भूमिहीनों में बांट दें लेकिन वह भू-प्रबन्ध ठीक किया नहीं गया और जो भूमि काश्तकारों की थीं उसको नये प्लान के अनुसार आबादी में शामिल होने पर लोगों ने गृह निर्माण सहकारी समितियां बनाकर उनको उसमें शामिल कर लिया जबकि उपजाऊ भूमि की रक्षा हमको करनी थी । अन उपजाऊ जमीन को आबादी की कॉलोनियां बनाकर के रखना चाहिये था । इस प्रकार से हम अव्यवहारिक काम करते चले जा रहे हैं । मैं समझती हूं भू-प्रबन्ध न पिछली सरकार ने ठीक किया और हमारी

(श्रीमती उज़ला अरोड़ा)

सरकार कोशिश तो कर रही है लेकिन अभी पूरी कामयाबी नहीं मिली। तो इस बात को सोचते वक्त हम यह देखें कि हमें क्या करना है।

हमारे यहां मेरे इलाके में जो रेवेन्यू के कैम्प लगे उनमें नदी पेटा काश्त और जो। जमीन थी, दो-दो, एक-एक बीघा जमीन, जिनके पास 15 बीघा से कम जमीन हैं, उनको देने की बात थी। तब यहां से हमारे अधिकारी गये और रेवेन्यू का एक कैम्प लगा। लोग अपने घरों से आये कि आज यह जमीन टैम्परेरी काम करने के लिए हमें मिल जायेगी लेकिन वहां एक छोटा सा लैंकुना रह गया। वह हमारी जमुवा रामगढ़ की जमीन जे. डी. ए. में आ गई। अब छोटी-सी बात थी ना-आपत्ति प्रमाण पत्र देने की बात थी। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पिछले कई वर्षों से कहते कहते भी न पिछली सरकार ने और न इस सरकार ने कार्य किया। अब की बार बीमार थी तो रेवेन्यू कैम्प लगे तब भी एक बीघा जमीन भी उनको नहीं दी गई जो लोग खेती करते आ रहे थे वह अब भी कर रहे हैं अब उन पर यह आफत ढाई जा रही है कि यह तो इन्होंने कब्जे कर लिए। जो 40, 40 साल से काश्त कर रहे हैं, सरकार को पैसा दे रहे हैं अब अगर सरकार उनको बेदखल करे, यह बात समझ में नहीं आती। यह बात तो जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर की है लेकिन जब हम इस परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, बात करने की इच्छा होती है तब हमारी यह भी इच्छा होती है कि जो लोग भू-प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं उनको यह बताया जाये कि वह अब भी चेत जायें और भूमि का प्रबन्ध ठीक करें। इस बात को लेकर मैंने यहां पर बात करने का विचार किया। मैं यह कहना चाहूंगी कि जो सीलिंग की जमीन है, जो अवाप्ति की जमीन है, जो आपके अधिकारी हैं जो मिलकर अवाप्त कराते हैं और जो पहले जमीनें बेच चुके हैं आप इनकी विसंगति को देखिये, इसको सुधारिये, तब तो कोई बात बन सकती है अन्यथा कोई बात समझ में नहीं आती। क्या हमारे अधिकारी लोग जैसा भी कुछ कह देंगे उसके अनुसार हम कार्य करेंगे और उसके आगे-पीछे की कुछ नहीं सोचेंगे तो कम से कम मुझे तो यह स्थिति अच्छी नहीं लगती। मान्यवर मंत्री महोदय, इस पर अपने विचार रखते वक्त आप बताएंगे कि आगे से इस भू-प्रबन्ध के सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मुझे यही कहना है।

श्री सभापति : श्री राम स्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिनियम के बारे में यह जो संशोधन आ रहा है उसके बारे में मेरा यह सुझाव था कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, सरकार जो भी संशोधन करती है लेकिन इसके बारे में पहले यह विचार नहीं किया गया कि क्या पूर्व में भी जो इस प्रकार के संशोधन हुए थे या और भी कोई हमारा कानून बना था, क्या उसकी पूर्ण पालना अभी तक हो पाई है या नहीं हो पाई है? अभी सीलिंग का मामला चल रहा था सीलिंग के अन्दर आपने बड़े-बड़े जमींदार, जागीरदारों की

(श्री रामस्वरूप [redacted])

भूमि, जिनके पास बहुत सारी भूमि थी, कानून के तहत रिकार्ड पर ले ली। कांग्रेस ने एक राजस्व अभियान चलाया। राजस्व अभियान के तहत मौके पर सारे अधिकारी मौजूद थे। कलक्टर साहबान वहां मौजूद थे, पटवारी मौजूद था और जितने भी अफसर थे सब गये आखिर जिस जमीन को उन्होंने सीलिंग के तहत लिया था, आप तो खुद अफसर रहे हो, माननीय सभापति महोदय, आपको पता है, मौके पर जाकर अनुसूचित जाति

श्री सम्पत सिंह : सुनाई नहीं दिया।

श्री सभापति : आपके मतलब की चीज नहीं है इसलिए आपको सुनने की जरूरत भी नहीं है। कैरी आन प्लीज।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, ये कोई चीज थोड़े ही हैं, ये तो सदस्य हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप किसानों के मंत्री रहे हैं, आप तो कम से कम किसानों की बात को तवज्जोह दीजिए।

श्री सम्पत सिंह : इसीलिए तो कह रहा हूं कि आवाज नहीं आ रही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आवाज तो आपके पास आ जाएगी। थोड़े दिन बाद आ जाएगी अभी नहीं तो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जमीन सीलिंग के अन्दर ली गयी थी उस जमीन का कब्जा आज तक किसी को नहीं मिला है। राजस्व अभियान के तहत मौके पर जाकर सारे अफसर साहेबान ने भी उस जमीन का कब्जा देने के लिए पूर्ण कोशिश की लेकिन आज तक किसी को भी कब्जा नहीं दिया गया है। मेरे स्वयं के क्षेत्र में भी इस प्रकार के मामले आये थे। वहां मामला चल रहा है, आपको पता है, माननीय सदस्य। आपने विधान सभा में पहले उठाया था। वह जमीन जिन गरीब लोगों को बांटी गयी उन लोगों को आज तक इंच भूमि नहीं मिली। फिर इसकी मंशा आखिर क्या है? जब आप जमीन को अधिग्रहण में ले रहे हो, लेने के बाद उनको गरीबों में बांटना चाहते हो, अनुसूचित जाति के लोगों, पिछड़े लोगों को देना चाहते हो जिनके पास जमीन नहीं है उनको देना चाहते हो और उनको जब आज तक जमीन दी नहीं गयी है तो आखिर इस कानून की, इस संशोधन की मंशा पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए आप पहले उन खामियों को निकालें ताकि उन लोगों को लाभ मिले। तब तो इस संशोधन का कुछ लाभ है। इसलिए माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। इसके बाद ही इसको पेश किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

मंत्री महोदय जवाब देंगे? मैंने सोचा बाद में दे देंगे। अभी तो आगे भी आएगा।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, अभी यहां पर जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए प्रस्ताव और सलेक्ट कमेटी को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने कुछ विचार व्यक्त किये। मेरा निवेदन इसमें यह है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसमें बहुत ही औपचारिक रूप से एक संशोधन लाया गया है। नये जिले बनने की वजह से कोई स्थिति पैदा हुई थी। उसको मैं रिपीट कर दूं, सभापति महोदय। जिला बारां बनने के कारण जो पहले फर्टिलाइज्ड जोन में कोटा डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ था वहां पर हमने बारां को और जोड़ दिया है। इसी तरह जहां पर पहले बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा तहसील लिखा हुआ था उस जगह सेमी फर्टिलाइज्ड जोन में हमने जयपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ धौलपुर जोड़ दिया। इसी तरह से राजसमन्द जो अलग से जिला बना है तो उसको जोड़ा।

बहुत औपचारिक रूप से ये संशोधन जरूरी था सीलिंग केसेज को डिसाइड करने के लिए। क्योंकि जोन में जिले बटे हुए थे तो उन जिलों का नाम इसमें जोड़ा है। बहुत ही छोटा-सा संशोधन है।

माननीय श्री कल्ला जी ने सैक्शन 4, सैक्शन 19 और इस तरह की कुछ बातें कही। यह सीलिंग एक्ट 1-1-1973 को लागू हुआ था। इस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत 1-1-1973 को ही जिस व्यक्ति के पास निर्धारित सीमा से कृषि भूमि अगर अधिक थी तो वह सरकार के अन्दर वेस्ट हो जाती है। केवल मात्र इसको डिसाइड करने के लिए कि कितनी जमीन सरकार में जाएगी, जो प्राधिकृत अधिकारी है वह सुनवाई करके अपना अवार्ड देता है, फैसला करता है। हो सकता है कि कई मामले अभी तक पैण्डिंग हों। अब तक भी विचाराधीन हैं, यह मानते हैं। लेकिन फैसला आज भी होता है तो भी 1-1-1973 को जितनी जमीन उसके कब्जे में ज्यादा थी वही निर्धारित की जाएगी और चाहे मुआवजे की कीमत हो, चाहे दूसरी कीमत हो, सारा फैसला उसी हिसाब से होगा। इसलिए 1-1-1973 के सीलिंग एक्ट में इस वक्त में यह विचार नहीं किया जा सकता कि कम्पनसेशन की कीमत आपने उस वक्त की निर्धारित की, वह कीमत अब बढ़ गयी है, ज्यादा है, कम है। ऐसा निर्धारित नहीं किया जा सकता, पहली बात तो यह है।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा था कि सरकार ने दो वर्ष में कितनी भूमि आवंटित कर दी। राजस्थान की सरकार ने पिछले दो वर्ष में करीब पांच हजार एकड़, सही फिगर भी मैं बता दूंगा, सीलिंग से प्राप्त भूमि जो हमारे पास थी वह आवंटित कर दी। यह जरूर है कि अभी तक भी कुछ सीलिंग की जमीन आवंटित करने में शेष रह गयी है, लेकिन उसका मुख्य कारण है न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त होना। इसलिए बाकी की जो भूमि है वह अभी आवंटित नहीं कर सके। कुछ भूमि हमारे केनाल एरिया में ऐसी जगह पर है जहां पर अभी पानी नहीं पहुंचा है, इसलिए भी आवंटन रह गया है। कुछ जमीन जैसलमेर के ऐसे इलाके में बेकार-सी है, वह भी अभी तक आवंटन से रह गयी है। राज्य सरकार सतर्क है और सीलिंग से प्राप्त भूमि को जल्द से जल्द, ज्यों ही स्थगन आदेश वेकेट हो

(श्री गंगाराम चौधरी)

जाते हैं या निर्णय हो जाते हैं, अवाप्त कर कब्जे में लेकर आवंटित करेगी। जैसा कि नियमों में पहले से प्रावधान है, भूमिहीनों को, गरीबों को, इस तरह से वह आवंटित होती है। अभी हमारी मीटिंग दिल्ली में हुई थी। उसमें भी कुछ निर्देश जारी हुए थे। वे निर्देश राजस्थान सरकार को अगर पूरी तरह से प्राप्त हो जायेंगे तो उस गाइड लाइन के अनुसार राज्य सरकार चलेगी।

लेकिन माननीय, सदस्य ने सीलिंग की भूमि पर पुनर्विचार करने की जो बात कही, एक चीज तो स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार पहले की निर्धारित सीमाओं से अब कम सीलिंग की सीमा करने का विचार नहीं रखती। यह अवश्य है, जैसा आप कह रहे हैं कि किस्म बदल गयी है। पहले असिंचित थी अब सिंचित हो गयी है। वह नियमों में प्रावधान है आलरेडी। नियमों में यह है कि फर्टिलाइज्ड जोन, सेमी फर्टिलाइज्ड जोन, जिस तरह से भूमि की किस्म है वह किस्म आते ही उस पर सीलिंग लॉ लागू हो जाता है। उसी हिसाब से आथोराइज्ड आफिसर को यह अधिकार है कि नोटिस देकर उसको पुनः कहे कि अब सीलिंग सीमा से अधिक कृषि भूमि का आपके पास कब्जा आ गया है, क्यों न अधिकृत कर ली जाय। उससे दुबारा घोषणा-पत्र लेकर फैसला किया जा सकता है। वह किसी वक्त भी किया जा सकता है। इस एक्ट में यह पहले से ही प्रावधान है। कुछ जगह सिंचित थी वह सिंचित से रह गयी है, वह सीलिंग से अब ज्यादा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है तो सरकार उसको ज्यादा नहीं दे सकती। जो सीलिंग सीमा लग गयी और उसमें जो फैसला हो गया, उसके बाद अगर किस्म ऐसी बदल जाती है कि जमीन पहले से कम उपजाऊ हो जाती है तो सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। वह तो पहले ही फैसले हो गये हैं।

सभापति महोदय, कुछ आवंटियों को कब्जा नहीं देने की बात जरूर माननीय सदस्यों ने यहां पर कही। मैं प्रयत्न करूंगा, अगर किसी तरह का स्टे आर्डर या और तरह की न्यायालय से रूकावट नहीं है, अगर हमारे पास कब्जे में भूमि है, अगर उनको अब तक आवंटित नहीं की गयी है तो हम जल्द से जल्द गरीबों को, अनुसूचित जाति के लोगों को उनका आवंटन करवा देंगे।

कुछ ऐसी बातें आयी हैं यहां पर कि पुराने अर्से से कुछ जमीनों पर लोगों के कब्जे हैं और वे जमीनें सरकार के कब्जे में सीलिंग लॉ के जरिये आ गयीं तो उनको क्यों नहीं दे दी जाय। सभापति महोदय, सदन को जानकारी होगी कि राज्य सरकार ने अप्रेल, 1991 में नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किया था कि भूमि आवंटन करने के वक्त यदि कोई व्यक्ति पुराना काबिज है और वह अदरवाइज लैण्डलैस है तो उसको प्राथमिकता दे दी जाएगी अलाटमैण्ट के वक्त। इसी तरह से अगर 40 वर्षों से कोई पुराना काबिज है सीलिंग से हमारे पास आयी भूमि पर और वह व्यक्ति भूमिहीन की परिभाषा में आता है, दूसरी कोई उसके पास जमीन नहीं हो और हो तो सीमा से कम हो, तो उसको आवंटन में

(श्री गंगाराम चौधरी)

प्राथमिकता दी जाएगी। यह रूल 17 में हमने अप्रेल में ही कर दिया। यह समस्या भी उस हिसाब से हल हो गयी है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस जनमत के प्रस्ताव और उन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाय और बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे क्षेत्र में जो कब्जे किये हुए हैं....

श्री सभापति : इस अमेण्डमैण्ट से क्या ताल्लुक है? प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय?

श्री सभापति : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्री महोदय ने....

श्री सभापति : आप पहले बोल चुकी हैं, पहले यह नहीं बोले हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं-नहीं, मेरी बात तो स्पष्ट करूंगी। यह तो कोई बात नहीं हुई। एक बात उन्होंने कर दी, सुन ली।

श्री सभापति : आप पहले बोल चुकी हैं इसलिए आप इन्हें बोलने दें। फिर आपको भी बुलवाऊंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विचारार्थ स्टेज पर सारा सदन बोल सकता है।

श्री सभापति : मैं जानता हूं इस बात को।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह परिपाटी नहीं है। मेरे पास कोई तर्क है इसलिए बोल रही हूं।

श्री सभापति : अच्छा-अच्छा बोलिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्री महोदय ने यहां पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। यह बात सच है कि सीलिंग की जमीन जितनी आपकी पास होनी चाहिए थी वह आप नहीं ले पाये हैं और अब वर्तमान परिस्थितियों में ले भी नहीं पायेंगे। क्योंकि वहां पर आज लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, लोगों ने मकान बेच दिए हैं। अब उनको आप बेदखल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप कानून ला नहीं सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 1975 में जब यह एक्ट बना उस समय तो हम लोग मीसा में जेल में बन्द थे। उस समय इस तरफ जो सरकार के प्रतिनिधि थे, जैसा कि मेरे जमवारामगढ़ को ही ले लें, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को डेढ़ हजार पट्टे दिए गए। उनमें से कुछ को तो कब्जा दे दिये गये पर पट्टा दिये गये उस पट्टे में काबिज होकर नक्शा बनना था जमीन का वह नक्शा नहीं बना, उनको काबिज नहीं करवाया। अब उस जमीन पर दूसरे लोग काबिज हैं और लोग पट्टे लेकर घूम रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, कोई सरकार हो उसकी वह करते हैं अगर वह लोग कर गए पर आप एक्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं? मेरा यह कहना है कि इन सब बातों का प्रबन्ध आप इसमें शामिल करें तो निश्चित रूप से ऐसे रुके हुए, भटके हुए लोगों के कार्य का प्रबन्ध कर पायेंगे तब तो यह भी कानून पास करना ठीक है। आखिर 4 जिलों का काम तो होगा ही लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान में इतनी परेशानी है।

अब आपने एक बात यह कही है कि 1973 में जो पैसा दिया जाना था उसकी आज की रेट नहीं कर पायेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि इतने साल हो गए 1973 से 1983 और 1993 आने वाला है जमीन एक्वायर कर ली, आपने जमीन ले ली उसकी मुआवजे की राशि तय करने के लिए आपको करना चाहिए कि आज के दिन में जो रेट है वह तय करके उनको मुआवजे की राशि दें। यहां जो आप बात करते हैं कि 1973 की रेट देंगे, उनकी जमीन तो फिर मिट्टी हो गई। जब आप आज की रेट्स में बेचते हैं, 13 करोड़ में एक बिल्डिंग बेची है तब उनको देने के टाइम पर मुकरिए मत। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सभापति : सारे केसेज रि-ओपन हो जायेंगे, माननीय सदस्या।

माननीय श्री हेतराम जी बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, आज हम यहां जिस विधेयक पर बहस कर रहे हैं, निश्चित तौर से उसमें एक तो टैक्निकल बात ही है, पर जिस तरह से राजस्थान में सीलिंग एक्ट लागू किया गया, विशेष तौर से मुझे यह कहना है कि सीलिंग एक्ट में खुद में ही इतनी लूपहोल्स हैं। खुद का जो फ्रेम वर्क बना हुआ है सीलिंग एक्ट 1966

(श्री हेतराम बेनीवाल)

का उसके बाद में 1973 का उसमें खुद में लूप-होल्स थे, इसीलिए बड़े-बड़े भूमिपति थे उन्होंने अपनी जमीन छिपाने का रास्ता बना रखा था और उन्होंने इस तरह से जमीनें छिपाई। सबसे बड़ी बात का जो मेरा ऐतराज है वह यह है कि जब यह पता लग गया कि बड़े-बड़े लोगों ने जमीनें छिपा रखी हैं, 3-3, 4-4 हजार और 5-5 हजार बीघे के फार्म्स छिपा रखे हैं। 1973 में जो न्यू सीलिंग एक्ट बना उसमें यह प्रोविजन था कि विदिन फाइव ईयर्स किसी ने फार्म भर दिया, डिसीजन कर दिया एस. डी. एम. ने तो विदिन फाइव ईयर्स अगर उसकी शिकायत हो जाती है तो वह केस रि-ओपन हो सकते हैं।

इस तरह से 1977 में राजस्थान में एक नई सरकार आई कांग्रेस के 30-35 साल के राज के बाद। इस नई हुकुमत में और नए तरह के लोग राज करने वाले थे राजस्थान में उनके पीछे एक ट्रेडिशन था। वह जो लोग हुकुमत में आये वह लोग पब्लिक से इतने जुड़े हुए थे, कि खास तौर से गरीब किसानों से, किसानों के आन्दोलनों से किसानों की लड़ाइयों से इसलिए उनके दिमाग में यह था कि इस तरह से कोई किसी एक्ट का कमाफ्लोज करके, यूज करके कुछ लोगों ने जमीनें बचा ली हैं तो उसकी शिकायत होनी चाहिये। मैं पार्टीकुलर मेरे जिले की कह सकता हूं बाकी राजस्थान के तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, 1978 में केसेज रि-ओपन करने के बारे में राजस्थान गवर्नमेंट ने तय किया और एक इन्क्वायरी सौंपी। उस इन्क्वायरी में अकेले गंगानगर जिले में जो उस वक्त वहां पर कलक्टर थे उन्होंने 1600 केसेज रि-ओपन करने की सिफारिश की, केसेज रि-ओपन होकर जब गवर्नमेंट के पास आये तो गवर्नमेंट ने तय किया कि इतने ज्यादा केसेज आये हैं, इनके लिए स्पेशल यहां बैंच बनाई, स्पेशल डिप्टी सैक्रेटरी बनाया, सीलिंग सैल बनाया, उसकी मानिटरिंग के लिए और वापस केसेज एडिज्युडिकेशन के लिए ए. डी. एम्स के पास भेज दिए। भिन्न-भिन्न स्टेज पर ए. डी. एम्स को भेज दिए गये। ए. डी. एम्स को दिए गये केसेज में से उन्होंने जमीन काट दी, किसी की 2 बीघा काट दी, किसी की 3 बीघा काट दी, किसी की 4 बीघा जमीन काट दी। और जो सारी काटी गई जमीनें उनकी रेवेन्यू बोर्ड में अपील हो गई। किसी को रेवेन्यू बोर्ड तक कटी फिर हाई कोर्ट में अपील हो गई। 1978 के बाद दो साल-डेढ़ साल यह हुकुमत रही और 1980 में यह हुकुमत जब खतम हो गई तो उन्होंने दबाव डालकर कि किसी तरह से ये केसेज डिसाइड हो जायं, ए. डी. एम्स के लेवल पर और ए. डी. एम्स के लेवल पर केसेज डिसाइड हुये, ए. डी. एम्स ने उन केसेज में ले देकर कुछ किए थे उनकी ऊपर शिकायत हो गई। यह 1600 केसेज उस वक्त से पैंडिंग चले आ रहे हैं। वह जो केसेज रि-ओपन हुए उन केसेज के बारे में मैं आपसे अर्ज करूं कि कुछ ऐसे केसेज हैं जो हाई कोर्ट में पैंडिंग हैं, एक केस है जिसमें हाई कोर्ट ने जमीन काट ली और स्टे नहीं दिया, शेरेके गांव का केस है, 10 केसेज ऐसे हैं जिनमें रेवेन्यू बोर्ड ने जमीन काट ली, उसने मान लिया कि जमीन कटनी चाहिये और हाई कोर्ट में पैंडिंग पड़े हुये हैं।

118

(श्री हेतराम बेनीवाल)

माननीय सभापतिजी, अब सवाल यह उठता है कि राज्य सरकार और माननीय मत्रीजी का मैंने थोड़ा-सा भाषण भी सुना है कि इनकी इच्छा है कि जमीन अलाट की जाय, गरीब और भूमिहीन लोगों को। वास्तव में इस एक्ट का मतलब यह है कि हमारा देश आजाद होने से पहले जो लोगों की इच्छाएं थीं उनकी कुछ पूर्ति की जाय। कुछ हम उस तरफ ध्यान दें।

(3 00 म. प.)

माननीय सभापति महोदय, इनका कहना है कि हम ईमानदारी से अलाट करेंगे। शंका तो नहीं है पर मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार आज के परिप्रेक्ष्य में इस बारे में कोई निर्णय नहीं कर रही है और माननीय मंत्रीजी सारे केसेज विदड्रा कर रहे हैं ताज्जुब की बात यह है कि हाई कोर्ट में केसेज पैंडिग हैं, रेवेन्यू बोर्ड में केसेज पैंडिग हैं और केस उनके पैंडिग है, माननीय सभापति महोदय, जिनके पास एक्चुअल पजेशन में 2-2 हजार बीघा जमीन है। दो-दो हजार बीघा इर्रिगेटेड जमीन है जो एक बीघा एक लाख से ऊपर की है। दो- दो करोड़ रुपये की जिसके पास भूमि है वह सीलिंग एक्ट के तहत कट गई 100 बीघा या 200 बीघा। वह केस बिना किसी प्रोसीडिंग के क्योंकि इसमें जो लेकुना मैंने बताया, सभापति महोदय, लेकुना यह था कि अगर स्टेट चाहे मर्जी आए जिस वक्त वापिस ले सकती है। स्टेट को यह पावर है कि किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है जमीन काटने की उसको वापिस ले सकती है। तो इस स्टेज पर आकर राजस्थान की सरकार ने वह 1600 में से तकरीबन केसेज मेजोरिटी केसेज सिर्फ 3-4-5 महीने में ही वापिस ले लिए। मुझे समझ में नहीं आया। एक-दो केस हो सकते हैं जिनके साथ इंजस्टिस हुआ हो. दो-चार केस हो सकते हैं कि जिनको परेशान करने के लिए जमीन काट ली गई हो, कोई पक्षपात हुआ हो, उस मामले में कोई गड़बड़ हुई हो वह समझ में आती है। किसी को नाजायज परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो और उनकी जमीन काट ली गई हो, राज्य सरकार यह उचित समझती हो तो केबिनेट में यह तय करे और विचार करे, इसको वापिस ले ले वह समझ में आती है। इस तरह से इतने बड़े केसेज को जिसको रेवेन्यू बोर्ड ने जमीन काट दी, हाई कोर्ट ने जमीन काट दी और आप उसको उसी वक्त फाइल मंगा लो वहां से। क्योंकि स्टेट उसमें प्लीड कर रही है केस को, स्टेट को राइट है, स्टेट वहां से फाइल मंगवाए और फाइल मंगाकर एक लाइन लिखकर कि हम अब इसको प्रोसीड करना उचित नहीं समझते, वापिस ले लें तो इस तरह से मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की जो मौजूदा सरकार है उसकी मर्जी इस सीलिंग एक्ट को जो टूटा-फूटा किसी तरह का, मैं समझता हूं वह भी कोई इफेक्टिव सीलिंग एक्ट नहीं था जो राजस्थान के लोगों को भूमि मिली। पर जो इफेक्टिव नहीं था थोड़ा बहुत उसमें किया था उसको भी हमने उठा कर फेंक दिया।

सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर राजस्थान सरकार ने ऐसा करना है तो हैण्ड इन ग्लोव्ज नहीं करे। मैं सक्षम नहीं हूं कि उनको यह करने से रोक सकूं। मेजोरिटी है, सत्ता में हैं, वह सब कुछ करेंगे पर हैण्ड इन ग्लोव्ज करने की जरूरत नहीं

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इसको। हम चुपचाप फाइल मंगा लें हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से और उनको वापिस ले लें यह गलत है। राज्य सरकार तय करे, केबिनेट में तय करे, अपनी नीति तय करे और उसको तय कर ले तो मेरा इस सिलसिले में यह निवेदन है कि जो माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि हम इफेक्टिवली इसको लागू करेंगे या इसमें किसी को जमीन देंगे यह बिल्कुल ही गलत बात है। इस सीलिंग एक्ट को तो आपने बरी कर दिया, दफना दिया, यह दफनाया जा चुका है डरा धमकाकर कांग्रेस ने थोड़ा बहुत कुछ किया था, मैं क्रेडिट नहीं दे रहा उनको परन्तु उसके बावजूद आपने तो बिल्कुल उसको साफ ही कर दिया। तो उचित यह रहेगा कि इस मामले में आप स्पष्ट नीति में आए कि क्या जरूरत है इस सीलिंग एक्ट को लागू करने की, इससे कुछ अधिकार रखे जाए, कुछ लोग रखे जाएं और वह परेशान हो बिना मतलब।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, जो सिंचित और असिंचित है इसलिए उनकी जमीनों का तो सीलिंग कर दिया। लेकिन शहरी सम्पत्ति लोगों के पास अनाप-शनाप भरी पड़ी है। एक फैक्ट्री क्या 10-10, 15-15, 20 20 और कई तरह के उद्योग धंधे एक-एक व्यक्ति के चलते हैं। अनाप-शनाप सम्पत्ति वह बढ़ाते ही जा रहे हैं उनकी भी सम्पत्ति का सीलिंग किया जाए। एक तो मेरा यह निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो सीलिंग कानून आया, उसमें हाड़ौती के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जब सीलिंग कानून आया तो सीलिंग में जो स्टेन्डर्ड एकड तय किए गए थे उस पर जमीन की उपजाऊ शक्ति को देखकर स्टेण्डर्ड एकड तय किए गए थे लेकिन जो सीलिंग के स्टेण्डर्ड एकड कोटा, बूंदी और हाड़ौती में तय किए गए वह बहुत कम हैं। गंगानगर की भूमि में और कोटा, हाड़ौती की भूमि में उपजाऊ में कोई अन्तर नहीं है बल्कि गंगानगर की भूमि ज्यादा उपजाऊ है। लेकिन गंगानगर का जो नहरी क्षेत्र है उसमें स्टैण्डर्ड एकड तय किए गए, वह तो 29 एकड है, जो सीलिंग की सीमा निर्धारित की है और जो एक बार सिंचित क्षेत्र है उसमें 43 एकड और असिंचित क्षेत्र में 64 एकड। जबकि बूंदी में मात्र नहरी क्षेत्र में 24 एकड, एक बार सिंचित क्षेत्र में चालीस एकड और असिंचित क्षेत्र में मात्र 31 एकड को ही निर्धारित किया है। इसी प्रकार से कोटा जिले के लिए जो स्टेण्डर्ड एकड तय किया है वह 22 एकड नहरी क्षेत्र में एक बार सिंचित क्षेत्र में 37 एकड और असिंचित क्षेत्र में 31 एकड तय किया है स्टेण्डर्ड एकड। गंगानगर जिले की भूमि ज्यादा उपजाऊ है कोटा जिले और हाडौती के बनिस्पत। लेकिन स्टैण्डर्ड एकड तय करने में हाडौती के लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया है।

दूसरा, सैटलमेंट विभाग जो राजस्थान सरकार का है वह जमीनों के लिए लगान तय करता है। वह जमीन की उपजाऊ भूमि और उर्वरा शक्ति को देखकर तय करता है और इसी आधार पर उन जमीनों की किस्म तय करने में भी जिस प्रकार से हाड़ौती के किसानों के साथ अन्याय हुआ है और उससे भी हाडौती के किसान बडे परेशान है। सीलिंग के जो नियम हैं उसमें जो मुख्य

(श्री हीरालाल आर्य)

बनाए गए हैं, गांवों के ग्रुप्स बनाने में भी क्योंकि गंगानगर की जमीन बहुत अधिक उपजाऊ होते हुए भी वहां जो गांवों के ग्रुप्स बनाए गए हैं वह पांच ग्रुप्स बनाए गए हैं जबकि हाड़ौती बूंदी के गांवों के केवल दो ही ग्रुप्स बनाए गए हैं। कोटा में केवल तीन ग्रुप बनाए गए हैं। जमीन के उपजाऊ की दृष्टि से इनके ग्रुप्स बनाए गए थे यह ग्रुप्स बनाने में भी हाड़ौती के किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है, बड़ा पक्षपात किया गया है।

जो भी एक बार कानून तय हो गया सीलिंग का, बार-बार दूसरा कानून आ गया। अब नया कानून और पुराना कानून, नए कानून में तो कई प्रकार की खामियां हैं और उसमें इस प्रकार से कुछ क्लोज छोड़ दिए गए हैं कि केसेज को दुबारा रि-ओपन किया जा सकता है, कब किया जा सकता है यदि किसान के पास अधिक जमीन रह जाती है तो केसेज को रि-ओपन करके फिर किसान के पास अधिक जमीन नहीं रहे इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो जो केसेज रि-ओपन किए जा रहे हैं उसमें भी हमारे कोटा, बूंदी, हाड़ौती में इतने अधिक केसेज, सैंकडो केसेज बार बार में रि-ओपन किए जा रहे हैं। एक बार जब तय हो गया चाहे वह पुराने कानून के तहत तय हो गए चाहे नए कानून के तहत तय हो गए लेकिन बार-बार इस प्रकार से किसानों को परेशान करने के लिए जो बार-बार केसेज को रि-ओपन किया जा रहा है, सैंकडो मामले रि-ओपन करके किसानों को परेशान किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि इस बात से किसान बहुत परेशान है। इसलिए एक तो जो यह रि-ओपन किए जा रहे हैं उनको बन्द किया जाए और एक बार जो तय हो गया इस प्रक्रिया को भी समाप्त करें। राज्य सरकार इस बात का निर्णय करे और आज ही राज्य सरकार इस बात की घोषणा करे कि जो एक बार तय हो गया उसी को अन्तिम रूप से मानकर किसान को रिलीफ देने का प्रयास करेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो सीलिंग कानून है उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे परिवार की जो परिभाषा है वह स्पष्ट नहीं है, बालिग किसानों के बच्चे, उनके यूनिट्स नहीं मानी गई है जबकि जो बालिग हो गए हैं वह बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उनके बाल बच्चे हो गए हैं, अब उनके यूनिट्स नहीं मानने से उनके पास कोई जमीन नहीं आ पा रही है और गांव में किसानों के पास कोई धन्धा नहीं है। इसलिए बड़े-बड़े होने पर भी किसानों के बच्चों की यूनिट्स नहीं मानने से किसानों के जो बच्चे हैं वह बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। इसलिए परिवार की जो परिभाषा है उसको दुबारा आप मंत्री महोदय दिखाए। जो बालिग बच्चे हो गए हैं किसानों के उनको भी परिवार की श्रेणी में मानकर उनकी एक यूनिट्स तय की जाए।

इसी प्रकार से हस्तान्तरण की परिभाषा है वह भी बहुत क्लियर नहीं है। किसानों ने बहुत पहले से सीलिंग कानून आया उससे पहले अपनी जमीनें बेच दी थी। पुराने जमाने में सभी लोग रजिस्ट्रियां नहीं कराते थे इसलिए वह रजिस्ट्री नहीं कराने के पीछे ही बार-बार किसानों की जमीनों को लिया जा रहा है। अब वह जमीन किसी दूसरे के पास है। उसका मालिक कोई दूसरा है

(श्री हीरालाल आर्य)

लेकिन क्योंकि खातेदारी अधिकार उसको नहीं मिले थे तो पुराने ही खातेदार के नाम दर्ज है इसलिए उसको अधिकार नहीं मिल रहा है और उसकी जमीन को फिर अधिग्रहण किया जा रहा है। इस प्रकार से कहीं-कहीं तो ऐसे मामले भी हैं किसान के पास एक बीघा जमीन भी नहीं बची है ऐसे कई मामले हैं। यह जो हस्तान्तरण की परिभाषा है एक बार किसान बेच चुके हैं उसको भी आप देखें कि भले ही रजिस्ट्री हुई हो या नहीं हुई हो ऐसे कई मामले हैं इसलिए यह जो अधिग्रहण की है उस जमीन का जो मुआवजा है वह बहुत कम आपने तय किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दस दिन और बीस दिन जो है यह बहुत कम है। सीलिंग के तहत जमीन अधिग्रहण की है उस जमीन का मुआवजा बहुत कम आपने तय किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों को जो आप लगान देते हो वह बहुत ही कम है

श्री सभापति : जो चीज कह दी उसको दोहराये नहीं।

श्री हीरालाल आर्य : जो किसानों से जमीन ले ली है वह जमीन अधिग्रहण करके दूसरे को अलाट कर दी, अलाट करके उसका पैसा सरकार में जमा हो गया लेकिन किसानों की जो जमीन थी उसका मुआवजा उनको अभी तक नहीं मिला है जबकि नियम यह है कि जब अधिग्रहण करते हैं उसी वक्त फार्म भरवाया जाता है। हाड़ौती में सैकड़ों प्रार्थना पत्र है जो एस. डी. ओ. के दफ्तर में पड़े हैं और उनके मुआवजे के लिये किसान बार-बार चक्कर लगा रहे हैं लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसानों की आपने जमीन अधिग्रहण की है उन किसानों को मुआवजा दिलवाया जाये और बाजार भाव से मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था करें। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, आज जो बिल पेश किया गया है वह वैसे दिखने में बहुत छोटा है और माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो उद्देश्य बताया है यह बताया कि कानून में जो खामियां रहती है उसको एमेण्डमेंट के जरिये सुधारते हैं उनका कहना सही है और इसका आब्जेक्ट भी सही है। मैं आपका ध्यान इस कानून में जो बहुत बड़ी-बड़ी, आपको दिखने में बहुत छोटी दिखती है लेकिन ग्राम गरीब और अनपढ़ आदमी, उनके जीवन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है इसके सम्बन्ध में कुछ बिन्दुओं में जो खामियां हैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में यह कानून इसलिए लाया गया था कि यहां कुछ व्यक्तियों के पास जमीन ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। जिन व्यक्तियों के पास ज्यादा जमीन है वह उस सीमा से जो अधिक है उनसे अधिग्रहण करके उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाये, अलाट की जाये, यह कानून मूल राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के चेप्टर 3 में बनाया गया था और उसके बाद इसमें कई नोटिफिकेशन्स भी जारी हुये, अमेण्डमेंट भी आये और अल्टीमेटली 1973 में इसका एक बिल्कुल ही अलग ही सीलिंग का कानून बना दिया गया। जब यह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में 30 बी से शुरू हुआ था उसके अन्दर फेमिली की परिभाषा में हजबेण्ड, उसकी वाइफ, चाइल्ड, ग्रान्ड चिल्डरन्स, विडो

(श्री रामकरण चौधरी)

मदर इन सबको ही परिवार में रखा गया था और जब 1973 में यह नया कानून बना तब परिवार की परिभाषा में केवल हजबेण्ड, वाइफ, चिल्डरन उसके अन्दर किया है एक्सक्लूडिंग दी माइनर डाटर। इस नई परिभाषा में उनकी विडो जो मदर है उसको बिल्कुल ही साफ कर दिया तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश में यहां मां और बेटे के बीच में जमीन के कई बड़े-बड़े मामले चल रहे हैं।... (व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप संशोधन ही कर रहे हैं, कानून में खामियां ही निकाल रहे हैं और परिवार के सदस्यों की संख्या की गिनती के आधार पर कानून में यह भी है कि पांच या पांच से कम परिवार के सदस्यों का एक यूनिट माना गया है और पांच से ऊपर आते ही, छठा सदस्य होते ही तो उसके लिए 1/5 इस प्रकार इसकी पूरी सीमा ही बांध दी गई है। 10 सदस्यों से ज्यादा परिवार के चालीस भी है तो केवल दो यूनिट मान कर ही जमीन की सीमा रखी जायेगी। प्राइमाफेसी ही आपको यह रहता है कि जब मदर, जिसके आधार पर आपका परिवार आ रहा है उस मदर को भी आप फेमिली के अन्दर नहीं रख रहे हैं मां और बेटे के कई मुकदमें हाई कोर्ट में, सुप्रिम कोर्ट तक सक्सेशन के मामले कई चल रहे हैं। इसमें एक तो यह कमी है आप इस परिभाषा में विडो मदर को भी शामिल करें। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून जो बना है जैसा कि माननीय सदस्य ने बात कही, जब कानून बना था उसके अन्दर जैसा संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही थी वह वास्तविकता है। आज जो प्रभावीशाली व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं चतुर हैं, धनाढ्य है उनके पास हजारों बीघा जमीन है और इस सीलिंग कानून से केवल अनपढ़ और गरीब और जानकार जो लोग नहीं है वही परेशान हो रहे हैं। आज राजस्थान सरकार, मैं मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं। आज सैंकड़ों केसेज सीलिंग के रि-ओपन हो गये हैं उसके लिए अलग ए. डी. एम. की पोस्ट नागौर में लगाई गई है सीलिंग केसेज के लिये, इसलिए आज गरीब आदमी, जब राजस्थान को जमीन का पुनर्ग्रहण हुआ था, हमारे गांवों की यह प्रथा है, प्रचार भी है कि परिवार का एक मुखिया बना है उसके नाम पर ही सेटलमेंट रिकार्ड बन गया। उसके आधार पर सारा का सारा एन्युअल रिकार्ड बन जाता है। रिकार्ड में एक भाई का नाम है जबकि उसके अन्दर 4 और 5 भाइयों की जमीन का बंटवारा हो गया इसलिए सैक्शन 4 जो आपका सीलिंग एक्ट का है उसमें आपने जो प्राइमरी यूनिट रखी है उसके अन्दर मेरा यह भी निवेदन है कि जहां पैतृक सम्पत्ति हो या एन्सेस्ट्रल प्रोपर्टी हो उसके अन्दर जितने भी दावेदार है उनको दावा पेश करने का अधिकार हो। उन दावों का निपटारा हो और उनकी यूनिट मान कर जमीन का बंटवारा किया जाये वरना गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। एक छोटी सी बात, आपने राजस्थान की जमीन का जो जोन्स के हिसाब से वर्गीकरण किया है उसके साथ में आपने नियम भी बनाये मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जो मापदण्ड किया गया, मैं मेरे जिले की बात करता हूं नागौर जिले में दो तहसील है मेड़ता और नावां तो सेमी फर्टाइल जोन के अन्दर रखा है जबकि बाकी पूरे

(श्री रामकरण चौधरी)

जिले को सेमी डेजर्ट जोन के अन्दर रखा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे मेड़ता तहसील का आधा, अधिकांश भाग तो रेतीला है और 1/4 भाग कंकरीला और पथरीला है और इसके वनिस्पत पास की जायल तहसील, नागौर तहसील, डेगाना तहसील के गांव ज्यादा फर्टाइल है। उसके अन्दर कुए भी ज्यादा हैं इसलिए केवल यही कमियां हो गई कि जो कागज उछल गये, टेबिल के ऊपर रखे गये वह तो सेमी डेजर्ट में आ गये और नीचे गिर गये उनको आपने सेमी फर्टाइल कर दिया। मेरा माननीय राजस्व मंत्रीजी से सदन के मार्फत यह निवेदन है कि इस शिड्युल्ड के ऊपर पुनर्विचार करें और नागौर जिले के मेड़ता और नावां तहसीलों को भी जिले की अन्य तहसीलों की तरह सेमी डेजर्ट रखवायें।

श्री सभापति : विराजिये। सारे कानून पर थोड़े ही प्रकाश डालेंगे।

श्री रामकरण चौधरी : मैंने जो सुझाव फैमिली के बारे में दिये बहुत गम्भीर मसला है और उसके लिये आप देख रहे हैं कि मदर की कितनी उपेक्षा की गई है इसलिए उसको थोड़ा गम्भीरता से लें। मानते हैं कि कानून में खामियां हम दूर करते हैं, ढूंढते हैं इसमें जो सुझाव रखे हैं वह भी किये जायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री केदार नाथ शर्मा।

श्री केदार नाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : सभापतिजी, आपके मार्फत इतना निवेदन कर दूं कि यह तो बीटिंग दी डेड होर्स है। इस वक्त सीलिंग में कुछ चेन्ज आ जाये, सीलिंग ला को आपरेट करने से भी सरप्लस लेण्ड मिल जाये यह तो बड़ा मुश्किल काम होगा। हमारा राजस्थान बनने के बाद सबसे पहला यह आर्डीनेन्स निकला जो टिनेन्ट्स थे उनको प्रोटेक्शन में एक आर्डीनेन्स निकला यह फर्स्ट स्टेज थी। बहुत अच्छी, एक आर्डीनेन्स था कानून बना उसके बाद लेण्ड रिफोर्म, रिडम्पशन, जागीरदारी एक्ट बना उसमें यह पार्ट था सीलिंग का एक पार्ट था। उसके बाद लेण्ड रिफार्मस टिनेन्सी एक्ट के बाद लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बना और फिर सीलिंग एक्ट 1973 का है। इन्होंने बीच में कालोनाइजेशन एक्ट भी बना दिया था 1955 में और उसके बाद यह स्टेट राजाओं के बारे में, उनकी जमीनों के बारे में एक सीलिंग एक्ट बना। मान्यवर, उसके बाद उसकी फेट क्या हुई। मैं थोड़े शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही कम जमीन सरप्लस डिक्लेयर करा पाये बहुत कम, अप टू डेट रिकार्ड नहीं थे। पोलिटीकल गिल नहीं थी, जो मशीनरी थी इम्पलीमेन्टेशन की वह प्रो. जागीरदार, प्रो. राजाज थी। और जिनका बनना था उनका भी संगठन राजस्थान में बना नहीं पाये थे यह चार कमजोरी थी इसलिए राजा लोगों की जमीन आप ले नहीं पाये। बाकी जागीरदार बहुत ही कम है राजस्थान की धरती पर। जमींदार बहुत ही कम है और हमारे इलाके में जमींदारों ने जो राजाओं से खरीदी थी वह अलग जमींदारी की करेक्टर है मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि जो छः लाख एकड़ जमीन आपने रिज्यूम की है पांच लाख आपके कब्जे में है और चार लाख आपने अलाट कर दिये एक तो मेहरबानी करके एक भी केस री-ओपन मत करो आप, क्या फायदा उससे। जितने भी री-ओपन

(श्री केदार नाथ शर्मा)

केस हुये एक भी जमीन आपको रिलीज नहीं हो पाई, क्या फायदा उससे। हरेसमेंट, ए. डी. एम. लेवल में पैसे जाना, इसलिए यह जमीन री-ओपन करने की प्रेक्टिस तो आप मत करो। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि तीन चार साल पहले जब पूर्व मंत्रीजी कमलाजी थी उन्होंने दो दिन की कान्फ्रेन्स रखी थी और उसमें एम. एल. एज, एम. पीज, प्रमुख, प्रधान सभी पोलिटिकल वर्कर्स शामिल थे।

लैण्ड रिफोर्म क्या होना चाहिये, हमारे मौजूदा एक्ट में क्या कमियां है और आइंदा काम्प्रिहेन्सिव लॉ कैसे बने, इसके बारे में खूब डिस्कशन हुआ था और मान्यवर, यहां पर एक कमीशन भी नियुक्त हुआ था, उसकी रिपोर्ट पर तीन दिन यहां बहस हुई। मैं उन दिनों एम. एल. ए. था और माननीय नत्थीसिंह जी, रामकिशन जी ये सब एम. एल. ए. थे और बहन सुमित्रा सिंह भी थी और उसके बाद तीन सलेक्ट कमेटी बनी। उसकी रिपोर्ट भी आपके पास है। तब तक उसके बाद में इसका कोई चेंज, काम्प्रिहेन्सिव चेंज नहीं हो, लैण्ड आफ दी पीपुल की बात छोड़िये, वह हो नहीं सकती। बहुत बात हुई थी कि बेईमानी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री ने सारे रेवेन्यु मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और एक लाबी चल रही है। मान्यवर, कि सीलिंग लिमिट को लोअर किया जाय। सीलिंग आप नहीं ले पाये, आपरेट कर नहीं पाये, प्लानिंग कमीशन के लोग बैठे-बैठे, एयर-कंडीशन के अन्दर बैठकर सीलिंग लिमिट को कम किया करते थे। 35 साल में सीलिंग लिमिट तो कम किया, शायद फ्रेग्मेन्टेशन हो गया। काश्तकारों को और जब आप्शन नहीं मिला जमीन पर प्रेशर बढ़ता गया और फ्रेग्मेन्टेशन तो हो गया। अब आप कहते हैं शरारत है। 25–30 सालों में देहातों में एक लाबी पैदा हो गई, एक रूरल लीडरशिप पैदा हो गई, उसको कैसे माडर्नाइज करें। शहर के लोग बैठे-बैठे राजाओं की जमीन नहीं लेंगे, शहर में सीलिंग लागू नहीं करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे और एक ही बात उनको दिखाई देती है कि सीलिंग लिमिट को कम किया जाय। सब्सिडी को कम किया जाय और एक खेती बाड़ी पर टैक्स लगाया जाय। एक ही बात प्लानिंग कमीशन में बैठकर होती है, यह शरारत, यह बहुत ही कन्सलटेटिव एक्शन है। जो रूरल लीडरशिप इस देश में पैदा हुई है, उसको मारने के लिए बहुत कन्सलटेटिव एक्शन है। इसलिए मान्यवर, गंगा राम जी एक तो यह कीजिये कि कम्प्रिहेन्सिव लॉ को आप कब लाओगे, छोटे-छोटे अमेंडमेंट आप करते रहो। कन्साइनमेंट की बात करो। उसमें हम सेक्शन 42 में अमेंडमेंड कर देंगे। 15 (एएए) की बात की, उसको हम सेटेराइट कर देंगे। और उसके बाद आप और कुछ करने जा रहे हैं। पूरे राजस्थान के लोग बैठकर बहुत सोच करके, स्पेशल सैशन 5–7 दिन का बुलाकर कम्प्रिहेन्सिव लॉ लाओ आप, तभी हमें भी मालूम पड़ जाय कि राजस्थान की पिक्चर क्या है और फिर हाईकोर्ट में स्पेशल वकील नियुक्त करो आप। आपके मौजूदा एडवोकेट्स वहा पैरवी नहीं कर पाये। राजाओं से मिले हुए हैं, राजाओं ने अपनी जमीन बेच दी। 90 प्रतिशत तो बेच दी, डिस्पोज आफ कर दी, पार्ट विद कर गये, क्या लोगे जमीन आप। वे पार्ट विद कर गये। आपके एडवोकेट्स

(श्री केदार नाथ शर्मा)

एक भी केस में फाइनल स्टेज पर आकर बहस नहीं कर पाये। क्या पोस्टपोंड आफ दी केसेज, 10 सालों से केस चल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? एक स्पेशल हाई कोर्ट जयपुर में वकील नियुक्त कर दीजिये आप और बैठकर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी चीफ जस्टिस से बात करें। लैण्ड रिफोर्मस बहुत चीजें हैं लोग मिल जाय आपको, कब्जा मिल जाय आपको लोगों को बांट दें। तीसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य जोन के बारे में कह रहे थे। जमीनों को ले लिया आपने, बाकी जमीन पर कब्जे हो गये, टुकड़े हो गये, कहां से जोन दोगे आप। जोन गये। यह तो बिल्कुल थिंग्स आफ पास्ट स्टेज की बात है। इस पर चर्चा ही नहीं कीजिये। जो ठीक है, उसका डिक्रिशन हुआ है। जमीन पर था, इन्टेन्सिव आफ वाटर पर था, हमने छोटे-छोटे जोन बनाये थे। कुछ गड़बड़ी हुई है इस पोजीशन में। जैसे हमने नाली का जोन बनाया उसमें सीलिंग लिमिट ज्यादा है गंगा कैनाल की लिमिट में यह हो चुका है, हां, उन्होंने कोटा में बहुत कम कर दिया। मैं मानता हूं, उस स्टेज पर आकर उसकी आप घोषणा करें कि एक्स-विलेजर्स की जमीन के बारे में राजस्थान की क्या पोलिटिकल विल है, इसके बारे में पैरवी करा करके, पश्चिमी कोने को आप लीजिये। आप स्पेशल एडवोकेट नियुक्त कीजिये और हमें मालूम पड़ जाय कि कितनी सरप्लस लैण्ड थी, अब तक आप कितनी जमीन ले पाये और कितनी जमीन बांट पाये, कम से कम राजाओं के बारे में बाकी तो आपके हाथ में दे दी और री-ओपन करना बंद कर दीजिये आप और सीलिंग के बारे में जो फैसला प्रधान मंत्री ने किया है कि रिकार्ड, लैण्ड दी रिकार्ड आपके पास है। आप पहले एक डेट कर दीजिये और आप यह कर नहीं सकते कि रेवेन्यु मंत्रीजी आप खुद ही दिल्ली जाने वाले हैं, कम से कम 2-3 बातें जो डिबेट में यहां कही गई हैं, जो सारे असेम्बली सैशन में आ गई, रेवेन्यु लॉ पर आपको बोलने का मौका मिलेगा, इसलिए सीलिंग इसका बहुत ही फोर्मर अमेंडमेंट है? आपने दो जिले कायम किये, 3 जिले नये कायम किये। मान्यवर, उनमें एक धौलपुर का है। धौलपुर को कब किया, शायद 82 में। और अब आप अमेंडमेंट ला रहे हो. उस वक्त क्या हुआ। जो जमीन ले पाये, वे हाई कोर्ट में चले गये। वहां सारा स्ट्रक्ट आउट कर दिया होगा, अब आपको यह अवसर मिला है, इसलिए फिर भी आप टाइमली इसको लेकर आए हैं, यह बात भी है। मैंने दो-तीन बातें आपसे कही हैं, एक तो सीलिंग लिमिट जो हमने तय कर दी प्लानिंग कमीशन के मार्फत स्टडी टीम बनी है, सेन्टर का भी आप पर दबाव आये लेकिन सोच समझकर उसकी आप एक्सेपटेंस देना और जल्दबाजी में नहीं देना और आइंदा केसेज रिओपन नहीं करना और राजाओं की जमीन के बारे में बैठकर तय कीजिये, आप हमें बताइये कि पिक्चर क्या है, कौन वकील है, कितनी जमीन ले पाये, कितनी जमीन है, टोटल जमीन कितनी सरप्लस है, कितनी आप ले पाये? ये मेरी 2-3 बातें हैं।

श्री सभापति : माननीय कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, वैसे तो पूर्व में काफी बातें कही गई

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हैं लेकिन 3-4 बातें माननीय राजस्व मंत्री ने अभी उत्तर में बताया कि दो वर्ष में 5,000 एकड़ जमीन को लोगों को अलाट किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि सीलिंग में कितनी जमीन आपके पास सरप्लस ले रखी है और उसको बांटने के बारे में राज्य सरकार की क्या योजना है ? इसी प्रकार से न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में कितनी जमीन ऐसी है जो न्यायालयों में पेण्डिंग है, अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया स्पेशल वकील आप विशिष्ट वकीलों को नियुक्त कीजिये। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए क्यों नहीं निर्धारित करते। विशेष न्यायालयों में इन वादों को देकर आप एक समय सीमा नियत कर इन केसेज को निबटाइये वरना भूमिहीन लोग भूमिहीन रह जायेंगे और जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है, वे लोग 20-22 साल से इस जमीन को दे नहीं पाये और उनको न्यायालयों में लम्बित रखते रहेंगे। ऐसी स्थितियों में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट्स बना रहे हैं. पहले तो स्पेशल कोर्ट्स थे नहीं, अब स्पेशल कोर्ट्स बन गये हैं तो क्या राज्य सरकार इनको स्पेशल कोर्ट्स के माध्यम से इन विवादों को हल कराने का मानस रखती है तथा साथ ही साथ राजस्व अभियान के मामलों में यहां जो मुद्दे उठाये. क्या उस पर आप राजस्व अभियान चलाकर भूमिहीन लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे एस. टी., एस. सी. और लैण्ड लैस लेबरर्स को आप जमीन देने की मंशा रखते हैं क्या ?

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां एक-ओर सीलिंग का यह मामला है, वहीं कुछ ऐसी जमीन है जिसके बारे में राजस्व विभाग को भी शायद जानकारी नहीं है और वह है कंडीशनल पट्टे। राजाओं के द्वारा जो लैण्ड पर्टिकुलर संस्था या पांच महाजनान के नाम से या व्यक्ति विशेष, किसी संस्था के नाम से दी गई थी, पर्टिकुलर जो जमीन है, यह इसी कार्य विशेष में उपयोग की गयी, यदि किसी अन्य कार्य में उपयोग में ली जायेगी तो इसकी जो डीड है वह अपने आप समाप्त हो जायेगी। और यह जमीन सरकारी है लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज भी ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जिनके कंडीशनल पट्टे बने हुए हैं लेकिन इसको कुछ लोग खरीद-फरोख्त कर सेल कर रहे हैं। एक तरफ तो राज्य सरकार का दावा यह है कि यह जमीन हमारी है और दूसरी तरफ उन पर तुरन्त कार्यवाही नहीं होने की वजह से लोग उसको खरीदने जा रहे हैं और वह कानूनी प्रक्रिया की उलझनों में फंस गई है। या तो यह तय होना चाहिये कि जो जमीन कंडीशनल डीड के आधार पर उनको सरकारी जमीन मानकर, जिस परपज के लिए वह है, काम में ली जायेगी या फिर उनको उस कंडीशस से फ्री किया जाय ताकि लोग जमीनों को खरीद सकें और यह मामला जहां तक मैं समझता हूं यह बहुत पेचीदा सवाल है। मैं उसमें पर्टिकुलर शहर सीकर जैसे साधारण क्षेत्र में, आप यह समझिये कि 5.7 करोड़ की ऐसी जमीन है जो कंडीशनल डीड की है, उसका उन लोगों ने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बेचान कर दिया है। एक तरफ तो राज्य सरकार को उसकी रजिस्ट्री से जो फीस मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल रही है और राज्य सरकार उन लोगों पर दावा ठोक रही है, बहुत लोग कोर्ट्स में परेशान हो रहे हैं। इसलिए इसमें मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, उत्तर दें। क्षमा करें, माननीय मंत्रीजी। गोपाल सिंह जी, बोलिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं। (व्यवधान) विभाग की आपसी मीटिंग न होने के कारण से सीलिंग की लिमिट में आ रही हैं और उनको सीलिंग के अन्दर वापस कैसे किया जायेगा। इसके साथ-साथ में इसके विपरीत में हुआ है जहां दैवीय प्रकोप के कारण से ज्यादा पानी आया, बाढ़ आई और जो कुएं थे वे ढह गए, जहां पर जमीनें थी वहां पर 6-6, 8-8 मीटर सेण्ड आ गई और अब वे जमीनें किसी काम में नहीं आ रही है वो किसी तरह से खेती करने लायक नहीं हैं, जबकि आज भी वो जमीन रेकार्ड के अन्दर इरिगेटेड है तो इसके लिए भी आप कोई प्रावधान माननीय मंत्री महोदय रखेंगे कि जिनकी जमीनें इस तरह से बर्बाद हो गई है, जो आज जमीनों के मालिक होते हुए भी एक तरह से भूमिहीन हो गए हैं दैवीय प्रकोप की वजह से क्या उनको भूमिहीन मानकर या उन जमीनों को डिग्रेडेड मानकर सीलिंग यूनिट से बाहर निकालेंगे और क्या उनको और जमीन देने के लिए व्यवस्था करेंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : क्षमा करें। आप बोलना चाहते हैं ? (व्यवधान) अत्यन्त संक्षेप में कहेंगे।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : कोटा का मामला है, सीलिंग का सवाल है।

श्री सभापति : कोटा का मामला है तो ठीक है। संक्षेप में बोलिये। आर्य जी बोल चुके हैं कोटा के मामले में। (व्यवधान) अब समय जाया मत कीजिए, बोलिये क्या बोल रहे हैं।

श्री बृजराज मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार जो राजस्थान कृषि जोत अधिनियम सीमा अधिरोपण पर अमेण्डमेंट लायी जो ज़िलों की प्रविष्ट के सम्बन्ध में था उसके लिये मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं परन्तु जो सीलिंग एक्ट बना हुआ है राजस्थान में, कृषि सीलिंग के दो कानून बने हुये हैं थर्ड चेप्टर-बी, 1955 और 1973 का नया सीलिंग एक्ट। दोनों सीलिंग एक्ट में जो प्रावधान हैं कुछ विसंगतियां हैं। मैं सरकार का ध्यान उन विसंगतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनके सम्बन्ध में अमेण्डमेंट लाया जाय और क्या काश्तकारों को राहत दी जाय। सबसे पहला निवेदन यह है कि फेमिली की डेफिनेशन में जो सीलिंग एक्ट बना हुआ है उसकी फेमिली की डेफिनेशन में विडो मदर को फेमिली मेम्बर नहीं माना जाता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह बात आ चुकी है इसलिए दुबारा उस बात को कहने का कोई लाभ नहीं है। आप जो नहीं कही हुई है वह बात कह दीजिये। यह बात विस्तार से आ चुकी है।

श्री बृजराज मीणा : मैं तो कहूंगा ।

श्री सभापति : क्या लाभ होगा उसका जो चीज आ चुकी है । उसे दुबारा कहने से कोई लाभ नहीं है । समय कीमती है, आप नई बात हो तो जरूर फरमाइये ।

श्री बृजराज मीणा : सीलिंग एक्ट में फेमिली की डेफिनिशन है उसमें मदर का हिस्सा नहीं होता है, विडो मदर को फेमिली मेम्बर नहीं माना जाता है । जो लड़कियां नाबालिग होती हैं उनको फेमिली मेम्बर माना जाता है । किन्तु शादी होने के बाद एक ओर तो उनके पिता की फेमिली से उनकी मेम्बरशिप खत्म हो जाती है और अपने पिता के यहां जब वे जाती हैं तो जो सीलिंग के असेसी हैं उनका नाम फेमिली की संख्या में नहीं जुड़ता है । उनको उधर भी हिस्सा नहीं मिलता है और इधर से उनका हिस्सा लेस हो जाता है तो इसमें सुधार किया जाय ।

दूसरा, 1978 में सबसे ज्यादा केस कोटा जिले में सीलिंग के रि-ओपन किये गये । उनको इस आधार पर रि-ओपन किया गया था कोटा के जितने केसेज में जो फैसले हुए हैं उनको अनकमाण्ड या असिंचित जमीन मानकर सोइल क्लासिफिकेशन के आधार पर किये गए थे और एक्ट के मुताबिक उनको कमाण्ड मानना चाहिए था । परन्तु उसके बाद में रेवेन्यू बोर्ड ने एक रूलिंग दी कि सोइल क्लासिफिकेशन के आधार पर फैसला किया जाय । आज की तारीख में सबसे ज्यादा केसेज कोटा जिले के सीलिंग रि-ओपन के हैं । मैं माननीय मंत्रीजी से आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि एक ओर तो जमीन भी एक्वायर नहीं हो रही है, काश्तकार परेशान हो रहा है, काश्तकार अदालतों के चक्कर लगाता रहता है, रेवेन्यू बोर्ड जाता है । कई केसेज जो प्रभावशाली लोगों के हैं वे यहां से सेक्रेटेरियेट से विड्रा होकर चले जाते हैं । जो गरीब हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको कानून की जानकारी नहीं है, कानून की सुविधा नहीं ले सकता उसने अपनी जमीन दे दी । तो जिस तरह का कानून बना हुआ है जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, सरकार को जमीन नहीं मिल रही है, काश्तकारों को परेशानी हो रही है तो जितने भी सीलिंग रि-ओपन के केसेज हैं उनको विड्रा किया जाय । सीलिंग एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि कोई अनियमितता होती है या सरकार के हित पर कोई कुठाराघात होता है या सरकार के विपरीत कोई फैसला होता है तो सरकार अपील कर सकती है । जब माननीय सभापति महोदय, एक्ट में अपील का प्रावधान है और अपील की जा सकती है जो भी एग्रीव्ड परसन्स होगा वह अपील कर सकता है । इस तरह से सीलिंग केसेज रि-ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं है केवल मात्र परेशानी ही है । काश्तकार परेशान हो रहा है । अब तक कोई जमीन एक्वायर नहीं हुई है ।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, सन् 1975-76 में सीलिंग की जमीनें अधिग्रहण की गई सरप्लस डिक्लेयर की । जो गरीब काश्तकार थे उनकी जमीन तो अधिग्रहण कर ली गई । आज 17 साल होने को आए एक भी पैसा उन लोगों को मुआवजे का नहीं दिया गया । माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं उन्होंने क्या गलती की थी, क्या पाप किया

(श्री बृजराज मीणा)

था कि सरकार को जमीन दे दी ? जो प्रभावशाली लोग थे, जिनके पास पैसा था, कानून की सुविधा थी जो ल सकते थे वे आज दिन तक अपनी जमीन बचाये हुए हैं, बैठे हुए हैं उन पर स्टे चल रहे हैं। किसी केस में सिक्योरिटी का स्टे है तो किसी में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में चल रहा है कि दो कानूनों के अन्तर्गत फैसला नहीं लिया जा सकता। जब इसका डिसीजन हो गया। काफी केसेज सुप्रीम कोर्ट से लौटकर आये थे उसके बावजूद भी सरकार उन लोगों की जमीनों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर पायी। दूसरी ओर जिन्होंने 17 साल पहले जमीन दे दी उनको मुआवजा नहीं दिया। पूर्व सरकार ने नहीं दिया 15 साल हो गए। हमारी सरकार से भी निवेदन करना चाहता हू उनको मुआवज़ा दिया जाय।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें। समय बहुत कम है। हर बार रिपीटेशन हो रहा है।

श्री बृजराज मीणा : माननीय सभापति महोदय, सीलिंग एक्ट में जिस तरह की विसंगतियां हैं जिन जमीनों में पानी नहीं लगता है उनको भी कमाण्ड माना जाता है। कमाण्ड एरिया की जमीन जो अनकमाण्ड हैं, असिंचित हैं उसको इरिगेटेड मानकर फैसले किए जाते हैं, असेस किया जाता है यह इरिगेटेड है। तो इस तरह की जो अनइरिगेटेड जमीनें हैं उनको ड्राई लैण्ड माना जाय, बारानी जमीन मानते हुए सोइल क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग से फैसला किया जाय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं जो केसेज़ सीलिंग के रिओपन होकर जाते हैं ओल्ड सीलिंग एक्ट के उसमें 1-4-66 की उसकी परिवार की स्थिति देखी जाती है। फैसला होता है 90, 91, 92 में जो 1-4-66 को पैदा नहीं हुआ था उसकी जमीन का फैसला आज हो रहा है उसको उसके परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है। ऐसी जमीन तो वह फरदर एक्वायर कर लेंगे तो उसमें मानी जायेगी, वे होल्डिंग मानी जायेगी लेकिन उसके परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको उस सीलिंग रिओपन केसेज में नहीं जोड़ा जाता है। मैं, माननीय

(3.39 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण दूं। यदि असेसी का पिता एक्सपायर हो गया और उसके नाम से केस चल रहा था तो आज 26 साल बाद वो खुद मेजर होगा उसके भी बच्चे होंगे लेकिन कानून की स्थिति यह है कि उसको फेमिली की डेफिनेशन में नहीं माना जाता है उनको कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है और जमीन उसकी जोड़ी जाती है। तो जो इस प्रकार की विसंगतियां बनी हैं उनको दूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : काफी बोल चुके हैं आप। (व्यवधान)

श्री बृजराज मीणा : दूसरा ओल्ड सीलिंग एक्ट में एनसेंट्रिल प्रोपर्टी के बारे में प्रोवीजन किया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी रिलेवेंसी तो है नहीं इससे।

श्री बृजराज मीणा : माननीय सभापति महोदय, जो पुश्तैनी जायदाद होती है....

श्री उपाध्यक्ष : रिलेवेंसी नहीं है उसमें जुरिसडिक्शन अलग-अलग किया है यह मामला है।

श्री बृजराज मीणा : उसके लिए तो धन्यवाद दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब दूसरी बात करें। इसमें रिलेवेंट तो है नहीं। आप आर्ग्यूमेंट करो।

श्री रामसिंह बिश्नोई : यदि कोई सीलिंग में जमीन बची हुई हो तो अलॉट कर दीजिए।

श्री बृजराज मीणा : अलॉटमेंट वाली बात नहीं है आपने कही उसमें बता रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जो माइनर लड़के होते हैं, उनका जो हिस्सा कल्प कर दिया जाता है उसके पिता के साथ उसको सेपरेट यूनिट मानते हुए हिन्दू लॉ के मुताबिक उनके माइनर का पूरा हिस्सा दिया जाय उनको कल्प नहीं किया जाय। यह कहते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मीनाजी, एक मिनट आप बैठिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी जो संशोधन लाये हैं वैसे तो टेक्नीकल है लेकिन इस पर सदन के सामने जो विचार आये, मैं उनसे अलग ऐसा विचार रखना चाहता हूं जो किसी ने यहां पर नहीं रखा है। मैं राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जो सीलिंग लॉ के तहत सरप्लस लैण्ड घोषित हुई और उसको भूमिहीन किसानों को राजस्थान में आवंटन किया गया, उस आवंटित भूमि को उन लैण्डलेस परसन्स ने डवलप किया, लेवलिंग किया, कुआ बनाया, बिजली लगाई और आपने अपने नियमों के तहत उनको खातेदारी अधिकार प्रदान किये। जहां चकबंदी चल रही है, जहां सैटलमेंट चल रहा है, सैटलमेंट डिपार्टमेंट ने ऐसी भूमियों को माफी मंदिर में वापिस दर्ज करके उन आवंटियों के खातेदारी अधिकार कानून-कायदे को ताक पर रख कर निरस्त कर दिये। उदाहरण के लिए जयपुर जिले की आमेर तहसील, चौमूं तहसील और सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तहसील, इन तीनों में और जयपुर जिले की बैराठ तहसील इन चारों तहसीलों में एग्जामिन करवा लीजिये कि सरप्लस लैण्ड आवंटित हुई और अगर वह नियमों के तहत अलॉट की गई, सरप्लस लैण्ड घोषित हुई, उस लैण्ड को उन भूमिहीन किसानों ने डवलप किया। जो कुछ भी उनके पास था, कर्ज लेकर, जेवर रख कर, सब कुछ जो था वह सारा उस जमीन में लगा दिया और सैटलमेंट डिपार्टमेंट ने बिना किसी अपील के, बिना किसी रिवीजन के, बिना किसी रिव्यू एप्लीकेशन के, बिना किसी रेफरेंस के उनके खातेदारी अधिकार समाप्त करके माफी मंदिर में वापस दर्ज कर दी। इस बारे में मैंने पहले भी दो-तीन बार आपसे निवेदन किया, आप अपने जवाब में इस स्थिति को स्पष्ट करें। लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई जायज बात सरकार नहीं करती है, अगर किसी व्यक्ति की जायज बात को सरकार नहीं सुनती है, कोई अदालत नहीं सुनती है, कोई अधिकारी नहीं

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

सुनता है तो निश्चित रूप से ऐसा जो नाजायत कृत्य है वह एक क्रांति का रूप धारण करता है और ऐसी क्रान्ति राजस्थान में जन्म नहीं लेनी चाहिए। मेरा आपको सुझाव है कि इस पर आप गम्भीरता से विचार करके कोई निर्णायक निर्णय लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवनीत-लाल नीनामा।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि 20-9-91 को माननीय वन मंत्रीजी की अध्यक्षता में जो बैठक कर यह निर्णय लिया गया था कि उदयपुर डिवीजन में वन विभाग की जमीन पर नाजायज कब्जे हैं किसानों के....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सबजेक्ट बिल्कुल ही नहीं आता है इसमें, निनामाजी।

एक माननीय सदस्य : बोलने दो, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सबजेक्ट तो हो, फोरेस्ट लैण्ड की बात कर रहे हैं यह तो।

श्री नवनीत लाल नीनामा : उस जमीन की मौके की जानकारी ली जाकर वन विभाग से बाहर की जाय।

एक माननीय सदस्य : नहीं, रेवेन्यू से ही सम्बन्धित है श्रीमन्।

श्री नवनीत लाल नीनामा : मान्यवर, इसका कृषि जोतों से सम्बन्ध है, वहां किसान जमीन खेड रहे हैं। उस जमीन पर दण्ड और पेनल्टी लग रही है और अभी बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सैटलमेंट पैमाइश शुरू है और वह जंगलात के कूप जो हैं, वह वन चौकी के नाम से पट्टे बन रहे हैं तो वह चौकी, जिस रेंज में जो जंगलात की जमीन है वह तो कूप में चली जायेगी तो वह जमीन निकाली कैसे जायेगी, यह दिक्कत खड़ी हो गई है। अतः मेरा यह निवेदन है कि वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी व हल्का पटवारियों को यह सख्त निर्देश दिये जायं कि मौके पर जाकर इसका खुलासा किया जाय। निवेदन यह है कि यहां यह आदेश जारी हुए हैं कि 1-7-80 के पहले के कब्जे, यानि रिकार्ड में वह जमीन पकड़ी नहीं गई, मौके पर हल्का पटवारी व रेंजर जाकर पंचनामा बनाते नहीं, तो वह किसान एकदम ऐसे खड़े हो गये हैं कि जमीन बतायेगा और उधर सैटलमेंट पैमाइश शुरू हो गई है तो इस प्रकार से एक भारी दिक्कत हो गई है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनकी सीमाएं कायम की जाय। राजस्व भूमि और वन भूमि की सीमाएं कायम करने के पहले जो वन विभाग में जमीन खेड़ी गई है, उसे बाहर करने के बाद सैटलमेंट कराया जाय, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह बहुत ही छोटा-सा बिल था, एक टैक्नीकल बिल, लेकिन माननीय सदस्यों ने बहुत कीमती सुझाव इस सम्बन्ध में दिये हैं, मैं उन पर

(श्री गंगाराम चौधरी)

सरकार की ओर से अपना उत्तर रखूंगा। हालांकि रिलेवेन्ट हैं या नहीं है, उसके उपरान्त भी देना चाहता हूं। यहां एक तरफ तो यह विचार आया····

श्री यदुनाथ सिंह : जो रिलेवेन्ट नहीं है उसका जवाब क्यों दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विचार आया है उसके बारे में उत्तर दे रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं थोड़े में ही निवेदन करूंगा। इररिलेवेन्ट का मेरा मतलब यों है कि इस बिल से सम्बन्धित नहीं है लेकिन सीलिंग कानून से सम्बन्ध है। मैं थोड़े में ही कुछ कह देना चाहता हूं। यहां पर यह भी विचार आया कि सीलिंग की जमीन को और कम किया जाय, पुनर्विचार किया जाय, सीलिंग के केसेज ड्राप नहीं किये जायं, सीलिंग की भूमि ज्यादा ली जाय। दूसरी तरफ यह भी विचार आये कि सीलिंग के मामलों में किसान वर्षों से मुकदमों में फंसा हुआ है, इस कानून की उलझन में है, फेमिली की डेफिनेशन इस तरह की है, उसको राहत दी जाय। दोनों तरफ के मामले आये हैं। यहां पर यह भी आया कि छोटे-छोटे बिल लाकर अलग-अलग अमेन्डमेंट नहीं लाये जायें और काम्प्रिहेन्सिव एक कानून बना दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय राजस्व कानूनों के सम्बन्ध में जैसे पहले भी यहां पर मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी और सदन को जानकारी दी थी, राजस्व विभाग इस विचार में लगा हुआ है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, जो 1955 का बहुत पुराना बना हुआ है, उसके बाद कई अमेन्डमेंट उसमें हो गये, परिस्थितियों के अनुसार करने भी पड़े, बदलती परिस्थितियों के अनुसार अब भी करने पड़ रहे हैं, कई उसमें प्रोविजन्स इन्टरमिडयरीज के सम्बन्ध में, जागीर, बिस्वेदारी के सम्बन्ध में, जो आज रिडनडेंट हैं उनको हटाया जाय, इन सारे पर विचार करके काम्प्रिहेन्सिव बिल लाने के लिए राजस्व विभाग ने तैयारी कर ली है। टिनेन्सी लॉ नया बना कर हाउस के सामने इस वक्त तो नहीं आ सकेगा लेकिन अगले सत्र में पेश करने की कोशिश की जायेगी। इसमें राजस्व विभाग का यह भी प्रयत्न है कि विपक्ष से आने वाले कुछ माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श करें, कुछ राजस्व कानूनों के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करें, इस सम्बन्ध में विपक्षी पार्टियों के माननीय सदस्य मुझे समय नहीं दे पाये, इस कारण विचार-विमर्श के पश्चात् यह बिल लाया जायेगा। केवल टिनेन्सी लॉ के सम्बन्ध में नहीं, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट भी नया बनाया जायेगा। दोनों के सम्बन्ध में विचार करके हम अगले सदन में इसको पेश करने का प्रयत्न करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग कानून के सम्बन्ध में इस वक्त में विचाराधीन प्रकरण, जो सीलिंग के केसेज अदालतों में, रेवेन्यू बोर्ड में और सरकार में, अलग-अलग जगह पैन्डिंग हैं, उनकी संख्या अब केवल 3973 रह गई है। जो भूमि अब आवंटन के लिए शेष है वह 48816.32 एकड़ है। बाकी राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में और इन वर्षों में जो सारी भूमि राज्य सरकार के कब्जे में आई थी वह 549141.19 एकड़ आई। उसमें से कृषि योग्य भूमि 499663.65 एकड़ है और अकृषि भूमि 49477 एकड़ है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि इन दो वर्षों में भी भूमि का आवंटन हुआ जो हमारे कब्जे में

(श्री गंगाराम चौधरी)

आई और स्टे ऑर्डर वैकेट होने पर राज्य सरकार के कब्जे में ज्यों-ज्यों भूमि आयेगी या जो ऐसी भूमि है जहां अभी तक नहर का पानी पहुंचने को है, पहुंचने पर उन भूमियों का आवंटन भी राज्य सरकार जल्दी से जल्दी करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मुकदमे विचाराधीन हैं सीलिंग के सम्बन्ध में उस सम्बन्ध में विशेष अदालतों की भी यहां बात चली। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक विचार नहीं किया है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अब यह हैं नहीं, 3 हजार और कुछ हैं। राजाओं के सम्बन्धित भूमियों के मुकदमे भी अभी तक अदालतों के अन्दर विचाराधीन हैं उपाध्यक्ष महोदय। अभी जो राजस्व मंत्रियों की कांफ्रेंस हुई थी दिल्ली के अन्दर उसमें भी भारत सरकार की ओर से यह जरूर कहा गया था कि विशेष ट्रिब्युनल बनाया जाकर सीलिंग के सम्बन्धित मामलों का निर्णय किया जाये लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अपना कोई विचार नहीं किया है। इस पर अगले समय में सोचेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर राजाओं की भूमियों के सम्बन्ध में कितनी अवाप्त की गयी और कितनी नहीं की गयी और कितनी शेष है इस सम्बन्ध में भी कुछ बात चली थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह शो एस्टेट होल्डर्स एक्ट है यह सन् 1963 में लागू हुआ था और 1963 के बाद में न्यायालयों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर यह मुकदमे चलते रहे। हाईकोर्ट तक भी गये और जगह भी गये। जो अब तक भूमि राजाओं की एक्वायर की गयी है वह 57,368,60 एकड़ है लेकिन इसमें से जो कब्जा लिया गया है वह 49,691,86 एकड़ का लिया गया है। इसमें से जो भूमि आवंटित की गयी है वह 10,597.31 एकड़ है। 12,083 व्यक्तियों को यह 10,597 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। अब 39,034,55 एकड़ भूमि आवंटन हेतु शेष है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है माननीय सदस्यों ने कहा कि इस भूमि पर दूसरे लोगों के कब्जे हैं और अभी तक उन्हें बेदखल करके सारे लोगों को आवंटित नहीं कर सके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया रूल 17 के अन्दर काबिज लोगों को जो भूमिहीन काबिज लोग हैं उनको आवंटित करने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन कब्जे में ली हुई भूमि उस हिसाब से आवंटित कर दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल यह निवेदन किया गया था एक क्वेश्चन के उत्तर में भी और यह कानून भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जो खुदकाश्त भूमि में काबिज लोग हैं बरसों से धारा 19 के अन्दर जो खातेदारी अधिकारी अब तक प्राप्त नहीं कर सके उनको भी खातेदारी देने के लिए एक अवसर दिया जायेगा। कुछ भूमि इस तरह भी उनके कब्जे में जायेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर मेरे सामने जो समस्यायें आई उनका मोटे रूप से मैंने उत्तर दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सीलिंग कानून के बारे में रद्दोबदल करने की बात भी कही है। फैमिली की डेफीनेशन के बारे में भी बात आई। कोटा डिविजन के माननीय सदस्यों की ओर से सीलिंग की सीमा पहले कम निर्धारित की गयी, उनकी उपजाऊ

(श्री गंगाराम चौधरी)

खेती को देखते हुए सीलिंग की यहां भी बात आई कि वह ज्यादा होनी चाहिए। और कुछ वन भूमि के सम्बन्ध में हालांकि सीलिंग से अलग से है इस सम्बन्ध में भी बात आई, उपाध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करूं कि सीलिंग कानून सन् 1973 में बना था। हमारा जो हिन्दु सक्सेशन एक्ट है उसमें सेक्शन 4 के प्रोवाइजो 2 में एक बात दे रखी है उसमें यह बात दे रखी है कि स कानून के अन्तर्गत सारे प्रावधान होते हुए भी कृषि भूमियों के सम्बन्ध में महिलाओं के अधिकार कृषि भूमि में लागू हैं या नहीं हो यह राज्य सरकारें ही तय करें ऐसा अधिकार दिया था। उन तीनों में पहला है सीलिंग, दूसरा फ्रेगमेन्टेशन का कारण और तीसरा है डेवोल्यूशन। उपाध्यक्ष महोदय, इस कारण सन् 1973 में सीलिंग के कानून बनते वक्त महिलाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ अलग से निर्णय लिए गए और इस कारण से विडो मदर को भी इसमें शामिल नहीं किया गया और शादीशुदा लड़कियों का भी हक इसमें नहीं रखा गया और इस प्रकार के निर्णय जो पूर्व में लिये गये हैं उसके इस वक्त बदलने पर राज्य सरकार ने कोई नये तरीके से विचार नहीं किया है! मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त की सरकार और उस वक्त की असेम्बली ने इस सम्बन्ध में क्या सोचा होगा। हो सकता होगा यह नेशनल पालिसी थी। अभी हम लोग जो 14 मार्च को....

श्री रामसिंह विश्नोई : जिस समय लागू हुआ था उस समय कांग्रेस के ही मेम्बर थे आप।

श्री उपाध्यक्ष : परिवर्तन भी नहीं कर रहे हैं यह।

श्री गंगाराम चौधरी : ...हमारा वक्त तो उस वक्त दूसरा था। आप जानते हैं इस बारे में। लेकिन इस समय जो 14 मार्च को रेवेन्यु मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस बुलाई थी उसमें एजेन्डा नोट दिया था उपाध्यक्ष महोदय। उसमें इस सीलिंग की जमीन को और कम करने की बात नम्बर 1, एडल्ट सन को अलग यूनिट नहीं मानने वाली बात नम्बर 2 और एन्सेस्ट्रल प्रापर्टी भी नहीं मानने वाली बात यह तीनों बातें मोटे रूप से उस एजेन्डा नोट में थी और इस सम्बन्ध में मंत्रियों को क्या कहना है तो राजस्थान ने अपना रुख साफ तौर से जाहिर कर दिया कि जो राजस्थान में पहले का कानून है और जो सीमा पहले निर्धारित की है और परिवार की डेफीनेशन और उसमें एडल्ट का यूनिट–इसको हटाने का राजस्थान का कोई विचार नहीं है। अगर एन्सेस्ट्रल प्रापर्टी में बच्चों का अधिकार है तो वह कायम रहे, हमने इस सम्बन्ध में हमारा मत वहां पर जाहिर कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि मैंने जो विषय यहां पर जो प्रश्न उत्पन्न हुए थे उनका उत्तर दे दिया है और माननीय सदस्यों को सन्तोष हुआ होगा। मेरा निवेदन है कि इस बिल को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1992 को पारित किया गया ।

(4.00 म. प)

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक 1992 पर विचार

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मन्दिर के सम्बन्ध में मंत्री महोदय जो बिल लाये हैं उसमें खुद ही संशोधन वह धारा 4 और 5 में ले आये । मेरा निवेदन यह है कि जो पूर्व में जब राजस्थान बना तो देवस्थान के नीचे जो मन्दिर आये थे उनके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ । अनेकों मन्दिर बढ़ गये और बड़े हो गए, उस सीमा में आने लायक हो गए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उनका सर्वे किया जाना चाहिए था । जो मन्दिर निजी अधिकार क्षेत्र में थे उनके सम्बन्ध में भी कोई बात की जानी चाहिए थी लेकिन वैसा नहीं हुआ । अभी पिछले दिनों भी माइनर के आधार पर यहां काफी चर्चा रही । मन्दिर के नीचे की जमीन में काफी खुर्दबुर्द हुई है और काफी परेशानी पैदा हुई है लेकिन उस सारे परिप्रेक्ष्य में कोई बिल पर आना चाहिए था मैं तो यह कहना चाहती हूं । केवल नाथद्वारा ही जो आप संशोधन ले आये, अब मैं क्या कहूं, बल्कि और अन्य मंदिरों के सम्बन्ध में भी आप अधिकार ले लें लेकिन आप अधिकार ले लेंगे तब भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी रह जायेगा क्योंकि इन मंदिरों की जमीन जो देवताओं को लोगों ने सुपुर्द की, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुपुर्द की उनमें काफी परेशानी पैदा की जा रही है । उदाहरणार्थ कहना चाहूंगी कि यहां छोटी चौपड़ पर जो मंदिर था, उसके जो कलश थे सोने के वे भी जिनके पास प्रबन्ध था उन्होंने बेच खाये । मेरे यहां रघुनाथजी का मंदिर आमेर रोड पर है । बहुत अच्छा मन्दिर था वह । कोई एस. डी. ओ. थे श्रीवास्तव, उन्होंने अपने नाम करा लिया । आपका जो विभाग है, पता नहीं क्या कर रहा है । जैसे-जैसे मैंने कहा कि यह मन्दिर वास्तव में जो रजिस्टर्ड मन्दिर की श्रेणी में आता है, देवस्थान विभाग क्या काम करता है. मैं समझ नहीं पाती हूं । पहले तो उन्होंने दरवाजे पर कब्जा किया फिर साइड में मकान बनाया, फिर मन्दिर के अन्दर अनेकों दुकान बनाई, फिर बाहर निकल कर भी दुकान बनाकर वे किराया खा रहे हैं जबकि उनसे वह जमीन जो उनके नाम हो गयी, वापस ले लेनी चाहिए थी । मैं बार-बार, निरन्तर इस प्रकार की बातें यहां लायी हूं लेकिन यह नहीं माना गया बल्कि इतना तक हुआ, बारहठजी की हवेली जो मेरे इलाके में आती है वह किसी ने अल्पसंख्यक समुदाय के किन्हीं लोगों को बेच दी और एक झगड़ा, वाद-विवाद के रूप में खड़ा कर दिया गया । मेरा कहना है कि इन मंदिरों की देख-रेख, इनकी पूजा का जितना पैसा आप देते हैं,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

भोग राशि, उन सब से किसी का पेट नहीं भरता। आप उस राशि को बढ़ायें और मंदिर की सुरक्षा और जमीन की सुरक्षा के लिए कार्य करें। नाबालिग के अगर आप ही संरक्षक हैं तब उस संरक्षक के नाते भी आपका कर्तव्य बनता है कि देवताओं के हितार्थ जो भूमि दी गयी थी, उनके नीचे जो भूमि दी गयी, उनकी सुरक्षा करें। लोग मंदिर के नीचे की जमीनें बेच रहे हैं। आज हम केवल एक मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। जो अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं कहना चाहती हूं उन्होंने तो....

श्री उपाध्यक्ष : लूणी से आते हैं जोधपुर से नहीं आते है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका नाम हो सकता है पर आपका मन वैसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो यहां पर बिल लाये थे नाथद्वारा में बारे में कि आप प्रति वर्ष एक लाख रुपया जितने भी प्रबन्धकर्ता हैं उनके वारिस के हिन्दू एक्ट के तहत उनको आपने 30-40 साल का एक-एक को काफी रुपया दिलवाया था, आप क्या मुंह लेकर रहे है? मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं अगर मंत्री महोदय आश्वस्त करें कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह से इस विभाग के इन मंदिरों की देख-रेख का यहां पर आश्वासन देते हैं, तब तो मेरी कोई बात नहीं है लेकिन मैं कहना चाहती हूं अगर नहीं कर पायें, कोई असमर्थता रहे तब इस बिल को, जो संशोधन लाये हैं जनमत जानने के लिए भेजा जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवकिशोर सनाढ्य। आप बोलेंगे क्या?

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : हां श्रीमान्। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक, 1992 है इसमें मैंने एक क्लॉज नम्बर 3 में एक अमेण्डमेन्ट दिया है और वह अमेण्डमेण्ट मैंने इसलिए दिया है कि मैंने, पहले तो मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि वहां ...(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले तो वे लोग बोलेंगे आपका बाद में।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : आपने मुझे सुधार दिया इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक लाये हैं इसमें माननीय मंत्रीजी ने जिस तरह की इनकी मंशा लगती है इस नाथद्वारा मंदिर के सन्दर्भ में, वहां की व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में, क्योंकि यह नाथद्वारा मंदिर है यह वैष्णव सम्प्रदाय का एक भारत वर्ष का प्रसिद्ध मंदिर है और यहां पर हजारों तीर्थ यात्री प्रति वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात से ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश से यहां पर आते हैं और इसलिए यहां की जो व्यवस्था है उसमें और खास तौर पर से मैं मंत्रीजी का ध्यान उदयपुर के मंदिर की तरफ और जो घसार का मंदिर है उसकी तरफ, घसार के मंदिर में भी इसी तरह से पूजा की जाती है जिस तरह से मुख्य मंदिर में की जाती है लेकिन घसार के मंदिर की तरफ उपेक्षा का भाव होने के कारण वहां पर कुछ असामाजिक तत्व पनप रहे है और उनकी वजह से जो यात्री जाते है उनको वहां पर बहुत तकलीफ होती है। मंदिर के ही कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी वजह से मंदिर की जो व्यवस्था

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

है उसमें भी बहुत उन लोगों को कठिनाई महसूस हो रही है । यहां तक स्थिति आयी है कि पुलिस से सहायता लेने की बात हुई और वह बिल्कुल जंगल में है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की व्यवस्था को ठीक करें ।

उदयपुर का जो मंदिर है, जब श्रीनाथजी उत्तर प्रदेश से, ब्रिज से जब आये थे तो सबसे पहले वहीं पर आकर बिराजे थे । उस मंदिर की जो व्यवस्था है, उनके पीछे जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और अनाधिकृत रूप से लोग उस पर कब्जा कर लेंगे । एक लम्बे समय से कुछ परिवार वहां पर रह रहे हैं और उसी की वजह से कोई धर्मशाला का परपज था अब वह उसका समाप्त हो गया है । पहले उदयपुर में एक यही धर्मशाला थी जहां वैष्णव लोग आकर ठहर सकते थे अब तो चम्पालाल की धर्मशाला हो गयी । अब वहां लोग जाने लगे । इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में जो बहुत बड़ी कम्यूनिटी रहती है वैष्णवों की उनके लिए कोई भी कहीं ऐसा स्थान नहीं है अगर उसके पीछे जो जमीन पड़ी हुई है उस पर दुकानें बना दी जायं तो मंदिर की इन्कम होगी और इसके पीछे कुछ सार्वजनिक कार्य करने की दृष्टि से, विवाह, भोज, मीटिंग, ऐसा करने की दृष्टि से अगर उस जमीन में कुछ भवन बना दिये जायं तो लोगों को कुछ रहने की सुविधा होगी तो उसकी वजह से लोगों को लाभ होगा । मैं यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आप अगर यह व्यवस्था कर सकेंगे तो वहां के वैष्णवों को, जो आस-पास लोग रहते हैं और समाज के लोग आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे । माननीय मंत्री महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर में जो बृज से आये हुए थे, जो बृजवासी कहलाते हैं, जो भगवान श्रीनाथजी के साथ ही यहां पर आये थे उन लोगों की दृष्टि से अभी भी जो मंदिर में काम करते हैं उनको कुछ लोगों को केवल प्रसाद दिया जाता है, कुछ लोगों को केवल अनाज दिया जाता है, कुछ लोगों को, कर्मचारियों को कुछ रुपया दिया जाता है लेकिन वह रुपया भी इतना कम है कि वह जो 22 रुपया प्रति व्यक्ति को श्रम की एवज में, वह भी उन लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है और इस तरह से वहां के जो कर्मचारी हैं उनके मन में हमेशा असंतोष व्याप्त रहता है और यह असंतोष कभी भी प्रतिपादित हो सकता है, कभी भी बाहर निकल सकता है इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर का जो बोर्ड है और उसमें जो अधिकारी लगने वाले हैं उनको इस सब की आपकी तरफ से दिशा-निर्देशन होना चाहिए कि वह यह जो काम करने वाले लोग हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं इनको भी सुविधा दें और आज जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह की सुविधा दें । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि दक्षिण के उस तिरुपति मंदिर की अगर हम व्यवस्थाओं को देखें, तिरुपति मंदिर में जिस तरह की व्यवस्था है, उन्होंने अपना विश्वविद्यालय चला रखा है, उनका अपना मेडिकल कालेज है, उनका अपना हास्पिटल है, इन्जीनियरिंग कालेज है, स्कूल हैं, उनकी अपनी बसेज हैं और इस तरह से वहां समाज की तिरुपति में आने वाला जो चढ़ावा है उसकी वजह से

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

वह सम्पूर्ण समाज की सेवा कर रहे हैं। नाथद्वारा में भी इतनी अथाह सम्पत्ति और इतना चढ़ावा आता है कि इस राजस्थान की विधान सभा में अनेक वर्षों तक नाथद्वारा काण्ड गूंजता रहा। अनेक लोगों पर आरोप लगे कि उन्होंने पैसा खा लिया, जेवरात खा लिया। उसमें ऐसी छिपी हुई सम्पत्ति है खजानों में जिसका पता नहीं है लेकिन माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह जो चढ़ावा आता है, सम्पत्ति आती है इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। यह पहले से जो सम्पत्ति जमा है यदि किसी तरीके से इस सम्पत्ति का उपयोग किया जा सके इसलिये मैं चाहूंगा, कम से कम एक संस्कृत महाविद्यालय नाथद्वारा के अन्दर स्थापित किया जाय, वह संस्कृत महाविद्यालय किसी दिन देश के विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो और देश की संस्कृति का उत्थान करने की दृष्टि से यह एक बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों को ले करके और मंदिरों को ले करके अनेक लोग आज तक लड़ाते रहे हैं इस समाज को। हिंन्दू समाज को लड़ाने का काम करते रहे हैं। यदि यह व्यवस्था की जाय मंदिर की ओर से कि उदयपुर के अन्दर एक होस्टल बनाया जाय जिसमें हरिजनों के बच्चे, वनवासियों के बच्चे, जिनको आदिवासी कहते हैं लोग, उनके बच्चे होस्टल में रखे जायं, उनके खाने पीने की सुविधा का प्रबन्ध किया जाय और वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनको वहां संस्कार दिये जायं तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं यह जो वैमनस्य हमारे समाज में पैदा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अनेक लोग यह आरोप लगाते हैं, वह आरोप भी मिट जायेंगे और नाथद्वारा की जो सम्पत्ति है, जो चढ़ावा है उसका सदुपयोग होता रहेगा। वहां के जो रहने वाले बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्तियां दी जायं, उनके काम्पीटिशन कराये जायं और ऐसे लड़के नाथद्वारा या राजसमन्द जिले के हैं, जो बहुत पिछड़ी जातियों के हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई मेडिकल में जाना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, नाथद्वारा मंदिर की ओर से उन लोगों की सम्पूर्ण शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, उनका खर्चा किया जाय, यदि इस तरह के काम किये तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं, वहां मंदिर के साथ सम्पूर्ण समाज जुड़ सकेगा और यह जो विषमताएं पैदा हो गयी है इस समाज में, वह दूर हो सकेंगी। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। संशोधन में आगे बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मदनलालजी सैनी, बोलना चाहेंगे? माननीय बुलाकीदासजी कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1992 से विशेष तौर से उदयपुर जिले के अन्तर्गत पहले यह आता था, अब चूंकि राजसमन्द नया जिला बन गया है उसके अन्तर्गत नाथद्वारा आता है इसलिये इसकी धारा 2 के (8) में अभिव्यक्त उदयपुर जिले के स्थान पर राजसमन्द जिला प्रतिस्थापित किया गया है, इसमें तो किसी को कोई एतराज है ही नहीं। धारा 5 की उप धारा (1) में अभिव्यक्त उदयपुर जिले के स्थान पर इन्होंने राजसमन्द जिला प्रतिस्थापित किया है, यहां

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पर भी कोई एतराज नहीं लेकिन इसके साथ-साथ 9 सदस्यों की जगह इन्होंने 11 सदस्य बनाये हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : वह गवर्नमेंट की ओर से मूव नहीं किया जा रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं नहीं, है। 9 सदस्यों की जगह 11 सदस्य बनाये जा रहे हैं, यह क्या कारण से बनाये जा रहे हैं, यह तो मंत्रीजी अपना उत्तर देंगे तब बतादेंगे। लेकिन एक बात के लिये मैं जरूर बोलना चाहूंगा। राज्य सरकार, उपाध्यक्ष महोदय, पहले सांवलियाजी के मंदिर को अधिगृहीत कर रही थी, अब उन्होंने इस विधेयक के खण्ड 4 और 5 को हटाये जाने के बारे में प्रस्ताव दे दिया वरना इस नाथद्वारा टेम्पल का भी एक तरह से सारा का सारा सरकारीकरण हो जाता। क्योंकि अब तक तो केवल बजट भेजा जाता था और यह खण्ड 4 पास हो जाता, यह सरकार नहीं हटाती तो सारे बजट का अप्रूवल गवर्नमेंट के पास ले जाना पड़ता। तो मैं इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं, देर आये सवेर आये, सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो भूला नहीं कहलाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो बैठ जाओ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, 4 और 5 खण्ड को हटाये जाने के बाद विशेष बात नहीं रहती लेकिन कुछ बातें हैं जो नाथद्वारा के सम्बन्ध में राज्य सरकार करती रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी अभी जा रहे हैं, अभी अजमेर के बारे में कुछ प्रबन्ध किये लेकिन कांग्रेस के शासन के वक्त में नाथद्वारा और अजमेर, दोनों में साइमलटेनियसली फण्ड रखा जाता था। इस बार नाथद्वारा के लिये आपने कोई प्रबन्ध नहीं किया। आप मन्दिरों के नाम से वोट मांगते हो लेकिन मन्दिरों के लिये कर कुछ नहीं रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस नाथद्वारा के लिये आपने कांग्रेस शासन में एक पैसा दिया हो, बता दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने दिया है बराबर, 25 लाख रुपये दिये हैं। 25 लाख गरीब नवाज के लिये और 25 लाख नाथद्वारा के लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब दिये ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : शिवचरणजी के वक्त में। दो साल तक लगातार दिये हैं। लगातार दिये हैं बराबर, आप बजट स्पीच पढ़ लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देख लिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विशेष उल्लेख कर करके दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब दरगाह में दिये उसका विरोध है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, दरगाह में दिया उसके लिये धन्यवाद। नाथद्वारा में भी दीजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप धन्यवाद देओ और मांग करो कि नाथद्वारा के लिये दिया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यही तो कह रहा हूं कि जो परम्परा चलायी थी कि दोनों जगहों पर पैसे दिये जा रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दरगाह का विरोध करो, यह वाजिब नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, मैंने नहीं किया। आप नाथद्वारा के लिये भी पैसे दीजिये। इसके साथ-साथ नाथद्वारा में जो पैसा आता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक मांग करिये कि पुष्कर के लिये भी दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, पुष्कर के लिये भी देना चाहिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : पैसे लेओ मन्दिर से, देओ काहे के।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मन्दिरों का सरकारीकरण कर रहे हैं इसको रोकिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कर रहे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं एक्सप्लायटेशेन नाथद्वारा में हो रहा है, उसका रचनात्मक उपयोग होना चाहिये। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने तिरूपति का उदाहरण दिया है। यह बात सही है कि तिरूपति में जो पैसा आता है उससे इंजीनियरिंग कालेज, यूनिवर्सिटी, अनेक शिक्षण संस्थाएं और वहां का पूरा विकास जो है, वह तिरूपति के मन्दिर से जो सम्पत्ति और धन अर्जित किया जाता है उसका रचनात्मक उपयोग किया जाता है। लेकिन नाथद्वारा में इस प्रकार के काम नहीं हो रहे। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मैसूर में जैसे वृन्दावन गार्डन है उस तरीके से नाथद्वारा की सम्पत्ति के अन्तर्गत कुछ नहरें वगैरह बनी हुई हैं वहां पर आप सिंगिग फाउण्टेन बना दें तो दो साल में उसकी लागत....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हस्तक्षेप के के लिये क्षमा करें। मैं एक जानकारी करना चाहूंगा कि तिरूपति के सम्बन्ध म जो विधेयक बना हुआ है, क्या उसी प्रकार का विधेयक हम नाथद्वारा के लिये बना दें?

श्री बुलाकीदास कल्ला : बना दीजिये, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस ठीक है। वहां सारा ही गवर्नमेन्ट का है।

श्री नत्थीसिंह : इन्होंने तो उसको पढ़ा ही नहीं है।

श्री रामकिशन : माननीय मुख्य मंत्री जी, जरा बताइये, उसमें क्या लिखा हुआ है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें लिखा हुआ है कि आप जैसे आदमी को मन्दिर में प्रवेश करने नहीं दिया जायगा।

श्री रामकिशन : अगर यह नहीं लिखा हुआ तो?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग हो। नाथद्वारा में अच्छे पुस्तकालय में वाचनालय बनें, यात्रियों के ठहरने के लिये यात्री निवास बनें, जो गरीब व्यक्ति वहां जाते हैं उनको

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ठहरने के लिये स्थान नहीं मिलता उनके लिये अच्छी-अच्छी धर्मशालाएं बननी चाहिये, कुछ कालेज बनने चाहिये। कांग्रेस के वक्त में यह काम हुए हैं लेकिन अफसोस है कि कि पिछले दो सालों में वहां कोई नया काटेज या धर्मशाला, यात्री निवास वगैरह नहीं बने हैं। इसी तरीके से नाथद्वारा की पेन्टिंग्स पिछवाई बहुत प्रसिद्ध है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कांग्रेस के टाइम में क्या-क्या बना, जरा बता दें तो हमारा भी ज्ञान बढ़ जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वहां का जितना डवलपमेंट हुआ है, पूरा कांग्रेस के वक्त हुआ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कुछ बनीं धर्मशालाएं ? आपने बनायी थीं धर्मशाला, यात्री निवास ? एक दो तो बनाये होंगे ?

श्री हेतराम बेनीवाल : इससे फायदा क्या है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : काफी कोटेजेज बने हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हेतराम जी कह रहे हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो यात्री वहां जाते हैं उनको ठहरने की सुविधा होगी, जो तीर्थ यात्री वहां आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नाथ द्वारा की जो पिछवाई पेंटिंग्स है वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। लेकिन उसके लिये क्या राज्य सरकार ने वहां कोई ट्रेनिंग स्कूल वगैरह कायम किया है ? जो हमारे नये-नये विद्यार्थी पिछवाई पेंटिंग्स को सीखना चाहते हैं, नाथद्वारा शैली को जीवित रखने के लिये जरूरी है कि वहां पर नाथद्वारा पेंटिंग स्कूल की स्थापना की जानी चाहिये और इसको विकसित करना चाहिये ताकि आने वाले समय में कला को हम हमेशा संरक्षण दे सकें। इसी तरह से मूर्ति बनाने वाले छोटी-मोटी मीनाकारी, कशीदाकारी, अनेक काम करने वाले कारीगर वहां हैं। इन कलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये वहां नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के माध्यम से कुछ अच्छे ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाय ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके और वहा पर इन कलाओं को संरक्षण प्रदान किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, इस नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड की मीटिंग बहुत कम हो पाती हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यह प्रयास करना चाहिये, समय-समय पर नाथद्वारा में जो लोग रहते हैं स्थानीय, उन स्थानीय लोगों के शैक्षणिक विकास के लिये अधिक से अधिक कार्य किया जाना चाहिये। इसके लिये कुछ अच्छे स्कूल, कुछ अच्छे जॉब ओरियेन्टेड एजूकेशन के प्रोग्राम टेम्पल बोर्ड के माध्यम से शुरू किये जाने चाहिये।

अन्त में, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो बृजवासी वहां पर वर्षों से काम कर रहे हैं उनको सौ रुपये, पचास रुपये दो सौ रुपये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तनख्वाह मिलती है और प्रसाद के रूप में थोड़ी बहुत सामग्री मिलती है। उनको मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत जितना वेतन न्यूनतम निर्धारित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, कम से कम उतना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

न्यूनतम वेतन तो प्रदान किया जाय ताकि वह अपना गुजर बसर कर सकें। चूंकि आप इस एक्ट में परिवर्तन लाने जा रहे हैं, तो आपको कम से कम यह करना चाहिये था कि इससे सम्बन्धित नाथद्वारा का ओवरहाल डवलमेंट हो। वहां ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं, वहां पर सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं, सड़कें अच्छी बनी हुई नहीं हैं। इन सब बातों के बारे में कौन ध्यान देगा? वहां का पूरा का पूरा जो प्रशासन है वह कोई ध्यान नहीं देता कि मन्दिर वाले अपने आप करायेंगे और टेम्पल बोर्ड महज दो तीन औपचारिकताएं, मीटिंग करके एक तरीके से कोई काम वहां हो नहीं पाता। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नाथद्वारा का पर्यावरण आप सुधारें, वहां पर यात्री सुविधाएं बढ़ायें और वहां की कलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये विशेष प्रयत्न करें। इसलिये विधेयक को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालाल जी आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा का जो मन्दिर है, वह राजस्थान ही नहीं देश के बड़े मन्दिरों में से एक है और मैं समझता हूं कि तिरूपति के बाद शायद सबसे ज्यादा जो चढ़ावा आता है, वह नाथद्वारा मंदिर में आता में आता है लेकिन नाथद्वारा में जिस प्रकार की वहां की मान्यता है और प्रसिद्धि के नाते क्योंकि वह बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और तीर्थ स्थान होने की वजह से वह पर्यटन केन्द्र भी है। इसलिए वहां पर हजारों, लाखों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक तीर्थ यात्रा और धार्मिक वजह से भी आते हैं लेकिन वहां जिस प्रकार की व्यवस्था है, सुविधाएं हैं. वह वहां पर नहीं के बराबर हैं। हमने तिरूपति बालाजी का मन्दिर भी देखा है, जम्मू का शिव राम मन्दिर भी देखा है, वहां जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उसकी तुलना में नाथद्वारा में कोई सुविधाएं नहीं हैं। न यहां पर सफाई की व्यवस्था, न पीने के पानी की व्यवस्था है, आवास की, सुरक्षा की, प्रकाश की, सड़कें, वगैरह गंदगी जिस प्रकार से रहती है, कोई सुविधाएं वहां पर हैं नहीं। इतना बड़ा चढ़ावा आता है। जिस प्रकार से तिरुपति में या जम्मू में मन्दिर में जिस प्रकार से आवास की, पीने के पानी की, स्थान, भोजन, आदि की जितनी भी व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था वहां भी उस चढ़ावे से उपलब्ध करायी जानी अत्यन्त आवश्यक है, ताकि वहां पर जो बाहर से लोग आते हैं, उनको सुविधाएं दी जा सकें। उस चढ़ावे का उपयोग सार्वजनिक हित में शिक्षा, चिकित्सा के लिए खर्च किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। दूसरा मेरा निवेदन है कि पिछले वर्ष नाथद्वारा में हरिजनों के प्रवेश को लेकर बड़ा बावेला मचा था और उससे इस देश के करोड़ों हरिजनों के दिल पर आघात लगा था। मेरा निवेदन है कि यह जो बोर्ड है, उनमें जो संख्या बढ़ायी जा रही है 9 के बजाय 11, उसमें एक राजस्थान से, एक गुजरात और वह जो एक सदस्य लिया जा रहा है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के भी एक को लिया जाये, इस प्रकार की व्यवस्था हो तो वहां की व्यवस्था में मैं

(श्री हीरालाल आर्य)

समझता हूं हरिजनों का सम्मान बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : पहले बीमा करवा लो उस मैम्बर का, फिर भेजना ।

श्री हीरालाल आर्य : वहां की व्यवस्था में उनका योगदान भी होगा । दूसरा मेरा निवेदन है कि अब तक वहां का जो बजट पास होता था, उसमें सरकार के अनुमोदन के लिए वह नहीं आता था । यह अच्छी बात है कि इसमें आप विचार कर रहे हैं। इनका जो बजट है, वह सभी दृष्टि से जन-हित में लगे, इसके लिए सरकार अनुमोदन के लिए जो आ रही है, अच्छा प्रस्ताव है, आना चाहिए । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाये ताकि वहां का जो महत्व है, वहां पर अधिक सुविधाएं दिये जाने से और अच्छी व्यवस्था वहां हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा, विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही पवित्र कार्य हमारी सरकार ने जो किया है, नाथद्वारा मंदिर है, उसको लिया गया है, उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि सरकार कम से कम मंदिरों की व्यवस्था के लिए, साथ ही वहां की व्यवस्था सुधरे, पैसे का सदुपयोग हो समिति भी आपने बनायी है 9 या 11 सदस्यों की, जो भी है । मेरा इतना सा निवेदन है कि आपके माध्यम से कि जितने मैम्बर उस कमेटी के अन्दर लिये जायें, कम से कम ऐसे व्यक्ति हों....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आज तो बड़े ठंडे बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा बोल रहे हैं। अब उनको आप बोलने दीजिए । कृपया सहयोग कीजिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही पवित्र कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है । जो यह बिल आया है, यह मामला नाथद्वारा मंदिर का नहीं है, भगवान और उसके श्रद्धा और विश्वास का मामला है । माननीय सदस्य आप राम और मन्दिरों की बात करते हो और जब नाथद्वारा का मामला आया, तो आप मजाक में लेते रहे हो, इस बात को । उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात का मखौल न उड़ायें ।

श्री उपाध्यक्ष : मीणा साहब आप थोड़ी धीमी आवाज में बोले, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : देखिये उनकी आवाज ही ऐसी है । आप वाणी को....

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक है । आज सभी माननीय सदस्य इनके बोलने के लहजे की प्रशंसा कर रहे हैं ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इन जीजा साले के बीच में यह कहां से आ गये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा यह निवेदन है कि कमेटी में जो भी लोग लिये जायें, वह कम से कम ऐसे व्यक्ति हों, जो श्रद्धा और विश्वास रखते हों, मंदिरों और

(श्री रामस्वरूप मीणा)

भगवान की ओर आस्था रखते हों, जिनके चाल चलन अच्छे हों, कहीं आप ऐसे मैम्बरों को इसमें ले लो जिनकी हालत है दिन में सेवा पूजा करते हैं, रात्रि को बैठकर शराब पीकर जुआखोरी करते हैं क्या आप ऐसे व्यक्तियों को कमेटी में लोगे, नहीं। मेरा सुझाव है उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि यह बहुत पवित्र कार्य है, जिन व्यक्तियों के चरित्र अच्छे हों, जिन व्यक्तियों की की समाज प्रशंसा करता हो, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास रखते हों, जो धार्मिक कार्यों में समय दे सकते हों, ऐसे व्यक्तियों को प्रबन्ध कार्यकारिणी कमेटी में लिया जाये....

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : उनकी लिस्ट आपके पास है क्या ?

श्री नत्थीसिंह : उसमे आप नहीं आ रहे हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां मेरे पास है और उसमें किसी भी जिले के आपको लेने पड़ेंगे। मैं उनके नाम भी आपको दे सकता हूं। मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी जो जमीन, या नाथद्वारा के मंदिरों की जमीन, जो अधिगृहित कर ली जाती है, सरकार कर लेती है। उस पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा चाहे आपके टाइम में कब्जे नहीं हुए चाहे आपसे पहले जिन लोगों ने कब्जे किये हैं। यह पार्टी का मामला नहीं है, यह मामला पवित्र कार्य का, भगवान का है। ऐसी पवित्र जगह जो जमीनें हैं, जिन पर किसी ने भी कब्जा कर लिया है। वह कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे किसी भी पार्टी से वह सम्बन्धित है, आप तुरन्त उससे कब्जा वापस लें और मन्दिरों की रक्षा करें, उनकी जमीनों की रक्षा करें। तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि आप मन्दिरों के लिए जो बजट रखते हो, यह बजट बहुत कम है। मन्दिरों की सेवा पूजा के लिए जिन व्यक्तियों को आप रखते हो, उनका इस प्रकार का विधान बना हुआ है, उनको कितने कम पैसे दिये जाते हैं कि उन लोगों को व्यवस्था करने में या भगवान का जो चढ़ावा आता है, उसमें से चोरी करनी पड़ती है। चाहे आप स्वीकार करो, या मत करो। चोरी करते हैं वे लोग। उसके पीछे कारण है। अब आपकी जो रेटे हैं, वह इतनी कम है, आपकी जो तनख्वाह है, वह इतनी कम हैं। आपकी व्यवस्था के लिए जो पैसा भगवान की सेवा के लिए पूजा के लिए जो भी पैसा दिया जाता है, वह पुराने रेट के अनुसार है। अब महंगाई बढ़ चुकी है तो महगाई बढ़ने के अनुसार सेवा, पूजा में जो चीजें काम आती हैं, या व्यवस्था के लिए जो चीजें आती हैं, उसको महंगाई के अनुसार आप बढ़ाते हुए चले, ताकि भगवान की पूजा सेवा की व्यवस्था के लिए आप धन का पूरा प्रबन्ध रखें। जिससे कोई किसी प्रकार की बुराई इन स्थानों के अन्दर नहीं आ सके। मूल कारण यही है, पैसे का अभाव, पैसा आप देते हो नहीं। फिर उसमें भी दो नम्बर चल जाता है। भगवान के यहां भी चोरी होने लग जाती है, इसको आप जरूर रोकेंगे। माननीय मंत्री महोदय बहुत श्रद्धा और विश्वास वाले आदमी हैं और मेरे इन सुझावों का जरूर जवाब देंगे, यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा, उत्तर दीजिए।

श्री रामकिशोर मीणा (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मन्दिर संशोधन के मार्फत एक तो किसी भी माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति नहीं है। उदयपुर जिले से राजसमंद जिला अलग हुआ है और उस जिले का परिवर्तन किया गया है। दूसरा जो प्रावधान हमने 9 के स्थान पर 11 मैम्बरों का किया है, इसमें राजस्थान का तथा गुजरात का प्रतिनिधित्व कम था। पहले कुल 9 मैम्बर थे, दो राजस्थान से, दो गुजरात से तथा तीन महाराष्ट्र से, तथा दो पूरे भारतवर्ष से—जो वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी होंगे, उसके बारे में तो हमने देखा और यह महसूस किया कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व कम है और प्रतिनिधित्व कम होने की वजह से देश भर में प्रसिद्ध जो नाथद्वारा का मन्दिर है, उसका पैसा राजस्थान में कम खर्च होता है। जितना मंदिरों के कल्याण के लिए तथा मन्दिर की संस्कृति के विकास के लिए राजस्थान को मिलना चाहिए था, प्रतिनिधित्व कम होने की वजह से इसमें बहुत कम खर्च हो रहा था। इस नाते से एक सदस्य राजस्थान का तथा एक गुजरात का सदस्य बढ़ाकर कुल सदस्य संख्या 11 की है जो मामले अन्य मन्दिरों के बारे मे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनके बारे में निवेदन है कि राजस्थान में देवस्थान के पास में बहुत बड़ी सम्पत्तियां है उसमें काफी लम्बे अर्से से अतिक्रमण होकर के उनकी जमीनें खुर्द-बुर्द होती रही हैं और उस नाते से यह महसूस किया गया, हमने गत वर्ष एक विशेष अभियान चलाया प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर जितनी सम्पत्तियां हैं उनका हमने पुनः सर्वेक्षण कराया कहां-कहां हमारी जमीनें हैं। और उसमें कितने अवैध कब्जे हो गये और क्या ऐसी सम्पत्तियां हैं जिनको अलाभकारी होने के नाते बेचना वाजिब है या नहीं इस नाते से विशेष अभियान चलाया गया और उस नाते से 30 हजार बीघा जमीन प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर की थी उसका हमने आइडेन्टीफाई किया तथा करीब 400 या 500 बीघा जमीन जो हमारे रिकार्ड में थी, इस सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश में ऐसी सम्पत्तियां थीं जो हमारे रेकार्ड में दर्ज नहीं थीं लेकिन इन सर्वेक्षण करने के बाद में वह हमारे पास में आयी और उन जमीनों को भी हमने शामिल किया है जो पहले रेकार्ड में छूट गयी किसी कारण से तो इस नाते से अभी आपने देखा होगा माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय इस प्रकार की परि-सम्पत्तियां हैं जो देवस्थान से सम्बन्धित हैं जो धार्मिक स्थान हैं और उनमें इतनी बड़ी जमीनें हैं, इतनी बड़ी सम्पत्तियां हैं उनका भी सही प्रकार से संचालन नहीं हो रहा था। इस नाते से यह महसूस किया जा रहा है कि इसका एक बोर्ड गठित किया जाय ताकि क्योंकि राजस्थान की सम्पत्ति सम्पूर्ण देश भर में है जो देवस्थान से सम्बन्धित है लेकिन अन्य प्रदेशों के मन्दिरों की सम्पत्ति दूसरे प्रदेशों में बहुत कम हैं। दूसरे प्रदेशों की सम्पत्ति की सुरक्षा बड़ी कठिन है और उस नाते से भी यह महसूस किया गया कि देवस्थान का बोर्ड बनाया जाय और उसमें एक प्रभावी नियन्त्रण इस प्रकार का किया जाय कि जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनकी आगे बहबुदी बढ़े। धार्मिक संस्कृति जो आज धीरे-धीरे विलोपित होती जा रही है। वह और अच्छी तरह से विकसित हो।

(श्री रामकिशोर मीणा)

नाथद्वारा मन्दिर में बहुत बड़ा बजट है और उसका समय-समय पर ग्राडिट भी होता रहा है और उसके नाते से इसमें गड़-बड़ियों की सम्भावना पिछले दो वर्ष से मैं देखता आ रहा हूं. इसमें किसी प्रकार की हमें शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है और पहले की कोई शिकायत हो उसकी जांच भी हमारे पास पेंडिंग नहीं है। लेकिन इसका बेहतर प्रबंध हो तथा राजस्थान के हित में तो जो मन्दिर सम्पत्ति है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार हो इस उद्देश्य को लेकर यह अमेण्डमेण्ट हमने प्रपोज किया है। निवेदन है कि इसको आगे बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड–2

खण्ड–2 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड–2 स्वीकार किया गया।

खण्ड–3

माननीय श्री शिवकिशोरजी सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि यह उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उस बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ायी है। लेकिन मेरा उसके साथ साथ यह निवेदन है कि जो उस बोर्ड के सदस्य हैं वह इतनी रूचि नहीं लेते विकास के कार्यों में, उनकी जो दृष्टि है वह परम्परागत दृष्टि है और उनको कोई उसमें, जिस तरीके के हमारे माननीय सदस्यों के सुझाव में बात आयी है उस तरह का उनका कोई भी विचार नहीं रहता है और इस तरीके से उनके ऊपर राज्य सरकार से सीधा संबंध ही नहीं रहता। हम नहीं चाहते कि राज्य सरकार का देवस्थान में किसी भी तरह का कोई उनके ऊपर अधिग्रहण हो, उनके ऊपर हमारा कोई अधिकार हो यह हम नहीं चाहते लेकिन निश्चित रूप से हम यह चाहते हैं कि राज्य सरकार का और नाथद्वारा बोर्ड का किसी तरह का एक लिंक रहना चाहिये ताकि वहां पर माननीय सदस्यों की भावनाओं को पहुंचाया जा सके और समाज के लिये काम करने के लिये

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

प्रेरणा दे सके इसलिये मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान विधान सभा का कोई भी सदस्य उसका एक सदस्य रहे, उन 11 लोगों में तथा वह ठीक तरह से राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। जैसे विभिन्न बोर्डों में, यूनिवर्सिटीज में राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य है और राजस्थान सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है इसलिये मैंने उसमें संशोधन दिया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपने यह जो क्लाज वापस ले लिया है यह 4 नम्बर क्लाज जो आपने वापस ले लिया है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप क्या संशोधन कर रहे हैं केवल वही पढ़िये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जो मैंने संशोधन दिया है वह क्लाज नम्बर–3 में "In sub clause (2) of clause 3 for the expression 'eleven other members' sought to be substituted the expression 'eleven other members including one member of the Rajasthan Legislative Assembly' shall be substituted." यह मेरा संशोधन है और इसी संशोधन के ऊपर मैंने अपने विचार व्यक्त किये है। इस संशोधन को यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो सरकार और उस बोर्ड के बीच में एक ऐसा तारतम्य बन जायेगा और हम उनसे सही काम करवा सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने क्लाज–3 में संशोधन पेश किया है उसके बारे में निवेदन है कि यह वैष्णव सम्प्रदाय का मन्दिर है और अभी नाथद्वारा मन्दिर के जो रूल्स हैं उसके तहत उनसे सूची ली जाती है कि कौन कौन वैष्णव है और उन वैष्णव में से ही जो खाली जगह है उसमें से नोमीनेट किया जाता है। उसमें उस पर विचार कर लिया जायेगा यदि सूची में नाम आता है माननीय सदस्य का तो उसके ऊपर विचार किया जायेगा। इसलिये इसको....

श्री यदुनाथसिंह : हरिजन को मन्दिर में प्रवेश के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–3 में जो संशोधन श्री शिवकिशोर सनाढ्य ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड–3 स्वीकार किया गया।

प्रक्रिया के नियम 265 सब क्लोज–2 को निलम्बित करने का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 के खण्ड–4 व 5

(श्री रामकिशोर मीणा)

को विलोपित करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये प्रक्रिया के नियम 265 (2) को निलम्बित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अपना स्पष्टीकरण दीजिये कि आप यह सुझाव क्यों लाये। अभी तो आप संशोधन लाये थे और एकदम आप उसको हटाने का ले आवे। तो इसके पीछे कोई तर्क आपका हो तो वह आप बतायें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : बजट की अप्रूव्ल के लिये क्यों लाये इसके पीछे क्या राज था ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। प्रश्न यह है कि प्रक्रिया के नियम 265 (2) को निलम्बित करने का जो प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 व 5

प्रभारी मंत्रीजी खण्ड-4 व 5 को विलोपित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-4 और 5 में जो इसको विलोपित करने के लिये प्रस्ताव किया गया उसमें जब यह संशोधन यहां पर पेश किया गया तो उसके बाद में हमारे पास कुछ विज्ञापन आये और उसके बाद में यह महसूस किया गया कि जो दो टर्म से ज्यादा नहीं लिये जायेंगे जो सदस्य हैं। खण्ड-4 में है उसमें राज्य सरकार के ऊपर है कि जिन्होंने अच्छी सेवा मन्दिर की प्रतिष्ठा के लिये की है और जिसके कारण नाथद्वारा मन्दिर का महत्व प्रदेश में तथा देश में बढ़ा है ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो भी सदस्य हैं उनको दो टर्म से वापस नहीं किया जाय और उनको भी आगे अवसर दिया जाय। यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि दो टर्म से ज्यादा व्यक्ति को समय दें या नहीं दें क्योंकि उसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार ही उस संबंध में करती है। इस कारण से जो व्यक्ति इस प्रकार के जो मन्दिर प्रतिष्ठा के हिसाब से जो वैष्णु सम्प्रदाय की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिये ख्याति प्राप्त हैं उनको उसमें अवसर दिया जाय। जहां तक खण्ड-5 का है उसमें जो वर्तमान एक्ट है इसमें ही सरकार को बहुत बड़ी शक्तियां हैं उसके तहत किसी भी प्रकार के एकाउण्ट्स को चैक कर सकती है तथा राज्य सरकार डायरेक्शन दे सकती है। इसलिए पुनर्विचार करके देखा गया कि इसको विलोपित करना उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-4 व खण्ड-5 को विलोपित करने का संशोधन प्रस्ताव जो माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

खण्ड-6—कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड–6 स्वीकार गया ।

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र नाम आदि– कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

श्री रामकिशोर मीणा प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक संशोधनों का सवाल है और जहां तक सरकार ने जिस दृष्टि से संशोधन को वापस लिया है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है । असल में नाथद्वारा का यह मन्दिर जैसा बार-बार वैष्णव सम्प्रदाय का मन्दिर कहा जा रहा है । वैष्णव सम्प्रदाय में बल्लभाचार्य की एक विशेष पूजा विधि है । उसके अनुसार पूजा की जाती है उसके अन्दर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन असल मुद्दा जो इस सदन में कई बार उठ चुका है । मन्दिर है, हिन्दुओं का मन्दिर है इसलिए इस देश में जो हिन्दु हैं उनको प्रवेश की इजाजत मिलनी चाहिए उसका हमें जनमत बनाना चाहिए । मैं सरकार से कानून बनाने की बात नहीं कर रहा हूं । लेकिन हमें राय बनानी चाहिये । मन्दिर में प्रवेश जो हिन्दु हैं, दर्शन करने जाना चाहते हैं उनको जाने की इजाजत देनी चाहिये ।

श्री जुबेर खां : मुसलमान क्यों नहीं ।

श्री रामकिशन : मुसलमान तो पूजा को मानते नहीं हैं । जायें तो जरूर जायं मुझे आपत्ति नहीं है । आगे मैं जिक्र भी करूंगा । मेरा निवेदन यह है कि इसमें सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए लेकिन जब कांग्रेस का राज था मन्दिर प्रवेश पर झगड़ा हुआ था तो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कांग्रेस के टाइम में एडवोकेट जनरल के मार्फत जो कोर्ट में केस पेश किया है और अपना पक्ष पेश किया है आप उसको पढ़ें । उसमें लिखा है यदि इसमें हरिजन प्रवेश किया, कर गये तो हमारा समाज टूट जायेगा । राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा था । आप मना कर रहे हैं तो कल मैं इसकी कापी दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सी राज्य सरकार ?

श्री रामकिशन : कांग्रेस वाली सरकार । पहले ही कह रहा था कि कांग्रेस के टाइम में यह बात कही थी । उस सारे रिकार्ड को देखें । मैं निवेदन करना चाहता हूं वर्तमान मुख्य मंत्रीजी क्या आपकी सरकार की यह राय है कि हरिजन प्रवेश नहीं करे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी और मेरी राय एक है।

श्री रामकिशन : क्या है मेरी ? मेरी तो यह राय है कि हरिजन प्रवेश करें। आपकी क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही है।

श्री रामकिशन : बोलो तो सही। आप की भी यही है हरिजन प्रवेश की। ठीक है। मेरा कहना और निवेदन यह है कि सरकार को इस पर अपना दृष्टिकोण साफ करना चाहिए। एक बात असल में कहना चाहता हूं इस मौके का फायदा भी इसलिये उठा रहा हूं कि देश में एक बात फैली हुई है कि जितने भी मुसलमान शासक हुए, उन्होंने मन्दिर को तोड़ा है। यह बात फैली हुई है। इस धारणा की वजह से हमारा समाज आज बटा हुआ है। मैं माननीय भैरोंसिहजी से निवेदन करना चाहूंगा कि नाथद्वारा के मामले में आप जो वहां के विधायक रहे सी. पी. जोशी उनसे बात करें और चौधरी नरेन्द्रपालसिहजी से बात करें चौधरी नरेन्द्र-पालसिहजी के पास मैंने एक हुक्मनामा देखा है। आज से कुछ दिन पहले मैं गया था नाथद्वारा। उसमें जहांगीर और शाहजहां ने इस मन्दिर की मदद के लिये चारागाह दिये, गायों की रक्षा का वचन दिया और उसके लिए जागीर दी है। इसके रिकार्ड को देखें तो इससे साबित होगा सब मुसलमान मूर्तिपूजा के विरोधी हो सकते हैं लेकिन दूसरों की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने का काम सब मुस्लिम नेताओं ने नहीं किया। उसमें जहांगीर का हुक्मनामा है और शाह-जहां का हुक्मनामा है। ओरंगजेब ने जब कट्टरता दिखाई तो नतीजा हुआ, साम्राज्य टूट गया और आज साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने का कारण यह था जो समाज या धर्म जितना कट्टर होगा, उसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा।

मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। नाथद्वारा हमारा धार्मिक स्थान है। मेरी धारणा इसके बारे में कुछ भिन्न हो सकती है लेकिन ऐसे धार्मिक स्थानों को इतना आकर्षक बनाना चाहिए, इतना सुन्दर बनाना चाहिए कि जहां तीर्थ यात्री जायं तो एक विशेष प्रकार के आनन्द का अनुभव करें। आपने देखा होगा सिखों के गुरुद्वारे हैं कितनी सफाई मिलती है। वहां एक विशेष प्रकार का आनन्द मिलता है। क्या हिन्दू धर्म की जो चर्चा करते हैं उसके पुनर्उत्थान की बात करते हैं, यह उन सबकी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि हमारा प्रमुख धार्मिक स्थान आकर्षक हो और वहां का वातावरण धार्मिक हो। धार्मिक से मेरा मतलब किसी धर्म के प्रचार से नहीं वहां ज्ञान मिलना चाहिए, विशेष प्रकार का ज्ञान मिलना चाहिए। यहां की लाइब्रेरी मैंने देखी थी। मैं अचानक गया था कुछ दिनों पहले। सचमुच उस लाइब्रेरी में बड़ी कीमती किताबें हैं और अच्छा साहित्य उपलब्ध है लेकिन उसका प्रचार नहीं है। मैं मंत्री महोदय से इतना निवेदन करूंगा मैं सरकार का, कानून के हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहा हूं धर्म के मामले में राज्य को सकुंलर होना चाहिए यह मेरी स्पष्ट मान्यता है जनता चाहे कोई धर्म अपनाये लेकिन राज्य को सकुंलर रहना चाहिए। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि सरकार मदद करे लेकिन वहां जिस तरह का फण्ड है, जिस तरह की आमदनी है,

(श्री रामकिशन)

जैसा माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है उससे आदर्श स्थान बना सकते हैं। जिसमें धर्म और संस्कृति का व्यापक प्रचार हो और कम से कम समाज को ज्ञान का बहुत बड़ा दीपक वहां से मिल सकता है। इस तरह की नीतियां हम को करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ परम्पराओं की बात है और यह बात जो बाकी के सदस्यों ने कही कि इस मूर्ति के साथ गये थे औरंगजेब के साथ यह बृज से नहीं। बृज के पास गांव है जतीपुरा। वहां से उनको ले जाया गया था। माननीय ललितकिशोरजी अक्सर जाते रहते हैं। परिक्रमा में पड़ता है। वहां से उनको ले जाया गया। इसके साथ बृजवासी गये थे उनको केवल प्रसाद मिलता है और उसको बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। मेरा इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन है कि इस मन्दिर की काफी आमदनी है। कोई हमें व्यवस्था करनी चाहिए। मैं कोई मिनिमम वेजेज की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि श्रद्धा, पूजा, आरती अलग-अलग चीजें है लेकिन कम से कम जो लोग गये हैं और सैकड़ों साल से बस गये हैं आज के मंहगाई के जमाने में वह केवल प्रसाद से काम नहीं चला सकते हैं। मैं यह बात सरकार से भी जोरदारी से कहना चाहता हूं कि सरकार के नोमीनी की वजह से क्योंकि कलेक्टर चेयरमैन होता है। इसलिए सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिए अपने कलेक्टर के मार्फत की जो सेवादार हैं, उनको निश्चित तौर पर इस तरह का रहने और खाने का प्रबन्ध होना चाहिए। जिससे वह पूजा में समय लगा सके।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह भगवान कृष्ण और उनकी लीलायें उनके बारे में मैं कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेने की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन कृष्ण को समझना शायद संसार में सबसे कठिन है। अब आप देखिए कृष्ण हैं उनकी पूजा की विधियां अलग हैं। यह जो बल्लभाचार्य सम्प्रदाय की बात करते हैं यह सखा सखी के भाव से कृष्ण के रूप की पूजा करते हैं। उनकी पूजा की प्रणाली है। मैं उस पूजा की आलोचना या समर्थन नहीं करता। लेकिन उनका दृष्टिकोण है। जहां तक वैष्णव का सवाल है वह तो हम सब हैं जो शैव नहीं है वह करीब-करीब सब वैष्णव हैं लेकिन व्याख्या हमारा ज्ञान इतना अधूरा रह गया कि किस शब्द को कहां इस्तेमाल किया जाय, करना चाहिए वह नहीं कर सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा इन मन्दिरों की सम्पत्ति से हम अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा समाज बनाने का काम कर सकते हैं और खास तौर पर से अब राजस्थान में ऐसी सरकार है जिनकी यह मान्यता है कि वह हिन्दुओं की सरकार है, हिन्दुओं के हितों की रक्षा कर सकती है, हिन्दुओं की पुरानी संस्कृति का उत्थान कर सकती है तो ऐसे साहित्य के प्रकाशन की निश्चित तौर पर व्यवस्था होनी चाहिए। धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है। उनकी व्याख्या जब तक नये ढंग से नहीं करेंगे तब तक समाज में कट्टरता बढ़ती है, अनुदारता बढ़ती है और अंधविश्वास बढ़ते हैं। इन मामलों में भी सरकार को किसी कानून के मार्फत नहीं लेकिन वातावरण बनाकर कोशिश करनी चाहिए और कृष्ण का जहां तक सवाल है उसकी पूजा होती है आप कहते हैं सखा सखी के भाव से करते

(श्री रामकिशन)

हैं, बच्चे के भाव से करते हैं बाल रूप को मानकर करते हैं लेकिन आप जाकर देखेंगे कि जमुना का पुत्र कृष्ण उसकी पूजा होती है सरयू के क्षेत्र में ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत लम्बा हो जायेगा ।

श्री रामकिशन : एक मिनिट में खतम कर रहा हूं । आप इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहली बार बोल रहे हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप ज्ञान की बात कर रहे हो, बिल के परव्यू में तो यह नहीं आ रहा है ।

श्री रामकिशन : मैं वही कह रहा हूं । पहले ही कह चुका हूं । मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इन से आज हमारा इण्टीग्रेशन का सवाल है । बहुत व्यापक खडा हो रहा है । (व्यवधान) एकीकरण का । अब जो हमारे देश का एकीकरण हुआ है वह राजनैतिक तो कम हुआ है और सांस्कृतिक ज्यादा हुआ है । हम जम्बुद्वीप तक फैले थे, हमारा इन्डोनेशिया तक विस्तार था । भारतखण्ड और जम्बूद्वीप का जब हम जिक्र करते हैं तो वहां हमारा कोई साम्राज्य नहीं था, न हमारा वहां कोई राज था लेकिन हमारी संस्कृति प्रौढ़ थी, हमारी संस्कृति सशक्त थी इसलिए एशियो में टोकियो तक हमारी संस्कृति ने प्रभाव डाला था । मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि इस बिल के परव्यू में भी नहीं है उसका कोई जिक्र भी नहीं करना चाहता लेकिन ऐसे मौकों का लाभ उठाना चाहिये और हमारे देश के यह चार-छः जो बड़े तीर्थ स्थान हैं जहां करोड़ों लोग साल भर में जाते हैं । वहां अगर कोई हमें कोई इन चीजों की जानकारी दी जाये तो उसका असर एक राजनेता के भाषण से ज्यादा पड़ेगा इन्टीग्रेशन के सवाल पर । आज जब मैं इन्टीग्रेशन की बात करूंगा तो मेरा नहीं भी माना जा सकता है लेकिन इन क्षेत्रों में राष्ट्र की एकता और राष्ट्र को रखने के लिए कोई बात कही जाएगी और उन लोगों के मार्फत कही जाएगी जो राजनीति में नहीं हैं, केवल धर्म की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य भी पूरे होगें । मैं इस सम्बन्ध में इतनी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और मंत्रीजी को खास तौर से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो बजट के मामले में दखल देने की कोशिश की, वह वापिस ले लिया लेकिन वातावरण बनाने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिये ऐसे अवसरों का हमें लाभ उठाना चाहिये, इतनी बात मुझे कहनी है ।

विधान सभा की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आज की कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिय जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन का समय आज की कार्य-सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूर्व में मुद्दे उठाये माननीय देवस्थान मंत्री जी ने उनका जवाब नहीं दिया। मैं माननीय देवस्थान मंत्री जी का ध्यान गुजरात के एक मन्दिर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो नाथद्वारा की शैली पर वैसा का वैसा बन रहा है और उसको काफी आकर्षक बनाया जा रहा है। धार्मिक स्थल के रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यदि आप इस सम्बन्ध में गम्भीरता से ध्यान नहीं देंगे तो नाथद्वारा में जो गुजरात और आसपास के क्षेत्रों से आते हैं....

श्री रामकिशोर मीणा : आप उस मन्दिर का नाम बताएंगे, कौन सी जगह पर है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सूरत में नाथद्वारा की बिल्कुल कापी करके बनाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देवस्थान मंत्री जी को इसके लिए सुझाव दिया था कि वहां नाथद्वारा में सिंगिग फाउण्टेन, रोपवे, इस तरह के कुछ आकर्षक स्थल बनाए जाएं ताकि वहां का पर्यटक, चूंकि आप जानते हैं कि वहां आठ समय की झांकियां होती हैं उसके बाद जो भी दर्शनार्थी होते हैं उनके पास कोई समय बिताने के लिए वहां कोई चीज ऐसी नहीं है जहां वह अपना मनोरंजन कर सकें। ऐसी स्थिति में वहां सिंगिग फाउण्टेन और रोपवे बना दिये जायें तो दो स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां वह जाकर अपना समय निकाल सकता है। एक म्यूजियम भी वहां बनाया जा सकता है। इसके लिए भी राज्य सरकार को अपना प्रयत्न करना चाहिये। इसके अलावा धार्मिक भावनाओं को, एक्सपलायट कर रचनात्मक कार्यों में इनका कैसे उपयोग कर सकते हैं उस बारे में भी मैंने कुछ सुझाव दिये थे। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे वक्त में एक वेद विद्यालय प्रारम्भ किया था उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे थे मैं चाहता हूं कि आप उसको आगे बढ़ायें। हमारे यहां ऋग वेद यजुरवेद, अथरवेद, सामवेद इनकी रिचाएं समाप्त हो रही हैं। इन वेदों की रिचाओं के विद्वानों को आप एम्पलाय करके अथवा उनको पार्ट टाइम जाब पर रखकर उनके कैसिट्स संग्रहित करें और नाथद्वारा में वाचनालय में और पुस्तकालयों में उनके आलेख रखें, उनके कैसेट्स रखें ताकि हमारी पुरानी संस्कृति में जो वैदिक सम्प्रदाय और वैष्णव संस्कृति इन दोनों का सम्मिक्षण हो सके। जो लोग 100 वर्ष तक पहुंच जाते हैं वह अपने साथ ले जाते हैं ऐसी चीजों को हम संरक्षण प्रदान कर सकें। इसके साथ-साथ कुछ लोगों के पास हस्त लिखित ग्रन्थ हैं वह ग्रन्थ हमारे राज्य से बाहर जा रहे हैं इनको भी रोका जाना चाहिये। और मैंने पेन्टिग्स के बारे में जो खास तौर पर कहा था उसको संरक्षण देने के लिए आप क्या कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री रामकिशन वर्मा : आप वैष्णव भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जो पूजा में विश्वास नहीं करते उनको ज्ञान देने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो विधेयक को जिस संशोधित रूप में प्रस्तुत किया है सदन की इच्छा है कि उसको ऐसे रूप में पारित कर दिया जाये लेकिन अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और भरत-पुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें रखीं, उनका उत्तर देना मैं आवश्यक समझता हूं। प्रश्न यह आया कि मन्दिरों की सम्पत्ति का उपयोग किस प्रकार से किया जाये। एक तो उस उपयोग के ऊपर सर-कारी नियंत्रण हो, जिसको मैं स्वयं उचित नहीं समझता और न कोई और व्यक्ति इसको उचित समझेगा। अब प्रश्न यह शेष रहता है कि इस सम्पत्ति का उपयोग अच्छी प्रकार से कैसे हो। यह प्रश्न नाथद्वारा का ही नहीं है, सारे देश में जितने मन्दिर बने हुए हैं, कई मन्दिरों में ट्रस्ट बने हुए हैं, प्रबन्ध समितियां बनी हुई हैं, कईयों को कानूनी स्वरूप मिला हुआ है, कई बिना कानूनी, पब्लिक अपना ट्रस्ट बनाकर उनकी व्यवस्था कर रही है। अभी तिरुपति का उदाहरण दिया गया, यह सही है कि वहां की व्यवस्था जिस प्रकार की चल रही है, एक अनुकरणीय है और भी देश में कई मन्दिरों की व्यवस्था चल रही है। व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार किया जाये, स्थान को किस प्रकार से आकर्षक बनाया जाए, उस स्थान के प्रति लोगों में प्रतिष्ठा किस प्रकार से जाग्रत हो, उस सब तरह की व्यवस्थाएं उनमें हैं। जो दो क्लाज लगाये हैं और उनको वापिस हटाया है उसके पीछे एक मुख्य कारण है कि राजस्थान में भी हम इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं कि मन्दिरों की सम्पत्ति का अधिक से अधिक उपयोग उस स्थान के विकास के लिए हो सके। अब वह उपयोग कैसे होगा? केवल एक मन्दिर की ऐसी व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। इस समय राज्य सरकार ने सारे राज्यों में मन्दिरों में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, मन्दिरों के लिए किस प्रकार का विधि-विधान है उन सबको मंग-वाया है और उन सबका हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप आपत्ति नहीं करें तो मैं एक बात कह सकता हूं कि जब नये राज्य-पाल यहां आये तो उनसे इस सम्बन्ध में मेरी चर्चा हुई और चर्चा होकर मैंने उनसे यह निवेदन किया कि आप सारे राजस्थान के मन्दिरों को देखें मन्दिरों में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था का भी अध्ययन करें। इनमें किस प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है उस सुधार के बारे में भी विचार करें। क्या सामूहिक रूप में हम इस प्रकार का कोई विधान या विधि बना सकते हैं जिससे सारे मन्दिरों की व्यवस्था ठीक प्रकार से चलें, मन्दिरों के क्षेत्र का विकास हो, मन्दिर आकर्षक बनें और मन्दिरों में जिस प्रकार से प्रतिबन्ध लगे हुए हैं, जैसे पण्डित जी ने कहा उन प्रतिबन्धों का कोई आदमी उपयोग कर जनता का शोषण नहीं कर सके। राज्यपाल महोदय जिस समय यू. पी. में गवर्नर थे, यू. पी. की सरकार ने उस समय एक कानून बनाया था, उसकी प्रतिलिपि हमने मंगाई है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तिरुपति की किस प्रकार से व्यवस्था है और कानून है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के बाद में मैं चाहूंगा कि राजस्थान के मन्दिरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक सामूहिक रूप से दिशा निर्देश के रूप में, व्यवस्था के रूप में एक सामूहिक कानून पास

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया जाये जिसके कारण यह विसंगतियां भी दूर हों और लोगों को भी इस प्रकार की भी शिकायत न रहे कि धन का सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। जहां तक कल्ला साहब ने कहा है कि गुजरात में इस प्रकार का मन्दिर बना है। मैं जानता हूं कि इस प्रकार का मन्दिर बना है। मन्दिर तो श्रद्धा के कारण से बना है लेकिन आज प्रचार इस प्रकार का भी होने लगा है कि नाथद्वारा जाने की आवश्यकता नहीं है, नाथद्वारा के श्रीनाथजी यहीं हैं, यहीं पर दर्शन कर लिए जाएं। नाथद्वारा में दर्शनार्थी कम आयें उनके पीछे भाव बनाने के पीछे भाव नहीं था लेकिन आज जो वहां पूजा पाठ में लगे हुए लोग हैं और पूजा पाठ से जिनकी इस तरह से आय होती है, जिनका संकीर्ण विचार है, वह लोग निश्चित रूप से इसका प्रचार कर रहे हैं उस प्रकार की रोकथाम भी तभी होगी जब नाथद्वारा ज्यादा से ज्यादा आकर्षक हो नाथद्वारा में ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुविधाएं मिलें, नाथद्वारा का स्वयं का विकास हो और उसमें जितनी भी सुविधायें हम दे सकें उस प्रकार की सुविधायें हम दें। तो इस दृष्टि से मैं सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि हम सारे राजस्थान की व्यवस्था को इस रूप में लाने के लिए, व्यवस्था में जनता का विश्वास हो, जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, आर्थिक रूप से जनता का ज्यादा से ज्यादा योगदान मिले और जनता जो वहां रहती है और बाकी के लोग उनको उन सुविधाओं को उपभोग करने का अवसर मिले। इसलिए जो बातें आपने रखी हैं उनका उत्तर देकर राज्य सरकार की मंशा प्रकट करने के लिए मैंने दो बातें आपके सामने की हैं।

(5.00 सायं)

श्री केदारनाथ शर्मा : केवल एक शब्द कहना चाहता था। मन्दिरों के साथ-साथ जो हिन्दू कल्चर की व्याख्या की गयी है मौजूदा कन्सैप्ट में, मौजूदा हालात में, उसके साथ-साथ जो नेशनलिटी की व्याख्या की गयी है उससे बहुत गलत फहमियां पैदा हुई हैं इस देश में। हमारी सही कल्चर वह है हिन्दू, जिसमें भावात्मक एकता पैदा हो सारी कौमों को साथ लेकर। हमारा यह ख्याल है कि सिवाय हिन्दू कल्चर के बाकी कोई कल्चर है ही नहीं। हिन्दुत्व का नारा लगा। मैं किसी के ऊपर एस्पर्सन नहीं कर रहा यहां, न रिफ्लैक्शन कर रहा हूं। इतनी सैंचुरीज बीतने के बाद, इतनी कौमें आने के बाद, इतनी रिलीजस जब नेशनलिटीज पैदा होने के बाद आज सारी कल्चर कम्पोजिट बन गयी। कोई प्योरिटी इसमें नहीं रही, बेसिकल प्योरिटी नहीं रही। इसलिए हिन्दुत्व का नाम लेकर सारे हिन्दुस्तान की कल्चर को एरोगेट करो आप और मन्दिर के नाम के साथ उसे जोड़ दो और राजनीति में दखल दो, मेरा ख्याल है यह देश के लिए घातक सिद्ध होगा।

दूसरी बात कि हमारी नेशनलिटी एक ही है क्या? आज सब नेशनलिटीज हैं हमारी। इसलिए हिन्दू धर्म में जो फण्डामैण्टलिज्म पैदा हो गया, इस्लाम में पैदा हो गया तो उससे खतरा पैदा हो गया लेकिन हिन्दू धर्म में जो फण्डामैण्टलिज्म पैदा हो गया, आज 33 प्रतिशत समाज में हरिजन हैं उनको कोई अधिकार नहीं मन्दिरों में जाने का। उनको हम अपनी कल्चर में शामिल नहीं करें, क्या हरिजनों का योग नहीं है हमारी कल्चर में? कल्चर,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

सिविलाइजेशन, रिलीजन, इतने फैलाव, इतनी मजबूती में क्या हरिजन समुदाय का कोई हाथ नहीं ? है आज हाथ। मीरा का नाम हम ले रहे हैं, मारवाड़ की रत्न है मीरा। मीरा का गुरू कौन था ? आपको मालूम है ?

श्री टीकम चन्द कान्त : रैदास।

श्री केदारनाथ शर्मा : हरिजन था, मीरा का गुरू जो था, जिसने शिक्षा-दीक्षा दी। उस मीरा के मन्दिर में हरिजन प्रवेश न करें और हिन्दू कल्चर को आप कहें, उसकी सैंक्टिटी है, सैंक्टम है, हम उसमें कोई दखल नहीं देने देंगे। अमैण्डमैण्ट हो गया उसमें कोई एतराज नहीं, बहुत लिमिटेड स्कोप है। बाकी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मन्दिरों के दरवाजे, कोई कन्फ्रण्टेशन नहीं, अगर हरिजन जाता है अपना नाम लेकर, उसमें रुकावट मत डालो आप। क्रिश्चियन कौन बने ? मुस्लिम धर्म किसने एडाप्ट किया ? देखिये आप कौनसी कौम थी, कौन से लोग थे जिन्होंने एडाप्ट किया। ज्यादातर क्रिश्चियन हरिजन थे। दक्षिण में आपको मालूम है एक वेव चली थी दो साल पहले। लोग मुसलमान बनने लग गये। इसलिए आप हिन्दुत्व के नाम से, इस देश में जो भावात्मक एकता है जो हमारी बेसिक कल्चर है उसमें डिस्टार्शन पैदा मत करो। यही मैं आपकी बात पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता था कि इस धर्म के मामले को लेकर पण्डित जी राजनीति लाएंगे। मुझे खेद है कि उन्होंने राजनीति को प्रवेश देने की चेष्टा की है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हमें तो राजनीति लगी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है ही, इसमें क्या है। अब आप मेरी बात सुनिए।

श्री नत्थीसिंह : बड़ी सात्विक बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि सात्विक बात होती तो मुझे उत्तर देने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता। सात्विक बात नहीं है। इसमें जो राजनीतिक पुट देने की कोशिश की गयी है उस सम्बन्ध में मैं दो मिनट में निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक हिन्दू शब्द की उन्होंने व्याख्या की है, मैं आज भी मानता हूं कि हिन्दू कोई धर्म नहीं है। यह एक व्यवस्था थी हिन्दू शब्द की उत्पत्ति से हम यदि सारा अनुमान लगाना चाहें तो यह धर्म नहीं है। लेकिन शनैः शनैः विरोध के कारण लोग इसको हिन्दू धर्म के रूप में स्वीकार करने लग गये। आज हिन्दू कोई कहे तो इसका मतलब है, यह एक विशेष धर्म का मानने वाला व्यक्ति है। परन्तु यहीं तक सीमित है। बाकी पण्डित जी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कि हिन्दू शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इसके साथ रिलीजन का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं बना। आपने यह कहा कि आप इस धर्म में राजनीति नहीं लाएं या राजनीति में धर्म लाने की कोशिश नहीं करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जहां तक आपने हरिजन प्रवेश की बात कही, यदि यह राजनीति से प्रेरित नहीं है तो लोगों ने इसको राजनीति से प्रेरित किया, इसका राजनीतिक लाभ उठाने के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिए किया। कोई हिन्दू मन्दिर ऐसा नहीं है जो हरिजन को प्रवेश के लिए रोके। लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हो तो बाकी के कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलें। इसी दृष्टि से मैंने कहा कि एक व्यापक कानून बनाकर इन सारी बातों का विश्लेषण करते हुए सदा सर्वदा के लिए इन बीमारियों का पहले के विद्वानों ने, विद्वानों ने ही नहीं पण्डित जी जैसे ब्राह्मणों ने जो पैदा की हैं, उन बीमारियों से इस देश को हम....

श्री रामकिशन : मुझे इसे रिफ्यूट करना पड़ेगा। देखिये, मैं आपको फिर कहे देता हूं, अगर ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनायी थी तो दयानन्द, डाक्टर राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी ब्राह्मण थे और इन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है।.... (व्यवधान) आप फर्क करिये, ब्राह्मण जाति नहीं। शूद्र नहीं थे। इन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की। इसलिए सब काम ब्राह्मणों ने गलत किये, ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है कि धर्म के कारण अगर रूढ़िवादिता बढ़ती है, तो हिन्दुस्तान का इतिहास है कि भगवान बुद्ध पैदा हुए, भगवान महावीर पैदा हुए। रूढ़िवादिता बढ़ती है तो कोई न कोई इस प्रकार के महापुरुष हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं। जब रूढ़िवादिता बढ़ने लगी तो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपना काम शुरू किया। अगर, पण्डित जी, आप जैसे लोग इस रूढ़िवादिता को कहीं से भी प्रोत्साहन नहीं देते, इसको पनपाते नहीं....

श्री रामकिशन : इसका मतलब है ब्राह्मणों से वोट नहीं लेने हैं। अब बी. जे. पी. को ब्राह्मणों से वोट नहीं लेने हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिए। मैं ऐसा समझता हूं, मैं आप जैसे व्यक्ति से वोट लेना नहीं चाहता लेकिन देते हैं उनको मैं धक्का कैसे देऊं? इसका मैं क्या इलाज करूं? ब्राह्मण भी समझते हैं। ऐसी बात नहीं कि ब्राह्मण नहीं समझते। ऐसी भी बात नहीं है कि आपके बहकावे में ब्राह्मण आ जायं। कोई ब्राह्मण आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। लेकिन आप कोई आड़ लेकर ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाएं, ब्राह्मण होते हुए आरोप लगाएं, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं। इसीलिए मैंने बात आपके सामने कही। पण्डित जी को तो कोई असर नहीं होता।

श्री केदारनाथ शर्मा : न जनेऊ है न चोटी है मेरे। बताओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके तो चोटी भी नहीं है और आगे मैं क्या कहूं, उसको मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन आप पर कोई असर नहीं है, इसलिए मैं आपको कहना नहीं चाहता। मैं कहूंगा कि मन्दिरों और धर्म के मामले को इस प्रकार की राजनीति से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 संशोधित रूप में पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर एक घण्टे के लिए चर्चा। पहले तय किया था माननीय अध्यक्ष जी ने। माननीय श्री यदुनाथ सिंह।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में शिक्षकों के चयन एवं सामान की खरीद में अनियमिततायें

श्री यदुनाथसिंह (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मौका नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें मेरा निवेदन है कि वक्ता काफी हैं, अपने विचार बहुत संक्षेप में रखने की व्यवस्था करें।

श्री यदुनाथसिंह: बिलकुल संक्षेप में।

उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटीज के बारे में हमें यहां चर्चा करनी नहीं चाहिए। आटोनामस हैं। परिस्थितियां ऐसी बन गयीं, हालात ऐसे बन गये, यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी पर, वहां के वाइस चांसलर की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगे तो यहां चर्चा की जानी चाहिए, मैं इसका हामी हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय का अपना एक अलग महत्व है। राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं उनका लाभ राजस्थान के लोगों को ज्यादा मिले, अच्छे विद्वान हमारे यहां बनें और राजस्थान के किसानों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिले, हमारा यह प्रयास होना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से इस यूनिवर्सिटी के हालात अच्छे नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक्ट की अवहेलना की गयी, स्टेच्यूट की अवहेलना की गयी। जो सलैक्शन किये गये, प्रमोशन किये गये उनमें सारी अनियमितताएं बरती गयीं।

उपाध्यक्ष महोदय, चयन की विज्ञप्ति का समय निकलने के बाद चयन किया जाना घोर अनियमितता है और वह भी जब सरकार ने फरवरी, 1990 में रोक लगा दी चयन के ऊपर और बिना सरकार की परमिशन लिए चयन कर लेना यह वहां के प्रशासन की हठधर्मिता है। उपाध्यक्ष महोदय, चयन समिति में डीन और डाइरेक्टर्स होते हैं। यहां पर सलैक्शन करने की मंशा से मन चाहे डीन और डाइरेक्टर्स की कुछ दिन पहले पोस्टिंग की गई और यहां पर डीन नहीं है, कार्यभार सम्भाल रखा है उनको भी डीन समझ कर चयन समिति में रखा गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैनेजमेंट बोर्ड में सलेक्शन की एप्रूव्ल नहीं ली गई। मैनेजमेंट बोर्ड की 29-9-1991 की मीटिंग में आब्जेक्शस करने वाले बोर्ड के सदस्य श्री रघुवीरसिंह कौशल, डा. पन्त, डा. शर्मा उन्होंने आब्जेक्शन किए कि यह चयन सही नहीं हुए हैं। उसके बावजूद भी इन चयनों को वाइस चांसलर महोदय के पास रेफर करना चाहिए था वह रेफरेंस नहीं किया और मिनिट्स में हेरा-फेरी की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, परचेज में गड़बड़ियों की बात, शिकायतें की गई, रश्मि केमिकल्स का मामला यहां सामने लाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हालात यह बने हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज के बारे में चर्चा करने में कोई ज्यादा आनन्द की अनुभूति नहीं होती है

(श्री यदुनाथ सिंह)

लेकिन जो वातावरण बना दिया गया है यूनिवर्सिटी का उससे इसकी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता तो यह है कि यह सब एक व्यक्ति श्री मानसिंह मनोहर वाइस चांसलर को बरगला कर उनके बहकावे और शिकंजे में आकर यह सब कुछ कर रहे हैं। मेरी सलाह है उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा कि वाइस चांसलर इनके चगुल से निकले, वहां पर गुटबाजी खत्म हो, ऐसा वातावरण बने कि यह यूनिवर्सिटी राजस्थान के लोगों का भला कर सके इस प्रकार से यूनिवर्सिटी को हम चलाने की व्यवस्था करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य आ जाय तो मैं प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले बोल लेओ।

(5.12 सायं)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर जो पूर्व में उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय था, यह गुटबन्दी का शिकार रहा है। लेकिन नये कुलपति डा. हरज्ञानसिंह के आने से वहां के विद्यार्थियों, कर्मचारियों और शिक्षकों में यह आशा बंधी थी कि यहां पर अब गुटबन्दी और पक्षपात का रवैया नहीं अपनायेंगे लेकिन पिछले 10 महीने से भी कम समय में उनका जो वहां पर काम करने का तरीका है, पक्षपात पूर्ण रवैया है और अनियमितताओं के चलते हुए चाहे शिक्षकों का चयन का मामला हो, चाहे विद्यार्थियों का मामला हो, चाहे विभागीय खरीद-फरोख्त का मामला हो सब में अनियमितताएं हुई हैं। इनके चलते पूरे राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण एकदम खराब हो गया है। वहां का सी. टी. आई. इन्स्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग कालेज है, एग्रीकल्चर से सम्बन्धित, प्रेस्टिजियस इन्स्टीट्यूट है राजस्थान का वहां पर लम्बे समय से छात्र हड़ताल पर हैं। जोबनेर में हड़ताल, वेटेनरी कालेज में धरना। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब वहां पर गए थे तो इनको भी ज्ञापन दिया था जोबनेर में। आर. सी. ए. उदयपुर और वेटेनरी छात्रों द्वारा यहां विधान सभा के समक्ष धरना दिया और इसके लिए हमने यहां बात रखी थी।

मैं आपके सामने, चूंकि इस सवाल पर एक घण्टे की चर्चा होगी और बोलने वाले कई वक्ता हैं। मैं मुख्य रूप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि तबादले किए गए हैं वह भी राजनैतिक किए गए हैं। डा. हरज्ञानसिंहजी पहले यहां प्रोफेसर थे और बीच में बाहर चले गए थे, गुटबन्दी में पहले कभी रहे होंगे। उसके चलते कई लोगों के नाम आये हैं। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि....

एक माननीय सदस्य : पुराने का या नयों का?

डा. चन्द्रभान : नये वालों का।

160

(डा. चन्द्रभान)

2 अगस्त, 1990 और 8 अक्टूबर, 1990 को साक्षात्कार के लिए विज्ञापन दिया गया था और उसके बाद में 30 सितम्बर, 1991 और 23 सितम्बर, 1991 के बीच में साक्षात्कार करवाया गया। जो विश्वविद्यालय एक्ट है उसके मुताबिक 6 महीने निकल जाने के बाद इसका पुनः विज्ञापन होना चाहिए था, जिसका भी पुनः विज्ञापन नहीं करवाया गया और उस आधार पर साक्षात्कार में लोगों को बुलवा लिया गया। साक्षात्कार के लिए कम से कम 20 दिन का समय होना चाहिए लेकिन कई लोगों को 3 दिन का नोटिस देकर भी बुला लिया गया। यह एक बड़ी अनियमितता है। विज्ञापन में रोस्टर प्रणाली की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। यही वजह है, मैं थोड़ी देर में वह सूची आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को साक्षात्कार में शामिल ही नहीं किया गया और यदि किया गया तो उनका चयन नहीं हुआ। इसके बाद में उनके जो रिक्त पद थे उनको भी कैरी फारवर्ड नहीं किया गया।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि चयन समिति खुद ही दोषपूर्ण है। इसमें जिन डीन और डाइरेक्टर्स को शामिल किया गया वह विधिवत रूप से चयनित नहीं है। मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में जो चयन से सम्बन्धित संशोधन 13 सितम्बर, 1990 को हुआ। अतः चयन सम्बन्धी पूर्ण प्रक्रिया सहित विज्ञापन गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही की जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। चयन समिति दोषपूर्ण है। चयन समिति में बैठे हुए डीन और डाइरेक्टर्स विधिवत एक्ट के अनुसार नियुक्त नहीं हुए थे। डा. मानसिंह मनोहर के पास मात्र डीन का अतिरिक्त भार था। डा. सिंह हैं, जिनका आचरण सही नहीं था, डा. ओ. एस. राठौड़ को 20 मई, 1988 को एक वर्ष के लिए एक्सटेंशन निदेशक नियुक्त किया गया था उसके पश्चात् उनकी नियुक्ति दुबारा नहीं की गई थी। श्री ओ. पी. गुप्ता निदेशक, अनुसन्धान के पद पर नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड की बिना स्वीकृति की गई थी, जो नियमानुसार अवैध है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में चयन समिति में बैठे सदस्य डा. आर. एन. सिंह, जो कि पूर्व में निदेशक (अनुसंधान) रह चुके हैं, का आचरण संदिग्ध रहा है। इनके आचरण की जांच 1977-78 में स्वर्गीय जस्टिस एस. डी. सिंह कमीशन ने की थी। जांच में डा. सिंह को जातिवाद व पक्षपात करने का दोषी पाया गया था। एक्ट के अनुसार ऐसे सदस्य चयन समिति में शामिल करने के योग्य नहीं है। प्रबन्ध बोर्ड....

श्री सभापति : कृपया पढ़ने के बजाय आप इसकी मुख्य-मुख्य बातें हैं उन पर प्रकाश डाल दें. यह ज्यादा अच्छा होगा। पढ़ने वाली बात है, केवल मात्र उसके मायने क्या है वह बता दीजिए। बहुत लम्बा हो जायेगा।

डा. चन्द्रभान : मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि यह जो डीन और डाइरेक्टर्स हैं, इनका जो भी नोमिनेशन होता है, एक तो वह प्रणाली गलत है। आपने ऐसे लोगों को विभागाध्यक्ष लगा दिया जो प्रोफेसर्स नहीं हैं, ऐसे-ऐसे लोगों डीन और डाइरेक्टर्स लगा दिया जो उसके

(डा. चन्द्रभान)

लिए योग्य नहीं है। वाइस चांसलर भी 6 महीने के लिए एपाइन्ट कर सकते हैं और उसमें भी चांसलर की परमिशन लेनी पड़ती है, बोर्ड आफ मैनेजमेंट की स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 सितम्बर की जो बैठक थी आज माननीय श्री रघुवीरसिंह जी कौशल हैं या नहीं, उन्होंने भी इसका विरोध किया था, उन्होंने बायकाट किया था और दूसरे सरकार की ओर से जो नोमिनेटेड हैं श्री गोकुलसिंहजी शेखावत उन्होंने भी बायकाट किया था। इतनी अनियमितताएं जब चयन समिति में बैठने वाले लोग करते हैं तो मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि चयन सही कैसे होंगे? मैं आपके नोटिस में यह भी लाना चाहूंगा कि वनस्पति विभाग में प्रोफेसर के पद पर उमा मेनन और जी. के. आर्य जैसे लोगों को चयनित कर लिया गया और डा. सिघानिया जो प्रथम श्रेणी और गोल्ड मेडेलिस्ट हैं, डा. वी. के. भटनागर और एस. एस. भटनागर जैसे लोगों, जिनकी गेहूं और जौ में 8 और 10 उन्नत किस्में प्रचलित हैं ऐसे लोगों का चयन नहीं किया गया।

सभापति महोदय, मैं आपकी नालेज में यह भी लाना चाहूंगा कि कुल जितने पद रिक्त थे उनसे ज्यादा पद भर दिए गए और अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों का चयन नहीं किया गया। यह सूची मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि निदेशक के 4 पद रिक्त थे–4 भरे गए, एस. टी./एस. सी. का कोई नहीं, अधिष्ठाता के 9 पद थे, 9 भरे गए, अनुसूचित जाति/जन जाति का कोई नहीं, उप कुल सचिव का एक पद था दो भर दिए गए–एस. टी./एस. सी. का कोई नहीं, उप विधि नियंत्रक का एक पद था, एक भरा गया, एस. टी./एस. सी. का कोई नहीं हुआ, सहायक कुल सचिव के 3 पद थे 5 भर दिए गए–एस. टी./एस. सी. का कोई नहीं। इस तरह से यह तमाम पोस्ट्स हैं इनमें केवल एस. टी./एस. सी. का एक आदमी है और पोस्ट्स को कैरी फारवर्ड नहीं किया गया, रोस्टर प्रणाली की पूर्ण रूप से उपेक्षा हुई।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में पक्षपात की बात कहना चाहूंगा कि हम लोग विधायक हैं। हमने अपने अधिकारों के तहत यहां पर एक एडजोर्नमेंट मोशन रखा था। उसके बाद में जो उदयपुर में डीन हैं टेम्प्रेरी डीन हैं उनका ट्रांसफर हुआ जोबनेर से वहां पर जो नियमानुसार होना नहीं चाहिए था नियमानुसार वह प्रोफेसर के रूप में जा सकते थे डीन के रूप में उनका पोस्टिंग वहां पर कर दिया गया। वह अपने साथ में लेकर प्रेस कान्फ्रेंस करते हैं कि विधायक लोग संकीर्णता के शिकार हैं। मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, जातिवाद के शिकार हैं। हम अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं। जो जातिवादी हैं, 63 लोगों का चयन हुआ। मैं किसी पर कोई डाइरेक्ट चार्ज नहीं लगाना चाहता लेकिन समझना चाहिए। कृषि मंत्री जी एक जाति विशेष के 16 लोगों का चयन हो गया और उस जाति के 19 लोग साक्षात्कार के लिए गए उनमें से 16 का चयन हो गया।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : जरा आप हमको बताएंगे कि कौनसी जाति के 16 आदमी थे?

डा. चन्द्रभान : अब आप वह तो उनसे पूछ लीजिए... (व्यवधान)....यदि आप पूछना चाहते हैं तो, सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में हरज्ञान सिंह जी हैं, मैं यह नहीं कहता कि वह अच्छे साइन्टिस्ट नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा है कि उनसे विश्वविद्यालय को उम्मीदें थी। माननीय उप मुख्य सचेतक साहब मुझसे पूछ रहे हैं। अखबारों में हरज्ञान सिंह जी ने प्रेस कांफ्रेंस किया है, टेलीविजन पर इण्टरव्यू दिया है कि कौनसी जाति के कितने लोगों का चयन हुआ है, उन्होंने खुद ने कहा है....

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह....

डा. चन्द्रभान : आपका नम्बर आए तब आप बोल लीजिए। आप बीच में इन्टरविन नहीं करें। मैंने मेरी बात कह दी। आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं है....

श्री सभापति : डा. साहब सुन लीजिए। एक मिनिट का इन्टरविन करने में कोई एतराज की बात नहीं है।

डा. चन्द्रभान : आप इनको बाद में समय दे दीजिए। मैंने मेरी बात कह दी और मैं फिर कहता हूं, रिपीट करता हूं इसको कि 19 लोग गए थे, 19 में से 16 का चयन हुआ। एक जाति के थे मैं यह नहीं कहता कि अन्य जाति के किसी का भी चयन नहीं हुआ अन्य जाति के लोगों का भी चयन हुआ और यह बात वाइस चांसलर ने कही है। यह बात मानसिंह मनोहर ने प्रेस कान्फ्रेंस में, अलग-अलग जातियों के, आप चाहोगे तो मैं वह अखबार की कटिंग आपके सामने पेश कर दूंगा।

एक बात अन्त में कहना चाहता हूं यह बहुत ईमानदार बनते हैं मैं आपका दो मिनिट का समय लेना चाहता हूं विश्वविद्यालय में केमिकल्स, साइन्टिफिक इक्वीपमेंट्स और ग्लास वेयर्स के लिए टेण्डर हुए, टेण्डर की अन्तिम तिथि थी सभापति जी, 7 अक्टूबर, 1991, समय था 2 बजे, उसके बाद 6 टेण्डर जो समय समाप्त हो गया, उनको भी इन्होंने स्वीकार कर लिया। ई मार्क, बी. डी. एच., एलको, एडको आदि जो कि नियमानुसार इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए था। जब इस पर आपत्ति की गई तो इन्होंने कहा कि टेण्डर को नहीं खोला जाएगा। उपरोक्त 6 टेण्डरों को चुपचाप बिना अन्य निविदाकर्त्ताओं को सूचित किए दिनांक 28 अक्टूबर, 1991 को खोल दिया जाता है। जिसमें कुलपति की स्वीकृति के पश्चात् वित्त नियंत्रक द्वारा 30-11-91 को केमिकल्स, साइन्टिफिक इक्वीपमेंट्स और ग्लास वेयर्स के लिए रेट कान्ट्रेक्ट इश्यू कर दिए जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक फर्म की आपत्ति पर कुलपति ने कार्यवाही कर तीनों रेट कान्ट्रेक्टर्स को रोकने का आदेश दिया। वित्त नियन्त्रक द्वारा इस आशय का पत्र दिनांक 10-12-1991 को जारी किया गया। अब देखिए, सभापति महोदय, कि 10-12-1991 के इस पत्र की सूचना सम्बन्धित पांचों फर्मों को तो दे दी जाती है लेकिन जान बूझकर के इसकी सूचना विश्वविद्यालय के ड्राइंग एण्ड डिसबर्सिंग आथोरिटी को नहीं दी जाती है जो कि नियमानुसार दी जानी चाहिए थी और इसका फर्मों ने आर्थिक लाभ उठाया। फर्मों ने 10-12-1991 को आदेश को छिपाते हुए विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से सप्लाई आर्डर प्राप्त कर लिए। मैं आपसे

(डा. चन्द्रभान)

पूछना चाहता हूं कि 14-1-1992 को वित्त नियन्त्रक को 30 नवम्बर....

श्री जगमालसिंह यादव : आधा घण्टा तो पढ़ने में लगा दिया....

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालिए ।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : एक घंटे का समय है....

श्री जगमालसिंह यादव : देखिए, सभापति महोदय, एक घण्टे की व्यवस्था दी है आपने....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त में कहें ।

डा. चन्द्रभान : इनके घोटाले सामने आ रहे हैं तो....(व्यवधान)....

श्री जगमालसिंह यादव : एक घटे की तो व्यवस्था दी है, 25 आदमी बोलने वाले हैं । मैं पूछना चाहता हूं पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं क्या आप ?

डा. चन्द्रभान : सभापति जी, हमारी तरफ से कम लोग बोल लेंगे । इन लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है चूंकि यह घोटाले सामने आ रहे हैं इसलिए इनको आपत्ति हो रही है ।

श्री जगमालसिंह यादव : सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि हम पर चार्ज लगाया जा रहा है । हकीकत यह है कि एक जाति विशेष के लोगों का चयन हुआ या नहीं लेकिन एक जाति विशेष के लोगों का चयन नहीं-नहीं रोना तो यही है ।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है । माननीय डाक्टर साहब अपने पाइन्ट्स बता दीजिएगा । बहुत डिटेल में जाने का कोई अर्थ नहीं है सबको पता है ।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, आप अपनी घड़ी को देख सकते हैं । मैं दो मिनट के अलावा एक सेकिण्ड नहीं लूंगा ।

श्री सभापति : आपको आलरेडी दस मिनिट से ज्यादा हो गए । एक घंटे की चर्चा है कुल मिलाकर ।

डा. चन्द्रभान : मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करूंगा माननीय यादव जी क्यों आपत्ति कर रहे हैं । माननीय पूर्व कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं इन्होंने तो हथियार डाल दिए थे । यह बाद में बोलेंगे । यह भी अपनी बात रखेंगे । इनके सामने भी यह सब मामले आए हुए हैं । इनको भी माननीय रघुवीर सिंह जी कौशल ने पत्र लिखा था । मैं आपके सामने केवल दो मिनिट, बीच में इन्टरविन नहीं करेंगे ।

श्री सभापति : पत्र का आशय बता दीजिए, आप पत्र क्यों पढ़ रहे हैं । पत्र में मेन बात जो है एक लाइन में आशय बता दीजिए उसका ।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, यह देखिए, मैं दो मिनिट से ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है, 14-1-1992 को वित्त नियन्त्रक ने 30-11-1991 के आदेश को रद्द किया है, क्यों एक आदेश जारी कर नया रेट कांट्रेक्ट इश्यु कर दिया । जिसमें रसायनों की एक फर्म रश्मि केमिकल को जो दो विभिन्न ट्रेड

(डा. चन्द्रभान)

नेमन ई मार्क और बी. डी. एच. का माल सप्लाई करती हैं उसके नाम से इसको इन्होंने दे दिया। आप अब यह देखिए कि यह जो रश्मि केमिकल्स जिसके ट्रेड नेम ई मार्क और बी. डी. एच हैं। यह तो नियमानुसार 7 अक्टूबर को 2 बजे तक पहुंचने नहीं थे इनकी तो कन्सीडर ही नहीं होनी चाहिए थी सभापति महोदय और इसको दिया और इसने डिसकाउण्ट कितना दिया पांच प्रतिशत।

श्री सम्पत सिंह : डाक्टर साहब एक बात बताएं। मैंने कहां हथियार डाल दिए थे जरा स्पष्ट करो उसको। मेरा इरादा बोलने का नहीं था, मेरा इरादा इस बहस में हिस्सा लेने का नहीं था, अब आपने कहा है तो आप स्पष्ट करो।

डा. चन्द्रभान : मैं स्पष्ट इसलिए करना चाहूंगा सभापति महोदय,

एक माननीय सदस्य : इस्तीफा दे दिया आपने।....

श्री सम्पतसिंह : इस्तीफा देना तो शुरू किया है दर्जनों देंगे इस्तीफे तो।

डा. चन्द्रभान : इस विश्वविद्यालय के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के व्याख्याता विश्वविद्यालय के छात्र और विश्वविद्यालय के छात्रों के अलावा इस मेनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान सरकार द्वारा नोमिनेटेड माननीय रघुवीर सिंह जी कौशल ने आपको पत्र लिखा लेकिन आपने इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की, कार्यवाही नहीं की इसलिए यह बात मैं आपको कह रहा हूं।

श्री सभापति : विराजिए अब आपको दो मिनिट से ज्यादा हो गए।

डा. चन्द्रभान : बीच में इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं यह रश्मि केमिकल्स ने मेडिकल कालेज और बीकानेर के डूंगर कालेज में दस प्रतिशत और 15 प्रतिशत का डिसकाउण्ट दिया और इनकी ओर से जो शर्त लगी थी उसमें 24 और उसमें 2 प्रतिशत का डिसकाउंट देना चाहिए था। लेकिन पांच प्रतिशत डिसकाउण्ट पर इसको टेण्डर दिया गया। इसमें बीस लाख रुपए का कुला मिलाकर घोटाला हुआ है और 19 2 प्रतिशत का डिसकाउण्ट जो मिलना चाहिए था बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को वह नहीं मिला।

इन्होंने इतना ही नहीं किया इन्होंने मिनिट्स बदल दिए। एक आइटम नम्बर 329 यह था वित्त नियन्त्रक की नियुक्ति होगी और जब देखा तो वाइस चांसलर की बीमारी का एक बिल निकला, मेडिकल बिल वगैरह, इतनी बड़ी गड़बड़ी की, मिनिट्स को चेन्ज किया, इतना बड़ा घोटाला किया, हठधर्मिता, पक्षपातपूर्ण रवैया, पूरा वातावरण खराब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और हरज्ञान सिंह जी को विश्वविद्यालय के कुलपति पद से तत्काल हटाया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर— (अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल चौहान (अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, राजस्थान में जो परिस्थितियां हमारी

(श्री नत्थीसिंह)

खेती की हैं उसमें इस कृषि विश्वविद्यालय का बहुत महत्व है और हम चाहते तो यह है कि इस कृषि विश्वविद्यालय के जरिए इस तरह के शोध और अनुसंधान किए जाए जिससे हमारे प्रदेश की शक्ल जो आज है वह बदले लेकिन मुझे बताया भी गया, मैं पर्सनली नहीं जानता कि डाक्टर हरज्ञान सिंह जी अच्छे विशेषज्ञ हैं और उन्होंने कुछ सोचकर काम भी किए हैं अपने कार्यकाल में लेकिन जो वातावरण है मुझसे दोनों पक्ष के लोग मिले। आज जो लोग कह रहे हैं वह जो इन्होंने आरोप लगाया है वह भी मिले और जो डाक्टर हरज्ञान सिंह को बहुत अच्छा बताते हैं वह भी मिले। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग हमसे मिले, जो कहते हैं डाक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं उन्होंने एक आरोप यह लगाया कि यह जो सारा कुप्रचार हो रहा है उनके अनुसार उसका कारण क्या है उसका कारण उन्होंने एक तो बताया, मैं उन्हें भी नहीं जानता कोई डाक्टर के. बी. शर्मा हैं और एक श्री पन्ते हैं, उन्होंने कहा उनको जो पहले उप कुलपति थे उन्होंने एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी थी प्रबन्ध समिति ने और वह नियुक्ति उनकी अक्टूबर 1991 में खतम हो गई। अब वह वर्तमान उपकुलपति पर यह दबाव डाल रहे हैं कि मियाद को बढ़ा दो और वह बढ़ा नहीं रहे हैं और इसलिये यह सारा दुष्प्रचार हो रहा है। एक तो उन्होंने यह कहा दूसरा एक हमारे माननीय सदस्य हैं उनके खिलाफ कुछ बात कही वह मैं यहां दोहराना नहीं चाहता लेकिन बड़ी बुरी बात है जो उसमें कहीं गई है। जो प्रबन्ध समिति है उनके बारे में कहा है जो मैं कहना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह बात सही है कि वह दुष्प्रचार करा रहे हैं तो क्या यह बात गलत है। हमें दोनों पक्षों का, अगर हम यूनिवर्सिटी का वातावरण सही करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इस प्रदेश की सेवा कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अगर धांधली और अनियमितताएं होती हैं तो उनको भी निष्पक्ष भाव से हमें देखना होगा। मैं इस विषय में आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी से दो, तीन सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि यह जो नियुक्तियों की बात, चयन की बात होती है, इसका विज्ञापन आपके जो विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन हुआ है, उससे पहले निकला था विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन हुआ है 16 नवम्बर 1990 को और इस एक्ट के संशोधन में यह प्रक्रिया स्पष्ट की गई है कि चयन प्रक्रिया क्या होगी उसका क्या प्रोसीजर होगा। सारी चीजें इसमें साफ की गई है और यह विज्ञापन निकले थे 2/8/90 को। 8/10 90 को मुझे यह भी बताया गया है. प्रावधान है कि 6 महीने तक अगर चयन न हो तो विज्ञापन रद्द हो जाने चाहिए थे और यह चयन की प्रक्रिया शुरू की गई सितम्बर 1991 में। सितम्बर 1991 में जब की गई है तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जब 16 नवम्बर, 1990 को यह संशोधन हो गया तो क्या ऐसी जरूरत थी कि इस संशोधित एक्ट के अन्तर्गत दुबारा विज्ञापन नहीं करवाया गया दुबारा विज्ञापन करवाते और उसके तहत चयन करवाते, क्या झगड़ा था। यह बात भी कहना कि यह जो दुष्प्रचार कर रहे हैं बहुत बुरी बात है मेरे पास उनकी जो डाक्टर मानसिंह मनोहर हैं उन्होंने जो प्रेस कांफ्रेंस की है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मैंने

(श्री नत्थीसिंह)

तो यह बात बात कहीं। प्रेस कान्फ्रेंस का जो लिखित अखबारों को वितरित किया है उसमें साफ लिखा है कि यह जो लोग है यह लोग प्रचार करवा रहे हैं और अपनी जात विशेष के विधायकों से उनकी जात पात का सहारा लेकर इस तरह से क्या यह अच्छी बात है। कोई भी चाहे वह डीन हो, चाहे वह वाइस चान्सलर हो, प्रोफेसर हो अगर वह ऐसी दीन भावना से ग्रसित हैं तो हैं तो वह कभी सेवा नहीं कर सकता यह मेरी मान्यता है और इस तरह की प्रेस कान्फ्रेन्स में इस तरह की बात लिखित में कहे और आप कहें कि ठीक किया, मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय बनाने का हक नहीं है। जो डाक्टर मानसिंह मनोहर हैं जिन्होंने की है और जिन्होंने विज्ञप्ति दी हैं उनको क्या अधिकार है इस तरह की बात करने का मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत सी बातें तो मेरे साथियों ने कह दी है उन्हें दोहराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि आप दो बातों का जवाब दीजिए चयन समिति को दोषपूर्ण बताया गया। दोषपूर्ण नहीं है तो क्या यह बात सही नहीं है इसमें डाक्टर ओंकार सिंहजी राठौड थे। चयन समिति में और 24 मई, 1988 को एक वर्ष के लिये निदेशक विस्तार के रूप में उनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिये की गई, और क्या यह सही नहीं है कि जो कुल सचिव थे उन्होंने गोपनीय पत्र लिखा और गोपनीय पत्र में यह कहा कि उनका कोई कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है। एक वर्ष समाप्त हो चुका है उसके बाद भी यह अगर सत्य है तो क्यों उन्हें चयन समिति में रखा गया। यह बात अभी डाक्टर साहब कह रहे थे। मानसिंह मनोहर के सम्बन्ध में, एडीशनल चार्ज था ठीक है एडीशनल चार्ज माना भी मैं पूछता हूं कि एडीशनल चार्ज जो कृषि संकाय में जो वरिष्ठ व्याख्याता का था क्या उसकी स्वीकृति प्रबन्धक मण्डल से ली गई थी, नहीं ली गई है। कब ली गई है। चयन प्रक्रिया पूरी हो गई उसके बाद में उसकी स्वीकृति ली गई थी। जब तक चयन प्रक्रिया हुई तब तक कोई स्वीकृति नहीं थी क्यों उनको लिया गया। तीसरे, जी ओ. पी. गुप्ता डाक्टर साहब हैं उनके बारे में भी स्टोप गेप अरेन्जमेंट था, आर्डर में स्टोप गेप अरेन्जमेंट है। उनकी भी प्रवर समिति से स्वीकृति नहीं ली गई तो फिर क्यों रहे? एक डाक्टर आर. एन. सिंह जो राजकीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुये और उनके बारे में 1978 में विश्वविद्यालय ने एक जांच आयोग बैठाया उनके खिलाफ और जस्टिस एस. बी. सिंह ने जांच की और जस्टिस एस. बी. सिंह ने यह कहा कि यह जातिवाद और पक्षपात के लिये दोषी पाये गये। तो मैं पूछना चाहता हूं यह भ्रम यूनिवर्सिटी जो आडोनोमस सस्था है और उसकी कार्य प्रणाली में यह भ्रम क्यों रहे, इस तरह भ्रान्ति क्यों रहे और यह भ्रान्ति फैलाई गई, यह बात क्यों की गई और सत्य नहीं है तो निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय जिसकी हमने कल्पना की है उसके लिये सेवा नहीं कर सकते। अब यह बात क्यों की कि 63 में से 3 ही लिये गये अनुसूचित जन जाति के फिर रोस्टर प्रणाली के तहत शेष जो पद रहे उनके लिये कहा गया बाद में फिर एडीशन किया गया एक-एक दूसरे सामान्य लोगों में से भी लिया लिया जायेगा ताकि वह उसमें प्रार्थना पत्र दे सकेंगे बटे

(श्री नत्थीसिंह)

रोस्टर प्रणाली में सबके सब उनके लिये थे तो प्रार्थना पत्र दे नहीं सकते थे यह सारी बात आखिर में क्यों की गई तो मैं यह कहना चाहता हूं, बिना किसी पक्षपात के जो बात की जा रही है आप जांच कराइये। सदन से जांच करवाइये।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये, बहुत बोलने वाले हैं।

श्री नत्थीसिंह : मैं कहता हूं कि यह सदन यह रिकमण्ड करें, इस बात में कोई जांच आयोग बैठाये उसमें दोनों पक्षों ने जो आरोप लगाये हैं उनकी जांच की जानी चाहिए और जांच में जो दोषी पाया जाये निश्चित रूप से उसे दण्डित किया जाना चाहिए और इस विश्वविद्यालय को बचाया जाना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं होने दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री शिवजीराम (अनुपस्थित) श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, असल में जो हम हाउस में देख रहे हैं लगभग उस यूनिवर्सिटी का हाल भी वही है। यूनिवर्सिटी में जो वाइस चान्सलर है, वाइस चान्सलर के बारे में यह जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वह भी यह नहीं कहते कि विद्वान नहीं है, योग्य नहीं है। उसके ऊपर जो इल्जाम है वह एक जाति विशेष को बढ़ावा देने का है परन्तु मैं यह समझता हूं कि हमारे पास 15-20 दिनों से सारे शिक्षक, यूनिवर्सिटी के सारे के सारे अध्यापक, डाक्टर्स जिस तरह से मिलते रहे हैं कि वहां ग्रुपलिज्म आपस में जातियों पर हुये शिक्षकों का ग्रुप चरम सीमा पर है और बिल्कुल फीली यहां तक है कि वह पूरा अपना लिटरेचर छपवाता है, किताबें छपवाता है, पूरा प्रचार करता है। यहां तक कि अखबार को, प्रेस को इस्तेमाल करता है यह तो इस बात से ही जाहिर होगा कि एम. एल. एज. ने यहां सवाल उठाया, हमारा सवाल एक लिमिटेड चीज पर था उसमें राज्य सरकार ने कोई अपनी तरफ से उत्तर दिया वह एक साधारण प्रक्रिया है इस विधान सभा की। हम उसकी कोई मांग करें और उस चीज को भी प्रेस ले गये और प्रेस में पूरी पार्टी बना कर ले गये इससे लगता है निश्चित तौर से उस वातावरण में कोई जहर फैल गया उसका असर निश्चित तौर से उस इन्सीटयूशन पर पड़ेगा उसकी जांच तो होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे इस सिलसिले में यह भी कहना है कि उसके अन्दर जड़ में दो-तीन चीजें हैं सिर्फ चयन में कुछ गड़बड़ियां हुई; हो। सकता है चयन में कुछ लोग नहीं आये और इन्होंने यह प्रोग्राम करा दिया हो सारा या किसी विशेष, जहां तक इस बात का सवाल है कि उसमें जाति विशेष के लोग बहुत ज्यादा आ गये, माननीय सदस्य सुन रहे हैं राठौड साहब भी सुन रहे हैं वह समझते होंगे कि यह जो बोल रहे हैं कि जाट कम आये, मैं मानता हूं लेकिन जाट इतने कम नहीं आये चयन में।....(व्यवधान).... चयन में जो हुआ है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : योग्यता के आधार पर चयन हुआ है, हाउस में आप इस तरह की बातें करते हैं।

श्री जगमालसिंह यादव : जाटों का चयन तो पर्याप्त मात्रा में हो गया तो यह सन्तुष्ट है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, उसमें दो-तीन मुद्दे हैं....

श्री सभापति : कृपया बैठिये, माननीय बेनीवालजी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी भी चीज को दुबारा नहीं कहें जो कही जा चुकी हो ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, असल में यह है, मैं यह बात कर रहा हूं कि जो चयन है, उस चयन के जरिये उस यूनिवर्सिटी का जो प्रयोजल चल रहा है कि इस यूनिवर्सिटी को किस तरह से बढ़ाया जाये, इसके परिसर को कुछ चेन्ज किया जाये । इसका जो परिसर है, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उसको इस यूनिवर्सिटी से कहीं शिफ्ट किया जाये कुछ लोग इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं, उस स्टाफ के लोग भी इन्ट्रेस्टेड हैं और माननीय सदस्य भी इन्ट्रेस्टेड हैं और इस चीज को भी उठा रहे हैं कि एक चीज तो यह तय होनी चाहिए कि क्या इसके मुद्दे में यह चीज है और दूसरी चीज जो इसमें उठाई है, जहां तक यह उठा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, जो दूसरा मुद्दा उठ रहा है वह यह उठ रहा है कि यहां से उस यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ी ग्राण्ट मिलने वाली है ।

(5.40 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

उसको वर्ल्ड बैंक से भी ग्रांट मिलने वाली है । उसके अन्दर फण्ड्स इस्तेमाल करने वाली कमेटी बनी, उस कमेटी के माननीय डाक्टर साहब ने कहा है कि यह सही है कि कुछ अनियमितताएं बरती गई है और एकेडेमेशन पैसों को उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिये, उस रूप में उतने सजग नहीं रहे हैं । इसलिए यह चिन्ता का विषय भी है कि निश्चित रूप से उस विश्वविद्यालय के अन्दर यह जो गड़बड़ियां पाई जायं, उसकी भी जांच और तीसरी बात मुझे, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहनी है कि इस सिलसिले में निश्चित रूप से हम किसी विश्वविद्यालय के, जिस विश्वविद्यालय के प्रति हम कोशिश करते हैं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय का सारे देश में सम्मान हो और उसके पढ़े हुए विद्यार्थी जो हैं पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर उनका आदर हो, सम्मान हो और उसमें एक बात जरूर हमको चिन्ता करनी चाहिये कि उसके बारे में इस तरह से प्रचार हम चलने देगें अगर, और इस तरह के आक्षेप और प्रचार को बढ़ावा देंगे उसका जो नुकसान होगा, इसलिए निश्चित रूप से राज्य सरकार को चाहिये कि इस मामले में दखल दें । मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस सिलसिले में और गड़बड़ियां हुई हैं । यह भी सही है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है वह भी अछूती नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी में राज्य सरकार ने जिनको भेजा है वो भी इस मामले में अछूते नहीं है । मेरे पास यहां तक आरोप आए हैं कि उन्होंने भी अपने व्यक्तिगत दखल की वजह से वाइस चांसलर से कुछ फायदा लेना चाहा, मैं हाउस में नहीं बताना चाहूंगा कि इन्होंने क्या फायदा लेना चाहा और क्या गड़बड़ियां उन्होंने की, मगर कोई माननीय सदस्य मेरे से पूछेंगे या सरकार का कोई प्रतिनिधि पूछेंगे तो मैं उन्हें नाम जरूर बताऊंगा, उन्होंने क्या लेना चाहा पर उसके लिए भी उनकी आपस में लड़ाई हुई और वो मीटिंग को छोड़कर आ गये और उन्होंने यहां शुरू

(श्री हेतराम बेनीवाल)

किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सरकार का भेजा हुआ नोमिनी प्रबन्ध समिति में वह भी पूरा फुल प्रचार में लग जाय, उस संस्था के खिलाफ और वह उसे प्रचार का मुद्दा बना लें, यह भी बहुत चिन्ता का विषय है कि राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और मैं समझता हूं इन 4 मुद्दों की तरफ राज्य सरकार ध्यान देगी। और इसकी जांच करायेगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। देखिये, इसमें रूल में मेक्सिमम लिमिट का एक घंटा लिखी हुई है, उससे एक मिनट आगे भी मैं नहीं जा सकता। ठीक 6 बजे हाउस एडजोर्न हो जायेगा। आपको बता देता हू मैं। इसलिए यह कोई जरूरी नहीं है कि सब बोलेंगे। इधर से अब कोई बोलना चाहे। यह डिस्कशन है। आप रूल पढ़ लीजिये पहले। रूल में मेरे को अधिकार मेक्सिमम एक घंटे का, हफ्ते में दो दिन.... (व्यवधान) मैं देख रहा हूं ठीक 5.05 बजे शुरू हुआ है...

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक 5.05 बजे शुरू हुआ है और ठीक 6.05 बजे समाप्त होगी। इससे एक मिनट भी आगे मैं नहीं दे पाऊंगा। इधर से कोई बोलना चाहते हैं....

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। पहले, डिस्कशन हो रहा है। सबको अधिकार है इसमें बोलने का, देखिये मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं। (व्यवधान) अब समय तो मेरे हाथ में नहीं है। जो बोलना चाहते हैं, मैं बुला रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं बोलना चाहता हूं। मुझे इजाजत दी जाय बोलने की

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट बिराजिये पहले। पहले इधर से बोल चुके हैं। अब इस तरफ से कोई है, डिस्कशन हो रहा है, आप बैठिये। केवल ब्रीफ स्टेटमेंट आएंगा।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, यहां जो बैठे हैं वे सब एक राय के नहीं है। जो इन बैंचेज पर बैठे हैं, वे सब एक राय के नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक राय की तो बात ही नहीं है। आपकी अपनी अलग-अलग राय है। कोई एक राय को नहीं मानता। इसमें इसलिए इधर से बात कह रहा हूं।

श्री केदारनाथ शर्मा : इन्होंने जिस स्टाइल से मूवं किया है, मेरी उनसे अलग राय है।

श्री अध्यक्ष : नहीं यह जरूरी नहीं है। जब एक घंटे का समय नियत है तो आप हजार नाम कैसे बुलवा देंगे। (व्यवधान) यह तो आप जाने कि एक घंटे में आप कैसे सीमित रहते हैं....

श्री जुबेर खां : कट मोशन्स में जिनके नाम है, आप उनको बुलवा दीजियेगा बस।

श्री अध्यक्ष : मैं और आप सब नियमों से बंधे हैं। अब इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आप नियम पढ़ लीजिये। मुझे

(श्री अध्यक्ष)

नियत दीजिये। इसमें अधिकतम सीमा दी हुई है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। आप बोलना चाहते हैं....

श्री शिव किशोर सनाढ्य : हां मैं बोलना चाहता हूं।

डा. चन्द्रभान : जिनके 127 में है उनको बुलवा दीजिये, मोशन में जिनके नाम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जितना भी समय निर्धारित करें, आपकी इच्छा पर है लेकिन माननीय मंत्रीजी को जवाब देने के लिए समय निश्चित रूप से चाहिये।

श्री अध्यक्ष : हां, बिल्कुल मैं दूंगा इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसीलिए मैंने बंद किया है। कोई आपमें से बोलना चाहता है।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये। दो मिनट बोलियेगा। ज्यादा नहीं मिलेगा। 5-10 मिनट नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बाद माननीय मंत्रीजी बोलेंगे। (व्यवधान) हां, वो बोल रहे हैं पहले। अब जितना समय है, उतना बुलवा दूंगा मैं।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां जो चर्चा हुई है या जो कुछ आ रहा है, यह केवल दो जातियों का झगड़ा या....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको, यह देख लीजिये इसमें Allow such time for discussion not exceeding one Hour. यह मैं बता रहा हूं आपको। मेक्सिमम से अधिक देना मेरे अधिकार के बाहर की बात है। हां बोलिये आप।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार का अधिकार सुरक्षित है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, मेरा डिस्क्रिशन नहीं है।

श्री केदार नाथ शर्मा : सब्जेक्ट की ग्रेविटी को देखते हुए....

श्री अध्यक्ष : जितना मेरा डिस्क्रिशन था मैंने यूज कर लिया। आपको अलाऊ करने का था, वह मैंने कर दिया। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे यह कहकर केवल डाल्युट नहीं करा दिया जाय, मैं निवेदन करूंगा कि इसकी गहराई में जाया जाय और यह जो दुष्प्रचार हो रहा है जिसकी वजह से हमारा यह विश्वविद्यालय बदनाम हो रहा है इसे रोका जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां पर, जिसकी वजह से उदयपुर विश्वविद्यालय में, खासकर इंजीनियरिंग कालेज में मैं कुछ मुद्दे ही आपके सामने रख रहा हूं। कम्प्यूटर लिट्रेसी विद्यालयों के लिए, वहां पर जो स्टडी स्कूलस में जो प्रोजेक्ट था, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा एन. सी. ई. आर. टी. के

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

द्वारा उदयपुर इंजीनियरिंग कालेज में दिया हुआ था। इस डिपार्टमेंट को एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा चलाया जाता था और यह कम्प्यूटर की शिक्षा जो वनवासी क्षेत्र के अध्यापक थे उनको दी जाती थी, उसे माननीय कुलपति महोदय ने, जो 1986 से चल रही थी, उन्होंने उसे 91 में बंद कर दी। वर्तमान कुलपति महोदय ने मैं इसी के साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कम्प्यूटर साइंस में राज्य सरकार ने 1990 में उदयपुर कृषि इंजीनियरिंग कालेज में एक पोस्ट डिप्लोमा चलाने के लिए दी थी, उसे भी उन्होंने बंद कर दिया इंजीनियरिंग कालेज से, और यही नहीं मान्यवर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा थे, उनको भी वो वहां से बंद करने जा रहे हैं। आखिर वो उस इंजीनियरिंग कालेज को बनाना क्या चाहते हैं, यह चिन्ता का विषय है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, कृषि इंजीनियरिंग कालेज में वैकल्पिक ऊर्जा के सन्दर्भ विभाग में भी सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाएं चल रही थी, उन्हें भी बंद किया जा रहा है। प्लास्टिक कल्चर स्कीम तीन लाख रुपये की डिपार्टमेंट आफ साइंस में टेक्नोलोजी की स्कीम स्वीकृत नहीं की। वह उसे बंद करने जा रहे हैं। मैं मान्यवर, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस ओर कि यह जो डाक्टर एस. एन. सक्सेना जो कुलपति रहे, जो आर. सी. मेहता उदयपुर के डीन रहे, ये लोग रिटायर हो गये हैं और रिटायर होने के बाद में इन लोगों के ऊपर आरोप लगाये गये, पिछले तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय का सत्यनाश कर दिया और इसलिए डाक्टर सक्सेना जब रिटायर हुए तो वह हार्ट के पेशेंट थे। इसकी इस सदन में चर्चा हुई और उस समय के जो कृषि मंत्रीजी थे, उन्होंने कहा कि वो बीमार थे इसलिए उनको हटा दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस आदमी की क्या स्थिति हो गई जिसे आज तक एक नया पैसा विश्वविद्यालय ने नहीं दिया साल भर में, इसके लिए राज्य सरकार से चिट्ठियां लिखी गईं, प्रबन्ध मन्डल के सदस्यों ने कहा लेकिन उन दोनों व्यक्तियों को, तो जब इतने बड़े-बड़े लोगों को इन्होंने पैसा नहीं चुकाया तो उन गरीब लोगों का क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस तरह की दुश्मनियां पालना इस तरह का व्यवहार करना, उसे जातिगत समीकरण में बदल देना, और यह कहकर उसे डाईल्यूट करने की कोशिश करना, मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इसकी इन्क्वायरी कराये और राज्य सरकार देखे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अखबारों की कटिंग्स उठाकर देखें, उन्होंने किस तरह से राज्य सरकार के आदेशों की पालना की है, वह तो अपने आपको इतना सुपर समझते हैं कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के किसी आदेश की परवाह नहीं करता, राज्य सरकार कोई आदेश नहीं दे सकती। यहां तक उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में इस तरह से इन्होंने कहा....

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

और इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा मैं नहीं जाना चाहता, कि जो चर्चाएं यहां हो चुकी हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता....

श्री अध्यक्ष : नहीं आप समाप्त करिये। हो गया। अब नैक्स्ट बोलेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढय : मान्यवर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नियुक्तियों में घोटाले किये हैं, नियुक्तियों को नियम के विरूद्ध किया है, एक्ट के बाहर जाकर के किया है. मैं चाहूंगा कि इस तरीके का जो कुलपति करता है, उस कुलपति को तुरन्त हटाया जाना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा यहीं पर इसी सदन में बहस हुई और वी. वी. जोन साहब के सन्दर्भ में बहस हुई और जोन साहब को इस्तीफा देना पड़ा था। यहां महाजनी जी के बारे में चर्चा हुई है, यहां लाम्बा जी के बारे में चर्चा हुई है और उन लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी बैठी है। आज तो इस सदन की स्थिति यह है कि आज यूनिवर्सिटी की एन्युअल रिपोर्ट्स नहीं आ रही है। मैंने तो नहीं देखा। पहले तो रिपोर्ट्स आती थी और सदन में आती थी लेकिन आजकल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स नहीं आती है ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री सम्पत सिंह जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आखिर हम राजस्थान का पैसा देते हैं, टैक्सेज का पैसा देते हैं। हम लोगों को इतना अधिकार होना चाहिये। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सम्पतसिंह जी।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीरता से इस बात को रखने का प्रयत्न किया और कुछ स्तर भी बनाये रखा लेकिन मुझे अफसोस है कृषि विश्वविद्यालय और वाइस चांसलर को लेकर कोई बात कही जा रही हो और ये सदस्य और माननीय सदस्य आपस में उस स्तर पर उतर जाय कि जातियों की चर्चा आ गई। मुझे सिर्फ इसलिए अपनी बात निवेदन करनी पड़ रही है कि दोनों पक्षों ने इस बात का सन्दर्भ दिया। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि पहले जो डॉ. सक्सेना थे वे इसलिए रिटायर हुए कि सरकार ने उनको मजबूर किया कि आप दिल के मरीज हैं इसलिए आप इस्तीफा दीजिए। एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि उस वक्त का कृषि मंत्री अपने हथियार डाल गया, इसलिए मुझे अपनी बात निवेदन करनी पड़ रही है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष लेने के लिए यहां उपस्थित नहीं हुआ हूं लेकिन जो तथ्य हैं उन्हें कहने का प्रयत्न करना चाहता हूं। यहां चर्चा हुई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के केण्डिडेट्स को नहीं लिया गया। अभी कौनसा विभाग ऐसा बचा हुआ है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति की नफरी पूरी कर दी गई हो? कोई ऐसा विभाग है?

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : 26 तारीख की प्रेस कान्फ्रेंस में कुलपति ने कहा कि 68 में से 10 कर दिए लेकिन 68 में से अब तक केवल 3 व्यक्तियों को लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपका समय केवल 5 मिनट है, चर्चा में चला जायेगा तो फिर आप नाराज हो जायेंगे। आप बोलते रहिए।

श्री सम्पतसिंह : 10 मिनट आपकी आज्ञा के बाद नहीं बोलूं?

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्यों से सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं। आप ठीक 5 55 पर समाप्त कर देंगे। मंत्री जी जवाब देना शुरू करेंगे। आपको बोलना है तो बोल लीजिए।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसा संवेदनशील विषय है। एक बार आपने कृषि विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय की चर्चा छेड़ दी, आप इसको अलग से मुकर्रर करिए, इसमें सदन की राय आनी चाहिए। इसमें प्रो वाइस चांसलर का पद रखा जाय, उदयपुर में। इसमें तो राजस्थान सरकार और माननीय सदस्य अकेले में तय नहीं कर सकते तो सदन को तय करना चाहिए। इसमें 5-5 मिनट में थोड़े ही बातें हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : वो मेरे ख्याल से सदन में डिस्कस हो चुका है, एक्ट बन चुका है और एक्ट इसी सदन में बना है। उस एक्ट के प्रोवीजन आप पढ़ लीजिए। सारी बातें इसी सदन में डिस्कस हुई हैं।

श्री सम्पत सिंह : जिस वाइस चांसलर के आने के बाद 21 करोड़ रुपया इस मद पर रखा गया कि विश्वविद्यालय का स्तर और बढ़े। 55 करोड़ रुपया विश्व बैंक से लेने की पेशकश की गई। तमाम लिस्टें देखें तो वहां जातियों का कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से योग्यता से इन्टरव्यू लेने चाहिए, लिए। उसके बाद पहले दर्द उन उन लोगों को हो रहा है कि यहां दुर्गापुरा स्टेशन पर बैठकर एक अदने स्तर का अधिकारी जब वाइस चांसलर की हरकत करता था, वाइस चांसलर की हैसियत से भी ऊपर जाकर नियुक्तियों में दखल करता था आज उस पर करारी चोट लगी है। उसके बाद एक व्यक्ति को जिसको आपने कश्मीर से बुलाया, जिनकी योग्यता और प्रसिद्धि विश्व में इस बात के लिए मशहूर है उसको हम इस सदन में इस प्रकार छीछलेदार करें मैं समझता हूं यह उपयुक्त नहीं है। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्तर रखने की कोशिश की है उसी स्तर को बनाये रखते हुए बहुत प्रीकोसंस लेकर इस पर डिस्कसन करना चाहिए और जहां तक कृषि विश्वविद्यालय का सवाल है, पिछले दिनों के मुकाबले मैं इस बात को दृढ़ता से कह सकता हूं कि स्तर बढ़ा है और आगे बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप पहले सुन लीजिए, समय बचेगा तो अनुमति दूंगा। देखिए आप रूल्स पढ़िये उसमें है ब्रीफ स्टेटमेंट मंत्रीजी का आयेगा फिर समय बचेगा तो और डिस्कसन का मौका दूंगा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : मंत्रीजी के जवाब आने से पहले माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आप बोलिए। (व्यवधान) आप आवाज करेंगे, ठीक 6.00 बजे हाउस एडजोर्न हो जायेगा, करते रहिए। मंत्रीजी का जवाब सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : आप बोलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप। मंत्रीजी को बोलने तो दीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप इनको बुलाइये चाहे दो-दो मिनिट ही दीजिए।

(174)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए । पहले इनका स्टेटमेंट आ जाय । समय बचेगा तो बोल लेंगे ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप इनको (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी-अभी भूतपूर्व कृषि मंत्री ने कहा था कि एस. सी., एस. टी. की बिलकुल नियुक्तियां नहीं की गई, यह एग्री किया है । (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आप सदन में तो कम से कम एस. सी., एस. टी के लोगों के साथ न्याय कीजिए ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : फिर तो हम बोल नहीं सकेंगे ।

डा. हरिसिंह : जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा पार्ट है । वह मेरे क्षेत्र में पड़ता है । मैं सिर्फ आधा मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : समय बढ़ा दीजिए आप ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आप बोलिए । आप क्यों बैठ गए ? आप मत बैठिए । वो बोलते हैं तो बोलने दीजिए, मैं रोक नहीं सकता उनको ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्षजी, हमारे अधिकारों के साथ कुठाराघात हो रहा है ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : यहां लोगों को बोलने का मौका तो दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके अधिकारों की रक्षा के लिए उनको अलाउ किया है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आप उन अधिकारों का अतिक्रमण करें तो यह आपकी मर्जी की बात है । (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : हमारी तरफ से तो किसी को नहीं बुलाया आपने, जबकि साइन भी हैं उसमें ।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्षजी, मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी बोलिए । (व्यवधान) पहले मंत्रीजी बोलेंगे, समय बचेगा तो मैं अलाउ कर दूंगा । आप बैठिए । पहले मंत्रीजी बोलेंगे । नियम में लिखा हुआ है । (व्यवधान) मैं नियम के अनुसार चल रहा हूं । (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय सदन की राय है....

श्री अध्यक्ष : सदन की राय लेना मेरे लिए जरूरी होगा तो वह भी ले लूंगा ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : लेनी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष : ले लूंगा, आप बैठिए तो सही । आप मंत्रीजी को बोलने दीजिए । पहले मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिए ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : मंत्रीजी को बुलाने से पहले आप सदस्यों को बोलने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बोलिए आप ।

व्यवस्था का प्रश्न
नियम 127 पर चर्चा के लिए समय निर्धारण

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्षजी, मेरा मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : देखिए, 127 में केवल डिस्कशन है। मंत्रीजी को जितना बताना है वह अपनी बता देंगे। आपको जो मालूम है कह दी। (व्यवधान) इससे ज्यादा इसका कोई नतीजा नहीं निलकने वाला है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, इनका पाइण्ट ऑफ आर्डर है। आप पाइन्ट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं ?

श्री केदारनाथ शर्मा : मैंने पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया है।

श्री अध्यक्ष : हां, उठाइये।

श्री केदारनाथ शर्मा : 127 का जो रूल है, ठीक है उसमें टाइम लिमिट है मगर वह नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर है जो अण्डर डिस्कशन है। राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पाइन्ट ऑफ आर्डर है क्या आपका ?

श्री केदारनाथ शर्मा : अभी बताता हूं। इसलिए आप समय एक्सटेंड कीजिए और सरकार के सामने पूरी राय आ जाय। यह क्वेश्चन ऑफ इन्क्वायरी है। (व्यवधान) इसलिए सरकार के सामने पूरे व्यू पाइन्ट आ जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। देखिए मैं इस पाइन्ट आफ ऑर्डर की व्यवस्था दे देता हूं। मैं रूल 128 पूरा पढ़कर सुना देता हूं आपको सारी प्रक्रिया मालूम हो जायेगी।

"यदि अध्यक्ष को सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिसे वह आवश्यक समझते, समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है और सदन में जल्दी ही उठाए जाने के लिये पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्रहण कर सकेगा। परन्तु यदि विषय पर चर्चा के लिए अन्यथा रूप से शीघ्र ही अवसर उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा।

अध्यक्ष एक सप्ताह में दो बैठकें नियत कर सकेगा जिनमें बैठक के अन्त में या उसकी समाप्ति से पूर्व ऐसे विषय चर्चा के लिये लिये जा सकेंगे और चर्चा के लिये उतने समय की जितनी कि वह उन परिस्थितियों में ठीक समझे, जो एक घन्टे से अधिक नहीं होगा, अनुमति दे सकेगा।

कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा। सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री थोड़े में उत्तर देगा। जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।"

यह है रूल। अब इस रूल में मुझे कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि मैं इसको एक घण्टे के लिए बढाऊं या सप्ताह में दो बार ही 127 लग सकता है। मैं उसको 3 बार नहीं कर

(श्री अध्यक्ष)

सकता। अब या तो इस रूल को स्थगित करूं तब बनाऊं। अभी आर्डिनेरी वे में तो नहीं कर सकता। इसलिए पहल मंत्रीजी का उत्तर सुन लीजिए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियम 127 के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में हुए शिक्षकों के चयन तथा सामान खरीद आदि अनियमिततायें तथा छात्रों की नई प्रवेश नीति के बारे में बातें कही हैं। इस बारे में वस्तु स्थिति इस प्रकार है :—

शिक्षकों के चयन हेतु राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट 12 के अन्तर्गत चयन समितियां गठित की गई हैं। चयन समिति के निम्न सदस्य हैं। कुलपति-अध्यक्ष, राज्यपाल द्वारा मनोनीत–एक सदस्य, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत-एक सदस्य, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मनोनीत–एक सदस्य, सरकार के डीन तथा डाइरेक्टर और विशेषज्ञ। प्रोफेसर के लिए वरिष्ठ डीन चयन समिति के सदस्य बनाये जाते हैं और एसोसियेट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के लिए सम्बन्धित कालेज के डीन चयन समिति के सदस्य बनाये जाते हैं। डायरेक्टर–रिसर्च तथा डाइरेक्टर–विस्तार शाखा ...ें की प्रत्येक चयन समिति में सदस्य ...शेषज्ञों का पैनल राजस्थान लोक ...ोग के सदस्य की अध्यक्षता में बनाई गई समिति तैयार करती है। विश्वविद्यालय में वर्तमान कुलपति के कार्यभार संभालने के समय लगभग 250 पद 3 साल से रिक्त थे। इस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अन्तर्गत सहायता देने वाले विश्व बैंक द्वारा भी चिन्ता व्यक्त की जा रही थी। इन खाली पदों में से अब तक 68 पदों को वर्तमान कुलपति द्वारा नियमित चयन के माध्यम से भरा गया है। शेष पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। सारे चयन तथा नियुक्तियां योग्यता के आधार पर ही की गई हैं। चयन समितियों में साक्षात्कार तथा एकेडेमिक रेकार्ड देखने के बाद सम्बन्धित व्यक्तियों ने चयन की सर्वसम्मत राय दी उस राय को गलत बताना उचित नहीं है। इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। चयन की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। ख्याति प्राप्त विशेष चयन समिति हेतु बुलाये गये हैं। प्रोफेसर के पद पर उपरोक्त 7 व्यक्तियों के अतिरिक्त 3 विषय विशेषज्ञ भी बैठते हैं। ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद हेतु 2 तथा सहायक प्रोफेसर के लिए एक विषय विशेषज्ञ बैठता है। ऐसी चयन समिति की सर्वसम्मत राय पर किये गये निर्णयों में जातिवाद एवं पक्षपात का आरोप लगाना उन ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मनोनीत सदस्य पर लांछन लगाना है। जिन्होंने विश्वविद्यालय के अनुरोध पर चयन समिति की बैठकों में भाग लिया। इस प्रकार बिना तथ्यों के आरोप लगाना विश्वविद्यालय की छवि को गिराता है। चयन में किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं हुई है। जहां तक विशेषज्ञों के चयन समिति में बैठने का प्रश्न है, जो व्यक्ति

(श्री रामनारायण विश्नोई)

निदेशक, रिसर्च व निदेशक, विस्तार के पद पर कार्य कर रहे थे उनको नियमानुसार चयन समिति के सदस्य के रूप में बैठाया गया। डॉक्टर ओंकार सिंह राठौड़ वर्तमान कुलपति के कार्यभार संभालने के पूर्व से ही निदेशक, विस्तार का कार्य कर रहे थे। इसी प्रकार ओ. पी. गुप्ता पूर्व से ही निदेशक, रिसर्च तथा डॉक्टर मानसिंह मनोहर पूर्व से ही डीन, राजस्थान कृषि महाविद्यालय के पद पर कार्यरत थे। इन लोगों को नियमानुसार ही चयन समिति में एक्स-ऑफिसियो पद पर कार्य करने के आधार पर चयन समिति में रखा गया है। जहां तक प्रबन्ध मण्डल की कार्यवाही के विवरण को बदलने का प्रश्न है, यह आरोप भी सही नहीं है। जहां तक डीन तथा डाइरेक्टर की नियुक्ति का प्रश्न है, कृषि 'विश्वविद्यालय बीकानेर की स्टेच्युड की धारा 4 के अनुसार डाइरेक्टर की नियुक्ति कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की अनुमति से करता है। धारा 6 के अनुसार डीन की नियुक्ति कुलपति के द्वारा एकेडेमिक कौंसिल की अनुशंषा पर की जाती है। डॉक्टर मानसिंह मनोहर को 25 फरवरी, 1991 को वर्तमान कुलपति के पहले कुलपति ने डीन बनाया था और इनको अभी तक एक वर्ष की अवधि हुई है। अतः वह डीन चल रहे हैं। अन्य डीन की नियुक्ति एकेडेमिक कौंसिल की अनुशंषा पर कुलपति ने की है, जो उचित है। डाइरेक्टर्स की नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल की अनुमति द्वारा की गई है वह भी सही है। भूतपूर्व कुलपति ने कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों को देखे बगैर डीन्स व डाइरेक्टर्स के पदों को विज्ञापित कर दिया था जो गलत था। चूंकि कानूनी प्रावधानों की उल्लंघना में इन पदों के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे अतः इस विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त प्रत्याशियों के नामों पर ही विचार करने का औचित्य नहीं था। तत्सम्बन्धी विज्ञापन में प्रत्याशियों की आयु की सीमा, नियुक्ति की अवधि आदि की जो आवश्यकताएं बताई गई थी व आवश्यकताएं कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम व इसके अन्तर्गत बने स्टेच्युड्स में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। अतः वर्तमान कुलपति द्वारा इन आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही कर डीन तथा डाइरेक्टर्स की सही ढंग से नियुक्ति की है। इस निर्णय में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एन. एस. रणधावा, भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि उत्पादन सचिव तथा प्रबन्ध मण्डल के विधायक सदस्य श्री रघुवीर सिंह कौशल भी भागीदार थे। विश्वविद्यालय के शोध कार्य के लिए कांच के उपकरण व रसायन खरीदे जाते हैं। इनकी सप्लाई हेतु टेन्डर निकाले गये तथा विश्वविद्यालय की एक कमेटी ने इन पर विचार किया। कमेटी की राय पर विश्वविद्यालय ने कांच के उपकरण व रसायन पदार्थों की खरीद हेतु 13 जनवरी, 1992 को विभिन्न फर्मों के बारे में आदेश निकाले।

डा. चन्द्रभान : देखिये, आपने आदेश पहले निकाले।

श्री रामनारायण विश्नोई : चूंकि शोध के केमीकल्स की शुद्धता आवश्यक है, अतः विश्वविद्यालय ने कमेटी की राय के अनुसार निर्णय लिया कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण विश्नोई : यह रसायन तथा बी. डी. ए. एच. तथा ई. मार्क की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैन्युफेक्चरिंग फर्म से ही लिये जावें। इनके काल की रेट एप्रूव की गई तथा पांच प्रतिशत डिस्काउन्ट पर निर्धारित रेट पर आवश्यकतानुसार माल उन फर्मों के अधिकृत विक्रेताओं से लेने के आदेश जारी किए गए। तथा साथ में यह भी शर्त लगा दी कि यदि यह फर्म कहीं अधिक डिस्काउन्ट पर माल सप्लाई करती है तो उन्हें उतना ही डिस्काउन्ट विश्वविद्यालय को भी देना होगा और यदि यह साबित हो गया तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में कर दिया जायेगा। विश्वविद्यालय ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि अन्य मैन्यूफैक्चरिंग फर्म अपने उपकरण व रसायन का राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे (महाराष्ट्र) से गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है तो उसके प्रार्थना-पत्र पर विचार कर लिया जायेगा। उपरोक्त प्रयोगशाला को इस प्रकार गुणवत्ता के प्रमाण-पत्र जारी करने को भारत सरकार ने अधिकृत किया हुआ है। यदि कोई फर्म शोध हेतु अच्छी क्वालिटी का रसायन या अन्य उपकरण बनाती है तो आवश्यक जांच के बाद उसे खरीदने में विश्वविद्यालय को प्रसन्नता होगी। विश्वविद्यालय को शोध के लिए स्टेण्डर्ड केमीकल खरीदने पड़ते हैं जो ख्याति प्राप्त मैन्यूफैक्चर्स द्वारा ही बनाये जाते हैं। गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र लिये बिना न्यूनतम टेन्डर पर इस प्रकार के केमीकल्स नहीं खरीदे जा सकते। किसी भी संगठन में स्थानान्तरण वहां की आवश्यकता तथा प्रशासनिक कारणों से किये जाते हैं। वह किसी संकाय में (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी, विशेष रूप से यहां पर एक बात का एतराज उठाया गया, नदबई से आने वाले माननीय नत्थीसिंहजी और मण्डावा से आने वाले माननीय डाक्टर साहब द्वारा, कि विज्ञापन पहले निकाले गये और विज्ञापन निकालने के लिए जो है वह संशोधन हो गया था 13-11-90 को और उससे पहले विज्ञापन निकाल दिये गये और छह महीने का समय निकलने के बाद भी उन्हीं विज्ञापनों पर काम किया गया है। ऐसा कोई भी प्रावधान न तो कोई विश्वविद्यालय एक्ट में है, न पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर ही ऐसा कोई प्रावधान है कि विज्ञापन का टाइम छह महीने निकलने के बाद में उन्हीं विज्ञापनों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। लायक सदस्य बिल्कुल भ्रम के अन्दर है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है (व्यवधान) चयन बाद में हुआ है श्रीमन्।

डा. चन्द्रभान : यह विश्वविद्यालय एक्ट में है, यह 16 नवम्बर, 1990 का है और आपके 1991 में इन्टरव्यू हुए हैं। कैसे नहीं है, मैं आपको दिखा दूं, यह रहा। देखो न आप, यह रहा। मैं आपको दे रहा हूं।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, ऐसा कोई भी प्रावधान किसी भी कानून में नहीं है कि छह महीने का टाइम निकलने के बाद में नये सिरे से वह मंगाये जावें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.06 बजे बुधवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1992 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 696 की सूची

क्र. सं.	दिनांक	यात्रा का प्रयोजन
1.	15-5-90	धरियावाद, बोरिया, मूंगाना, निथुवा, आसपुर, डूंगरपुर देवल व वापसी उदयपुर (माननीय मुख्य मंत्री महोदय के साथ दौरा)
2.	4-6-90	बांसवाड़ा (जिलाधीश एवं विकास अधिकारियों की बैठक ली)
3.	29-6-90	बड़ी, वेदला, गोगुन्दा, खाखड़ी, झालेरी के गांवों के सर्वे का दौरा किया।
4.	4-7-90 से 5-7-90	मुख्य सचिव के साथ देवल बंजर भूमि के सघन विकास एवं जल विभाजन हेतु बैठक में भाग लिया (डूंगरपुर जिला)
5.	11-8-90, 12-8-90 एवं 17-8-90	माउण्ट आबू (माडा के कार्य का निरीक्षण)
6.	14-8-90	सिरोही, बाली, गोगुन्दा (टाडा/माडा कार्यों का निरीक्षण)
7.	17-9-90	झाड़ौल एवं वापस उदयपुर (सेरीकल्चर कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं अवलोकन)
8.	6-11-90	उदयपुर से कोटड़ा वापस उदयपुर (स्वच्छ परियोजना के कार्यों का निरीक्षण)
9.	29-12-90	उदयपुर से डूंगरपुर (सचिव वन विभाग के साथ वेस्ट लैण्ड डवलपमेन्ट कार्यक्रम का जायजा)
10.	31-1-91	उदयपुर से बांसवाड़ा (जिलाधीश कार्यालय का निरीक्षण)
11.	4-1-91	बांसवाड़ा से उदयपुर (घाटोल का निरीक्षण)

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित

प्रश्न एवं उनके उत्तर

जिला श्री गंगानगर में आवश्यक वस्तुओं का वितरण

704. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरी-सिंहपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर पाम आयल तथा गेहूं का वितरण क्या प्रतिमाह किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) दुकानों पर यदा-कदा वितरित किये जाने वाले गेहूं की मात्रा को कम किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार इस मात्रा को पर्याप्त मानती है?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर पाम आयल तथा गेहूं का वितरण उपलब्धी एवं आवश्यकता के आधार पर प्रतिमाह कराया गया है।

(2) दुकानों पर वितरीत किये जाने वाले गेहूं की मात्रा को कम किये जाने का कारण केन्द्र सरकार से मांग के अनुसार आवटन प्राप्त नहीं होना, अकालग्रस्त तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को आवंटन में प्राथमिकता देना तथा बाजार में गेहूं के मूल्यों में वृद्धि से राशन के गेहूं की मांग उपभोक्ताओं में बढ़ जाना है। वितरीत की जा रही मात्रा सरकार पर्याप्त नहीं मानती है। इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र से आवंटन बढ़ाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

धौलपुर के अधिशाषी अभियंता सिंचाई द्वारा खरीद

705. श्री निर्भय लाल (रूपवास) एवं **श्री मोती लाल मीणा** (स. माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधिशाषी अभियन्ता, धौलपुर द्वारा वर्ष 1987 से फरवरी 1992 तक कितना-कितना सामान, कितनी-कितनी राशि का किस-किस फर्म से क्रय किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सरकारी खरीद में अनियमितता की गई? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवायी जा चुकी है? यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस अनियमितता की जांच कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तब? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिंचाई खण्ड धौलपुर द्वारा वर्ष 1987 से फरवरी 1992 तक वर्ष वाईज मय सप्लायर के नाम विवरण प्रपत्र "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सिचाई मंत्री)

वर्ष	डी. जी. एस. डी, सी. एस. पी. ओ एवं स्टील आथरिटी द्वारा सप्लाई किया गया सामान) सीमेन्ट, स्टील, आदि)	अन्य सामान	कुल
1987–88	—	82,686	82,686
1988–89	—	11,806	11,806
1989–90	—	67,977	67,477
1990–91	24,10,318	8,43,690	3254,008
1991–92	46,8785	5,81,951	10,50,736

(2) इस सम्बन्ध में दो शिकायतें प्राप्त हुई, जिनकी जांच भ्रष्टार निरोधक विभाग भरतपुर द्वारा की जा रही है।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही जांच के निष्कर्ष के अनुसार आगे कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा के जनजाति विकास कार्यालय में लेवी की चीनी में पाई अनियमितताओं की शिकायतें

706. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) एवं **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान जनजाति विकास संघ के क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाड़ा में सितम्बर, 1990 से जून, 1991 तक 12 हजार 355 बोरी शक्कर (लेवी चीनी) आउट एजेन्सी के माध्यम से आई थी? यदि हां, तो इसका मूल्य कितना था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय में आवक-जावक रजिस्टर के निरीक्षण एवं रसद विभाग द्वारा स्टॉक रजिस्टर के निरीक्षण से 350 बोरी शक्कर (लेवी चीनी) का घपला पकड़ा गया? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार को उक्त शक्कर 350+44=394 बोरी शक्कर के घोटाले से कितनी हानि हुई? क्या सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ के क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाड़ा को

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

सितम्बर, 90 से जून, 91 तक 12 355 बोरी शक्कर (लेवी चीनी) आउट एजेन्सी के माध्यम से आनी थी जिसका मूल्य 64,86,375/– रुपये था। किन्तु 11,961 बोरी शक्कर (लेवी चीनी) ही प्राप्त हुई थी जिसका मूल्य 62,79,525/– रुपये था।

(2) जी हां। उक्त कार्यालय के आवक-जावक रजिस्टर के निरीक्षण से 350 बोरी शक्कर (लेवी चीनी) का घपला रसद विभाग द्वारा पकड़ा गया। रसद विभाग द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दिनांक 28-8-91 को एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है। प्रति संलग्न है।

(3) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ को 2,06,850/– रुपये की हानि हुई है। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अल्प बचत में जमा राशि

707. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या अल्प बचत एवं स्टेट लॉटरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में अल्प बचत के खाते में कुल कितनी राशि जमा हुई ? इस वर्ष के अंतिम तीन महिनों अर्थात् जनवरी, फरवरी और मार्च, 1991 में जमा कराई गई राशि का एवं वर्षभर में जमा कराई गई राशि का कितना प्रतिशत था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों में निवेशों द्वारा कितनी राशि अल्प बचत के खाते से वापिस ले ली गई ? क्या अल्प बचत के खातों में जमा की जाने वाली राशि प्रभावों के कारण जमा होती हैं ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 90-91 में अल्प बचत में कुल 355.69 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि जमा हुई। वर्ष के अंतिम तीन महीनों में 135.71 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि जमा हुई जो वर्ष में जमा कराई गई कुल राशि का 38 प्रतिशत है।

(2) यह सही है कि हर महीने निवेशकों द्वारा पूर्व में जमा राशियां वापिस ली जाती हैं। आलोच्य वर्ष के प्रथम तीन महीनों में कुल 61.20 करोड़ रुपये की राशि वापिस निकाली गई। यह सही नहीं है कि अल्प बचत खातों में राशियां प्रभावों के कारण जमा होती है। अपितु अल्प बचत संग्रहण हेतु सरकार द्वारा प्रचार प्रसार एवं निवेशकों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जाते हैं।

रोस्टर की पूर्ति

708. **श्री टीकमचन्द कांत** (रेवदर) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पिछले पांच वर्षों में विभाग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलॉग को भरने हेतु कोई आदेश विभागों को

(श्री टीकमचन्द कांत)

प्रसारित किये ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेशों की पालना एवं क्रियान्विति विभागों से करवाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलॉग को पूरा करने हेतु क्या कोई विशेष अभियान चलाया गया और आगे कोई चलाने की सरकार की मंशा है ?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलॉग को भरने हेतु कार्मिक (क-5) विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में समय-समय पर विभागाध्यक्षों को पत्र प्रसारित किये गये है। जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त आदेशों की पालना एवं क्रियान्विति के संबंध में तथा आरक्षण कोटा को पूरा करांने की दिशा में समय-समय पर समुचित प्रयास किये जाते रहे हैं, यथा: राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों में उक्त वर्ग के अभ्यार्थियों का आयोग के निर्धारित मापदण्डों से काफी नीचे से चयन करना, आरक्षित पदों को अनारक्षित मानकर भरने पर प्रतिबंध, उक्त वर्ग के अभ्यार्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु सीधे ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, उनके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाना, विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर उक्त वर्ग के लोगों की भर्ती के लिए ही परीक्षा आयोजित करना, सरकारी सेवाओं में नई नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध में उक्त वर्ग के लोगों की नियुक्ति हेतु छूट प्रदान करना आदि।

(3) जी हां। अनु. जाति/जनजाति के बैकलॉग को पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाये गये है, जैसा कि बिन्दु सं. एक से स्पष्ट हैं। कार्मिक (क-5) विभाग के पत्र दिनांक 20-1-92 द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को दिनांक 31-3-92 तक आरक्षण अवशेष पूर्ण करने संबंधी निर्देश भी जारी किये गये हैं।

(प्रतियां अधिक होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, कोटा में अनियमितताओं के प्रकरण

709. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, कोटा में अनियमितताओं के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ? क्या इनकी जांच की गई ?

(2) उक्त में कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाये गये, कौन-कौन निलम्बित हैं ? शेष की क्या स्थिति है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, कोटा में अनियमितताओं के 6 मामले प्रकाश में आये जिन सभी में जांच की जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(2) दोषी पाए गए कर्मचारी एवं अधिकारियों के सम्बन्ध में कर्मचारी/अधिकारी वार की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

कोटा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोटा में दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं प्रकरण किस्म	दोषी कर्मचारी/अधिकारी का नाम	कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही	मामले की मौजूदा स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	शाखा शाहबाद (फर्जी ड्राफ्ट कांड) रु. 36530/–	1. श्री केशवनारायण शर्मा 2. श्री रमेश चन्द्र नागर 3. श्री धर्मपालसिंह पातरे 4. श्री रामरतन बाघोरा 5. श्री कामड़िया मेघवंशी 6. श्री रमेशचन्द्र शर्मा	विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्यवाही भी हो चुकी है।	1. तीन वेतन वृद्धि रोकी गई 2. तीन वेतन वृद्धि रोकी गई 3. तीन वेतन वृद्धि रोकी गई 4. तीन वेतन वृद्धि रोकी गई 5. पांच वेतन वृद्धि रोकी गई 6. निर्णय नहीं हुआ।	1. बैंक को जिस राशि की हानि हुई है उसमें से बीमा कम्पनी द्वारा 36530/– रु. क्लेम मिल चुका है।
2.	शाखा बारां एफ. डी. प्रकरण	1. श्री मदनलाल गुप्ता 2. श्री सर्वानन्द शर्मा 3. श्री धर्मपाल सिंह	1. आरोप पत्र दिए गए 2. ,, ,, 3. ,, ,,	1. दोष मुक्त किया। 2. ,, ,, 3. एक वेतन वृद्धि रोक बहाल किया गया।	1. बैंक की कोई हानि नहीं हुई।

1	2	3	4	5	6
3.	शाखा कनवास एवं रु. 9000/– एडवाईज व एफ. डी. काण्ड	1. श्री रमेशचन्द्र शर्मा 2. श्री बृजमोहन शर्मा 3. श्री प्रकाशचन्द सक्सेना	अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र दिये गये एवं निलम्बित किया किया ।	1. श्री रमेशचन्द्र शर्मा इस समय निलंबित चल रहे हैं। जांच संयुक्त रजि. कोटा के यहां चल रही है। बैंक सेवा से हटाने पर कोर्ट से स्टे ले लिया आगामी तारीख ए. डी. जे. कोर्ट में 14-5-92 है। 2. व्यक्तिगत सुनवाई चल रही है पेण्डिग जांच बहाल किया गया । 3. जांच की जाकर दोषमुक्त किया गया।	1. बैंक डोकूमेंट में हेरा-फेरी व एफ. डी. बुक आदि की । 2. पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई तीनों दर्ज कराई गई तीनों कर्मचारी गिरफ्तार किए गए बाद में जमानत पर रिहा किए ।
4.	कोटा ब्रांच की एफ. डी. प्रकरण 23000/–	1. श्री रमेशचन्द्र शर्मा 2. श्री लक्ष्मीचन्द खण्डेलवाल	1. आरोप पत्र दिए गए एवं निलम्बन किया 2. ,, ,, पुलिस में एफ. आर. आर. दर्ज कराई गई जांच विचाराधीन है ।	1. जांच प्रारंभ नहीं हुई है संयुक्त रजिस्ट्रार, सा. को जांच अधिकारी लगाने हेतु विभाग को निवेदन किया गया । 2. जांच की जाकर दोषी नहीं पाने पर दोषमुक्त किया गया ।	बैंक धन का इनवोलमेंट नहीं हैं क्योंकि यह एफ. डी. बैंक द्वारा जारी नहीं हुई है। फर्जी खातेदार बैंक में इस पर ऋण लेने आया तब जांच करने पर मामला पकड़ा गया व एफ. आई. आर. दर्ज कराई ।

(185)

1	2	3	4	5	6
5.	शाखा रामगंज मंडी (3 चैक चोरी)	1. श्री हरीशंकर यादव 2. श्री राधेश्याम बागड़ी 3. श्री तेजशंकर दशोरा	1. आरोप पत्र दिये गये 2. ,, ,, 3. ,, ,,	1. व्यक्तिगत सुनवाई चल रही है 2. ,, ,, ,, 3. ,, ,, ,,	विचाराधीन है । स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से भी जानकारी ली जा रही हैं ।
6.	शाखा कनवास रु. 6600–/	1. श्री बृजमोहन शर्मा 2. श्री राधेश्याम गौतम	1. आरोप पत्र दिये गये 2. ,, ,,	1. जांच करवाई गई निर्णय विचाराधीन है।	ग्राम सेवा सहकारी समिति के आडिट 87-88 के आधार पर केस रजिस्टर्ड, हुआ । संयुक्त रजिस्टर्ड, कोटा ने कमेटी संख्या 5 के सयोजक चीफ आडिटर जयपुर को भिजवाया ।

इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय की स्थापना

710. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं **श्री बाल चन्द** (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मुकदमों की संख्या जिले से दूरी, भौगोलिक परिस्थितियां, अनुसूचित जाति एवं जन जाति बाहुल्य क्षेत्र होने, बार की सुविधा, डिविजनल कमीश्नर की अभिशंसा तथा जनता की मांग पर इटावा जिला झालावाड़ में सहायक जिलाधीश कार्यालय होना अत्यन्त आवश्यक तथा न्याय संगत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की जनहित में शीघ्र घोषणा करेगी ?

उत्तर

जी नहीं।

जी नहीं।

जोधपुर–फलौदी लिफ्ट योजना

711. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर-फलौदी लिफ्ट योजना पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? इसमें से कितनी राशि कर्मचारियों के वेतन/भत्तों आदि पर तथा कितनी राशि वास्तविक कार्य पर खर्च हुई ?

(2) 1988 से लेकर अब तक इस योजना पर कितनी प्रगति हुई है ? क्या राज्य सरकार उक्त प्रगति से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो उक्त योजना त्वरित गति से पूर्ण हो इसके लिये सरकार क्या-क्या प्रयास करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर विभाग के अधीन फलौदी लिफ्ट योजना का कार्य है। जिस पर अब तक कुल 722.63 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। उपरोक्त राशि में से कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर 61.77 लाख रुपये एवं वास्तविक कार्य पर 660.86 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(2) इस लिफ्ट नहर योजना का कार्य वर्ष 1984-85 से प्रगति पर है। गत वर्ष 1990-91 तक 0.50 कि. मी. लाइनिंग का कार्य सम्पन्न कराया गया था तथा वर्ष 1991-92 में 2 कि. मी. लम्बाई में नहर की लाइनिंग के कार्य का लक्ष्य रखा गया है एवं माह 1/92 तक 2.05 कि. मी. लाइनिंग का कार्य करवाया जा चुका है। बजट आवंटन को मध्य नजर रखते हुए प्रगति उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप है। राज्य सरकार ने एक दीर्घ कालीन निर्माण कार्यक्रम बनाया है जिसके अनुरूप फलौदी लिफ्ट का कार्य संसाधनों की उपलब्धि होने पर वर्ष 2003-04 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में वनों की कटाई के प्रकरण

712. श्री प्रभूलाल (सपोटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक कितने वन कटाई के मुकदमे दर्ज हुये तथा अभियुक्तों को क्या सजा दी गई ?

उत्तर

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक अवैध कटान के 208 प्रकरण दर्ज किये जा कर रुपये 43,881 मुआवजा वसूल किया गया।

राज्य के बाहर देवस्थान की सम्पत्ति

713. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के बाहर देवस्थान की सम्पत्ति किन-किन स्थानों पर कौन-कौन सी है? यह सम्पत्ति किसके कब्जे में है? इनके रख-रखाव पर प्रति वर्ष कितना धन पिछले तीन वर्षों में खर्च किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के बाहर देवस्थान की सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूची मय विवरण संलग्न है।

संलग्न सूची में राशि का विवरण अंकित कर दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अकाल राहत हेतु केन्द्र से प्राप्त राशि

714. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र प्रदत्त अकाल राहत राशि वर्ष 1990-91 व 1991-92 हेतु कितनी थी? क्या इस राशि का उपयोग हुआ?

(2) जिलेवार राहत कार्यों की सूची राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र प्रदत्त अकाल राहत राशि वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में प्रति वर्ष 93 करोड़ रुपये आपदा राहत कोष हेतु दिये हैं। इसमें से वर्ष 1990-91 में 4219.96 लाख रुपये एवं वर्ष 91-92 में अब तक 790·51 लाख रुपये व्यय हुये हैं।

(2) जिलेवार राहत कार्यों हेतु माह मार्च एवं अप्रेल, 92 के लिये निर्धारित श्रमिक संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। राहत कार्यों की स्वीकृति जिला स्तर पर की जाती है। अतः अल्प समय में प्रत्येक जिले में स्वीकृत हर एक राहत कार्य की सूची देना सम्भव नहीं है। क्षेत्र विशेष की सूचना माननीय सदस्य के चाहने पर उन्हें उपलब्ध करा दी जावेगी। राहत कार्यों में अधूरे कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है।

राहत कार्यों पर निर्धारित श्रमिक सीमा माह मार्च, 92 एवं अप्रेल, 92

क्र.सं.	नाम जिला	राहत कार्यों पर मार्च, 92 हेतु निर्धारित श्रमिक संख्या	अप्रेल, 92 हेतु निर्धारित श्रमिक सीमा
1.	बांसवाड़ा	10,000	15,000
2.	बाड़मेर	15,000	25,000
3.	बीकानेर	15,000	25,000
4.	चित्तौड़गढ़	3,000	10,000
5.	चूरू	10,000	15,000
6.	डूंगरपुर	10,000	20,000
7.	जैसलमेर	7,000	20,000
8.	जालोर	3,000	15,000
9.	जोधपुर	8,000	15,000
10.	नागौर	3,000	10,000
11.	पाली	3,000	15,000
12.	सिरोही	4,000	15,000
13.	उदयपुर	9,000	20,000
14.	झुन्झुनूं	—	10,000
15.	सीकर	—	10,000
16.	अजमेर	—	20,000
17.	सवाई माधोपुर	—	7,000
18.	राजसमंद	—	7,000
19.	बांरा	—	5,000
	योग	1,00,000	2,79,000

ईंटों की बिक्री से आय

715. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले में वर्ष 1991 में कुल कितना सेल्स टैक्स ईंटों की बिक्री से वसूल किया गया ? कुल कितने भट्टों से यह टैक्स वसूल किया जाता है ? प्रत्येक का सेल्स टैक्स 1991 में कितना प्राप्त हुआ ?

(2) 1990-91 में ईंटें कितनी बार चढ़ाई गईं और उनमें औसत उत्पादन क्या रहा है उस हिसाब से कितना सेल्स टैक्स बनना चाहिये था और अधिकारियों ने कितना वसूल किया है ?

(3) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि ईंटों की बिक्री से सेल्स टैक्स वसूली काफी कम हुई है ? यदि हां, तो अधिक वसूली के लिए क्या योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में वर्ष 1991 (वित्तीय वर्ष 1990-91) में कुल 86.69 लाख रुपये विक्रय कर ईंटों की बिक्री से वसूल किया गया। कुल 156 भट्टों में से 152 भट्टों से यह कर वसूल किया गया है। प्रत्येक से उक्त वर्ष में प्राप्त विक्रय कर की सूची अलग से संलग्न है।

(2) वर्ष 1990-91 में 473 बार ईंटें चढ़ाई गई और औसत उत्पादन 15.48 लाख ईंट (प्रति भट्टा) रहा। उस हिसाब से 86.69 लाख रुपये विक्रय कर बनता है और श्रीगंगानगर के अधिकारियों ने 86.69 लाख रुपये वसूल किया है।

(3) ईंटों की बिक्री से विक्रय कर वसूली कम नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम सेवा सहकारी समिति रियां बड़ी (नागौर) के चुनाव

716. श्री मोहनलाल (परबतसर), **श्री बुलाकीदास** (बीकानेर) एवं **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई माधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जसनगर ग्राम सेवा सहकारी समिति जसनगर पंचायत समिति रियां बड़ी जिला नागौर के चुनाव करवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो चुनाव अधिकारी कौन था ? चुनाव कार्यक्रम क्या था ? सभी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चुनाव की कार्यवाही संस्था के कार्यवाही रजिस्टर में अंकित करनी आवश्यक है ? यदि हां, तो चुनाव में कुल कितने मनोनयन पत्र प्राप्त हुए मय नाम के, कितने खारिज किये गए व किन-किन कारणों से खारिज किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद रजिस्ट्रार सहकारी सममितियां व अन्य अधिकारियों के समक्ष निष्पक्ष चुनाव हेतु कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इसके बाद उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री मोहनलाल)

(4) क्या निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मतदाता सूची व मनोनयन पत्रों के सम्बन्ध में आपत्तियां पेश हुईं ? यदि हां, तो उनका निष्पादन किस अभिलेख के तहत किया गया तथा किन-किन उम्मीदवारों की अयोग्यता के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त हुईं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि छः साल से ज्यादा या लगातार दो बार एक व्यक्ति संचालक मण्डल में निर्वाचित नहीं हो सकता ? यदि हां, तो इस चुनाव में संचालक मण्डल के लिए निर्वाचित सदस्यों में से ऐसे कौन-कौन व्यक्ति हैं जो 26-9-81 से लगातार संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते आए हैं ?

(6) क्या इस निर्वाचन के बाद निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । चुनाव अधिकारी श्री जवानाराम चौधरी सहायक अधिशाषी अधिकारी शाखा मेड़ता सिटी नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. नागौर थे । चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रकाशन 7-1-92, एतराज की सुनवाई 16-1-92 फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन 16-1-92, मनोनयन पत्रों की प्राप्ति 20-1-92, मनोनयन पत्रों की जांच 21-1-92, मनोनयन पत्रों की वापसी व अन्तिम सूची का प्रकाशन 22-1-92 मतदान 28-1-92 एवं पदाधिकारियों का चुनाव 29-1-92 को हुआ । आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दी है ।

(2) जी हां । चुनाव में कुल 46 मनोनयन पत्र प्राप्त हुए, 22 खारिज किये गये थे । निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव के बाद सम्बन्धित सभी कागजात लिफाफे में बन्द कर सील्ड कर दिये जाते हैं । जिसको वाद प्रस्तुत होने पर पंच निर्णय के लिए खोला जाता है । अतः मनोनयन पत्रों को निरस्त करने के कारण बताना सम्भव नहीं है ।

(3) जी हां । शिकायत प्राप्त होने पर उप रजिस्ट्रार (उपभोक्ता) प्रधान कार्यालय, जयपुर को चुनाव पर्यवेक्षक लगाया गया था वे तथा सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर चुनाव के समय समिति मुख्यावास पर उपस्थित थे ।

(4) चुनाव से सम्बन्धित समस्त कागजात निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिफाफे में बन्द कर सील्ड कर दिये जाते हैं । अतः नियमानुसार वाद पेश करने पर पंच निर्णायक द्वारा लिफाफा खोले जाने पर इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकती है ।

(5) जी हां । चूंकि इस समिति के वर्तमान चुनावों से सम्बन्धित वाद राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत लम्बित है । अतः कोई भी टिप्पणी इस बारे में कहना उचित प्रतीत नहीं होता ।

(6) उपरोक्तानुसार ।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर

क्रमांक दिनांक :

आदेश

जाने की शेष रही पैक्स समितियों का निर्वाचन कराना आवश्यक है ।

अत: राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 (संशोधित नियम. 1969 व 1983) के नियम 32 व 33 के प्रावधानानुसार संलग्न प्रोग्राम के अनुसार निर्वाचन कराने हेतु सूची के अनुसार को उनके नाम के सामने अंकित समितियों का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

संलग्न : निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति
एवं चुनाव प्रोग्राम की सूची

ह०
सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, नागौर

संलग्न : निम्नानुसार

शेष रही पैक्स समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम

क्र. सं.	नाम निर्वाचन अधिकारी मय पद	नाम सहकारी समिति	मतदाता सूची का प्रकाशन	एतराजों की सुनवाई	फाईनल मतदाता सूची का प्रकाशन	मनोनयन पत्रों की प्राप्ति	मनोनयन पत्रों की जांच	मनोनयन पत्रों की वापसी व अन्तिम सूची का प्रकाशन	मतदान	पदाधिकारियों का चुनाव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्री सुखराम चौधरी, निरीक्षक कार्य	सैनणरी ग्राम सेवा स. स.	7-1-92	16-1-92	16-1-92	20-1-92	21-1-92	22-1-92	28-1-92	29-1-92
2.	श्री बाबूलाल भाकल, निरीक्षक कार्य	ईन्दावड़ ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
3.	श्री जवानाराम चौधरी, ए.ई.ओ.	जसनगर ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
4.	श्री जसवन्तसिंह चौधरी, सी.ई.ओ.	पादुखुर्द ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
5.	श्री पूर्णमल सारण, सी.ई.ओ.	सासण्डा ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
6.	श्री बजरंगलाल, ए.ई.ओ.	भगवानपुरा ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,

ह०
सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां
नागौर

उप तहसील बदनौर की क्रमोन्नति

717. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसीलों/उपतहसीलों के पुनर्गठन के लिये अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो कब तक प्राप्त होगी ?

(2) क्या राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर ने अपने पत्रांक 6539 दिनांक 27-11-85 द्वारा उप तहसील बदनौर (जिला भीलवाड़ा) को क्रमोन्नत कर तहसील का दर्जा देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) तहसीलों/उप तहसीलों के पुर्नगठन के लिए अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 28-1-92 के द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ।

(2) जी नहीं ।

जगन्नाथपुरा (आमेर) में वानिकी कार्यक्रम

718. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, आमेर के अधीनस्थ ग्राम जगन्नाथपुरा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत पेड़ लगाये गये थे ? यदि हां, तो कितने पेड़ ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम जगन्नाथपुरा में ये पेड़ एक एनिकट के इर्द-गिर्द लगाये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस स्थान पर एनिकट एवं पेड़ों को नष्ट कर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि अभी तक अतिक्रमण हटाने का सरकार ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कब-कब, क्या-क्या प्रयास किये गये ?

(5) क्या इस अतिक्रमण को सरकार हटाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम जगन्नाथपुरा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत चरागाह भूमि में वन विभाग द्वारा 22000 पेड़ लगाये गये थे । ये पेड़ ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लगाये गये थे ।

(2) ग्राम जगन्नाथपुरा में 22 हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाये है । इस क्षेत्र में एक एनीकट भी बना हुआ है । जी हां ।

(3) एवं (4) जी नहीं । अतिक्रमी के विरूद्ध राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर बेदखली की कार्यवाही की गई है । दिनांक 29-8-91 को तहसीलदार आमेर मय पुलिस बल के मौके पर पहुंच कर अतिक्रमी की फसल को जानवरों द्वारा नष्ट कराया

(वन मंत्री)

गया तथा पुख्ता मकान को तुड़वाकर बेदखल किया गया । दिनांक 16-9-91 को तहसीलदार, आमेर के मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचने व अतिक्रमी द्वारा विरोध करने पर थाना हरमाडा में मुकदमा भी दर्ज कराया गया । दिनांक 25-10-91 को पुन: मौके पर पहुंच कर अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही ट्रैक्टर चला कर भूमि खाली करवा कर भूमि को कब्जे राज में ली गई है ।

(5) अतिक्रमण को हटवाकर भूमि कब्जे राज ले ली गई है ।

वन भूमि पर कृषि

719. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितनी वन भूमि पर कृषि कार्य के लिये अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज किये गये हैं ?

(2) क्या वन विभाग के अभिलेख में दर्ज सारी भूमि का आधिपत्य वन विभाग के पास ही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में लगभग 26,800 हैक्टर वन भूमि पर कृषि कार्य हेतु अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज हैं ।

(2) वन विभाग के अभिलेखों में दर्ज वन भूमि का आधिपत्य विभाग के पास ही है सिवाय ऐसी वन भूमि का जिसका आवंटन अमलदरामद के अभाव में राजस्व अधिकारियों द्वारा कर दिया गया है ।

खाद्य विभाग में प्रवर्तन अधिकारी/ निरीक्षक के आरक्षित पद

720. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट), **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी) एवं **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं उनके विरुद्ध कितने व्यक्ति कार्यरत हैं ? इनमें से अनुसूचित जाति/ जनजाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? वरिष्ठता के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में वर्तमान में प्रवर्तन अधिकारियों/सहायक जिला रसद अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं तथा उनमें से अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने पद आरक्षित हैं तथा बैक-लॉग कितना शेष है ? क्या सरकार शीघ्र अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति कर रिक्त पदों को भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अब तक 1973 से अब तक कितने प्रवर्तन निरीक्षकों को पदोन्नति दी गई, इनमें से अनुसूचित आति/जनजाति के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें, जिसमें ये भी स्पष्ट करें कि डी. पी. सी. के द्वारा

(श्री परसादीलाल मीणा)

कितनी पदोन्नति दी गईं तथा एडहोक कितनी जिन्हें बाद में डी. पी. सी. से अनुमोदित करवाया गया ?

(4) क्या यह सही है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 1973 में भर्ती के समय एवं 1973 के बाद में पदोन्नत किये गए प्रवर्तन अधिकारियों के पदों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आरक्षण के मुताबिक एवं रोस्टर के मुताबिक लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार रहा ?

उत्तर

(1) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक के स्वीकृत कार्यरत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यरत कर्मचारी निम्नांकित हैं तथा वरिष्ठता के अनुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	कार्यरत में	
			अनुसूचित जाति के कर्मचारी	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी
प्रवर्तन अधिकारी	104	97	10	2
प्रवर्तन निरीक्षक	312	285	34	17

(2) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में वर्तमान में प्रवर्तन अधिकारियों/सहायक जिला रसद अधिकारियों के रिक्त पद तथा उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पद तथा बैक–लॉग निम्नांकित है । सरकार शीघ्र अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति कर रिक्त पदों को भरने का ईरादा रखती है जिसके लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जा रही है ।

नाम पद	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों में से			
		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		आरक्षित पद	बैक लॉक	आरक्षित पद	बैक लॉक
प्रवर्तन अधिकारी	7	1	5	1	4
सहा. जि. र. अ.	11	1	2	2	1

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 1973 से 1991 तक 57 प्रवर्तन निरीक्षकों को पदोन्नति दी गई। इनमें से अनु.जाति के 2 एवं अनुसूचित जनजाति के 1 कर्मचारी को पदोन्नति दी गई जिसकी सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। डी. पी. सी. से 37 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई तथा एड्होक 20 पदोन्नति दी गई जिन्हें बाद में डी. पी. सी. से अनुमोदित करवाया गया।

(4) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ब्यावर क्षेत्र में राहत कार्य

721. **श्री चम्पा लाल जैन** (ब्यावर): क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले का ब्यावर क्षेत्र इस वर्ष भयंकर सूखे की चपेट में है?

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र में अकाल राहत कार्य शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह क्षेत्र अभावग्रस्त है।

(2) अजमेर जिले में दिनांक 1-4-92 से राहत कार्य प्रारम्भ कर 20,000 श्रमिकों के नियोजन की स्वीकृति दे दी गई है।

मितव्यता समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही

722. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजेन्द्र जैन कमेटी के द्वारा निम्न स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के पद व्यापक रूप से कम कर दिये, किन्तु उच्च प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के पदों में कोई कटौती नहीं की गई? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

(2) क्या सरकार उच्च पदों को भी कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन विभागों से, किस-किस श्रेणी के, कितने पदों को कम किया जावेगा?

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, नागरिक सुरक्षा व गृह सुरक्षा विभाग में महानिदेशक के पदों को बनाये रखने का क्या कोई औचित्य है? यदि हां, तो कैसे? यदि नहीं, तो इन पदों को कब तक समाप्त कर दिया जावेगा?

(4) स्वास्थ्य मंत्री, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बनी मितव्यता समिति द्वारा राज्य सरकार को कितने प्रतिवेदन अब तक दिये गये हैं? उनकी कितनी सिफारिशें मान ली गई, कितनी अस्वीकार की गई व कितनी विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एवं (2) राजेन्द्र जैन समिति द्वारा जो पद समाप्त किये गये गये हैं, वे उस

(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री)

विभाग के कार्य अनुसार अधिक पाये जाने के कारण समाप्त किये गये हैं। समिति ने विभिन्न स्तर के पदों को किसी अनुपात विशेष में समाप्त करने की सिफारिश नहीं की, बल्कि विभाग के कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही सिफारिश की है।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तथा नागरिक सुरक्षा व गृह सुरक्षा विभाग में महानिदेशक के पदों को बनाये रखने का पूर्ण औचित्य है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को अधिक प्रभावी तथा कुछ जनहित के महत्वपूर्ण मामलों को इस विभाग के अधीन लाने के प्रयोजन से इस का नया नाम "राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो" दिया जाकर विभाग को सुदृढ़ किया गया है, एक महानिदेशक पुलिस श्रेणी का अधिकारी नियुक्त किया गया है, पुलिस अधीक्षक एवं अपरपुलिस अधीक्षक के नये पद भी सृजित किये गये हैं। इन सब पर प्रभावी और उपयुक्त नियन्त्रण के लिए विभाग में महानिदेशक का पद अत्यन्त आवश्यक है। नागरिक/गृह सुरक्षा विभाग का सीमान्त प्रदेश में विशेष महत्व है। वर्तमान में आतंकवाद निरन्तर फैलता जा रहा है, सतर्कता रखने के लिए इस विभाग का महत्व और भी बढ़ गया है। उल्लेखनीय है कि विभाग का कार्य क्षेत्र प्रदेश के सभी जिलों में फैला दिया गया है, विशेषकर पाकिस्तान की सीमा से लगते हुये जिलों में बट लियन्स की संख्या बढ़ा दी गई, बढ़ते हुये कार्य व महत्व को ध्यान में रखते हुये, विभाग में प्रमुख पद महानिदेशक श्रेणी का रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है।

(4) समिति द्वारा अब तक 13 बैठकें आयोजित की गई जिसमें से देश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के संकट को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल की बचत हेतु जो सिफारिशें की गई थी उस आधार पर एक परिपत्र सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग द्वारा उनके परिपत्र प. 23/85/सा. प्र/90 दिनांक 31-8-90 जारी किया गया।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा जो सिफारिश की गई है उनमें कुछ पर निर्णय लिया जा चुका है तथा अनेक सिफारिशों पर निर्णय विचाराधीन है। जिन सिफारिशों पर निर्णय हो गया है उनकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति राजपुरा के विरुद्ध शिकायतें

723. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी): सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. तहसील बस्सी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ तथा इसमें रजिस्ट्रेशन से अब तक कौन-कौन व्यक्ति अध्यक्ष रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं तथा वे किस श्रेणी के कृषक सदस्य हैं? क्या वे पहले भी पहले भी कभी समिति के सदस्य रहे हैं? यदि हां, तो किस समिति के?

(3) समिति के वर्तमान अध्यक्ष के पास कितनी भूमि है? तहसीलदार द्वारा

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

प्रमाणित भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भूमि विवरण के अनुसार अध्यक्ष के पास लघु सीमान्त श्रेणी के कृषक से अधिक भूमि है ? यदि हां, तो उसे लघु सीमान्त कृषक की श्रेणी में कैसे निर्दिष्ट किया जाकर प्रतिनिधित्व के योग्य माना गया ?

(5) क्या वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध रोजवाड़ी में की गई वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी विचाराधीन हैं ? राज्य सरकार उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) राजपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., तहसील बस्सी जिला जयपुर का रजिस्ट्रेशन दिनांक 9.3.62 को हुआ है। रजिस्ट्रेशन से अब तक जो व्यक्ति अध्यक्ष रहे उसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी है तथा वे लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी के सदस्य हैं। श्री तिवाड़ी इस समिति से पूर्व बैनाडा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. एवं रोजवाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. तहसील बस्सी के सदस्य रहे हैं।

(3) वर्तमान अध्यक्ष के पास ग्राम बैनाडा में 4 बीघा 15 बिस्वा एवं ग्राम रोजवाड़ी में 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि है। तहसीलदार द्वारा प्रमाणित भूमि का विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "ब-1 से ब-3" पर रख दिया है।

(4) जी हां। समिति के पास उपलब्ध भूमि विवरण रजिस्टर के अनुसार अध्यक्ष के पास 41 बीघा 1 बिस्वा का 1/6 हिस्सा 6 बीघा 17 बिस्वा ही भूमि होना बताया है। विवरण परिशिष्ट "स" पर है।

(5) जी हां। रजिस्ट्रार द्वारा इस मामले की पुनः सुनवाई पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला चित्तौड़गढ़ में चारागाह भूमि का आवंटन

724. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में किस-किस ग्राम में चारागाह भूमि आवंटित की जा चुकी है और कौन-कौन से गांव शेष रहे तथा क्यों ?

(2) शेष गांवों के पशुओं के लिए अब कब तक चारागह भूमि का आवंटन कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 2388 ग्राम है। इनमें से 1792 ग्रामों में चरागाह भूमि पूर्व से आरक्षित की जा चुकी है। सूची संलग्न है। 596 ग्राम ऐसे हैं, जहां चरागाह भूमि उपलब्ध नहीं है। जिन गांवों में चारागाह भूमि उपलब्ध नहीं है, उसका

(राजस्व मंत्री)

मुख्य कारण गांव आबाद न होना, ग्राम डूब क्षेत्र में होना, ग्राम कमाण्ड क्षेत्र में होना, ग्राम नगरपालिका सीमा में आ जाना, या ग्राम में चरागाह हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होना रहा है। सूची संलग्न हैं।

(2) शेष गांवों में जो गांव आबाद है एवं चरागाह भूमि उपलब्ध नहीं है वहां उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव सम्बन्धित तहसीलदार एव उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त होने पर यथा शीघ्र आरक्षित की कार्यवाही की जावेगी। जो ग्राम आबाद नहीं है, जो गांव डूब क्षेत्र में स्थित है, कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है, नगरपालिका सीमा में आ गये हैं, तो वहां चरागाह भूमि आरक्षित करने का प्रश्न ही नहीं रहता है।

(सूची विस्तृत होने के कार विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला सिरोही में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कार्य

725. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही): क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में जवाहर रोजगार योजना के कुल कितने कार्य अधूरे पड़े हैं? इन पर कुल कितना खर्च हो चुका है तथा इनके अधूरा रह जाने के क्या कारण हैं? इन्हें पूरा करवाने की सरकार की क्या योजना है?

(2) सिरोही जिले में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी इत्यादि का कुल कितना भुगतान करना बाकी है तथा सरकार ने इसकी क्या व्यवस्था की है?

उत्तर

(1) सिरोही जिल में जवाहर रोजगार योजना के कुल 1630 कार्य अधूरे पड़े हैं। इन पर अब तक कुल रु. 133.567 लाख खर्च हो चुका है। इनके अधूरे रह जाने के निम्न कारण हैं :—

(i) जो कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से चल रहे हैं, उनकी प्रगति कुछ धीमी है।

(ii) जो कार्य विभागों के माध्यम से चल रहे थे उन पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर रक्षित राशि से अधिक का व्यय हो चुका है जिस कारण से कार्य बन्द है। विभागों हेतु इस योजनान्तर्गत जिला स्तर पर रक्षित राशि म राशि उपलब्ध होने पर पूर्ण कराने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) सिरोही जिले में जवाहर रोजगार योजना के अतर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी का कोई भुगतान बाकी नहीं है।

लकड़ी की कटाव का ठेका

726. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नौखा): क्या वन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में आज तक पातण कार्य (लकड़ी कटाई) का ठेका नहीं दिया जाता था? यदि हां, तो अब ठेकेदारों द्वारा कटाई का कार्य क्यों करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(2) क्या सरकार की ठेकेदारों से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कीमती लकड़ी को ठेका प्रथा से कटवाने की योजना है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार ठेका प्रथा से कटाई कार्य को रोकने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । कटाई का कार्य ठेकेदारों से नहीं करवाया जा रहा है ।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में परीक्षण के तौर पर 50 हैक्टर क्षेत्र में पार्तणा कार्य निविदा आमंत्रित कर अधिकतम बोली लगाने वालों को विक्रय करने की योजना है । विभागीय कार्य मण्डल द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार लकड़ी के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय का लगभग 70 प्रतिशत भाग इन कार्यों में व्यय होने का अनुमान लगाया था जिसे राज्य सरकार ने अत्याधिक माना अतः परीक्षण के तौर पर 50 हैक्टर भूमि के वनों को निविदा आमंत्रित कर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है । इस प्रक्रिया में कोई व्यय नहीं होगा और वनों की समस्त आय राज्य सरकार को प्राप्त होगी ।

तहसील डेगाना में राहत कार्य

727. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान वर्ष 1991-92 में अकाल की स्थिति में नागौर जिले के कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ? सूची तहसीलदार सदन की मेज पर रखें ।

(2) डेगाना (नागौर) तहसील में किन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ?

(3) क्या अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार अकाल राहत कार्य शुरू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के प्रभावित गांवों में अभाव स्थिति की घोषणा का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) अभाव स्थिति की घोषणा का मामला विचाराधीन है ।

(3) नागौर जिले में जवाहर रोजगार राहत कार्य हेतु माह मार्च, 92 के लिए 3000 श्रमिकों की सीमा निर्धारित की गई है तथा माह अप्रेल, 92 के लिये श्रमिक सीमा बढ़ाकर दस हजार की गई है । प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है विभागीय कार्यों पर नागौर जिले में 8500 श्रमिक कार्यरत है ।

(स्थगित प्रश्न दिनांक 12 मार्च, 1992)

ता. प्र. सं. 352

(पुनः स्थगित)

202

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 1122 की सूची

कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	पद	पद पर कार्यरत कर्मचारी अधिकारी का नाम	विशेष विवरण
1.	अधिशाषी अभियन्ता	श्री जयसिंह छाजेड़	
2.	सहा. अभियन्ता एवं प्रावैधिक सहा.	रिक्त	
3.	कार्यालय सहायक	श्री लक्ष्मी नारायण अकोदिया	
4.	वरिष्ठ लिपिक	श्री प्रताप चन्द चांदवानी	
5.	कनिष्ठ लिपिक	श्री पुरुषोत्तम दास माहेश्वरी	
6.	,,	श्री सीताराम	
7.	,,	श्रीमती अन्नमा मैथ्यू	
8.	,,	श्रीमती रमा शुक्ला	
9.	वरिष्ठ प्रारूपकार	श्री वी. आर. कपूर	
10.	कनिष्ठ प्रारूपकार	श्री बसन्ती लाल शर्मा	
11.	अनुरेखक	श्री हेमन्त कुमार कौशिक	
12.	फैरोमेन	श्री अलताफ हुसेन	
13.	च. श्रे. क.	श्री भंवर सिंह	
14.	,,	श्री गजानन्द	
15.	,,	श्री पूरण मल	
16.	,,	श्रीमती शमा	

लिफ्ट सिंचाई उपखण्ड प्रथम, झालावाड़

1.	सहा. अभि.	श्री हरी शंकर काकड़	
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	श्री भारत रत्न गौड़	

क्रमांक	पद	पद पर कार्यरत कर्मचारी अधिकारी का नाम	विशेष विवरण
3.	कनिष्ठ अभियन्ता	श्री सुभाष चन्द	
4.	,,	श्री राजीव गुप्ता वल्द डी. पी. गुप्ता	
5.	,,	श्री नरेश चन्द गुलाटी	
6.	,,	श्री श्याम मोहन शुक्ला	
7.	कनिष्ठ लिपिक	श्री गोविन्द प्रसाद दाधीच	
8.	च. श्रे. क.	श्री हजारीसिंह	

लिफ्ट सिंचाई उप खण्ड द्वितीय झालावाड़

1.	स. अ.	श्री ओ. पी. श्रीवास्तव	
2.	कनिष्ठ अभि.	श्री नन्द किशोर माथुर	
3.	,,	श्री बाबू लाल त्रिपाठी	
4.	,,	श्री अशोक ठहिल्यानी	
5.	,,	श्री राजीव गुप्ता वल्द श्री बी. डी. गुप्ता	
6.	कनिष्ठ लिपिक	श्री कैलाश चन्द सैनी	
7.	च. श्रे. क.	श्री राम लाल	

लिफ्ट सिंचाई उपखण्ड तृतीय झालावाड़

1.	सहा. अभि.	श्री आर. पी. माथुर	
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	श्री राजीव भारद्वाज	
3.	,,	श्री रावत	
4.	,,	श्री सुन्दर लाल	
5.	,,	श्री राम बाबु शर्मा	
6.	,,	श्री विष्णु कुमार राणावत	
7.	कनिष्ठ लिपिक	श्री मोती लाल	
8.	च. श्रे. क.	श्रीमती चन्द्रा बाई	

(204)

क्रमांक	पद	पद पर कार्यरत कर्मचारी अधिकारी का नाम	विशेष विवरण
		लिफ्ट सिंचाई उपखण्ड चतुर्थ झालावाड़	
1.	सहा. अभि.	श्री बी एल. जैन	29-2-92 से कार्यरत
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	श्री सतीश चन्द गुप्ता	
3.	,,	श्री छीतर सिंह	
4.	,,	श्री पी. डी. शर्मा	
5.	,,	श्री एन. एस. मित्तल	
6.	,,	श्री उमा शंकर गुप्ता	
7.	कनिष्ठ लिपिक	श्री बहादुर सिंह	
8.	च. श्रे. क.	श्री प्रभुलाल बैरवा	

ह.
अधिशाषी अभियन्ता
लिफ्ट सिंचाई खण्ड
झालावाड़

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 1126 का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	नाम बांध/तालाब एनीकट जो टूटे	राशि जो मरम्मत पर खर्च की गई (लाखों में)
1.	भीलवाड़ा	पुर कानोड़ा	0.56
2.	बांसवाड़ा	मेल	शून्य
3.	धौलपुर	राता की खाल	शून्य
4.	अलवर	पिनान	0.10
5.	बूंदी	रामसागर	शून्य
6.	सवाई माधोपुर	पांचोलास	2.50
7.	दौसा	निवाई एनीकट	शून्य
8.	दौसा	मोहब्बतपुरा एनीकट	शून्य
9.	टोंक	गोठड़ा	0.40
		कल्याण सागर बीजवाड़	0.30
		रिन्डल्या रामपुरा	0.05
		करेली सागर	0.23
		सूबडन्ड टोपा	0.11
		बीबोलाव	0.12
		खरेड़ा सागर	0.12
		छान	0.04
		गेंदया	0.11
		पडूंरिया मूंडया	0.16
		बनेठा	0.90
		पिंडलिया फीडर	0.05
		नया तालाब फीडर	0.20
10.	अजमेर	खातोलाई मेवदा कलां	0.62

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1131 की सूचना

नाम कार्य : इंदिरा कालोनी, बहराई, पंचायत समिति, शाहबाद
हिसाब व्यय

क्र.सं.	दिनांक	किसे भुगतान किया गया	राशि	वि. वि.
1	2	3	4	5
1.	31-12-87	मजदूरों को भुगतान किया एम आर. द्वारा	17736.00	2816-19
2.	7-1-88	गोपाल विजय पैनावदा	8000.00	चूना 800 फीट पर 10/–
3.	7-1-88	गोपाल विजय पैनावदा	17000.00	पत्थर बजरी
4.	31-1-88	मजदूरों का भुगतान एम. आर. द्वारा	19868.00	2833-2836
5.	1-2-88	बुद्धिप्रकाश केलवाड़ा	3200.00	जंगला 40 पर
6.	1-2-88	गोपाल विजय पैनावदा	8000.00	पत्थर, बजरी
7.	3-2-88	गोपाल विजय पैनावदा	13760 00	लेंटर, फर्सी, पट्टी
8.	3-2-88	गोपाल विजय पैनावदा	5000.00	चूना 500 फीट दर 10/–
9.	15-2-88	मजदूरों को भुगतान एम. आर. द्वारा	18720.00	2851-54
10.	1-3-88	मजदूरों को भुगतान एम. आर. द्वारा	9672.00	5555-5556
11.	15-3-88	जैन ट्रेडर्स केलवाड़ा	3400.00	सीमेन्ट
12.	15-3-88	बुद्धिप्रकाश केलवाड़ा	18000 00	किवाड़
13.	15-3-88	गोपाल विजय पैनावदा	1575.00	सीमेन्ट
14.	15-3-88	मजदूरों को भुगतान एम. आर. द्वारा	11160.00	5612-5614

1	2	3	4	5
15.	13-3-89	विकास अधिकारी पं. स. शाहबाद	402.00	सुपरविजन स्टेशनरी चार्ज
16.	13-3-89	बुद्धिप्रकाश केलयाड़ा	4000.00	जंगला
17.	13-3-89	गोपाल विजय पैनवदा	9050.00	मेट्रेरियल, पत्थर, बजरी आदि
18.	13-3-89	मजदूरों का भुगतान एम. आर. द्वारा	7290.00	—
		योग	175,835/-	

भवन पर स्वीकृत राशि	1,80,000/-	पं. स. से प्राप्त राशि 175320/-
विकास कार्य पर	60,000/-	पंचायत द्वारा व्यय : 175835/-
योग	2,40,000/-	शेष अग्रिम पं. स. निल

ह.

विकास अधिकारी,

पं. सं. शाहबाद (कोटा)

सत्य प्रतिलिपि

परियोजना अर्थशास्त्री

जि. ग्रा. वि. अ. कोटा

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1145 का विवरण

	विगत 5 वर्षों में लगाये गये वृक्षों की संख्या			विगत पांच वर्षों में वृक्षारोपण कार्यक्रम पर व्यय राशि
वर्ष	विभागीय वृक्षारोपणों	में वितरण द्वारा	योग	
86-87	626.09	714.93	1341.02	4122.30
87-88	504.89	668.98	1173.87	4632.76
88-89	596.11	713.89	1310.00	4051.04
89-90	343.18	570.03	913.21	4280.26
90-91	443.35	399.11	842.46	6899.04

गत पांच वर्षों में लगाये गये पौधों में से जीवित रहे पौधों का प्रकार

1. विलायती बबूल
2. देशी बबूल
3. नीम
4. रोंज
5. जंगल जलेबी
6. कुमटा
7. कीकर
8. शीशम
9. बेर
10. बांस
11. सुबबूल
12. पार्किन सीनिया
13. सिरस
14. कनेर
15. बोगन बेलिया
16. केशिया स्यामिया
17. करंज
18. सफेदा
19. लेसवा
20. गुलमोहर
21. बकैन
22. चुरैल
23. अरडू
24. पापडी
25. खेजडी
26. रोहिडा
27. शहतूत
28. पीपलर
29. अपलतास
30. गूंदी
31. पीपल
32. सागवान
33. सेपल
34. आंवला
35. अर्जुन
36. महुआ
37. खिरनी, इत्यादि

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1146 की सूची

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के राजस्व गांवों की सूची जिनके नक्शे फटे हुये हैं

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम
1.	बस्सी	1. रतनपुरा			23. रामसिंहपुरा
		2. भूडला			24. राजपुरापातलवास
		3. गुमानपुरा			25. तिलपट्टी
		4. लालपुरा			26. धीगडकाबास
		5. माध्यावाला			27. खोरज्यांवाला
		6. नारदपुरा			28. लालावाला
		7. दनाऊ खुर्द			29. चकरोजवाड़ी
		8. खतेपुरा			30. पृथ्वीपुरा
		9. रामसिंहपुरा			31. रामसर
		10. रूपपुरा			32. पाटन
		11. भांकरी			33. रामजीपुरा
		12. बूडथल			34. उगावास
		13. हिंगोनिया			35. माधोगढ़
		14. गुढावास फाल्यावास			36. ग्वालिनी
		15 रलावता			37. धोली
		16. बांसखो			38. बिमलपुरा
		17. जटवाड़ा			39. वदनाऊकलां
		18. कानेटी			40. चकनारदपुरा
		19. गोठडा			41. चैनपुरा
		20. नागलबोहरा			42. तूंगा
		21. बोराई			43. पिलियां
		22. रामपुराबास चण्डालियां			44. खिजूरियातिवाडीयान

210

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम
		45. पालावाला जाटान			59. रतनपुरा
		46. नया गांव			60. चकलवाण
		47. किशनपुरा			61. जयराम का बास
		48. दामोदरपुरा			62. घासीपुरा
		49. बस्सी			63. गढ़
		50. रामपुराबास दूधली			
		51. बाढ चारणवास	2.	चाकसू	1. रूपाहेडी कलां
		52. करणगढ़			2. रामचन्द्रपुरा
		53. नगराजपुरा			3. चकचौरासी
		54. तूंगा			4. कोटखावदा
		55. अखैपुरा			5. कोहल्या
		56. सांवल्यावाला			6. ठीकरिया गुजरान
		57. टिड्डीवाला			7. रलावता
		58. बिहारीपुरा			8. काकरिया

ह.
कलक्टर (भू. अ.)
जयपुर

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1147 की सूची

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	अतिक्रमी के खिलाफ की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	पून्या पि. धन्ना जाति मीणा निवासी भावंती तह. बसवा	ख. नं. 20 चरागाह	5 बीघा	सं. 2047 में अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को बेदखल किया जाकर शास्ती कायम की गई थी। पुनः अतिक्रमी द्वारा सं. 2048 में फसल खरीफ में उक्त चरागाह भूमि पर कास्त कर अतिक्रमण करने पर प्रकरण सं. 933/91 तैयार कर दिनांक 20-11-91 के निर्णय अनुसार अतिक्रमी पर 250/- रुपये शास्ती कायम की जाकर बेदखल किया गया एवं पुनः अतिक्रमण करने के आरोप में एक माह का साधारण कारावास के आदेश पारित किये गये।

1	2	3	4	5
2.	हरचन्दा, लल्लु, प्रभू, लोहडिया, चुन्नीलाल पुत्रान मांग्या, रूगनाथ पुत्र नारायण जाति मीनगान नि. भांवती तह. बसवा	ख. नं. 20 चरागाह	3 बीघा	सं. 2047 में अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को बेदखल किया जाकर शास्ती कायम की गई थी। पुनः अतिक्रमी द्वारा सं. 2048 में फसल खरीफ में उक्त चरागाह भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण करने पर प्रकरण सं. 934/91 तैयार कर दिनांक 20-11-91 के निर्णय अनुसार अतिक्रमी पर 150/- रुपये शास्ती कायम की जाकर बेदखल किया गया एवं पुनः अतिक्रमण करने के आरोप में एक माह का साधारण कारावास के आदेश पारित किये गये।

ह.
तहसीलदार
तहसील बसवा (जिला दौसा)

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1148 की सूची

ग्राम रोनीजाथान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में बैरवा जाति के भूमिहीन परिवारों को दिनांक 5-1-73 में भूमि आवंटन की सूची।

क्रम सं.	नाम अलोटी	खसरा नं. रकबा
1.	भोहल्या पुत्र बिरवा चमार	1140 मि. 4 बीघा
2.	मंगल्या पुत्र किशना	1140 मि. 4 बीघा
3.	रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द	1140 मि. 3 बीघा 11 बिस्वा
4.	बसन्ती पुत्र सालका	1135 मि. 4 बिस्वा
5.	खेमचन्द पुत्र चन्दा	1141 मि. 4 बीघा
6.	प्रभाती पुत्र मंगल्या	1117 मि. 2 बीघा 2 बिस्वा
		1135 मि. 1 बीघा 10 बिस्वा
		1141 मि. 3 बिस्वा
7.	रूगनाथ पुत्र मंगल्या	1141 मि. 4 बीघा
8.	छुट्टन पुत्र भोरया	1136 मि. 3 बीघा 19 बिस्वा
		1141 मि. 4 बिस्वा
9.	मन्या पुत्र जमन्या	1136 मि. 3 बीघा 14 बिस्वा
10.	अमरसिंह पुत्र शंकरलाल	1136 मि. 4 बीघा
11.	रामजीलाल पुत्र छोटेलाल	1136 मि. 2 बीघा
12.	गोकल पुत्र छोटेलाल	1136 मि. 2 बीघा
13.	मंगल्या पुत्र भीवडा	1135 मि. 5 बीघा
14.	मांग्या, छाज्या पुत्र सुखपाल	1140 मि. 6 बीघा
15.	गंगाराम पुत्र लक्ष्मण	1141 मि. 4 बीघा 5 बिस्वा

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1152 की सूची

(मात्रा मै. टनों में)

नाम माह	राज्य सरकार द्वारा आवंटित मात्रा	तहसीलवार वितरित की गयी मात्रा						
		पाली	बाली	देसूरी	मारवाड़ जक्शन	सोजत	रायपुर	जैतारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गेहूं								
सितम्बर, 90	5000.0	1407.5	1073.0	440.0	330.0	712.0	450.1	340.0
अक्टूबर, 90	5000.0	1052.8	2275.7	565.0	245.0	629.0	320.0	250.0
नवम्बर, 90	6654.9	1301.1	1130.0	510.0	325.0	630 0	585.0	215.0
दिसम्बर, 90	5500.0	1511.0	1196.8	760.0	335.0	595.8	314.0	545 0
जनवरी, 91	6000.0	1625.2	1585 0	570.0	518.0	779.4	566.0	655.0
फरवरी, 91	5000.0	1306.7	1117.9	450.0	400.0	760.0	455.0	550.0
लेवी चीनी								
सितम्बर, 90	721.0	116.8	145.3	82.3	30.2	120.7	—	79.1
अक्टूबर, 90	721.0	153.3	193.3	99.5	95.4	130.2	54.2	77.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नवम्बर, 90	627.0	71.2	3.5	57.6	5.8	41.2	71.9	27.2
दिसम्बर, 90	535.0	—	154.1	92.3	90.3	103.4	—	63.8
जनवरी, 91	627.0	—	18.6	1.4	—	1.9	53.4	14.8
फरवरी, 91	627.0	—	142.7	157.8	152.3	211.7	144.7	159.7
							(मात्रा कि. ली. में)	
केरोसीन								
सितम्बर, 90	1100	391	239	161	98	102	33	74
अक्टूबर, 90	1100	389	254	144	105	103	22	75
नवम्बर, 90	1200	426	290	154	96	108	33	76
दिसम्बर, 90	1200	420	277	161	85	104	33	89
जनवरी, 91	1150	408	252	158	96	100	33	84
फरवरी, 91	1200	428	265	154	82	94	44	90

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1153 की सूची

जिला स्तर

प्राईस एण्ड सप्लाई सर्विलेन्स एण्ड मोनेटरिंग कमेटियों के सदस्यों की सूची

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	कु. विमला सरोलिया एडवोकेट	सदस्य
3.	श्री सुरजाराम भूतपूर्व विधायक	,,
4.	श्री भगवान दास बिन्नागी	,,
5.	श्री हीरासिंह बीका सेवा निवृत्त	,,
6.	श्री भेराराम मास्टर	,,
7.	उप निदेशक उद्योग	,,
8.	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बीकानेर	,,
9.	जिला रसद अधिकारी	सचिव (सदस्य)
10.	श्री सोमदत्त श्रीमाली	सदस्य
11.	श्री हनुमान पुरोहित	,,
12.	श्री घेवरचन्द	,,
13.	श्री राम चन्द्र पुरोहित	,,
14.	श्री शांति कुमार व्यास	,,
15.	श्री माणक चन्द सेठिया	,,
16.	श्री गिरधारी लाल	,,
17.	जिला जनसम्पर्क अधिकारी	,,
18.	अध्यक्ष, थोक खाद्यान्न व्यापार मण्डल बीकानेर	,,
19.	श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल	,,
20.	श्री मघाराम जोशी	,,
21.	श्री द्वारका प्रसाद तापडिया	,,
22.	श्री किशन लाल बाहेती	,,

तहसील नोखा

1.	तहसीलदार नोखा	अध्यक्ष
2.	प्रवर्तन निरीक्षक नोखा	सदस्य
3.	श्री मंगाराम विश्नोई	,,
4.	श्री हरीराम मोची	,,
5.	श्री श्रीमती पुष्पादेवी	,,
6.	डा. मोतीराम, बाल रोग विशेषज्ञ	,,
7.	श्री नारायण सिंह	,,
8.	श्री द्वारका प्रसाद पंचारिया	,,
9.	श्री राजेश अग्रवाल	,,

तहसील कोलायत

1.	तहसीलदार कोलायत	अध्यक्ष
2.	प्रधानाध्यापिका, रा. बालिका विद्यालय	सदस्य
3.	श्री खींवराज शर्मा कोलांसर	,,
4.	प्रवर्तन निरीक्षक कोलायत	,,
5.	व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सह. समिति कोलायत	,,
6.	श्री बद्रीनारायण	,,

तहसील लूनकरणसर

1.	तहसीलदार लूनकरणसर	अध्यक्ष
2.	श्री भेराराम सेवानिवृत अध्यापक	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत उपभोक्ता सेवा समिति अर्जुनसर	,,
4.	श्री गोपालदास डूडागी, कालू	,,
5.	श्री श्रवणराम शर्मा, लूणकरनसर	,,
6.	प्रवर्तन निरीक्षक, लूनकरनसर	,,
7.	व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी समिति लूनकरनसर	,,
8.	श्रीमती सुमिता घोष	,,
9.	श्री शंकर हरिजन	,,

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1154 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	छात्रावास का नाम	योजना	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	सवाईमाधोपुर	राज. छात्रावास, स. माधोपुर	अनु. जनजाति	80	80
2.		राज. छात्रावास (कन्या) सवाई माधोपुर	,,	25	24
3.		राज. छात्रावास, खण्डार	,,	25	25
4.		राज. छात्रावास, सिवाड	,,	25	25
5.		राज. छात्रावास, ईसरदा	,,	25	25
6.		राज. छात्रावास, बामनबास	,,	25	25
7.		राज. छात्रावास, नादौती	,,	25	25
8.		राज. छात्रावास, सपोटरा	,,	25	25
9.		राज. छात्रावास, मंडरायल	,,	25	25
10.		राज. छात्रावास, टोडाभीम	,,	25	25
11.		राज. छात्रावास, करौली	अनु. जाति	60	60
12.		राज. छात्रावास, हिण्डौन	,,	40	38
13.		राज. छात्रावास, गंगापुर	,,	25	25
14.		राज. छात्रावास, स. माधोपुर	भंगी कष्टमुक्ति	25	25
15.		राज. छात्रावास, बोली	,,	25	18
16.		राज. छात्रावास, महुवा	अनु. जनजाति	60	46
17.		अनुदानित छात्रावास, गंगापुरसिटी	,,	35	35
18.	अलवर	राज. छात्रावास, अलवर	अनु. जाति	70	55
19.		राज. छात्रावास, कठूमर	,,	25	25
20.		राज. छात्रावास, थानागाजी	,,	25	16
21.		राज. छात्रावास, तिजारा	,,	25	25

1	2	3	4	5	6
22.		राज. छात्रावास, खेडली	,,	25	21
23.		राज. छात्रावास, बहरोड	,,	25	21
24.		राज. छात्रावास, हजूरीगेट अलवर	हरिजन कष्ट मुक्ति योजना	25	17
25.		राज. छात्रावास अखेपुरा	,,	25	18
26.		राज. छात्रावास, लक्ष्मणगढ	,,	25	11
27.		राज. छात्रावास, अलवर	अनु. जनजाति	45	43
28.		राज. छात्रावास, राजगढ	,,	55	40
29.		राज. छात्रावास, रैणी	,,	35	27
30.		राज. छात्रावार, गढी सवाईराम	,,	30	23
31.		राज. छात्रावास, सकट	अनु. जनजाति	25	19
32.		राज. छात्रावास, नारायणपुर	,,	25	15
33.	दौसा	राज. छात्रावास, दौसा	अनु. जाति	50	50
34.		राज छात्रावास, बांदीकुई	,,	50	44
35.		राज. छात्रावास, सिकराय	अनु जनजाति	25	25
36.		राज. छात्रावास, गड़रावा	,,	25	25
37.		राज. छात्रावास, दौसा	भंगी कष्टमुक्ति	25	25
38.		अनु. जाति अनुदानित छात्रा-वास लालसोट	अनु. जाति	25	21
39.		अनु. जनजाति छात्रावास, लालसोट द्वारा आदिम जाति सेवक संघ जयपुर।	अनु. जनजाति	30	30
40.		अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, सैंथल	अनु. जाति	35	30

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 की सूची

तहसील जमवारामगढ एवं विराटनगर में खोले गये पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की सूची

तहसील	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	उपकेन्द्र
जमवारामगढ	1. जमवारामगढ	1. रायसर	1. सायपुरा
	2. करीरी	2. चांवडिया	2. घटबाड़ी
	3. भानपुर कला	3. मानपुर	3. नीमला
	4. आंधी		4. बासना
			5. थली
			6. खवारानीजीका
			7. ताला
			8. नायला
			9. थौलाई
विराटनगर	1. विराटनगर	1. बाडी जोडी	1. नौरंगपुर
	2. शाहपुरा	2. कांठ	2. प्रागपुरा
	3. अमरसर		3. बागावास अहीरान
	4. आंतेला		4. बीलवाड़ी
	5. गुलाब बाड़ी		5. राडावास
	6. मनोहरपुर		
	7. मेड		
	8. पापटा		
	9. धानोता		
	10. बोबाड़ी		

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1148 की सूची

ग्राम रोनीजाथान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में बैरवा जाति के भूमिहीन परिवारों को दिनांक 5-1-73 में भूमि आवंटन की सूची।

क्रम सं.	नाम अलोटी	खसरा नं. रकबा
1.	भोहल्या पुत्र बिरवा चमार	1140 मि. 4 बीघा
2.	मंगल्या पुत्र किशना	1140 मि. 4 बीघा
3.	रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द	1140 मि. 3 बीघा 11 बिस्वा
4.	बसन्ती पुत्र सालका	1135 मि. 4 बिस्वा
5.	खेमचन्द पुत्र चन्दा	1141 मि. 4 बीघा
6.	प्रभाती पुत्र मंगल्या	1117 मि. 2 बीघा 2 बिस्वा 1135 मि. 1 बीघा 10 बिस्वा 1141 मि. 3 बिस्वा
7.	रूगनाथ पुत्र मंगल्या	1141 मि. 4 बीघा
8.	छुट्टन पुत्र भोरया	1136 मि. 3 बीघा 19 बिस्वा 1141 मि. 4 बिस्वा
9.	मन्या पुत्र जमन्या	1136 मि. 3 बीघा 14 बिस्वा
10.	अमरसिह पुत्र शंकरलाल	1136 मि. 4 बीघा
11.	रामजीलाल पुत्र छोटेलाल	1136 मि. 2 बीघा
12.	गोकल पुत्र छोटेलाल	1136 मि. 2 बीघा
13.	मंगल्या पुत्र भीवडा	1135 मि. 5 बीघा
14.	मांग्या, छाज्या पुत्र सुखपाल	1140 मि 6 बीघा
15.	गंगाराम पुत्र लक्ष्मण	1141 मि. 4 बीघा 5 बिस्वा

222

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1152 की सूची

(मात्रा मै. टनों में)

नाम माह	राज्य सरकार द्वारा आवंटित मात्रा	तहसीलवार वितरित की गयी मात्रा						
		पाली	बाली	देसूरी	मारवाड़ जक्शन	सोजत	रायपुर	जैतारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गेहूं								
सितम्बर, 90	5000.0	1407.5	1073.0	440.0	330.0	712.0	450.1	340.0
अक्टूबर, 90	5000.0	1052.8	2275.7	565.0	245.0	629.0	320.0	250.0
नवम्बर, 90	6654.9	1301.1	1130.0	510.0	325.0	630.0	585.0	215.0
दिसम्बर, 90	5500.0	1511.0	1196.8	760.0	335.0	595.8	314.0	545.0
जनवरी, 91	6000.0	1625.2	1585.0	570.0	518.0	779.4	566.0	655.0
फरवरी, 91	5000.0	1306.7	1117.9	450.0	400.0	760.0	455.0	550.0
लेवी चीनी								
सितम्बर, 90	721.0	116.8	145.3	82.3	30.2	120.7	—	79.1
अक्टूबर, 90	721.0	153.3	193.3	99.5	95.4	130.2	54.2	77.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नवम्बर, 90	627.0	71.2	3.5	57.6	5.8	41.2	71.9	27.2
दिसम्बर, 90	535.0	—	154.1	92.3	90.3	103.4	—	63.8
जनवरी, 91	627.0	—	18.6	1.4	—	1.9	53.4	14.8
फरवरी, 91	627.0	—	142.7	157.8	152.3	211.7	144.7	159.7
							(मात्रा कि. ली. में)	
केरोसीन								
सितम्बर, 90	1100	391	239	161	98	102	33	74
अक्टूबर, 90	1100	389	254	144	105	103	22	75
नवम्बर, 90	1200	426	290	154	96	108	33	76
दिसम्बर, 90	1200	420	277	161	85	104	33	89
जनवरी, 91	1150	408	252	158	96	100	33	84
फरवरी, 91	1200	428	265	154	82	94	44	90

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1153 की सूची

जिला स्तर

पाईस एण्ड सप्लाई सर्विलैन्स एण्ड मोनेटरिंग कमेटियों के सदस्यों की सूची

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	कु. विमला सरोलिया एडवोकेट	सदस्य
3.	श्री सुरजाराम भूतपूर्व विधायक	,,
4.	श्री भगवान दास बिन्नागी	,,
5.	श्री हीरासिंह बीका सेवा निवृत्त	,,
6.	श्री भेराराम मास्टर	,,
7.	उप निदेशक उद्योग	,,
8.	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बीकानेर	,,
9.	जिला रसद अधिकारी	सचिव (सदस्य)
10.	श्री सोमदत्त श्रीमाली	सदस्य
11.	श्री हनुमान पुरोहित	,,
12.	श्री घेवरचन्द	,,
13.	श्री राम चन्द्र पुरोहित	,,
14.	श्री शांति कुमार व्यास	,,
15.	श्री माणक चन्द सेठिया	,,
16.	श्री गिरधारी लाल	,,
17.	जिला जनसम्पर्क अधिकारी	,,
18.	अध्यक्ष, थोक खाद्यान्न व्यापार मण्डल बीकानेर	,,
19.	श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल	,,
20.	श्री मघाराम जोशी	,,
21.	श्री द्वारका प्रसाद तापडिया	,,
22.	श्री किशन लाल बाहेती	,,

तहसील नोखा

1.	तहसीलदार नोखा	अध्यक्ष
2.	प्रवर्तन निरीक्षक नोखा	सदस्य
3.	श्री मंगाराम विश्नोई	"
4.	श्री हरीराम मोची	"
5.	श्री श्रीमती पुष्पादेवी	"
6.	डा. मोतीराम, बाल रोग विशेषज्ञ	"
7.	श्री नारायण सिह	"
8.	श्री द्वारका प्रसाद पंचारिया	"
9.	श्री राजेश अग्रवाल	"

तहसील कोलायत

1.	तहसीलदार कोलायत	अध्यक्ष
2.	प्रधानाध्यापिका, रा. बालिका विद्यालय	सदस्य
3.	श्री खींवराज शर्मा कोलांसर	"
4.	प्रवर्तन निरीक्षक कोलायत	"
5.	व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सह. समिति कोलायत	"
6.	श्री बद्रीनारायण	"

तहसील लूनकरणसर

1.	तहसीलदार लूनकरणसर	अध्यक्ष
2.	श्री भेराराम सेवानिवृत अध्यापक	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र सिह शेखावत उपभोक्ता सेवा समिति अर्जुनसर	"
4.	श्री गोपालदास डूडागी, कालू	"
5.	श्री श्रवणराम शर्मा, लूणकरनसर	"
6.	प्रवर्तन निरीक्षक, लूनकरनसर	"
7.	व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी समिति लूनकरनसर	"
8.	श्रीमती सुमिता घोष	"
9.	श्री शंकर हरिजन	"

226

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1154 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	छात्रावास का नाम	योजना	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	सवाईमाधोपुर	राज. छात्रावास, स. माधोपुर	अनु. जनजाति	80	80
2.		राज. छात्रावास (कन्या) सवाई माधोपुर	,,	25	24
3.		राज. छात्रावास, खण्डार	,,	25	25
4.		राज. छात्रावास, सिवाड	,,	25	25
5.		राज. छात्रावास, ईसरदा	,,	25	25
6.		राज. छात्रावास, बामनबास	,,	25	25
7.		राज. छात्रावास, नादौती	,,	25	25
8.		राज. छात्रावास, सपोटरा	,,	25	25
9.		राज. छात्रावास, मंडरायल	,,	25	25
10.		राज. छात्रावास, टोडाभीम	,,	25	25
11.		राज. छात्रावास, करौली	अनु. जाति	60	60
12.		राज. छात्रावास, हिण्डौन	,,	40	38
13.		राज. छात्रावास, गंगापुर	,,	25	25
14.		राज. छात्रावास, स. माधोपुर	भंगी कष्टमुक्ति	25	25
15.		राज. छात्रावास, बोली	,,	25	18
16.		राज. छात्रावास, महुवा	अनु. जनजाति	60	46
17.		अनुदानित छात्रावास, गंगापुरसिटी	,,	35	35
18.	अलवर	राज. छात्रावास, अलवर	अनु. जाति	70	55
19.		राज. छात्रावास, कठूमर	,,	25	25
20.		राज. छात्रावास, थानागाजी	,,	25	16
21.		राज. छात्रावास, तिजारा	,,	25	25

1	2	3	4	5	6
22.		राज. छात्रावास, खेडली	,,	25	21
23.		राज. छात्रावास, बहरोड	,,	25	21
24.		राज. छात्रावास, हजूरीगेट अलवर	हरिजन कष्ट मुक्ति योजना	25	17
25.		राज. छात्रावास अखेपुरा	,,	25	18
26.		राज. छात्रावास, लक्ष्मणगढ	,,	25	11
27.		राज. छात्रावास, अलवर	अनु. जनजाति	45	43
28.		राज. छात्रावास, राजगढ	,,	55	40
29.		राज. छात्रावास, रैणी	,,	35	27
30.		राज. छात्रावार, गढी सवाईराम	,,	30	23
31.		राज. छात्रावास, सकट	अनु. जनजाति	25	19
32.		राज. छात्रावास, नारायणपुर	,,	25	15
33.	दौसा	राज. छात्रावास, दौसा	अनु. जाति	50	50
34.		राज छात्रावास, बांदीकुई	,,	50	44
35.		राज. छात्रावास, सिकराय	अनु जनजाति	25	25
36.		राज. छात्रावास, गड़रावा	,,	25	25
37.		राज. छात्रावास, दौसा	भंगी कष्टमुक्ति	25	25
38.		अनु. जाति अनुदानित छात्रावास लालसोट	अनु. जाति	25	21
39.		अनु. जनजाति छात्रावास, लालसोट द्वारा आदिम जाति सेवक संघ जयपुर।	अनु. जनजाति	30	30
40.		अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, सैंथल	अनु. जाति	35	30

(228)

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 की सूची

तहसील जमवारामगढ एवं विराटनगर में खोले गये पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की सूची

तहसील	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	उपकेन्द्र
जमवारामगढ	1. जमवारामगढ	1. रायसर	1. सायपुरा
	2. करीरी	2. चांवडिया	2. घटबाड़ी
	3. भानपुर कला	3. मानपुर	3. नीमला
	4. आंधी		4. बासना
			5. थली
			6. खवारानीजीका
			7. ताला
			8. नायला
			9. थौलाई
विराटनगर	1. विराटनगर	1. बाडी जोडी	1. नौरंगपुर
	2. शाहपुरा	2. कांठ	2. प्रागपुरा
	3. अमरसर		3. बागावास अहीरान
	4. आंतेला		4. बीलवाड़ी
	5. गुलाब बाड़ी		5. राडावास
	6. मनोहरपुर		
	7. मेड		
	8. पापटा		
	9. धानोता		
	10. बोबाड़ी		